पंचम माला, खंड 39, अंक 41, सोमवार 22 अप्रैल, 1974/2 वैशाख, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXIX, No. 41, Monday, April 22, 1974/Vaisakha 2, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Parliament Library
On 28-8-92

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : **Two Rupees**

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित

संस्करण

खण्ड 39

अंक 41-45

22-26 अप्रैल

1974

P.I

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

22 LSS/74—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 41 सोमवार, 22 अप्रैल, 1974/2 वैशाख, 1896 (शक)

No. 41, Monday April 22, 1974/Vaisakha 2, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र० संख्या S.Q. Nos.		
770 कोसीपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चीनी और चावल की बोरियों का सड़ना	Rotting of Sugar and Rice Bags in FCI Godowns, Cossipur . .	1
771 बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टैक्नोलोजी एंड साइंस, पिलानी द्वारा अनुसन्धान कार्यों पर किया गया व्यय	Amount spent on Research Activities by Birla Institute of Technology and Science, Pilani	5
773 गेहूं की अनुमानित वसूली	Estimated Yield in Procurement of Wheat	9
776 डबल रोटी के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में एककों की स्थापना	Setting up Units for Producing Bread Loaves in Public Sector . . .	10
777 गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि	Rise in issue price of Wheat . .	12
778 उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मोटे अनाज के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on movement of coarse Grains in Eastern Districts of U.P. .	16
780 शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन के लिये योजना	Scheme for radical changes in Education	17
अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में पशु प्रजनन फार्मों के लिये विदेशों से मंगाये गये ढोरों और भेड़ों की मृत्यु	Death of Cattle and Sheep Imported for breading Farms in Andhra Pradesh and Karnataka.	18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
772	वस्तुओं के रूप में भू-राजस्व वसूल करने सम्बन्धी आचार्य विनोवा भावे का सुझाव	Suggestion by Acharya Vinoba Bhave for collection of land Revenue in kind	21
774	निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खरीफ की फसल के बीज वसूल करने में राष्ट्रीय बीज निगम की असफलता	Failure of National Seeds Corporation to procure Targetted Kharif Seeds	21
775	दिल्ली/नई दिल्ली में कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण और आवंटन	Construction and Allotment of Flats under the Low Income Group and Middle Income Group Schemes in Delhi/New Delhi . .	22
779	भारत और विदेशों के बीच ढोये जाने वाले माल पर भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in freight rates on the carriage of Cargo between India and Foreign Countries . . .	23
781	समुद्री मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में पोलैंड के प्रतिनिधि-मंडल के साथ बातचीत	Discussion with Polish Delegation regarding survey of Marine Fisheries resources	23
782	केन्द्रीय सहायता प्राप्त पुस्तकालय	Libraries Getting Central Aid	24
783	बीज सम्बन्धी सौदे की जांच और राष्ट्रीय बीज निगम की जांच समिति के चेयरमैन का त्यागपत्र	Seeds deal probe and resignation of Chairman of Enquiry Committee of National Seeds Corporation	25
784	जर्मन जनवादी गणतन्त्र से तेज गति वाला मालवाही जहाज	High Speed Container from GDR	25
786	वन नीति और आदिवासी लोगों पर इसका प्रभाव	Forest policy and its Impact on Tribal People . . .	26
787	जैटोर-2011 तथा बाइलेरस ट्रैक्टर का आवंटन	Allotment of Zetor 2011 and Bylarus Tractors	27
788	तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों की स्थापना	Setting up of Universities in Tamil Nadu	27
789	पश्चिम बंगाल के लिये पटसन सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम	Package Programme on Jute for West Bengal .	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7503	केरल द्वारा मांगी गई और उसे सप्लाई की गई चीनी की मात्रा	Quantity of Sugar demanded by and supplied to Kerala .	30
7504	इंजीनियरों की विभागीय पदोन्नति के बारे में गोबिन्द रेड्डी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Govinda Reddy Committee regarding Departmental Promotions of Engineers . . .	30
7505	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चलते कामों को स्थगित करना	Suspension of running works in C.P.W.D.	31
7506	दिल्ली प्रशासन द्वारा शराब का व्यापार अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Liquor trade by Delhi Administration . . .	31
7507	'सीवेज स्कीम बंगलिंग'- शीर्षक से समाचार	'Sewage scheme bungling' News item	32
7508	महाराष्ट्र राज्य सहकारी जनजाति विकास निगम	Maharashtra State Cooperative Tribal Development Corporation .	32
7509	अखिल भारतीय आधार पर बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Bus Transport on an All India basis	33
7510	भारतीय खाद्य निगम द्वारा सैकरिन के स्टाक का निपटान	Disposal of stock of Saccharine by FCI	33
7511	नेशनल बुक ट्रस्ट में अनविकी पुस्तकें	Unsold books with NBT	33
7512	माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के मध्यम दर्जे के एककों की स्थापना करने में विलम्ब	Delay in setting up medium size units of Modern Bakeries (India) Limited	34
7513	टाइप पांच, चार तथा तीन के क्वार्टर लेने के अधिकारी सरकारी कर्मचारी	Government employees entitled for type V, IV and III Quarters . . .	34
7514	दिल्ली में बोगस राशन यूनिटों को पकड़ने में असफलता के कारण खाद्य निरीक्षकों का निलम्बन	Suspension of food Inspectors due to failure to check bogus ration units in Delhi	35
7515	केन्द्रीय जल परिवहन के नये बोर्ड का गठन	Constitution of New Board of Central Inland Water Transport . . .	35
7516	अखिल भारतीय मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of All India Soil and Land Use Survey Organisation .	36
7517	रूस द्वारा खरीदा हुआ गेहूं भारत को दिया जाना	Delivery of Wheat purchased by USSR to India	37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7518	खाद्य पदार्थ आदेश को लागू करना	Application of Food Product Order	37
7519	1974 के दौरान वनस्पति के उत्पादन के लिये मूंगफली का भंडार	Groundnut in Stock for production of Vegetable Oil during 1974	38
7520	खाद्यान्न वसूली के तरीके में परिवर्तन तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की संख्या की कमी	Change in Method of Procurement of Foodgrains and resultant reduction in FCI Staff	39
7521	वर्ष 1972-73 में भारतीय खाद्य निगम के वसूली प्रभार	Procurement of FCI during 1972-73	39
7522	भरत नाट्य, कथाकली तथा यक्षगान का विकास	Promotion of Bharat Natya, Khathakkali and Yakshagana . .	40
7523	कुदरेमुक-मंगलौर को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना	Kuderemuk-Mangalore as National Highway Road .	41
7524	राजौरी गार्डन, दिल्ली में भूमि पर नाजायज कब्जा	Unauthorised Occupation of Land in Rajouri Garden, Delhi	41
7525	गत छः महीनों में उत्तर प्रदेश द्वारा मांग गया तथा उसे सप्लाई किया गया चावल	Rice demanded by and supplied to Uttar Pradesh during last six months .	42
7526	दिल्ली-35 में रोहतक रोड का चौड़ा किया जाना	Widening of Rohtak Road, Delhi-35	42
7527	दिल्ली में ड्राइंग टीचरों को एस० ए० वी० प्रमाणपत्र	S.A.V. Certificate to Drawing Teachers in Delhi .	42
7528	दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड	Selection Grade to Assistant Teachers in MCD Schools .	43
7529	देश के नौवहन टन-भार में वृद्धि	Increase in Shipping Tonnage of the country	43
7530	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से राज्य को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States from National Cooperative Development Corporation	44
7532	मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय दल द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Central Team for Drinking Water in East Nimad area of Madhya Pradesh . . .	44
7533	भारत में चल रही मोटर गाड़ियों की संख्या	Number of Motor Vehicles on the road in India . .	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7534	डी० डी० ए० के मंजूरी के लिये पड़े मकानों के नक्शे	Building Plans pending sanction with DDA	45
7535	पटना के पश्चिमी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Fertile Land in Western Area of Patna	45
7536	जनजातीय बच्चों की शिक्षा	Education of Tribal Children	45
7537	चावल की भूसी का उर्वरक के रूप में प्रयोग करना	Rice husk as a Fertiliser	46
7538	मंत्रालय के पास अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धी विचाराधीन मामले	Cases of Selection Grade of S.C. and S.T. Teachers pending with Ministry .	46
7539	दिल्ली/नई दिल्ली में पशु अस्पताल	Veterinary Hospitals in Delhi/New Delhi	47
7540	बारानी खेती के अन्तर्गत जुताई और खुदाई कार्य	Tilling and Sowing of Land under Dry Farming	48
7541	शांतिनिकेतन, नई दिल्ली में अतिरिक्त प्लाटों का काटा जाना	Carving of Additional Plots at Shantiniketan, New Delhi	48
7542	आई० सी० ए० आर० में सुधार	Improvement in ICAR .	49
7543	उड़ीसा में नदी सिंचाई योजनायें	River Irrigation Schemes in Orissa .	49
7544	कृषि को संघ सूची में सम्मिलित करना	Inclusion of Agriculture in Union List	50
7545	छात्रों की शैक्षिक तथा जीवन निर्वाह स्थिति की जांच करने के लिये विशेष केन्द्रीय सैल	Special Central Cell to Enquire into Students' Academic and Living Condition	50
7546	जम्मू और कश्मीर में फलों की डिब्बाबन्दी तथा परिष्करण के लिये परियोजना	Project for Fruit Canning and Processing in J & K	51
7547	जम्मू और कश्मीर में चुकन्दर से चीनी बनाने की परियोजना	Project for Producing Sugar from Beet Root in J & K	51
7548	दिल्ली और बम्बई में "सैल्फ-कन्टेन्ड सैनेटरी सिस्टम"	Self Contained Sanitary System in Delhi and Bombay . . .	51
7549	तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत अधिक भूमि	More Area under Tobacco Cultivation .	51
7550	राज्यों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करना	Improvements in Supply of Essential Commodities by States .	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7551	अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में चीनी तथा बासमती चावल के बढ़े हुए मूल्य	Fancy Price for Sugar and Basmati Rice in International Market	53
7552	स्वेज नहर की गाद निकालने के लिये भारत का अंशदान	Contribution of India for Desilting of Suez Canal	53
7553	तम्बाकू के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Minimum Price for Tobacco	54
7554	'प्रोजेक्ट टाइगर' 'बाघ परियोजना' और शेरों का संरक्षण	Project Tiger and Protection of Lion	54
7555	बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान पिलानी का वार्षिक बजट	Annual Budget of Birla Institute of Technology and Science, Pilani	55
7556	अधिक उपज कार्यक्रम के मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिये योजनाओं हेतु केन्द्रीय नियतन	Central Allocation for Schemes for Assessment Survey of High Yielding Programme .	56
7557	पूर्वी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of Conference of Cooperation Ministers of Eastern States	56
7558	झुंझुनू में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य सम्बन्धी समिति	Committee on Works under Crash Programme for Rural Employment in Jhunjhunu	56
7559	बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एंड साइंस, पिलानी द्वारा प्राप्त चन्दा	Donations received by Birla Institute of Technology and Science, Pilani	57
7560	उत्तर कनारा में बिनागा का बन्दरगाह के रूप में विकास	Development of Binaga in North Kanara as a Harbour .	59
7561	दिल्ली महानगर क्षेत्र में पटरियों पर नई दुकानें	New Pavement shops in Delhi Metropolitan Area	59
7562	'फ्री' विश्वविद्यालय	Free University .	59
7563	सांविधिक तथा संशोधित राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत जनसंख्या	Population under Statutory and Modified Rationing . . .	60
7564	विधानमण्डलों में विकलांग का प्रतिनिधित्व	Representation of Handicapped in Legislatures	60
7565	उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को गेहूं सप्लाई न किया जाना	Non Supply of wheat to the Border Areas of U.P. and Bihar	60
7566	केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की बैठक	Meeting of Central Prohibition Committee	61

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7567	पारादीप पत्तन की क्षमता	Capacity of Paradip Port .	63
7568	न्यायालयों में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारियों की शिकायतों सम्बन्धी अनिर्णीत पड़े मामले	Cases of Grievances of Employees of ICAR Pending in Courts . . .	63
7569	ठेकेदारों की बजाये राज्य आवास निगम द्वारा सरकारी भवनों का निर्माण	Construction of Government Building by State Housing Corporation instead of by Contractors . . .	63
7570	राष्ट्रमण्डलीय देशों के शिक्षा विशेषज्ञों की बैठक	Meeting of Educational Experts from Commonwealth Countries	64
7571	दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही गैर-सरकारी बसों की चालन दर में वृद्धि	Increase in Operating Rate of Private Buses run by DTC .	64
7572	उचित दर की दुकानों से सप्लाई किये जाने वाले गेहूं के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Wheat Supplied from Fair Price Shops	65
7573	दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रियायतें	Concession in Admission for Students belonging to S.C. and S.T. in Central Schools in Delhi . .	66
7574	राज्यों में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा	Free Education upto VIII Class in States	67
7576	उड़ीसा में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा इस राज्य में आदिवासियों को ऋण सुविधायें	Agriculture in Orissa during Fifth Plan and Credit Facilities to Tribals in that State . .	67
7577	गुनुपुर रायगढ़ सड़क (उड़ीसा) पर बंसधा नदी के ऊपर पुल बनाने के लिये ऋण सहायता	Loan Assistance to Construct Bridge over Bansadha on Gunupur Rayagada Road (Orissa)	69
7578	त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में सहकारी समितियां	Cooperative in Adivasi Area of Tripura	69
7580	पश्चिम बंगाल में चौथी योजना में आवास सम्बन्धी लक्ष्य	Target of Housing during Fourth Plan in West Bengal	70
7581	चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन का लक्ष्य	Target of Agricultural Production of West Bengal for Fourth Plan	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7582	पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कृषि अनुसन्धान योजनायें	Schemes for Agricultural Research in West Bengal, Maharashtra and Gujarat	71
7583	विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की बैठक	Meeting of Vice-Chancellors of Universities	71
7584	स्कूलों और कालेजों की संख्या	Number of Schools and Colleges .	72
7585	राज्यों में साक्षरता में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage increase in Literacy in States	72
7586	प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवासों का आबंटन	Allotment of Government accommodation to Class I, II, III and IV employees of Central Government	72
7587	खाद्य तेल के कारखानों के राष्ट्रीयकरण की मांग	Demand for nationalisation of edible oil factory	73
7588	छात्रों को छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि	Increase in Amount of Scholarships to Students	73
7589	चुकन्दर के बीजों में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in Seeds of Sugarbeet	73
7590	अहमदाबाद में परीक्षाओं के विरुध हिंसात्मक आन्दोलन	Violent Stir Against Examinations in Ahmedabad . . .	74
7591	दिल्ली में कालेजों को भूमि का आबंटन	Allotment of Lands to Colleges in Delhi	74
7592	ट्रैक्टरों की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Tractors	75
7593	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक दल का सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल का दौरा	Visit of a Team of ICAR to Sunderban, West Bengal	76
7594	पश्चिम बंगाल में खाद्य तेल का उत्पादन	Production of Edible Oil in West Bengal.	78
7595	चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पत्तन के लिये स्वीकृति की गई राशि	Amount sanctioned for fishing Ports during IV Plan .	80
7596	पश्चिम बंगाल द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes sanctioned by West Bengal	81
7597	भूमिहीन कृषक मजदूरों की आवास समस्या के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की योजना	Madhya Pradesh Scheme Re: Accommodation problem of the Landless Agricultural Labour . . .	81
7598	मध्य प्रदेश में गहन पशु एवं दुग्ध विकास परियोजना के लिये अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा सहायता	Aid from IDA from Intensive Cattle Farming Milk Development in M.P. .	82

अता० प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7599	शोधकर्ता छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की मांग	Demand for enhancement in Amount of Scholarship to Research Scholars	82
7600	संस्थाओं को मान्यता देने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिमय	UGC Regulation regarding Recognition of Institutions . .	82
7601	राष्ट्रीय कृषि आयोग की निर्यात-प्रधान फसलों संबंधी रिपोर्ट	Report of National Commission on Agriculture on Export Oriented Crops	83
7602	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में कार्मिक सलाहकार (परसनल एडवाइजर) का पद बनाया जाना	Creation of Post of Personnel Adviser in IIT, Kharagpur	83
7603	नई खाद्य नीति के लिये प्रस्ताव	Proposal for new Food Policy	84
7604	कलकत्ता के लिये नई बसें और ट्राम-कारें प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to acquire new Buses and Tramcars for Calcutta	84
7605	समुद्र में दुर्घटनाओं के समय हवाई/समुद्री बचाव संबंधी संगठन	Air/Sea Rescue Organisation for Maritime Disasters . .	85
7606	"रघुश्री मार्किट" दिल्ली के नाम और ढंग का वाणिज्यक समूह	Commercial Complex under style of Raghushri Market, Delhi . .	85
7607	दिल्ली में रिहायशी मकानों की भांति दुकानों के आवंटन के लिये योजना	Scheme for allotment of Shops on the Pattern of Residential Houses in Delhi	86
7608	दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों की तुलना में शरणार्थी बस्तियों में आवंटन की शर्तें	Terms and Conditions of Allotment in Refugees Colonies as Compared to DDA Colonies .	87
7609	डी० डी० ए० की कालोनियों में सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य कल्याण-कारी परियोजनायें	Community Centre and other Welfare Projects in the DDA Colonies .	87
7610	वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन और अन्य फसलों की बजाय उन्हें बोना	Production of Commercial Crops and Shift to Cultivation of Cash Crops .	88
7611	गत तीन वर्षों में राज्यों को दिये गये खाद्य तेल	Edible Oil supplied to States during last three years	89
7612	साहित्य अकादमी के बारे में खोसला समिति	Khosla Committee on Sahitya Akademi .	89
7613	साहित्य अकादमी द्वारा किया गया व्यय	Expenditure on Sahitya Akademi .	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7614	शिमला और कुल्लू में आवास बस्तियां	Housing Colonies in Simla and Kulu .	90
7615	मार्च, 1974 में दूध के टोकनों के लिये पंजीकृत आवेदन-पत्र और दूध टोकन जारी किया जाना	Applications Registered for Milk Tokens and Issue of Milk Tokens during March, 1974	90
7616	मध्य प्रदेश को वनस्पति उत्पादों का आवंटन	Allotment of Vegetable Products to Madhya Pradesh	91
7617	गत तीन वर्षों के दौरान कृषि संबंधी खाद-बीज जैसी प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Major Agricultural Inputs during last three years	91
7618	आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग को राज्य सहायता से मकानों की व्यवस्था करने संबंधी योजना	Plan to provide subsidised houses to Economically Weaker Section .	92
7619	दिल्ली में शिक्षा की तीन चरणों वाली प्रणाली	Three Phase pattern of Education in Delhi	92
7620	सभी आकार के जहाजों से माल उतारने चढ़ाने के लिये पत्तनों पर उपकरण लगाने का प्रस्ताव	Proposal to equip ports to handle ships of all sizes . .	93
7621	अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को सोरधम और ज्वार की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता	Aid from UNDP to international Crop Research Institute, Hyderabad for Development of high yielding varieties of Sorghum Millet	94
7622	बाल भारती, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के कर्मचारियों को नोटिस	Notices to Employees of Bal Bharti Higher Secondary School Rajendranagar, New Delhi	95
7623	आवास की कमी की समस्या	Problem of Shortage of Houses	95
7624	इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ टेक्नोलोजी में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिये फीस माफी, मुफ्त छात्रावास स्थान और पुस्तक अनुदान	Free Tuition Fee, Hostel Seat and Book Grant to S.C. and S.T. Students in IITs.	96
7625	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दरों के बारे में पुनर्विलोकन	Review of Post Matric Scholarship rates	97
7626	अकोला में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु	Death of a person in Akola due to Starvation	97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7627	श्रीलंका को चावल सप्लाई करने के लिये भारत-श्रीलंका करार	Indo Sri Lanka Agreement for supply of rice to Sri Lanka .	98
7628	आई० आई० टी०, नई दिल्ली में नियुक्तियां	Appointment in IIT New Delhi	98
7629	राज्यों में एक लाख घर बनाने की योजनाओं का क्रियान्वयन	Implementation of one lakh Houses programme in States	98
7630	राज्यों में भूमि सुधारों में क्रियान्वयन हेतु भूमि आयोगों की स्थापना	Setting up of Land Commissions for Implementation of Land Reforms in States	100
7631	गोहाटी के एक व्यापारी द्वारा गेंहू के बीजों को आटा बनाये जाने के संबंध में जांच	Enquiry into turning wheat seeds into Atta by a Gauhati dealer	100
7632	दिल्ली में टैक्सी-बसें चलाने के लिये 24 मार्ग	24 Routes for running Taxi, Buses in Delhi	100
7633	भारतीय नौवहन निगम में स्थायी चैयरमैन का न होना	Absence of a permanent Chairman in the Shipping Corporation of India . .	101
7634	व्यापार गृहों को आयातित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आवन्टन	Allotment of imported fishing trawler to business houses.	101
7635	उत्तर प्रदेश में ओला वृष्टि के कारण, नकद फसल (तम्बाकू) को हुई क्षति	Loss to cash crop (Tobacco) due to hailstorm in U.P. . . .	101
7636	वनस्पति का कृत्रिम अभाव	Artificial scarcity of Vanaspati . .	102
7637	राष्ट्रीय बीज निगम में खाली पड़े पद	Posts lying vacant in National Seeds Corporation	102
7638	राष्ट्रीय मोटर परिवहन वित्त निगम की स्थापना	Setting up of National Motor Transport Finance Corporation . . .	103
7639	नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में दिल्ली नगर निगम क्षेत्र का शामिल किया जाना	Inclusion of DMC area in NDMC Jurisdiction	103
7640	हरी खाद के उत्पादन के समन्वयन और उसे लोकप्रिय बनाने के लिये ऐजेंसी	Agency for coordinating production of organic manure and its Popularisation .	103
7641	स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये पेंशन	Pension for teachers of schools, colleges and Universities . . .	105
7642	भारतीय शिपयार्डों में बने जहाज	Ships made in Indian Shipyards .	105
7643	अकाल को रोकने के लिये अनाज उत्पादन संबंधी बड़ा आन्दोलन	Massive food production drive to check famine	106
7644	सहायक प्रबंधक ग्रेड में स्थायी रिक्त स्थान	Permanent vacancies in the grade of Assistant Manager .	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7645	आई० आई० टी०, नई दिल्ली के वरिष्ट शिक्षकों के विरुद्ध जांच	Inquiry against senior members of teaching staff of IIT, New Delhi .	107
7646	पांचवीं योजना के दौरान नकदी फसलों के उत्पादन के लिये नई नीति	New strategy for production of cash crop during Fifth Plan . . .	107
7647	पांचवीं योजना के दौरान मत्स्य-पालन का विकास	Development of Fishery during Fifth Plan	108
7648	राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य पशु शरणस्थल तथा उनके लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	National Parks and Sanctuaries and Central Aid to States therefor . .	110
7649	'हिन्द महासागर मत्स्य-पालन सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम' नामक राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम की परियोजना	UNDP Project Indian Ocean Fishery Survey and Development Programme .	110
7650	राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता के अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI enquiry against official of National Library, Calcutta .	111
7651	सहकारी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन में कमी	Decline in Sugar Production in Cooperative Sector . .	111
7652	पंखा रोड कालोनी, दिल्ली में सड़कें चौड़ी करना और उनका रखरखाव	Widening and Upkeep of Road in Pankha Road Colony, Delhi . . .	112
7653	राज्यों में भेड़ों के विकास के लिये 'पैकेज' कार्यक्रम	Package programme for Sheep Development in States	112
7654	पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात के लिये केन्द्र को चावल देना	Rice to Centre for Export in West Asian Countries . .	113
7655	बिहार को खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा देना	Supply of Additional Quota of Foodgrains to Bihar . . .	113
7656	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये आवास	Housing for Delhi's increasing Population by DDA .	113
7657	दिल्ली में यमुना नदी पर नया उपरि पुल	New over bridge over Yamuna River in Delhi	114
7658	रेगिस्तान में कीड़े मारने के लिये नई पद्धति का विकास	Development of new method to kill insects in Desert	114
7659	नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में सहायक शिक्षकों के लिये स्थायी पद तथा चयन ग्रेड	Permanent posts and Selection Grade for Assistant Teachers in New Delhi Municipal Schools	115

अता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7660.	मोती बाग के उत्तर पश्चिम में स्थित नई कालोनी में क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters in the New Colony of North West of Moti Bagh . .	116
7661.	भारतीय समुद्रों की बंदरगाहों और तटों के प्रदूषण के कारण मछलियों की मृत्यु	Pollution of Harbours and Coasts of Indian Sea Causing Mortality of Fish	116
7662.	पश्चिम बंगाल में चावल की सांविधिक राशन व्यवस्था बनाए रखने के लिये प्रस्ताव	Proposals for maintaining Statutory Rationing of Rice in West Bengal . .	117
7663.	गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम वाले विश्वविद्यालय	Hindi Medium University in Non-Hindi Speaking Areas. . . .	117
7664.	भूमि सुधारों को केन्द्रीय विषय बनाना	Land Reforms as Central Subject .	117
7665.	बारीपाडा, मयूरभंज (उड़ीसा) में बाघ शरणस्थल में प्रगति	Progress of Tiger Sanctuary at Baripada, Mayurbhanj (Orissa) . . .	118
7666.	गुजरात के उपद्रवों के बारे में गुजरात राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विचार	Views of Former Chief Minister of Gujarat Re. Disturbances in the State. .	118
7667.	भावनगर और अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध न होना	Non Availability of Foodgrains in Bhavnagar and other Areas . . .	119
7668.	गुजरात के विश्वविद्यालयों में गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी	Payment of Arrears to non-teaching staff in Universities in Gujarat . . .	119
7669.	विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों के लिये समान वेतनमान	Uniform Pay Scales for non-teaching staff in Universities	120
7670	गेहूं के थोक व्यापारियों का कार्यकरण	Performance of Wholesale Traders in Wheat	120
7671.	उत्तर प्रदेश द्वारा चावल की वसूली और आवश्यकता से अतिरिक्त चावल केरल में भेजने का प्रस्ताव	Procurement of rice by U.P. and proposal for sending surplus rice to Kerala .	121
7672.	गेहूं के थोक व्यापार की नई नीति	New Policy of Wholesale trade in Wheat .	121
7673.	आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिये गेहूं के कोटे में कमी करना	Reduction in Wheat Quota for Central Pool by surplus States . .	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7674.	सरकारी उपक्रम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने से मना करना	Refusal of Government undertakings to Employ Physically Handicapped .	122
7675.	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में वाइस-प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तथा उप-शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति	Appointment and promotion of Vice Principal, Principal and Deputy Education Officers in Education Directorate Delhi . . .	
7676.	रूस को गेहूं के बीजों का निर्यात	Export of Wheat Seeds to Russia .	123
7677.	संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों एवं चीनी का प्रति व्यक्ति कोटा	Per Capita quota of Foodgrains and Sugar in Union Territories	123
7678.	वयस्क शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास पर राष्ट्रमंडल की क्षेत्रीय गोष्ठी	Commonwealth Regional Seminar on Adult Education and National Development	123
7679.	अखिल भारतीय समन्वित चावल-सुधार परियोजना के लिये स्वीकृति	Sanction for Scheme of All India Co-ordinated Rice Improvement Project .	124
7681.	पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य तेलों की आवश्यकता और उनका उत्पादन	Requirement and Production of Edible Oil in North Eastern States . . .	125
7682.	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि सेवा केन्द्र तथा बेरोजगार इंजिनियरों को दिया गया रोजगार	Agro Service Centres in W. Bengal and Maharashtra and Employment provided to Unemployed Engineers .	127
7683.	पांचवीं योजना में प्रायः सूखापीड़ित रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के लिये परिव्यय	Outlay on drought prone area programme for Fifth Plan	128
7684.	प्रियदर्शिनी का जलयान के रूप में वर्गीकरण	Classification of Priyadarshini as a Ship	128
7685.	केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार द्वारा खरीदी गई पुस्तकें	Books purchased by Central Secretariat Library	129
7686.	मत्स्य उद्योग के विकास में सहायता के लिये ईरान की ओर से अनुरोध	Request for Help in Development of Fisheries from Iran .	130
7687.	मुख्य मंत्री द्वारा सूचित पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति	Food position in West Bengal as reported by Chief Minister . .	131
7688.	उड़ीसा के सूखाग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों के लिये दी गई धनराशि	Funds released for Drought affected Tribal areas of Orissa . . .	131
7689.	पड़ौसी राज्यों को चावल की तस्करी से उड़ीसा में चावल की कमी	Shortage of Rice in Orissa due to smuggling to neighbouring States . . .	132
7690.	धान का वसूली मूल्य	Procurement price of Paddy .	133
7691.	पालामऊ जिले के कालेजों को विशेष अनुदान	Special Grant to Colleges of Palamau District .	133

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7692.	छोटानागपुर (बिहार) के लिये खाद्यान्न का विशेष कोटा	Special Foodgrain Quota for Chotanagpur (Bihar)	134
7693.	चीनी का मूल्य नियत करने के लिये नए प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति करना	Appointment of a new Tariff Commission for fixation of Sugar price . . .	134
7694.	मध्य प्रदेश के लिये खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा	Additional Quota of Foodgrains for Madhya Pradesh	134
7695.	पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के लिये योजना	Scheme for Education in Backward Areas	134
7696.	'बार्ज केरियर्स' का प्रवर्तन करना	Introduction of 'Barge Carriers' . .	135
7697.	अनारकली पार्क, दिल्ली में सीवर की नालियों और नर्सरी स्कूल की व्यवस्था	Provision of Sewage and Nursery School in Anarkali Park, Delhi	135
7698.	उचित दर की दुकानों को राशन सप्लाई करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against Employees and Officers supplying Ration to Fair Price Shops . .	136
7699.	कलकत्ता में चांदपाल घाट और बड़ा बाजार के बीच नाव सेवा	Ferry Service between Chandpal Ghat and Barabazar in Calcutta	136
7700.	कच्चे पटसन की उत्पादन लागत	Cost of Production of Raw Jute .	136
7701.	नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 तक गत तीन वर्षों की इसी अवधि में वसूल किये गये खाद्यान्न की मात्रा	Amount of Foodgrains procured during November, 1973 to January, 1974 and Corresponding period during last three years .	137
7702.	सफदरजंग उपरि पुल	Safdarjang Over Bridge	137
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	138
	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली नगर निगम के 20 गोदामों को सील किये जाने के समाचार	Reported sealing of 20 godowns of Delhi Municipal Corporation by the CBI	138
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	138
	श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	139
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	141
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . .	143
	125वां प्रतिवेदन	Hundred and Twenty Fifth Report .	143
	राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Interim Reports by National Commission on Agriculture . .	143
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A. Ahmed	143

22 LSS/74—2

अ॰ता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
न्यू फ्रेंडस कोओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के संबंध में सदस्य का वक्तव्य	Statement by Member Re. New Friends Cooperative House Building Society .	149
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee.	149
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	151
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक —	Constitution (Thirty-Second Amendment) Bill—	153
संयुक्त समिति में सदस्यों को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सभा को सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint Members to Joint Committee.	153
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	153
कानपुर के एक हस्पताल में डाइक्रिसटीसिन इन्जेक्शन से एक लड़की की मृत्यु का समाचार	Reported death of a girl in Kanpur Hospital due to Dicrysticine injection .	153
अनुदानों की मांगें, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75	154
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	154
श्री एस॰ पी॰ भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya .	160
श्री॰ के॰ सुर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	161
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey .	163
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	164
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	166
श्री आर॰ वी॰ स्वामिनाथन	Shri R.V. Swaminathan .	167
श्री पी॰ ए॰ सामिनाथन	Shri P.A. Saminathan	168
श्री बसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	171
श्री के॰ मायातेवर	Shri K. Mayathevar. .	172
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar.	173
श्री भालजी भाई परमार.	Shri Bhaljibhai Parmar	174
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh .	175
श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi	175
श्री तुला राम	Shri Tula Ram . .	176
श्री अण्णा साहेब पी॰ शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	177
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	180
आधे-घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion . . .	180
पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर से छूट	Tax Exemption to Industries in Backward Areas . . .	180
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve .	180
श्री के॰ आर॰ गणेश	Shri K. R. Ganesh .	181

लोक–सभा

LOK SABHA

सोमवार, 22 अप्रैल, 1974/2 वैशाख, 1896 (शक)

Monday, April 22, 1974/Vaisakha 2, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोसीपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में चीनी और चावल की बोरियों का सड़ना

*770. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोसीपुर, कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ने के कारण चीनी और चावल की बहुत सी बोरियां व्यर्थ गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्टाक व्यर्थ जाने के कितने मामले हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1972-73 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में कुल 407 मी० टन चावल और 630 किलोग्राम चीनी क्षतिग्रस्त हुई थी। यह क्षति उस क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा होने और बाढ़ आने के कारण वर्षा का पानी चूने अथवा जमीन के नीचे के पानी के रिसने के कारण हुई थी।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में यह कैसे कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री, श्री पी० के० घोष ने इस मामले में कुछ कहा था जो कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। वह समाचार इस प्रकार है :

> "श्री घोष ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 1970 में जमा किये गये चावल को अभी तक वितरित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों की देख-रेख समयानुसार नहीं की जा रही है। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बार-बार निगम द्वारा लिखे जाने पर भी लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत नहीं की गयी।"

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री राय ने इसे 'आपराधिक असावधानी' कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री ने प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर से बचने का प्रयास क्यों किया है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए चार सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी एक सीले पदार्थ के रूप में आ रही है। जब उस क्षेत्र के लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे, उस समय गोदाम की देखरेख नहीं की गई। वह बात को टालने वाला उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बात को टालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सदन को विदित है कि मैंने सदैव ही उनके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये हैं। जहां तक इस विशेष गोदाम का ताल्लुक है, इसके बारे में माननीय सदस्य के लिए यह जानना रुचिकर होगा। इसका सम्बन्ध कांसीपुर से है। कोसीपुर में 71,000 टन की भण्डारण क्षमता में से 62,000 टन भण्डारण क्षमता राज्य सरकार की है। इसकी देखरेख तथा मरम्मत आदि का दायित्व भी राज्य सरकार पर है। भारतीय खाद्य निगम ने गोदाम किराये पर लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त, अन्य जहां कहीं भी हानि हुई है, मैंने उसका उल्लेख अपने उत्तर में कर दिया है। अतः प्रश्न से बचने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : इसका दायित्व किस पर है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गोदामों की देखरेख करने का अधिकार भारतीय खाद्य निगम को है ? गोदामों का प्रभार किस पर है ? जब यह मामला अधिकारियों की जानकारी में लाया गया था तो फिर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री के द्वारा भारतीय खाद्य निगम पर आरोप क्यों लगाया गया ? प्रश्न तो यह है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमान् जी, चूंकि माननीय सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री के वक्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अतः उन्हें उनके साथ सम्पर्क स्थापित करके यह पता लगाना चाहिए कि वे हमसे चाहते क्या हैं। परन्तु जो निवेदन मैं करना चाहता हूं वह यह है कि पश्चिम बंगाल में जो गोदाम हैं दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश का निर्माण द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले किया गया था। ये गोदाम बहुत ही पुराने हैं, इनकी हालत खस्ता है और राज्य सरकार अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण इनकी मरम्मत करवाने या उन्हें पूर्ण रूप से हमें हस्तांतरित करने की स्थिति में नहीं रही। यही कठिनाई रही है।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें अन्य किसी ऐसे गोदाम की जानकारी है जहां इसी प्रकार खाद्य पदार्थ सड़ रहे हों और वह मानवीय उपयोग के योग्य न रहे हों ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि वे गोदाम बहुत पुराने हैं।

श्रीमती एम० गोडफे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चहती हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि खाद्यान्नों के गोदामों में सड़ने के इलवा, चूहे तथा अन्य जीव बोरियों तथा खाद्यान्नों को खाते रहते हैं जिससे कि वह खाने योग्य पदार्थ नहीं रह जाते हैं ? क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों के पास दो प्रकार की भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुल 80 लाख टन की भण्डारण क्षमता में से 50 लाख टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया है। ये गोदाम आधुनिक हैं और उन्हें चूहों तथा वर्षा आदि द्वारा किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। कुछ गोदाम जो कि प्राइवेट पार्टियों या राज्य सरकारों से लिये गये थे, दुर्भाग्यवश वे अच्छे स्तर के नहीं थे और इसलिए कुछ हानि हुई। जहां तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का सम्बन्ध है, वे पूर्णतया आधुनिक हैं और उनमें बहुत कम हानि हुई है।

Shri Ishaque Sambhali : May I know if the Government is aware of the places from which such complaints have been received. I can quote at least one case regarding which I wrote to the hon. Minister also and Consequently some officer visited Majholi of Muradabad District. According to the Government's statement, 20,000 quintals of wheat had got rotton there and was wasted. The F.C.I. may not accept it but it is a fact that a good godown was available but instead of storing the wheat in that godown, it was stored in a lower place in the field, which was given the name of open godown. When it started raining it was filled with water and that way 20,000 quintals of wheat were wasted. May I know if the Government has received such complaints that despite the availability of a good godown, wheat was stored in an open air godown? Secondly, when Government's attention was drawn towards this incident of Majholi, was somebody's responsibility fixed for this wastage of wheat?

Mr. Speaker : It is a good question, but we wanted to combine ourselves to Cossipur only.

Shri Ishaque Sambhali : Sir, it is quite near Cossipur.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक मुझे जानकारी है, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 10 टन की हानि हुई है। माननीय सदस्य द्वारा जिस विशेष मामले का उल्लेख किया गया है हम उसकी जांच करेंगे। प्रायः जब भी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न रखे जाते हैं तो उन्हें बहुत कम हानि होती है। जब माल मंडी या रेलवे स्टेशन से ले जाया जा रहा होता है और वर्षा हो जाती है, तो कुछ हानि होना स्वाभाविक ही है। इस विशेष मामले का तथ्यात्मक ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि इसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी होगा, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में मुझे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker, Sir, it has been stated by the hon. Minister that the F.C.I. godowns are in good condition, they are waterproof and fully secured. I want to submit that when foodgrains are purchased from farmers, they are sifted thrice, and nicely cleaned before storing in the godowns but when the same foodgrains come to Fair Price Shops, they mixed with concrete. I want to know if there are any arrangements for sand-proof storage also?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रायः खाद्यान्नों को देने की एक प्रक्रिया होती है। यदि खाद्यान्न उचित स्तर के नहीं होते तो उचित दर दुकानवाले को यह छूट होती है कि वह अपने खाद्यान्न बदल कर अच्छी किस्म के खाद्यान्न ले ले। जो खाद्यान्न दिये जाते हैं उनका एक नमूना सील करके दिखाने के

लिए दुकानदार को दे दिया जाता है। यह नमूना भण्डारी तथा मुख्यालय में भी रहता है। अतः इसके लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। परन्तु फिर भी मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसमें कुछ मानवीय त्रुटियां नहीं हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि खाद्यान्नों की कुछ हानि हुई है, चाहे उसकी मात्रा कितनी ही हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक राज्य में गोदाम स्थापित करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की नहीं है ? क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम का कोई अपना गोदाम भी है। खाद्यान्नों को होने वाली हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया कि गोदाम खाद्यान्न रखने के लिए ठीक हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा दो या तीन प्रश्न खाद्य निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर उठाए गये हैं। भारतीय विशेषतया ऐसे स्थानों पर जहां अधिक खाद्यान्न होते हैं गोदाम बनाये गये हैं। इस समस्या का अध्ययन चार वर्ष पूर्व एक विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया गया था और भारत सरकार द्वारा उसका प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया था। बंगाल में भी कुछ गोदाम हैं यद्यपि मुझे उनकी कुल भण्डारण क्षमता की पूरी जानकारी नहीं है। जहां तक हानि के उन मामलों का संबंध है जिनका उल्लेख किया गया है, उनके बारे में मुझे यही कहना है कि इसके लिए अच्छे खासे नियम निर्धारित किये गये हैं और उसमें यदि कसी व्यक्ति का दोष होता है तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य निगम, कोसीपुर तथा पश्चिम बंगाल के अन्य गोदामों के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, उनका भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में और अधिक गल्ला खरीदने से इनकार करने से कोई ताल्लुक है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न केवल वसूली से सम्बद्ध है।

श्री राज राज सिंह देव : क्या यह सच है कि इस मामले की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री द्वारा चार सदस्य समिति का गठन किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये जाने वाले खाद्यान्नों से सम्बद्ध समस्या का अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा किसी समिति की नियुक्ति की गयी थी। इसका प्रतिवेदन एक प्रकाशित दस्तावेज है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसकी एक प्रति हमें भी भेजी गई थी।

Shri R. R. Sharma : Mr. Speaker, Sir, it has been accepted by the hon. Minister during the course of his reply that a good quantity of wheat was damaged in the godowns of U.P. I would like to know from the hon. Minister the total loss of food-grains in U.P. and what action has been taken against the officers responsible for it ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। उसके अनुसार पानी के रिसने से लगभग 10 टन खाद्यान्न की हानि हुई। अन्य आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल के सभी गोदाम पुरानी किस्म के हैं। भारत सरकार या भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि पश्चिम बंगाल के इन पुरानी किस्म के गोदामों में खाद्यान्नों को न रखा जाये ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जब अच्छे गोदाम उपलब्ध होते हैं, तो प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है। परन्तु जब किसी स्थान विशेष पर गोदामों की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले गोदामों का ही उपयोग किया जाता है।

बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टैक्नोलोजी एंड साइंस, पिलानी द्वारा अनुसंधान कार्यों पर किया गया व्यय

*771. **श्री शिवनाथ सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टैक्नोलोजी एण्ड साइन्स, पिलानी ने गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान कार्यों पर कितनी राशि खर्च की तथा किस रूप में खर्च की और वह धन किन स्रोतों से प्राप्त किया गया था, और

(ख) क्या इन तीन वर्षों में अनुसंधान कार्यों के लिए प्राप्त समूची धनराशि को खर्च कर दिया गया है और यदि नहीं, तो शेष राशि का क्या हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक वर्ष शेष राशि को अनुसूचित बैंकों के आवधिक (फीक्स) जमा खाते में रखा जाता है।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जिन स्रोतों से धन प्राप्त हुआ वे इस प्रकार हैं:—

निम्नलिखितों से प्राप्त दान इस प्रकार हैं :

(रुपये लाखों में)

	1970-71	1971-72	1972-73
1. ग्वालियर रैयन्स (सिल्क) मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड वीविंग कं० लि० नागदा/बिरला नगर . .	20.00	20.00	20.00
2. सैन्चरी स्पिनिंग एण्ड मेन्यूफैक्चरिंग कं० लि० बम्बई	20.00	--	20.00
3. बिरला कन्सलटेंट्स प्रा० लि०, बम्बई .	2.25	1.00	5.00
4. हिन्दुस्तान अलुमीनियम कारपोरेशन लि० रणकूट	20.00	20.00	20.00
5. श्री मदन प्रंजीवन मेहता बम्बई . . .	—	0.25	0.50
6. जे० सी० मिल्ज लि० बिरलानगर, ग्वालियर . .	—	20.00	20.00
7. पिलानी इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन लि०, बिरला नगर, ग्वालियर	—	5.00	5.00
कुल रुपये . . .	62.25	66.25	90.50

इस राशि में से अनुसंधान के कार्यक्रमों के आवर्ती तथा अनावर्ती विषयक खर्चे इस प्रकार हैं :--

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अनुसंधान के लिए खर्च की गई राशि		
	आवर्ती	अनावर्ती	कुल
1970-71 .	20.96	2.24	23.20
1971-72	26.08	1.82	27.90
1972-73	28.85	2.92	31.77

Shri Shiv Nath Singh : Mr. Speaker, Sir, the statement given by the hon. Minister indicates the donations given by Birla concerns. But I want to know whether this Institute was given any amount for research work by the Government in the form of Foreign Aid, by Ford Foundation, under PL-480 and by the University Grants Commission?

Prof. S. Nurul Hasan : If the hon. Member desires I can provide to the House the full details of the amount secured from University Grants Commission alongwith the schemes for which that was received and their utilisation Certificates. As far as my knowledge goes, the Institute has not received any Cash amount from any other organisation except Ford Foundation. But if he is interested in foreign aid, I can reply to that question separately.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अनुसंधान कार्यों के लिए दी गई धनराशि के बारे में प्रश्न पूछा है ।

प्रो० एस० नुरूल हसन : तुलना-पत्र में, प्राप्त होने वाली धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है ? उसमें प्राप्त होने वाली सेवाओं का उल्लेख भले ही किया गया हो। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत कर दूंगा ।

Shri Shiv Nath Singh : Kindly look at my question. I have written "amount and in what shape" Therefore, it includes the money received as foreign aid also. That is why I need not ask a separate question. A number of charges of tax-erasion have been levelled against this Institution and it is apparent from the statement also. In 1972-73, the Institution got about one crore rupees out of which 31 lakhs of rupees were spent, in 1971-72, the Institution got 62 lakhs of rupees and spent rupees 27 lakhs and in 1970-71 it got 62 lakhs of rupees and only 23 lakh were spent. So, that way a lot of money is lying with the Institution and about rupees 60 lakhs are lying with the Institution from the last year. I want to know whether it has been carried forward or not? When this surplus amount of 60 to 65 lakhs of rupees is lying with the Institution and there is no scope for spending the same, then why Birla is permitted this tax erasion?

Regarding part (b), I want to know whether any profit has been given to the concerns who gave money for, research work? In a way, this Institution appears to be another concern of Birlas for the purpose of tax erasion. I would like to know the research advantages got by this Institution from the money received from Birla Concerns and what is the research work done by the professions and officers engaged there?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जिन विभिन्न मार्थों द्वारा इस संस्थान को दान दिया गया उन्हें आयकर तथा अन्य करों में कुछ छूट दी गई या नहीं, इस प्रश्न का संबन्ध तो वित्त मंत्रालय के कम्पनी कार्य विभाग से है । मैं अपने मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा का उत्तर देते समय पहले ही यह कह चुका हूं कि जो भी प्रश्न उठाये गये हैं उनकी सूचना मैं संबद्ध मंत्रालयों को दे दूंगा। जहां तक इस मामले से सम्बद्ध व्यक्तियों के ब्यौरे का प्रश्न है, उसके लिए मुझे अलग नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारत सरकार के किसी अन्य संस्थान या ऐसे लोगों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न उद्योगों द्वारा जो अनुसंधान कार्य किया गया है क्या उनके कुछ परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो क्या वह परिणाम जनसाधारण को उपलब्ध करवा दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो बहुत सीमित है, जिसका संबन्ध अनुसंधान कार्यों पर खर्च की जाने वाली धनराशि से है ।

श्री जगन्नाथ राव : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या धनराशि का उचित ढंग से उपयोग किया गया है, क्या उसके कुछ परिणाम निकले हैं और क्या वह परिणाम जनसाधारण को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। हमें यह सब जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप काफी विस्तृत ब्यौरे मांग रहे हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : सदन इस तथ्य से अवगत है कि जब भी किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ किया जाता है तो वह एक सतत कार्य होता है । यदि अनुसंधान के परिणाम अच्छे होते हैं तो उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है । अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जाने पर वह संपूर्ण देश को उपलब्ध हो जाते हैं । कई बार ऐसा भी होता है कि कार्य किया जाता है परन्तु उसके परिणाम सकारात्मक नहीं निकलते। अतः उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता। अतः जब तक कोई निश्चित बात नहीं पूछी जाती तब तक इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : गत तीन वर्षों में से पिछला वर्ष अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इस वर्ष उन्हें 90.50 लाख रुपया प्राप्त हुआ, जबकि वक्तव्य के अनुसार 1972-73 में उन्हें केवल 31.77 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसमें से 28.85 लाख रुपया आवर्तक राशि के रूप में था।

इन आँकड़ों के परिपेक्ष में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बकाया धनराशि को अगामी दो वर्षों में अनुसंधान परियोजनाओं पर खर्च कर दिया जायेगा ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में पिलानी के प्रांगण में जो दंगे हुये, उनके लिए अनुसंधान कार्यों पर खर्च न की जाने वाली धनराशि किस सीमा तक उत्तरदायी है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इस प्रश्न के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि विद्यार्थी असंतोष के लिए खर्च न की गई धनराशि किस सीमा तक उत्तरदायी है । विचाराणीय विषय यह है कि जब भी सरकार द्वारा संसदीय अनुमति के आधार पर अनुदानों की मंजूरी दी जाती है, उस समय यह सुनिश्चित मान लिया जाता है कि अनुसंधान कार्यों पर होने वाले आवर्तक व्यय के लिए नियमित धनराशि उपलब्ध हो जायेगी। परन्तु जहां अनुसंधान कार्य दान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि के आधार पर किया जाना होता है, तो उसका सतत रूप से चलना सुनिश्चित नहीं हो सकता। अतः संभव है कि संस्थान के शासी निकाय ने धन संग्रह करने का निश्चय किया हो ताकि उसे सतत रूप से अनुसंधान कार्यों पर लगाया जा सके ।

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी : वक्तव्य से ऐसा प्रकट होता है अनेक बिड़ला सार्थो द्वारा पिलानी संस्थान को धनराशि दी जाती है जो कि एक बिड़ला संस्थान ही है । इस प्रकार वे एक ओर तो आयकर से लाभ उठा रहे हैं और दूसरी ओर सांवधिक जमाराशि से भी वह आय प्राप्त करते रहते हैं।

इन तथ्यों के संदर्भ में, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अनुसंधान-परिणामों को संपूर्ण देश को उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? क्योंकि सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह बिलकुल संतोषजनक नहीं है ? अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस अनुसंधान द्वारा प्राप्त किये जाने वाले परिणामों को केवल बिड़ला संस्थान तथा बिड़ला सार्थी तक ही सीमित रखने की अपेक्षा उन्हें सम्पूर्ण देश को उपलब्ध करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि वह सरकार से सब प्रकार का लाभ उठा रहे हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : प्रथम बात तो यह है कि सांवधिक जमाखातों से होने वाली आय को संस्थान के तुलना-पत्र में जोड़ दिया गया है और उसका उपयोग संस्थान के व्यय के लिए किया जा रहा है । जहां तक दूसरे प्रश्नों का संबन्ध है, उनके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है कि यदि वह अच्छे स्तर के समझे जाते हैं तो उन्हें प्रकाशित कर दिया जाता है । वास्तव में अनुसंधान कार्य पर किया गया व्यय प्रद्योगिकी के अन्य संस्थानों और कुछ विज्ञान विभागों की तुलना में काफी कम है । फिर भी यदि सदस्य महोदय कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते है, तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं या वह मुझे लिखें तो मैं उन्हें सम्बद्ध जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा ।

श्रीं दीनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह संस्थान की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वह जो चाहें वही प्रकाशित करें या उसके अनुसंधान परिणामों को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रणाली सुनिश्चित की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानना चाहते हैं कि क्या अनुसंधान-परिणामों को प्रकाशित करना उनका नियमित कार्य है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह एक स्वायतः संगठन है । यदि कोई विशिष्ठ प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं । अनुसंधान कार्य कई प्रकार का होता है । अनुसंधान कार्य को पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है । संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों चाहे वह संसद द्वारा स्थापित किये गये प्रौद्योगिकी संस्थान हों, विशेष संस्थानों, इंजीनियरिंग कालेजों या रीजनल इंजीनियरिंग कालिजों की तरह ही परामर्श कार्य भी किया जाता है । मैं निवेदन कर चुका हूं कि यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है तो अपनी योग्यता के अनुसार मैं उसका उचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये : जो जानकारी उन्होंने दी है उसका संबन्ध बिड़ला सार्थी द्वारा दान के रूप में दी गई धनराशि से है । दान केवल अनुसंधान कार्य के लिए ही नहीं दिया जाता । अत : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि दान किन शर्तों पर दिया जाता है ? हम यह जानना चाहते हैं कि जो वार्षिक दान प्राप्त होता है उसकी तुलना में खर्च होने वाली धनराशि काफी कम है, बची हुई धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ? मंत्री महोदय ने कहा कि शायद धन संग्रह किया जाये। परन्तु क्या वास्तव में ऐसा किया जाता है या नहीं या क्या पिलानी संस्थान के घाटे को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है ? इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये । संस्थान को सकुशल ढंग से चलाने के लिए विभिन्न बिड़ला सार्थी द्वारा दान दिया जाता है । यदि यह बात न तो क्या बकाया धनराशि का संग्रह किया जायेगा ? परन्तु क्या इस का उपयोग घाटे को पूरा करने के लिए किया जायेगा या किसी अन्य कार्य के लिए ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : तुलना-पत्र से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार दान दो शीर्षकों के अन्तर्गत दिया गया है : (1) संस्थान के कार्यों के लिए (2) वैज्ञानिक अनुसंधान। माननीय सदस्य द्वारा जो जानकारी मांगी गई है उसका संबन्ध वैज्ञानिक अनुसंधान से है । उदाहरणार्थ, अनुसंधान कार्यों के अतिरिक्त, संस्थान के अन्य कार्यों के लिए बिड़ला ऐजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा 1972-73 में 32 लाख रुपये दिये गये थे। मैंने इसे अनुसंधान कार्यों के साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि प्रश्न का संबन्ध अनुसंधान की धनराशि से था। मैंने केवल उन्हीं दानस्वरूप धनराशियों का उल्लेख किया है जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी गई।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

गेहूं की अनुमानित वसूली

*773. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 मार्च, 1974 को घोषित नीति संबन्धी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कितने गेहूं की वसूली होने की संभावना है, और,

(ख) यह मात्रा कुल उत्पादन और बिक्री योग्य मात्रा का कितने प्रतिशत है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिबम पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : नई नीति के अधीन अधिप्राप्त की जा सकने वाली गेहूं की मात्राओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है ।

श्री बी० बी० नायक : मंत्री महोदय ने बताया कि अभी इसके बारे में ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या इसका तात्पर्य यह है कि नये लाईसेंस धारियों यथा व्यापारियों का, किसी प्रकार के ठेके अथवा सरकार के साथ करार के माध्यम से निश्चित दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार के साथ किसी प्रकार के ठेके अथवा करार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत लेवी के आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह एक प्रकार से सांविधिक देयता है। मैंने ऐसा उत्तर इस लिए दिया कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मंडी में कितनी पैदावार आती है। गेहूं की पैदावार मुख्यतय 6–7 सप्ताहों में ही मंडी में आ जाती है । संभवत: जून के अंतिम सप्ताह में हम इस स्थिति में होंगे कि मंडी में आने वाले गेहूं का अनुमान लगा सकें और यह बता सकें कि उस में से कितनी पैदावार सरकार के पास आयेगी।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने इस तथ्य पर बल दिया कि इस समय खरीदे जाने वाले गेहूं के बारे में ठीक ठीक अनुमान लगा पाना कठिन है। परन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि 18 अप्रैल को ही इस बात की गारंटी की गई थी कि 50 लाख टन की सप्लाई होगी ? एक सम्पादकीय में यह बात देखने को आई थी कि गेहूं नीति में परिवर्तन करने से पूर्व व्यापारी समुदाय का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ इस प्रकार का करार हुआ था जिसके अनुसार व्यापारी समुदाय को 50 लाख टन गेहूं खरीदना था। क्या यह केवल समाचार मात्र ही था ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है; व्यापारी संघ या सरकार ? देश के लोग यही समझते रहे कि इस परिवर्तित नीति से पूर्व ही 50 लाख टन गेहूं खरीद लिया जायेगा।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : व्यापारी संगठनों सहित विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं। यह ठीक है कि खाद्यान्न के व्यापारियों के संगठनों द्वारा आरम्भ में कुछ अनुमान प्रस्तुत किये गये। परन्तु सरकार ने केवल इन आंकड़ों के आधार पर ही कार्यवाही आरम्भ नहीं कर दी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, नीति में संशोधन करने के पश्चात सरकार यह चाहती थी कि उसे सांविधिक आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जाए न कि किसी प्रकार के समझौते के आधार पर।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that even after imposition of levy on traders, Central Government or State Government will procure some wheat directly from farmers, if so, at what price? Wheat is expected to be purchased from traders at the rate of rupees 105 per quintal. In that case, will the traders be at liberty to sell rest of their wheat in the market at the prices of their choice and loot the public?

प्रो० मधु दंडवते : यह तो वह पहले ही कर रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे खेद है कि सदस्य महोदय इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाये हैं। सब से पहली बात तो यह है कि जहां तक उत्पादकों से सीधे खरीद करने का सवाल है, उसका समर्थन तो सरकार केवल दो प्रकार की परिस्थितियों में ही करती है। इन में से प्रथम यह है कि हमने बहुतायत वाले राज्यों के उत्पादकों को यह आश्वासन दिया है कि यदि मूल्यों में गिरावट आई तो 105 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का दायित्व सरकार का होगा और किसानों को अपनी फसल उससे कम दामों पर नहीं बेचने दी जायेगी। परन्तु बाजार के रुख से ऐसा लगता है कि किसानों को कुछ अधिक ही दाम मिलेंगे। इस प्रणाली में यह व्यवस्था की गई है। कमी वाले राज्यों के बारे में हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे उत्पादकों से 105 रुपये के मूल्य पर वर्गीकृत लेवी वसूल करें और कुछ राज्यों ने यह शुरू भी कर दी है और इसीलिए शेष वसूली बाजार भाव पर होगी। उत्पादकों से खरीदने के भी प्रबन्ध किए गए हैं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि वह मन चाहे दर पर बेचें ठीक नहीं है। जैसा कि मेरे सहयोगी अपने नीति संबंधी प्रथम वक्तव्य में बता चुके हैं मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है। किस स्थिति में ऐसा किया जाएगा और किस प्रकार किया जाएगा जैसे प्रश्नों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार की कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे मूल्यों में वृद्धि हो और इसीलिए सरकार निर्णय करने से पूर्व सावधानी से काम लेगी। समझा यह जा रहा है कि व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।

डबल रोटी के उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में एककों की स्थापना

*776. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डबलरोटी के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में एकक स्थापित करने का है,

(ख) यदि हां, तो उक्त एककों की स्थापना कहां-कहां की जाएगी, और

(ग) क्या सरकार का नई दिल्ली में बिस्कुट और डबलरोटी लपेटने वाले कागज का एक संयंत्र लगाने का भी विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : माडर्न बेक्रीज (इंडिया) लि०, भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान ने अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकता, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर और मद्रास में सरकारी क्षेत्र में डबलरोटी का उत्पादन करने के लिए 9 यूनिट पहले ही स्थापित कर दिए हैं। यह कम्पनी चंडीगढ, रांची, इंदौर और भुवनेश्वर में भी 4 नए यूनिट स्थापित कर रही है और इसके अलावा कुछ मौजूदा यूनिटों का विस्तार भी कर रही है। कम्पनी भविष्य में संयंत्रण स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए अखिल भारत आधार पर सर्वेक्षण भी कर रही है।

(ग) कम्पनी प्रोटीन बिस्कुट प्लांट और ब्रेड रैपर यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। स्थान और अन्य ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय डबलरोटी की अत्याधिक कमी है और अस्पतालों के रोगियों तक को यह नहीं मिल रही है, सरकार तत्काल मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सभी कुछ सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का कोई विचार नहीं है। सरकारी एकक का उद्देश्य आधुनिक एकक को चलाने का ढंग बताना है और यह एकक इस कार्य को भली भांति कर रहे हैं और सदन भी इससे अवगत है। मेरा अनुरोध है कि कुछ माननीय सदस्य कुछ एककों में जाएं। अनेक गैर-सरकारी व्यापारी भी डबलरोटी बना रहे हैं।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि डबलरोटी की काफी मात्रा में तस्करी दिल्ली से रोहतक तथा अन्य स्थानों को की जा रही है तथा दिल्ली की डबलरोटी दुगने भावों पर हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में बेची जा रही है ? यदि हां, तो इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने सामान्य रिपोर्टों को दे इससे माडर्न डबलरोटी की लोकप्रियता का संकेत मिलता है ।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : चूंकि विशेषकर निर्धन वर्ग के लोगों, को डबलरोटी नहीं मिलती, क्या सरकार ने मिठाई बनाने वालों तथा सरकारी एककों को केक और पेस्ट्री के प्रयोग अथवा उत्पादन न करने देने तथा डबलरोटी बनाने के लिए दिए गए कोटे को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्णय कर लिया है ताकि डबलरोटी का अधिकतम उत्पादन किया जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : नई नीति में कोटा के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता । उत्पादकों को व्यापारियों से खरीदे गए माल पर निर्भर रहना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ब्रितानिया बिस्कुट कम्पनी ने अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता में तीन गुना वृद्धि की है और यह निश्चित है कि डबलरोटी बनाने के लिए आटे को बिस्कुट बनाने के लिए प्रयोग में लाए बिना ऐसा नहीं हो सकता । क्या मंत्री महोदय इसके बारे में बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ दिन पूर्व पर्याप्त अवसर मिला था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके लिए नोटिस अपेक्षित है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : पूर्वी क्षेत्र में योजना को लागू क्यों नहीं किया गया । क्या इस क्षेत्र में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माडर्न बैकरीज़ संबंधी कोई योजना लागू की गई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बारे में सुझाव दें। हम निरीक्षण करेंगे और इसके परिणामस्वरूप यदि योजना लाभप्रद दिखाई देगी तो हम इस पर ध्यान देंगे

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 9 एकक देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे हैं। क्या वे पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और क्या वे लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं अथवा नहीं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सदन तथा माननीय सदस्यों को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सरकारी एकक भली भांति कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष उन्होंने लगभग 62 लाख का लाभ दिखाया था।

श्री राम सहाय पांडे : मैं उत्पादन के लक्ष्य के बारे में जानना चाहता हूं और सदन भी यही जानना चाहता है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं पहले ही बता चुका हूं कि वे लगभग पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं ।

श्री नटवर लाल पटेल : क्या यह सच है कि देश के बड़े लोग डबलरोटियों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी पत्नियां घरेलू कार्यों के लिए डबलरोटी का प्रयोग कर रही हैं? यदि हां, तो सरकार ऐसे लोगों पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

श्री एच० एम० पटेल : इस उपक्रम ने डबलरोटी से कितना लाभ कमाया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बाजार में अन्य यूनिटों के साथ प्रतिस्पर्धा चल रही है । यदि मार्डन बेकरीज़ सस्ती दरों पर डबलरोटी बेचे तो यह अनुचित होगा। गैर सरकारी उपक्रम ऊंचे दामों पर डबलरोटी बेच रहे हैं। यदि सरकारी उपक्रम भी ऐसा करें तो शायद माननीय सदस्य इसकी आलोचना करेंगे। अन्य भी कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। शायद सरकारी एककों को आर्थिक गतिविधियों का सामान्य लाभ दिया जाना चाहिये।

गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि

*777. **श्री मधु दंडवते :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं की वसूली तथा मूल्य संबंधी नयी नीति की घोषणा के तुरन्त पश्चात् गेहूं के निर्गम मूल्य में 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो गेहूं के निर्गम मूल्य कम करने के लिए तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं के क्रय मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य बढ़ाकर, सभी किस्मों के लिए 125 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है जबकि पहले साधारण किस्म के लिए 90 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़िया किस्मों के लिए 96 रुपयें प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया था।

श्री मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि उन्होंने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर बिलकुल ही नहीं दिया है । मैं अपना अनुपूरक प्रश्न तब पूछूंगा जब वे मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह अपने अनुपूरक प्रश्न के द्वारा पूछ सकते हैं ।

श्री मधु दंडवते : मेरे विचार में मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देना भूल गए हैं। पहले वे उस प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का कुछ दूसरा ही दृष्टिकोण हो सकता है । मैंने उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । हो सकता है उनके विचार भिन्न हों ।

श्री मधु दंडवते : प्रश्न का भाग (ख) यह है "निर्गम मूल्य कम करने के लिए तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है" । इसके उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा गया है । आप स्वयं उत्तर पढ़ लीजिए । यदि उत्तर न देना ही उत्तर का एक भाग है तब दूसरी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने पहिले ही उत्तर दे दिया है । अब माननीय सदस्य अपने पूरक प्रश्नों द्वारा मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री मधु दंडवते : निर्गम मूल्यों में 38.8 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर्याप्त केन्द्रीय खाद्य रियायत देने का निर्णय करेगी जिससे बढ़ा हुआ निर्गम मूल्य कम किया जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम बढ़े हुए निर्गम मूल्यों के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता को समझते हैं परन्तु मैं सदन और माननीय सदस्य से पुनः अपील करूंगा कि वे यह सोचें कि क्या इसका निराकरण संभव था क्योंकि सदन की यह इच्छा थी कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाये तथा सभी सदस्यों की लगभग यह सर्वसम्मत मांग थी और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय हित में उत्पादन को कम न होने दिया जाये और ऐसा कोई मूल्य निर्धारित न किया जाए जिससे उत्पादन कम हो अथवा कम उत्पादन के कारण देश की अर्थव्यवस्था कठिनाई में पड़ जाये इसलिये 105 रुपये का लाभप्रद मूल्य निर्धारित किया गया है ।

अब प्रश्न यह है कि क्या इसको रियायती दर पर बेचा जाये । निर्गम मूल्य की वर्तमान दर पर भी हमारा अनुमान है कि प्रति क्विंटल पर राज सहायता का अंश 7 रुपये होगा । इसका मतलब है कि यदि 30 लाख टन गेहूं बेचा जाता है तो कुल सहायता लगभग 21 करोड़ रुपये आयेगी । इसलिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है यदि और अधिक आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है तो इसका मतलब होगा—घाटे की अर्थ व्यवस्था, तथा अन्य कठिनाईयां भी उत्पन्न हो जाएंगी । जिसके बारे में माननीय सदस्य अवगत हैं ।

श्री मधु दंडवते : मेरा तात्पर्य खाद्य की पर्याप्त सहायता से था ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने आपकी टिप्पणी सुनी है लेकिन यदि मैं एक बात का स्पष्टीकरण न कर दूं तो संभवतः माननीय सदस्य मुझे गलत समझेंगे, इस समय हम आयातित गेहूं अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं जबकि इसे सस्ते मूल्य पर बेचा जा रहा है । बजट में हमने जो 100 करोड़ रुपये

की सहायता की व्यवस्था की है वह इसमें खप जायेगी। यह आपके निर्णय पर है कि क्या 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि की सहायता संभव है अथवा क्या इसे हमारी अर्थ-व्यवस्था झेल सकती है ?

श्री मधु दंडवते : गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि और अपर्याप्त वसूली को देखते हुए क्या सरकार सरकारीकरण की नीति के प्रति समग्र रूप से पुनर्विचार करेगी ताकि कम से कम समाज के निर्बल वर्गों को गेहूं कम मूल्य पर मिल सके और उन्हें संरक्षण मिल सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का नीति पर पुनर्विचार करने से क्या तात्पर्य है । समस्या पर गंभीर रूप से विचार करने के पश्चात ही सरकार कुछ निष्कर्षों पर पहुंची है और इस समय नीति पर आगे पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहां तक निर्बल वर्गों को खाद्यान्न देने का संबंध है, सरकार भी इस बारे में चिन्तित है और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकारों को 125 रुपये के निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न सप्लाई करके देश में सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाये ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Punjab, Haryana and farmers of the whole country have expressed dissatisfaction over the issue-price of wheat as fixed by Government? Has Government taken into account the cost of Production while fixing this price ? If so, whether the farmers are losing from the price which they are getting now and it will affect their production?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके बारे में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हुई हैं परन्तु मुझे पता लगा है कि काफी सीमा तक किसानों ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के प्रति अच्छा समर्थन दिखाया है । परन्तु इस बारे में विभिन्न विचार हो सकते हैं क्योंकि बीज, खाद आदि की सप्लाई कम है तथा अन्य कई कठिनाइयां भी हैं । तथापि मूल्यों को निर्धारित करते समय किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Does the hon. Minister know that wheat which was purchased at Rs. 70 per quintal in some states is now being sold at Rs. 140 per quintal through fair price shops? Was it necessary at this stage to increase the prices of wheat being sold through fair price shops? Does the hon. Minister know that as a result thereof the farmer is not willing to sell his produce at cheap rates because he sees that wheat is being sold at Rs. 140 per quintal?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब निर्गम मूल्य बढ़ाया जाता है तब संभवतः सभी जगह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा एक निश्चित तिथि से नए मूल्य लागू किये जाते हैं । गत वर्ष वसूल किया गया अधिकांश गेहूं पहिले ही वितरित किया जा चुका है । केवल कुछ क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहां गेहूं वितरित किया जा रहा है । देश के अधिकांश भागों में आयातित गेहूं वितरित किया जा रहा है कुछ विशेष क्षेत्रों में वसूल किए गए गेहूं की थोड़ी मात्रा ही बेची जा रही है । लेकिन ऐसा होना अनिवार्य है जब सरकार अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लेती है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. When Government is paying high price for imported wheat, why cannot they pay more to the farmers?

Mr. Speaker : No point of order during Question Hour.

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has not been answered. I had asked whether it was necessary for Government to increase the issue price now and whether it has not created a doubt in the minds of farmers that they are being paid less and Government are selling wheat at high price through fair price shops ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : नई नीति में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि 105 रुपये का निर्धारित मूल्य लगभग न्यूनतम मूल्य होगा न कि वसूली मूल्य। विपणन व्यवस्था के कारण यदि मूल्य 110 रुपये अथवा 115 रुपये हो जाता है तो किसानों के हितों की रक्षा हो सकती है। वस्तुतः नई नीति में अधिक उत्पादन और उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन सुनिश्चित किया गया है। मेरे विचार में इस नीति के प्रति प्रतिकूल धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : क्या राजसहायता सिद्धांत एक असंगत उत्साह सिद्ध हुआ है जिससे वितरण लागत बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो गई है? राजसहायता के उस सिद्धांत में सरकार कब तक प्रजातन्त्र और समाजवाद पर अड़ी रहेगी जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न की लागत तथा बढ़े हुए वेतन तथा मंहगाई भत्ते के लिए राजसहायता मिलती है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : यह प्रश्न संगत है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके युक्तियुक्त कारणों पर विचार किए बिना सरकार यह समझती है कि अधिक राजसहायता से अर्थव्यवस्था के लिए और कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएंगी और इसी लिए निर्गम मूल्य में राजसहायता के तत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या वितरण लागत 40 प्रतिशत है? कम से कम सरकार को तथ्य तो बताने ही चाहिएं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच नहीं है कि वितरण लागत 40 प्रतिशत है। वास्तविकता यह है कि ऊपरी लागत के बारे में सदन में कई बार बताया जा चुका है।

श्री शिवाजी राव एस. देशमुख : क्या यह 40 प्रतिशत है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल को वाद-विवाद न बनाईये।

Some hon. Members get up and others follow suit. A number of question have been asked whereas a debate has already been allowed on the subject.

श्री एस० एम० बनर्जी : जब वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया गया था, तो केन्द्रीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि निर्गम मूल्य एक रुपये 25 पैसे प्रति किलो से अधिक नहीं होगा। तब अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष, जिसके कहने से व्यापार गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया था, ने यह बताया कि मूल्य 1 रुपये 50 पैसे किलो तक चला जाएगा और यह बात ठीक सिद्ध हुई है। निर्गम मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है? क्या वसूली मूल्य के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है अथवा राजसहायता दी जाती है ताकि उपभोक्ता को लाभ मिले अथवा ऐसा अनाज व्यापारी संघ के कहने पर किया गया है जिसने सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर दिया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, किसी संगठन के कहने में आकर सरकार अपनी नीतियां नहीं बनाती। वस्तुतः सरकार सभी विचारों और सुझावों की जांच करती है। यह मामला भिन्न है।

श्री पीलू मोदी : सरकार इन लोगों के कहने में आकर नीति बनाती है और किन्हीं और लोगों के कहने में आकर नीति बदलती है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सभी माननीय सदस्यों को यह विदित है कि काफी राजसहायता दी जाती है । वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य में बहुत कम अन्तर था । सभी संभावनाओं पर विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि जब न्यूनतम मूल्य 105 रुपये हो जाएगा तो निर्गम मूल्य 125 रुपये हो जाएगा । भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार इसमें 7 प्रतिशत राज-सहायता शामिल होनी चाहिए क्योंकि परिवहन, भंडारण मूल्यों आदि को मिलाकर 32 रुपये हो जाती है। यह ऊपरी व्यय है इसका अर्थ हुआ राजसहायता 7 प्रतिशत प्रति क्विंटल होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एस० बी० गिरि : तेलगाना क्षेत्र में गेहूं नहीं दिया जा रहा है । मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

Ban on movement of coarse grains in Eastern Districts of U. P.

*778. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether ban on the movement of coarse grains from the State to another no longer exists, as per recent announcement made by him in Parliament;

(b) whether such movement of coarse grains is not being permitted in the Eastern Districts of Uttar Pradesh, especially in Balia; and

(c) if so the reasons therefor and the action being taken by Government in this regard?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मोटे अनाजों के संचलन पर सभी प्रतिबंध उठाने संबंधी भारत सरकार के निर्णय की घोषणा 6 मार्च, 1974 को संसद में की गई थी ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर मोटे अनाजों के लाने-ले-जाने पर लगे सभी प्रतिबन्ध उठा लिए हैं और इसके अलावा, लेवी मुक्त मोटे अनाजों को बलिया समेत पूर्वी जिलों में अबाध रूप से ले जाने की इजाजत है ।

Shri Chandrika Prasad : The hon. Minister has stated that all the restrictions have been withdrawn. There was a restriction on coarse grain dealers to store 250 quintals of foodgrains. I would like to know whether this restriction has also been withdrawn?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय किया गया है और राज्य सर-कारों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे क्रियान्वित करें। उत्तर प्रदेश में कुछ कठिनाईयां आई हैं। हम राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं और उनकी सलाह ले रहे हैं ताकि सभी राज्य सरकारें सरकारी निर्णय के अनुरूप चल सकें।

Scheme for radical changes in Education

*780. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have drawn up a scheme for bringing about radical changes in the field of education or have considered this matter by convening a meeting of the Education Ministers of various State Governments;

(b) if so, when such a meeting was held and the decisions taken therein; and

(c) whether the present educational system is not practical and job-oriented and there is need to change it?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार की पहल पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 18-19 सितम्बर 1972 को आयोजित अपनी बैठक में 3320 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च पर पांचवीं पंच-वर्षीय आयोजना की अवधि में संस्कृति सहित शिक्षा पद्यति के पुर्ननिर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किये हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित पांचवीय पंच-वर्षीय आयोजना के प्रस्ताव पर हुए विचार-विमर्श और उसमें दिये गये निर्देशनों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों को परिशोधित किया गया था और उक्त अनुमानित खर्च को कम करके 2200 करोड़ रुपये कर दिया गया था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने 13 जून 1973 को आयोजित अपनी बैठक में इन परिशोधित प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया था। इस बैठक में सभी राज्यों और निर्वाचित विधान सभाओं सहित संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। उक्त दोनों बैठकों के कार्यावृत्त संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। आयोजना आयोग ने स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित इन परिशोधित प्रस्तावों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया था परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण पोषण आहार को छोड़कर शिक्षा-सेक्टर के कुल आवंटन को कम करके 1726 करोड़ रुपये कर दिया गया था। पांचवीं पंच-वर्षीय आयोजना के प्रारूप में शैक्षणिक कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें दिनांक 4 मार्च 1974 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1778 के उत्तर में दी गई हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने मुझे प्रश्न का हवाला देखने को कहा है।

अध्यक्ष महोदय : विवरण सभा पटल पर रखा जा चुका है। आप नई बातें न करें।

श्री पीलू मोदी : माननीय सदस्य के प्रश्न को शायद आपने समझा नहीं है। उनका कहना है कि विवरण में कहा गया है कि वे ग्रंथालय में जाकर देखें।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मैं ग्रंथालय जाकर उत्तर देखूं? मैं योजना का ब्यौरा चाहता हूं। मंत्री महोदय ठीक-ठीक उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझा नहीं। जब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है तो माननीय सदस्य क्या चाहते हैं?

श्री पीलू मोदी : माननीय सदस्य की शिकायत है कि उन्हें ग्रंथालय में जाकर उत्तर देखने को कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप अपनी ओर से जोड़ रहे हैं। वास्तविकता यह नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : विवरण में कहा गया है कि उक्त दोनों बैठकों के कार्य वृत्त संसद के ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में मंत्री महोदय से कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं सम्बद्ध पाठ पढ़कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे उत्तरों के सम्बन्ध में नियम यह है कि जिन प्रश्नों के साथ सुलभ कागजात होते हैं उनका, हमेशा इसी प्रकार उत्तर दिया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विवरण में प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

प्रो० एस० नुरूल हसन : यदि माननीय, सदस्य 4 मार्च 1974 को दिये गये उत्तर को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि कार्य अनुभव तथा व्यवसायीकरण के प्रश्न सहित शैक्षणिक योजना की मुख्य बातें सदन में पहले ही बताई जा चुकीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The matter of education is assuming serious proportion. students from all the states are organising a movement to change the structure of education. This reply will add fuel to fire.

Mr. Speaker : What is the use of putting such supplementaries? This can be a subject to be discussed but how can such a Supplementary help?

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में पशु-प्रजनन फार्मों के लिए विदेशों से मंगाये गये ढोरो और भेड़ों की मृत्यु

अ० सू० प्र० संख्या 10. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार के वर्तमान एनीमल हस्बेंडरी कमिश्नर के प्रशासन की गलत नीतियों, कुप्रबन्ध तथा कठोर व्यवहार के कारण आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के उन भेंड़ तथा ढोर प्रजनन फार्मों जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार करती है में विदेशों से मंगाये गये ढोर तथा भेड़ बड़ी संख्या में हाल ही में मर गये हैं; और

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आंध्र प्रदेश और मैसूर में कोई सरकारी भेड़ फार्म नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई सरकारी पशु प्रजनन फार्म स्थापित नहीं किया गया है। हैसरघट्टा (मैसूर राज्य) में एक पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। हेसरघट्टा फार्म में 1962-63 से आगे इस फार्म के लिए आयात किये गये पशुओं में से 1973-74

में 34 पशुओं की मृत्यु हो गयी थी। फार्म में पशुओं की मृत्यु क्षय रोग हो जाने के कारण हुई थी। इन पशुओं की मृत्यु रोगों के निवारण के लिए किये गये उपायों के बावजूद हुई इस संबंध में कोई कुप्रबन्ध का मामला नहीं था और न ही सरकार की गलत नीतियों के कारण इनकी मृत्यु हुई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है। क्या यह सच है कि संस्था के अध्यक्ष पशुपालन आयुक्त डाक्टर के० सी० राव की गलती के कारण 'जर्सी' तथा 'रैड डेन' नस्ल के तीन सौ पशु मर गये हैं अथवा क्षयरोग से ग्रस्त घोषित करके उन्हें हेसरघट्टा स्थित सरकारी फार्म में मार दिया गया था और इसके कारण देश को एक करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

श्री बी० पी० मौर्य : केवल 252 पशुओं का आयात किया गया था इसलिए 300 पशुओं के मरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 'जर्सी' तथा 'रैड डेन' तथा अन्य नस्लों के 300 पशु मर गये या तो उन्हें क्षय रोग होने के कारण मार दिया गया अथवा विभागाध्यक्ष की गलती के कारण वे क्षय रोग के होते हुए प्राकृतिक मौत से मरे। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है। इस रोग का पता मार्च 1969 में लग गया था। प्रबन्धक वर्ग के द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण यह दुखद: घटना घटी।

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्य मूल प्रश्न के बारे में पूछे गये अन्य पूरक प्रश्न तक ही सीमित रहें। माननीय सदस्य ने मैसूर और आंध्र प्रदेश में पशुओं के मौतों के बारे में पूछा था। मेरे सहयोगी ने पहले ही बता दिया है कि आंध्र प्रदेश अथवा मैसूर में भेड़ों के लिए कोई सरकारी फार्म नहीं है। मैसूर में पशु प्रजनन फार्म है और इस फार्म में 1962—69 की अवधि में 252 पशुओं का आयात किया था। इनमें से केवल 34 पशुओं की मृत्यु हुई है। अतः 300 पशुओं के मरने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इतने पशुओं का तो आयात ही नहीं किया गया। यदि माननीय सदस्य पूरे देश के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वह और प्रश्न भेजें और मैं उन्हें उत्तर दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि डा० राव ने मैसर्स 'होइस्ट' फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के दो आवेदकों को लाइसेंस देने के लिये औद्योगिक विकास मंत्री से सिफारिश की थी और इस के अतिरिक्त डा० राव ने सिनेमाइड कम्पनी लिमिटेड, जो कि ब्रिटिश कम्पनी है, के नाम से साढ़े तीन करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किस प्रकार संगत है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने अव्यवस्था पैदा कर रखी है। एक ओर तो वे फार्मस्यूटिकल लिमिटेड को नियंत्रण सौंप रहे हैं और दूसरी ओर लापरवाही के कारण वे पशुओं को मार रहे हैं। मंत्री महोदय अपना पीछा छुड़ाने के लिये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या यह सच है कि हेसरघट्टा फार्म डेनमार्क सरकार के अधीन था और उसे डेनमार्क के विशेषज्ञों द्वारा चलाया जा रहा था। 30 पशुओं की मृत्यु डेनमार्क के विशेषज्ञों की देखरेख की अवधि में हुई थी अथवा भारत के विशेषज्ञों की देखरेख की अवधि के दौरान हुई थी?

श्री बी० पी० मौर्य : मैं पहले ही बता चुका हूं कि 34 पशुओं की मृत्यु लापरवाही के कारण नहीं हुई और यह सच है कि इस समय फार्म की देखरेख भारतीय डाक्टर और विशेषज्ञ कर रहे हैं?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या पशुओं की मृत्यु डेनमार्क के विशेषज्ञों की देखरेख की अवधि के दौरान हुई थी अथवा भारत के विशेषज्ञों की देखरेख की अवधि के दौरान हुई थी?

श्री बी० पी० मौर्य : मृत्यु वर्ष 1973-74 में हुई। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसा प्रबन्धक अथवा डाक्टरों की गलती के कारण नहीं हुआ। ये पशु वर्ष 1973-74 में क्षय रोग होने के कारण मर गये थे।

श्री निम्बालकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि पशुओं का आयात 1962-69 की अवधि में किया गया था। क्या उक्त अवधि में प्रजनन नहीं हुआ? पशुओं की संख्या 300 से अधिक होनी चाहिये थी।

श्री बी० पी० मौर्य : अवश्य हुई होगी।

श्री बी० वी० नायक : चाहे वे पशु आयात किये गये हों अथवा स्वदेशी या दो-नस्ली हों यह नहीं कहा जा सकता क वे मरेंगे नहीं। उन्हें संकरीकरण अथवा दो-नस्ली बनाने के उद्देश्य से आयात किया गया था। इन 34 पशुओं की कीमत कितनी थी? मेरे विचार में 10 वर्षों की अवधि में 200 पशुओं में से 30 के लगभग अवश्य अप्राकृतिक मौत के कारण मरें होंगे।

अध्यक्ष महोदत : आप प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : 'जर्सी' अथवा 'रैड डेन' था किसी भी नस्ल के ये 34 पशुओं की कीमत कितनी थी?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप को जानकारी नहीं, तो आप बाद में सूचना दे सकते हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : सन् 1962-69 के दौरान आयात किये गये 252 पशुओं में से 131 पशु . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पशुओं की कीमत जानना चाहते हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : यह मैं इस समय नहीं बता सकता।

Shri Ram Kanwar : I would like to know whether a number of sheep died of T.B. in Rajasthan Farm? I would also like to know the number of heads of cattles lost at different farms due to mismanagement?

Mr. Speaker : The question is about Karnataka and Andhra Pradesh and not about Rajasthan.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वस्तुओं के रूप में भू-राजस्व वसूल करने संबंधी आचार्य विनोबा भावे का सुझाव

*772. **श्री पी० वेंक्टासुब्बया :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं के रूप में भू-राजस्व वसूल करने सम्बन्धी आचार्य बिनोबा भावे के सुझाव की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस दिशा में या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : जिस के रूप में भू-राजस्व वसूल करने सम्बन्धी आचार्य विनोवा भावे के सुझाव की जांच की जा रही है।

निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खरीफ की फसल के बीज वसूली कर में राष्ट्रीय बीज निगम की असफलता

*774. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री डी० के० पंजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खरीफ की फसल के बीज वसूल करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अधिप्राप्ति के प्रत्याशित स्तरों की तुलना में गत खरीफ वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा व्यवस्थित बीज उत्पादन के ठेके के कार्यक्रमों से बीजों की अधिप्राप्ति में कमी हुई है।

(ख) बीज उत्पादन कृषि-जलवायु सम्बन्धी-परिस्थितियों, फसलों पर कृमि तथा रोगों के प्रभावों आदि कई परिवर्तनशील बातों पर निर्भर करता है। इन बातों के अलावा, उर्वरकों की उपलब्धि में होने वाली कठिनाई, बिजली की कमी तथा अनाज का अपेक्षित बाजार मूल्य अधिक होने के कारण भी राष्ट्रीय बीज निगम के उत्पादक ठेकेदारों के बीजों के उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ा है और इसके फलस्वरूप बीजों की अधिप्राप्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में निगम ने अधिक अधिप्राप्ति की है। राष्ट्रीय बीज निगम ने निर्णय किया है कि वह खरीफ उत्पादन एवं अधिप्राप्ति की कमी को पूरा करने के लिये ज्वार के सम्बन्ध में रबी/ग्रीष्म मौसमों में अपने बीज उत्पादन कार्यक्रमों का विस्तार करेगा।

दिल्ली/नई दिल्ली में कम ग्राय वर्ग ग्रौर मध्यम ग्राय वर्ग के लोगों के लिए योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण ग्रौर ग्रावंटन

*775. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के प्लाटों की नीलामी के बारे में 4 मार्च, 1974 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 1761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ग्रौर नई दिल्ली में कम ग्राय वर्ग ग्रौर मध्यम ग्राय वर्ग के लोगों के लिये योजना के ग्रन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने फ्लैट बनाये जा रहे हैं; ग्रौर

(ख) इनका निर्माण कहां कहां किया जा रहा है ग्रौर प्रत्येक क्षेत्र में कितने फ्लैट निर्माणाधीन हैं ग्रौर वे ग्रावंटन के लिये कब तक तैयार हो जायेंगे?

निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) निम्न ग्राय वर्ग के ग्रन्तर्गत 2,652 फ्लैट तथा मध्यम ग्राय वर्ग के ग्रन्तर्गत 1,933 फ्लैट।

(ख)

क्रम सं०	क्षेत्र	मध्यम ग्राय वर्ग		निम्न ग्राय वर्ग	
		फ्लैटों की संख्या	पूर्ण होने की संभावित तिथि	फ्लैटों की संख्या	पूर्ण होने की संभावित तिथि
1	मुनीरका	382	मार्च, 1975	—	—
2.	ईस्ट ग्राफ कैलाश	88	मार्च, 1975	—	—
3.	कालकाजी	—	—	1026	जून, 1975
4.	मदनगीर	—	—	31	दिसम्बर, 1974
5.	जनक पुरी	348	जून, 1975	—	—
6.	प्रसाद नगर	280	सितम्बर, 1975	237	दिसम्बर, 1974
7.	जी०-8 क्षेत्र	—	—	149	दिसम्बर, 1974
8.	राजौरी गार्डन	360	सितम्बर, 1974 से जून, 1975 तक	—	—
9.	मालवीय नगर	20	दिसम्बर 1974	—	—
10.	कटवाड़िया सराय	66	दिसम्बर, 1974	88	दिसम्बर, 1974
11.	वजीर पुर	389	मार्च, 1975	1121	मई, 1975
	जोड़	1933		2652	

टिप्पणी :—(1) पूर्ण होने की सम्भावित तिथि भवन निर्माण सामग्री तथा सेवाग्रों के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

(2) उपर्युक्त के ग्रतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण निवर्तमान सरकारी कर्मचारियों के लिये भी शेख सराय में मध्यम ग्राय वर्ग के 138 तथा राजौरी गार्डन में निम्न ग्राय वर्ग के 150 फ्लैटों का निर्माण कर रहा है।

भारत और विदेशों के बीच ढोये जाने वाले माल पर भाड़े की दरों में वृद्धि

*779. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और विदेशों के बीच लाये ले-जाये-जाने वाले माल पर भाड़े की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) : भारत के निर्यात और आयात पर लाईनर भाड़ा दरें भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा अनुमोदित नहीं की जाती। ये भारत के विदेशी व्यापार में परिचालित नौवहन सम्मेलनों/लाईनों द्वारा तय की जाती है अथवा इनमें संशोधन किया जाता है। कुछ नौवहन सम्मेलन/लाइनें परिचालन की लागत में वृद्धि के कारण समय-समय पर भाड़ा दरों में सामान्य वृद्धि करती हैं। सम्मेलनों द्वारा अभी-अभी भाड़ा दरों में की गई सामान्य वृद्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

सम्मेलन का नाम	वृद्धि की प्रतिशतता	प्रभावी तिथि
इंडिया/पाकिस्तान/मिडिल ईस्ट कान्फ्रेंस	15	1-1-74
वेस्ट कोस्ट आफ इंडिया/पाकिस्तान/यू० एस० ए० कान्फ्रेंस	12.5	1-2-74
बे आफ बंगाल/जापान/बे आफ बंगाल कान्फ्रेंस	20	1-4-74
पैस्फिक इंडिया/पाकिस्तान/सीलोन/बर्मा एग्रीमेंट	13	1-1-74

समुद्री मत्स्य संसाधनों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में पोलैण्ड के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बातचीत

*781. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

श्री बीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में समुद्री मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण करने के संबंध में पोलैण्ड एवं भारत के प्रतिनिधिमंडलों के बीच कोई वार्ता हुई थी ;

(ख) यह सर्वेक्षण कब प्रारंभ किया जाना है ; और

(ग) किस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग): बातचीत चल रही है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त पुस्तकालय

*782. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने पुस्तकालयों को केन्द्रीय सहायता मिल रही है ;

(ख) ऐसे पुस्तकालय उड़ीसा में कितने हैं जिन्हें उक्त सहायता मिल रही है ; और

(ग) इन्हें केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने भारत के 45 पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता दी है, जिनमें से 5 पुस्तकालय उड़ीसा में हैं ।

(ग) 1. "सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना" के अन्तर्गत 40 सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकें, पुस्तकालय उपस्कर और फर्नीचर खरीदने के लिए तथा योजना परिचालित किए जाने के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर स्वीकृत निर्माण कार्य के लिए भी सहायक-अनुदान दिए गए हैं । इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हिस्सों के आधार पर दी जाती है । केन्द्रीय सरकार का हिस्सा पुस्तकें, फर्नीचर और उपस्कर की खरीद के लिए अनावर्ती व्यय का 60 प्रतिशत तक तथा पुस्तकालयों के भवनों के निर्माण के लिए व्यय का 40 प्रतिशत तक सीमित है, बशर्ते कि यह राशि 30 हजार रुपये की सीमा तक हो ।

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को भी वार्षिक आधार पर अनुदान देती है :--

(1) तिब्बती कृतियों तथा पुरालेखों का पुस्तकालय, धर्मशाला की सरकारी अधिकारियों की समिति की सिफारिश के आधार पर ।

(2) दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड, स्वायत्त निकाय को दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के खर्च को पूरा करने के लिए ।

(3) केन्द्रीय पुस्तकालय टाऊनहाल बम्बई को, जो कि पुस्तक तथा समाचारपत्र डिलीवरी अधिनियम, 1954 (जैसा कि 1956 में संशोधित किया गया) के अधीन प्राप्त करने वाला पुस्तकालय है, आवर्ती व्यय का आधा भाग और इसके पुस्तक डिलीवरी अधिनियम की धारा पर होने वाले अनावर्ती व्यय के दो-तिहाई भाग की सीमा तक सहायता दी जाती है ।

(4) खुदा बक्श पुस्तकालय, पटना जो कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि सं० 62 के अर्थों में राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

(5) रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर (उ० प्र०), जिसके पास पांडुलिपियों, लघु-चित्रों और मुद्रित पुस्तकों का मूल्यवान संग्रह है, और जो कई वर्षों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहा है । इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का विचार है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1972 में एक स्वायत्तशासी संगठन राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिस्ठान की स्थापना की गई है । यह प्रतिष्टान, राज्य पुस्तकालय आयोजना समितियों की सिफारिशों पर विभिन्न पुस्तकालयों को पुस्तकें तथा अन्य अध्ययन सामग्री मुहैया करता है ।

बीज संबंधी सौदे की जांच और राष्ट्रीय बीज निगम की जांच समिति के चेयरमैन का त्यागपत्र

*783. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में "सीड्स डील प्रोब ; पैनल चेयरमैन रिजाइन्स" (बीज संबंधी सौदे की जांच ; पैनल चेयरमैन का त्याग-पत्र) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित राष्ट्रीय बीज निगम की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चेयरमैन द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) श्री बी०एन० गाडगिल ने, जिन्हें निगम के कर्मचारियों की शिकायतों और राष्ट्रीय बीज निगम की कर्मचारी यूनियन द्वारा बताई गई अनियमितताओं की जांच करने के लिये समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, फरवरी, 1974 में समिति की अध्यक्षता से यह कह कर त्याग-पत्र दे दिया था कि उनके पास पहले ही अन्य व्यस्तताओं के कारण उनके लिये समिति के कार्य के लिये पर्याप्त समय देना संभव नहीं होगा । परन्तु उनसे जांच समिति का अध्यक्ष बने रहने के लिये अनुरोध किया जा रहा है ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र से तेज गति वाला मालवाही जहाज

*784. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम को हाल ही में जर्मन जनवादी गणतंत्र से एक तेज गति वाला मालवाही जहाज प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस जहाज की माल ढोने की क्षमता तथा इसकी कीमत क्या है ; और

(ग) इस जहाज को मिलाकर भारतीय नौवहन निगम के पास ऐसे कितने जहाज हो गये हैं और ये कितना माल ढो सकेंगे तथा कितना अन्य भारतीय यातायात संभाल सकेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) इस जहाज का टन भार, वहन क्षमता और मूल्य इस प्रकार है :—

जी०आर०टी० : 11,179

डी०डब्ल्यू०टी : 14,676

यह 20'×8'×8' के आकार के 366 कन्टेनरों को ले जा सकता है। संविदागत मूल्य 412.50 लाख रुपये है।

(ग) इस कन्टेनर प्रधान माल जहाज के सम्मिलित हो जाने से शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में ऐसी क्षमता वाले जहाजों की संख्या तीन हो जायेगी जिसका कुल टन भार 42,024 डी०डब्ल्यू०टी होगा। ये 991 कन्टेनर ले जा सकेंगे। ये तीनों जहाज भारत के समुद्र पारीय व्यापार में प्रयोग किये जा रहे हैं।

वन नीति और आदिवासी लोगों पर इसका प्रभाव

*786. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नई वन नीति और विभिन्न राज्य सरकारों की वन नीतियां क्या-क्या हैं ;

(ख) इस नीति का आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) इस नीति के आर्थिक प्रभाव से आदिवासियों को बचाने हेतु क्या उपाय करने तथा योजनाएं बनाने का विचार है ; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य):(क) वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति 1952 में तैयार की गई थी। राज्य सरकारें आमतौर पर राष्ट्रीय वन नीति का पालन करती हैं।

राष्ट्रीय वन नीति देश की छह प्रमुख आवश्यकताओं पर आधारित है, जैसे कि संतुलित और पूरक भूमि उपयोग का विकास करना, अपक्षारण की रोकथाम और नियंत्रण, जलवायु की दृष्टि से यथासंभव वृक्ष लगाना, कृषि औजारों आदि के लिये छोटी लकड़ी और चरागाहों की व्यवस्था करना, रक्षा, संचार और उद्योग के लिये लकड़ी की सतत् सप्लाई सुनिश्चित करना। इस नीति में संशोधन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : जहां तक आदिवासियों का संबंध है, इस वन नीति में यह उल्लेख है कि वनों के आसपास रहने वाले लोगों का कल्याण और हित कुशल वन प्रबंध के लिये ठोस आधार प्रदान करता है। अतः इन व्यक्तियों का स्वैच्छिक समर्थन और सहयोग प्रमुख महत्व का माना जाना चाहिये।

इस नीति में स्थानीय व्यक्तियों को रियायती दरों पर वन उत्पाद प्राप्त करने के अधिकार देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वन श्रम सहकारी समितियां स्थापित की जायें ताकि बिचौलिये, वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय श्रमिकों का शोषण न कर सकें। इसी प्रकार बिचौलियों को समाप्त करने और वन श्रमिकों को जिनमें अधिकांशः आदिवासी होते हैं, अधिक से अधिक सीधा लाभ देने के लिये कई राज्यों में विभागीय कार्य भी शुरू किया गया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ रुपये के परिव्यय से झूम खेती के नियंत्रण के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना की व्यवस्था की गई है। आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के ब्यौरे और मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 18 करोड़ रुपये के परिव्यय से "सामाजिक वानिकी" पर एक अन्य कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है जिसका उद्देश्य वनों के आदिवासियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये नितान्त आवश्यक

ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी और चरागाहों की व्यवस्था करना है । इन योजनाओं में ग्रामीण रोज़गार की बड़ी संभावनायें हैं और इनसे आदिवासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचेगा ।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जैटोर-2011 तथा वाइलेरस ट्रैक्टर का आवंटन

*787. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो जैटोर–2011 तथा एक वाइलेरस ट्रैक्टर का आवंटन कृषि मंत्रालय द्वारा 'प्राथमिकता' के आधार पर किया गया था ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों को बेच दिया गया था और न तो कोई मरम्मत केन्द्र ही खोला गया और न ही कोई विकास कार्यक्रम शुरू किया गया ;

(ग) क्या उन अधिकारियों के आचरण की भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है जिन्होंने जाली प्रमाण पत्रों के अनुसार 'प्राथमिकता' के आधार पर आवंटन करने की सिफारिश की थी ; और

(घ) इस बारे में जिम्मेदार ठहराए गए लोगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रश्न में उस पार्टी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे इस मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर दो जेटौर-2011 ट्रैक्टरों तथा एक वाइलेरस ट्रैक्टर का आवंटन किया था । सम्भवतः इस प्रश्न का संबंध इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि-उद्योग निगम दिल्ली को (जो एक गैर-सरकारी संस्था है) भाड़ा-सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1969–70 में किये गये 2 जैटर-2011 ट्रैक्टरों तथा एक वायलेरस ट्रैक्टर के आवंटन से है ।

(ख) इस मंत्रालय के इस मामले से संबंधित-रिकार्ड को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली की शिकायत पर जांच होने वाली किसी मामले के संबंध में अपने कब्जे में लिया हुआ है । इस मंत्रालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया है कि वह नकली तथा जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर ट्रैक्टरों का आवंटन प्राप्त करने और इन ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री के आरोपों को अपने जांच क्षेत्र में शामिल करे ।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट और इस मंत्रालय से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने के पश्चात ही इस मामले की जांच की जायेगी ।

तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों की स्थापना

*788. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :
श्री बी० मायावन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह अनुरोध किया है कि तमिलनाडु राज्य में और अधिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) तमिलनाडु सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य की सहायता करने के लिये कहने में कहां तक सहमत हो गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ) : सितम्बर, 1970 में तमिलनाडु सरकार ने अध्यापन तथा संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में राज्य में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव पर विचार किया है तथा उसका विचार है कि वह सम्बद्ध के कार्य वाला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश नहीं कर सकता । तथापि यदि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की अत्यधिक शैक्षणिक आवश्यकता हो तो उन्हें बिना संबंधन कार्य के एकात्मक विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित किया जाए ।

आयोग के उपरोक्त विचार तमिलनाडु सरकार को भेज दिए गए हैं । राज्य सरकार द्वारा इस विषय में और कोई अन्य प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

पश्चिम बंगाल के लिये पटसन संबंधी पैकेज कार्यक्रम

*789. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लिये पटसन संबंधी विशेष पैकेज कार्यक्रम हेतु कोई योजना मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) उस क्षेत्र में प्रति वर्ष जिलावार अब तक इस योजना के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में 'जूट संबंधी विशेष पैकेज कार्यक्रम' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई थी और यह योजना अन्य राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी क्रियान्वित की गई थी । इस योजना की मुख्य बातें नीचे दी जा रही है :—

(1) उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने के लिये सम्भाव्य क्षमता के क्षेत्रों में पैकेज कार्यक्रम की पद्धतियों के अनुसार सघन खेती के उपाय अपनाना ।

(2) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था करना ।

यह योजना प्रायः प्रदर्शन स्वरूप की थी । यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत किये गये उपाय प्रोत्साहनात्मक थे लेकिन चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय यह महसूस किया गया कि यदि ऐसे उपाय इधर-उधर बिखरे हुए क्षेत्रों में करने के बजाय (जहां कि ये प्रयत्न कम कारगर होते हैं) क्षमता वाले जिलों के संकेन्द्रित क्षेत्रों में किये जाते तो अच्छे परिणाम निकल सकते थे । तदनुसार अन्य राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में सघन जूट जिला कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1972-73 से क्रियान्वित करने के लिये स्वीकृत की गई थी । परन्तु, जो क्षेत्र सघन जूट जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिये गये थे, उनमें साथ ही साथ विशेष पैकेज कार्यक्रम भी जारी किया गया था । इस कार्यक्रम की अतिरिक्त मुख्य बातें नीचे दी जा रहीं है :—

(1) जूट तथा मेस्ता के अधिक सम्भाव्य उत्पादन के संबंध में उत्पादकों को विश्वास दिलाने के लिये पूर्ण पैकेज प्रणालियों का प्रदर्शन प्रारम्भ किया जा रहा है ;

(2) सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत जूट उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिये संहत ब्लाकों में सिंचित जूट के संबंध में प्रदर्शन किये जा रहे हैं

(3) आदानों की सिफारिश की गई मात्रा से पूर्ण क्षेत्र को परिपूर्ण करने और किसी नई तकनौलोजी सहित, जो कि भविष्य में विकसित की जाये, खेती की उन्नत प्रणालियों को अपनाने के लिये प्रेरणात्मक अभियान प्रारम्भ करना ;

(4) विभिन्न संस्थागत एजेंसियों और विशेषकर सहकारी संस्थाओं से ऋण की उपलब्धि बढ़ाना ताकि उत्पादक आदानों का सिफारिश की गई मात्रा में उपयोग कर सकें ; और

(5) पिछले गत समय में जूट-धान की खेती के क्रम को अपनाने से धान के अन्तर्गत लिये गये जूट के क्षेत्र को फिर से जूट के अन्तर्गत लाने के लिये अभियान शुरू करना ।

गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के लिये दो योजनाओं के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई धन-राशि नीचे दी जा रही है :—

योजना	निर्मुक्त की गई धनराशि (रु० लाखों में)		
	1971-72	1972-73	1973-74
1. जूट संबंधी विशेष पैकेज कार्यक्रम	31.00	28.30	16.00
2. सघन जूट जिला कार्यक्रम	—	30.00	58.00

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में विशेष पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	क्षेत्र (हैक्टार)
1971–72	48,000
1972–73	23,389
1973–74	25,000

यह क्षेत्र सारे राज्य में फैला हुआ है अतः जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान पश्चिम बंगाल में सघन जूट जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र नीचे दिया जा रहा है :—

जिला	(हैक्टार) अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र	
	1972-73	1973-74
मुर्शिदाबाद	20,037	40,000
नादिया	40,000	40,000
कूच-बिहार . .	6,070	13,609
	66,107	93,609

Quantity of Sugar Demanded by and Supplied to Kerala

7503. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shrimati Bhargavi Thankappan:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of sugar asked for by the Kerala Government from the Central Government during the last one year; and

(b) the reasons for not supplying full quota to the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya: (a) & (b): A total quantity of 93, 727 tonnes of levy sugar was allotted to Kerala for the period April, 1973 to March, 1974. During this period there was no request from the State Government for increasing the levy sugar quota. However, on the request of State Government they were given advance allotments as under to meet festival demands subject to adjustment against subsequent quotas (1) 1,000 tonnes were allotted on 11-9-1973 for the Onam festival (2) 400 tonnes were allotted on 21-12-1973 for the Christmas festival.

इंजीनियरों की विभागीय पदोन्नति के बारे में गोविन्द रेड्डी समिति की सिफारिशें

7504. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या श्री गोविन्द रेडडी की अध्यक्षता में गठित समिति ने यह सिफारिश की कि सीधी भर्ती से आये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए तीन वर्षों की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाये और तत्कालीन मंत्री ने सरकार की स्वीकृति की सूचना दे दी थी और अनेक सालों तक इसे क्रियान्वित किया गया ;

(ख) क्या विभाग ने 5 वर्षों की अवधि को घटाकर 4 वर्ष कर दिया है और सदन में दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए चार वर्ष की अवधि को घटाकर तीन वर्ष करने का विभाग का विचार है, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति न पा रहे इंजीनियरों में और निराशा की भावना उत्पन्न होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) श्री गोविन्द रेडडी की अध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक कार्यपालक इंजीनियरों को कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति करने के लिये ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की सामान्य पात्रता अवधि को फिर से अपनाया जाना चाहिये । सरकार ने इस सिफारिश को 1967 में स्वीकार कर लिया था तथा उसका कुछ वर्षों तक पालन किया था ।

(ख) तथा (ग) भर्ती नियमों में निर्धारित कोटे से अधिक सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति के कारण कार्यपालक इंजीनियर के काडर में व्याप्त असन्तुलन को देखते हुए, सहायक कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में से कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि को कार्मिक विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से 1973 से सात वर्ष की अवधि के लिये 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया था ।

इस अवधि को 4 वर्ष से 3 वर्ष तक और कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चलते कामों को स्थगित करना

7505. **श्री अम्बेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धन के अभाव के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकांश चलते कामों को स्थगित कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस नीति के कारण बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) वित्तीय कठिनाई के कारण केवल गैर-व्यवसायिक भवनों के नये निर्माण कार्यों को, जिनमें रिहायशी तथा कार्यालय वास तथा वे इमारतें भी शामिल हैं जिनका निर्माण कार्य कुर्सी क्षेत्रफल से ऊपर नहीं पहुंचा है स्थगित किया गया है ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों का संबंध है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने का तथा सरकारी इमारतों के अनुरक्षण कार्य का भी काफी कार्यभार है । अतः फिलहाल इस कारण अधिक बेरोजगारी नहीं होगी ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा शराब का व्यापार अपने हाथ में ले लिया जाना

7506. **श्री एम० कतामुत्तु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार संघ राज्यक्षेत्र में विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेश शराब के व्यापार को अपने हाथ में लेने का है ; और

22 LSS/74—4

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) शराब के व्यापार को हाथ में लेने की प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक समिति गठित की है । इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने तक दिल्ली प्रशासन उन क्षेत्रों में अपनी दुकानें खोलेगी जहां ऐसी दुकानों की आवश्यकता है ।

'सीवेज स्कीम बंगलिंग' शीर्षक से समाचार

7507. **श्री बसंत साठे : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय दैनिक दिनांक 27 मार्च, 1974 में "सीवेज स्कीम बंगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, शाहदरा क्षेत्र में मुख्य सीवर बिछाने का कार्य 11-9-69 को 172 लाख रुपये की लागत पर मैसर्स नैशनल प्रोजेक्ट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन को दिया गया था तथा इसे 6–11–1972 तक पूर्ण किया जाना था ।

इस कार्य में 5 मुख्य सीवर तथा भूमिगत जल स्तर से 15/ से 25/ नीचे बलुआ दल-दल में एक उत्थित मुख्य लाईन बिछाना शामिल है । तीन मुख्य सीवरों के लिये तो निर्धारित सीध, बिना किसी गम्भीर रूकावट के, उपलब्ध थी । शेष दो सीवर गांधी नगर तथा कृष्ण नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिछाये जाने थे जिनके लिए यातायात हेतु दूसरे मार्गों की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

जून, 1972 तक केवल 20 लाख रूपये का कार्य ही पूर्ण किया गया था । प्रगति बहुत कम होने के कारण दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन समिति ने फर्म के ठेके को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया । समिति ने इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी जनजाति विकास निगम

7508. **श्री काइनडोल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी जनजाति विकास निगम उस राज्य में स्थापित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या हैं ; और

(ग) निगम को कितनी केन्द्रीय सहायता मिलेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । यह 22 मार्च, 1972 को महाराष्ट्र सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत की गई थी ।

(ख) इस सोसायटी ने नीचे दिये कृत्य संभाले हैं :—

1. आदिवासियों को उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति करना ;
2. आदिवासियों को थोड़ी धनराशि के ऋण देना ;
3. आदिवासियों से चारा, घास और अप्रक्षान वन उपज खरीदना ; और
4. राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में अभिकरण आधार पर आवंटित किये गये आश्रम स्कूलों का प्रबंध करना ।

(ग) इस सोसायटी की सहायता देने के लिए राज्य सरकार को 28.69 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

अखिल भारतीय आधार पर जल परिवहन का राष्ट्रीयकरण

7509. **श्री एम० कतामुतू :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय आधार पर बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी रूपरेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सैकरिन के स्टाक का निपटान

7510. **श्री एम० कतामुतू :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास पांच वर्ष पूर्व आयात किये गये लगभग 3000 किलोग्राम सैकरिन का स्टाक पड़ा हुआ है और उन्होंने उसे अब बेचने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सैकरिन के स्टाक का निपटान किया जा रहा है क्योंकि बालाहार में मीठा तत्व के रूप में इसका प्रयोग बन्द कर दिया गया है ।

नेशनल बुक ट्रस्ट में अनबिकी पुस्तकें

7511. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट के पास ऐसी पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है जो दोषपूर्ण योजना और क्रियान्विति के कारण अनबिकी पड़ी हैं ; और

(ख) इन पुस्तकों के अनुवाद/लिखन/मुद्रण पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इस समय भंडार (स्टाक) में लगभग 21 लाख पुस्तकें हैं, जिनमें से लगभग 6 लाख पुस्तकें मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रकाशित की गयी थी । सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों (पुस्तकों) के मूल्य, मुद्रण, वितरण और उनकी बिक्री की जांच करेगी तथा उनके निर्माण में मितव्ययता और उनके तत्काल निपटाने के लिए सुझाव देगी । इस निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है ।

माडर्न वेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के मध्यम दर्जे के एककों की स्थापना करने में विलम्ब

7512. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माडर्न वेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के मध्यम दर्जे के एककों को स्थापित करने की सरकार की योजना इस बीच खटाई में पड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों को स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) डबल रोटी की वढ़ी हुई मांग को ध्यान में रखते हुए माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड मध्यम आकार के यूनिटों की बजाय मानक आकार के यूनिट स्थापित कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टाइप 5, 4 तथा 3 के क्वार्टर लेने के अधिकारी सरकारी कर्मचारी

7513. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइप 5 के क्वार्टर लेने के अधिकारी सरकारी कर्मचारी इससे एक श्रेणी नीचे का क्वार्टर भी ले सकते हैं जबकि यह सुविधा टाइप 4 और 3 क्वार्टरों के पात्र कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंगति के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) टाइप-4 तथा टाइप-3 के वास के पात्र अधिकारियों की केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन समस्त सतत सेवा को आवंटन के प्रयोजन के लिए गिना जाता है। जो अधिकारी टाइप 5 के पात्र हैं उनकी अग्रता का हिसाब उस तारीख से लगाया जाता है जिससे वे 800 रुपये प्रति मास की परिलब्धियां प्राप्त करते हैं। उन्हें टाईप-4 के वास के लिए भी पात्र घोषित कर दिया गया है क्योंकि अन्यथा, वे टाईप-4 तथा उसके नीचे के वास के पात्र अधिकारियों के मुकाबले प्रतिकूल स्थिति में रहेंगे।

दिल्ली में बोगस राशन यूनिटों को पकड़ने में असफलता के कारण खाद्य निरीक्षकों का निलम्बन

7514. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या दिल्ली में बोगस राशन यूनिटों को पकड़ने में खाद्य निरीक्षकों की असफलता के लिए दिसम्बर, 1973 से मार्च, 1974 के महीनों में अनेक खाद्य निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1973 से मार्च, 1974 की अवधि के दौरान दिल्ली में जाली राशन यूनिटों की जांच करने के कारण एक खाद्य निरीक्षक मुअत्तिल किया गया था।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए नये बोर्ड का गठन

7515. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की पिछले कई महीनों से कोई बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) नये बोर्ड का गठन कब किया जायेगा और इसके सदस्य कौन-कौन हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की 9-11-1973 को बैठक हुई। अगली बैठक का अभी समय नहीं हुआ है ।

(ग) बोर्ड एक स्थायी संस्था है और इसकी संरचना निम्न प्रकार है :--

नौवहन और परिवहन मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
राज्य मंत्री (अब उप-मंत्री) नौवहन और परिवहन, भारत सरकार, नई दिल्ली।	उपाध्यक्ष
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, दमन व दीव, गुजरात, जम्मू, और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के अन्तर्देशीय जल परिवहन के कार्यभारी मंत्री	सदस्य
अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान रखने वाले पांच गैर-सरकारी व्यक्ति	सदस्य

1. श्री बी० भगवती, सदस्य राज्य सभा ।
2. श्री चंद्रिका प्रसाद, सदस्य लोक सभा ।
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता।
4. डा० महादेव चन्द, निदेशक बिहार पैथालोजी एण्ड रिसर्च लैबोरेटरी प्राईवेट लि०, पटना-3।
5. श्री पी०सी० चाको, कंजीरापल्ली (केरल) ।

अखिल भारतीय मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन का दर्जा बढ़ाया जाना

7516. **श्री बसंत साठे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान अखिल भारतीय मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन का दर्जा बढ़ाकर एक स्वतन्त्र निदेशालय बनाने का जिसका मुख्यालय नागपुर में होगा, निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसकी गतिविधियां किन-किन क्षेत्रों में होंगी और उक्त संगठन का तकनीकी रोगजार क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसको किस क्रम से लागू किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, अखिल भारतीय मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन का दर्जा बढ़ा दिया गया है ताकि वह एक स्वतंत्र निदेशालय के रूप में कार्य करे। इसका मुख्यालय नागपुर में होगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन 1 अप्रैल, 1974 से कार्य करना शुरु कर दिया है।

(ख) इस संगठन के कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किये गये हैं :

(1) मानक मिट्टी सर्वेक्षण करना तथा 1:1 मिलियन स्कैल पर भारतीय मिट्टी का मानचित्र तैयार करना,

(2) देश में मिट्टी सर्वेक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना,

(3) राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी का सहसंबंध और वर्गीकरण,

(4) मिट्टी सर्वेक्षण तकनीकों और मिट्टी सहसंबंध की प्रणाली में सुधार के लिए अनुसंधान,

(5) देश के विभिन्न स्थानों में मिट्टी संग्रहालयों की स्थापना

(6) राज्यों के सहकारी मिट्टी सर्वेक्षण कार्य को आगे बढ़ाना।

पांचवीं योजना के दौरान जितने क्षेत्र में ये कार्यक्रम चलाये जायेंगे, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	कार्यक्रम लागू करने का प्रस्तावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टर में)
1974-75	5.0
1975-76	13.0
1976-77	20.0
1977-78	27.0
1978-79	35.0

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पेशेवर और तकनीकी व्यक्तियों के रोजगार मिलने की दृष्टि से अपेक्षित संख्या नीचे दी जा रही है:—

वर्ष	पेशेवर और तकनीकी लोगों की कुल संख्या
1974-75	148
1975-76	122
1976-77	76
1977-78	19
1978-79	—

रूस द्वारा खरीदा हुआ गेहूं भारत को दिया जाना

7517. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 तक रूस द्वारा कनाडा तथा आस्ट्रेलिया से खरीदा गया गेहूं बड़ी मात्रा में भारत में आया था; और

(ख) ऐसा गेहूं कुल कितना था और भारत सरकार को इस गेहूं के लिए कितना भुगतान करना पड़ा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि के दौरान सोवियत रूस से उनकी कनाडा और आस्ट्रेलिया की खरीदारी से लगभग 5 लाख टन गेहूं प्राप्त हुआ था। सोवियत रूस के साथ करार के अधीन सारी मात्रा जिन्स रूप में लौटानी है।

खाद्य पदार्थ आदेश को लागू करना

7518. **श्री सतपाल कपूर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थ आदेश (फूड प्राडक्ट आर्डर) उन उद्योगों में लागू होता है जो खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत आने वाले कौन-कौन से उद्योग हैं और तत्संबंधी औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने वाले अधिकारी एक लाइसेंस के लिए मात्र 10/- रुपये का शुल्क लेते हैं जब कि खाद्य पदार्थ आदेश के अन्तर्गत 1000/- रुपये अथवा इससे अधिक की राशि का शुल्क लिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन करने तथा इसे अधिक व्यापक बनाने तथा खाद्य पदार्थ आदेश को उन उद्योगों पर लागू न करने का है जहां खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम लागू होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। यह आदेश फल उत्पाद आदेश है। इसके अन्तर्गत संश्लिष्ट पेय समेत फल तथा सब्जी उत्पादों के बारे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका निर्माण स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों और आदेश में निर्धारित निर्दिष्टयों के अनुसार किया जाता है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं और लाइसेंस फीस प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है।

फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस फीस का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और यह फीस वार्षिक उत्पादन क्षमता के आधार पर 100 रु० से 1500 रुपये के बीच है।

(घ) फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग को फल उत्पाद आदेश से बाहर रखने का कोई विचार नहीं है।

1974 के दौरान वनस्पति के उत्पादन के लिये मूंगफली का भण्डार

7519. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1973 में मूंगफली का उत्पादन तथा मूंगफली का विद्यमान भंडार 1974 में वनस्पति के उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी होगी तथा पर्याप्त मात्रा में मूंगफली के तेल का आयात करने तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में वनस्पति तेलों की मांग मूंगफली तथा अन्य खाद्य तिलहनों से पूरी की जाती है। वर्ष 1973-74 की अवधि में विभिन्न तिलहनों के उत्पादन के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त 1974 में उपलब्ध होंगे। तिलहनों तथा तेलों के पूर्वावशिष्ट स्टाकों के आंकड़े तथा देश में उनकी मांग की मात्रा के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। इस समय मांग (जो जनसंख्या तथा आय की वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ रही है) की तुलना में आंतरिक सप्लाई में मूल कमी है।

(ख) हाल के वर्षों में खाद्य तेलों तथा तिलहनों का आयात सामान्यतः पाम आयल, सोयाबीन के तेल, तोरिया के रूप में किया जा रहा है। मूंगफली के तेल को आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यथासंभव सीमा तक तिलहनों तथा तेलों की आयात की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, वनस्पति तिलहनों तथा तेलों की उपलब्धि में सुधार करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। इनमें बिनौले तथा चावल की भूसी की अधिक पेराई को प्रोत्साहित करना, वृक्ष मूल के लघु तिलहनों के अधिक उपयोग को बढ़ाना, वनस्पति के निर्माण में कई एवजी तेलों का उपयोग कर मूंगफली के तेल तथा सरसों के तेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और परम्परागत तथा सोयाबीन एवं सूरजमुखी के बीज जैसे गैर-परम्परागत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना शामिल है।

खाद्यान्न वसूली के तरीके में परिवर्तन तथा उसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की संख्या में कमी

7520. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने खाद्यान्न वसूली के तरीके में परिवर्तन किया है तथा खाद्यान्न वसूली सीधे किसानों से करने की बजाय व्यापारियों से की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ; और

(ग) क्या इससे भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त कमी करनी पड़ेगी और यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में कितनी कमी की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (क) और (ख) 1974-75 मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण संबंधी नीति की घोषणा लोक सभा में 28-3-74 को एक वक्तव्य में की गई थी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सरकारी एजेंसियां सभी राज्यों और पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिशेष राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति करती रहेगी और थोक व्यापारी समेत खाद्यान्न व्यापारियों पर 50 प्रतिशत लेवी लागू की जायेगी। अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में राज्य सरकार उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाकर अधिप्राप्ति कर सकती है।

चावल के बारे में यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वे चल रही स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी भी सबसे बढ़िया उपयुक्त अधिप्राप्ति की प्रणाली को अपना लें, अर्थात्

1. मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी ;
2. उत्पादकों पर लेवी, ;
3. एकाधिकार खरीद; और
4. उपयुक्त प्रणालियों का समन्वय।

(ग) मूल्य साहाय्य नीति के अधीन उत्पादकों से गेहूं की अधिप्राप्ति के अलावा, भारतीय खाद्य निगम अन्य कुछ एजेंसियों समेत अधिशेष राज्यों में गेहूं के व्यापारियों से लेवी की मात्रा वसूल करेगा। कर्मचारियों की संख्या पर इस नई नीति के प्रभाव का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

वर्ष 1972–73 में भारतीय खाद्य निगम के वसूली प्रभार

7521. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसूली मूल्य के रूप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किये गये गेहूं के लिए एक उपभोक्ता को लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किये जाने वाले विभिन्न खाद्यान्न कौन-कौन से हैं और 1972-73 में प्रत्येक खाद्यान्न का प्रति क्विन्टल वसूली प्रभार क्या है तथा वर्ष 1972-73 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितना उपरि खर्च वसूल किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) 1972-73 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न खाद्यन्नों पर अधिप्राप्ति प्रभार, और भंडारण, संचलन और वितरण लागत के रूप में खर्च की गई राशि इस प्रकार है :—

(रु० प्रति क्विंटल) (अस्थायी)

	अधिप्राप्ति प्रभार	भंडारण, संचलन और वितरण लागत
1. देशी गेहूं	10.57	12.07*
2. देशी चावल . . .	7.43	12.07*
3. मोटे अनाज	7.80	12.07*

*भंडारण, संचलन और वितरण लागत में 2.04 रु० प्रति क्विंटल के प्रशासनिक ऊपरी खर्चे सम्मिलित हैं।

भरत नाट्य कत्थकली तथा यक्षगान का विकास

7522. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'भारत नाट्क', 'कथाकली' और (यक्षगान) का विकास करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय, संगीत नाटक अकादमी, भरत नाट्यम, कत्थकली और यक्षगान सहित कला के कई प्रकारों के प्रवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। इस संबंध में अकादमी के कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) इस क्षेत्र में पात्र संस्थाओं को प्रशिक्षण, अध्यापकों के वेतनमानों, निर्माण-कार्य इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता देना ;

(2) अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका "संगीत नाटक" में इन कलाओं के विभिन्न पहलुओं पर लेख प्रकाशित करना ;

(3) अकादमी के अभिलेखीय संग्रह के लिए इन प्रकारों की किस्में, फोटो, स्लाइड और टेप-रिकार्डिंग तैयार करना ;

(4) अकादमी के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए इन कलाओं से संबंधित पोशाकें, मुकुट, गहने इत्यादि प्राप्त करना ;

(5) इस क्षेत्र में युवा प्रतिभा के लिए स्काउटिंग और समय-समय पर आयोजित युवा नृतक समारोह में उसे प्रस्तुत करना ;

(6) आमंत्रित जन समूह के लाभ के लिए इन कलाओं पर लेक्चर-प्रदर्शनों की व्यवस्था करना ;

(7) कत्थकली और यक्षगान में परम्परागत नाटकों के हिन्दी रूपांतर तैयार करना ;

(8) अकादमी की अधिछात्रवृत्ति योजना के अधीन शिक्षुओं अथवा संस्थाओं से विख्यात गुरु सम्बद्ध करना; और

(9) वार्षिक दिये जाने वाले अकादमी पुरस्कारों/अधिछात्रवृत्तियों के जरिये इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता देना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संस्कृति विभाग दो योजनाएं चला रही हैं, अर्थात् ;

(1) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्त्ताओं को छात्रवृत्तियों की योजना ; और

(2) सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां/विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत 18-28 वर्ष के आयु-वर्ग के उत्कृष्ट होनहार युवा कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक, परम्परागत थियेटर, चित्रकला इत्यादि में भारत में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। नृत्य के क्षेत्र में भरत नाट्यम और कत्थकली तथा परम्परागत थियेटर के क्षेत्र में 'यक्षगान' शामिल हैं। सांस्कृतिक खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 10-14 वर्ष के आयु वर्ग के मेधावी युवा बच्चों को संगीत, नृत्य, चित्रकला और शिल्प कला में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत नृत्य के प्रकारों में भरत नाट्यम और कत्थकली के प्रकार शामिल हैं।

कुदरेमुख मंगलौर को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

7523. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदरेमुख मंगलौर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोजनाएं उपलब्ध धन, अखिल भारत आधार पर प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर सड़कों को घोषित करने के लिये निर्धारित कसौटियों को ध्यान में रखते हुये पांचवीं योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के प्रस्ताव बनाते समय अन्य समान प्रस्तावों के साथ-साथ विचारार्थ मांग नोट कर ली गई है।

Unauthorised Occupation of Land in Rajouri Garden, Delhi

7524. **Shri Saroj Mukherjee:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the owners of houses Nos. 122, 130 and 82 to 104 in Block J-11 in Rajouri Garden have, in connivance with the officers of D.D.A. and Municipal Corporation, occupied unauthorisedly a large area of land of D.D.A./WZ 106 behind their houses; and

(b) if so, whether Government have taken any action to evict these unauthorised occupants and against the concerned D.D.A. and Corporation officers?

The Minister of State in the Departmnt of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Rice Demanded by and Supplied to Uttar Pradesh During last six Months

7525. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice supplied by the Central Government to Uttar Pradesh during the last six months;

(b) the quantity of rice demanded by state Government from the Central Government during this period; and

(c) the reasons for not supplying full quota of rice?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) Uttar Pradesh is surplus in rice. Rice was not supplied as the state Government did not ask for any allotment.

Widening of Rohtak Road, Delhi-35

7526. **Shri Purshottam Kakodkar:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government propose to widen Rohtak Road in Delhi-35; and

(b) the main points thereof and the time by which the said work is proposed to be completed by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport: (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b) The work in question concerns Municipal Corporation of Delhi, who have intimated that there is a proposal to widen Rohtak Road from Zakhira to Ring Road in their Draft Fifth Five Year plan for reads. In the first instance, the Cooporation's proposal is to widen the road portion to twocarriageways of 24' each with 4' central verge against the present width of 21'-6' (average) of the carriageway. The completion of the work depends upon the availability of funds for the purpose from time to time.

दिल्ली में ड्राइंग टीचरों को एस० ए० बी० प्रमाणपत्र

7527. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुभव के आधार पर दिल्ली के लेंग्वेज टीचरों तथा अन्य टीचरों को एस०ए०वी० प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या ड्राइंग टीचरों को यह प्रमाणपत्र नहीं दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां। एस०ए०वी० प्रमाणपत्र उन सहायक अध्यापकों, मुख्याध्यापकों और भाषा अध्यापकों को दिये जाते हैं जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों जिनके ब्यौरे दिल्ली प्रशासन के पत्र संख्या एफ० 32/1/73-जन०/71-74 दिनांक 18-12-1972, 31-1-1973 और 31-1-1974 में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) एस०ए०वी० प्रमाणपत्र ड्राइंग के अध्यापकों को नहीं दिए जाते हैं क्योंकि वे अध्यापक प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमाधारी नहीं हैं तथा वे इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को प्रदान करने के लिए निर्धारित अन्य आवश्यक अर्हताएं भी धारण नहीं करते हैं। ड्राइंग के अध्यापकों ने ऐसे पाठ्यक्रम पूरे किए हुए हैं जो केवल ड्राइंग और कला के लिए ही हैं।

दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड

7528. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों (पुरुष और महिला दोनों) के एक वर्ग को दिल्ली नगर निगम द्वारा सलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया जिसके वे 5 सितम्बर, 1971 को हकदार थे क्योंकि उनके कोटे में से प्राथमिक विद्यालयों के अस्थायी मुख्याध्यापक और मुख्य अध्यापिकाओं को यह लाभ दे दिया गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार के ध्यान में ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा इन सहायक अध्यापकों को, जिन्हें इस प्रकार आवर्ती हानि हुई है, सलेक्शन ग्रेड का उचित लाभ उचित तिथियों से दिलाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो 5 सितम्बर, 1971 को स्थायी पदों की संख्या क्या है तथा इस तिथि को कितने सहायक अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड दिया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) सूचना दिल्ली नगर निगम से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश के नौवहन टन-भार में वृद्धि

7529. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश के नौवहन टनभार में पर्याप्त वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी वृद्धि हुई और उसका कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी कम्पनी को कुल वित्तीय सहायता कितनी दी गई और विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी दी गई?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से राज्यों को वित्तीय सहायता

7530. **श्री रामाचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्किटिंग फेडरेशन ने किसी सहायता के लिए अनुरोध किया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6772/74]**

(ख) गत वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1973-74) के आखिरी दिनों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्कीटिंग फेडरेशन का रबड़ का विपणन कार्य आरम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था । इस अनुरोध पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Survey Conducted by Central Team for Drinking Water in East Nimad Area of Madhya Pradesh

7532. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the Central Team has conducted any survey in the East Nimad area of Madhya Pradesh State for providing drinking water there, during the last three years; and

(b) if so, the number of villages together with their population where drinking water facilities have so far been provided and the manner in which these facilities have been provided?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha upon receipt.

भारत में चल रही मोटरगाड़ियों की संख्या

7533. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कुल कितनी मोटर गाड़ियां चल रही हैं और इन गाड़ियों के टाइप के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :, 31-3-1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में अपेक्षित सूचना जिससे आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6773/74]**

डी०डी०ए० के मंजूरी के लिए पड़े मकानों के नक्शे

7534. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (कैलाश कालोनी के पूर्व में) सन्त नगर कालोनी, नई दिल्ली में लगभग 30 मकानों के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास मंजूरी के लिये विचाराधीन पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नक्शों पर मंजूरी कब तक दे दी जायेगी;

(ग) उक्त कालोनी के नक्शे पर 1962 में स्वीकृति दिये जाने के बाद इसके विकास के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त कालोनी कब तक पूरी हो जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, विकास प्रभार आदि के भुगतान की शर्त पर, कालोनी में निर्माण-कार्य शुरू करने का निश्चय कर लिया था किन्तु वास्तविक निर्माण-कार्य मई, 1973 तक आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि यह प्रश्न विचाराधीन था कि कालोनी पूर्ण स्वामित्व पर होनी चाहिये अथवा पट्टे पर । सभी प्लाटधारियों द्वारा विकास प्रभारों का भुगतान किये जाने के बाद ही दिल्ली विकास प्राधिकरण, भवनों के नक्शे मंजूर करने के लिये विचार कर सकता है ।

Acquisition of Fertile Land in Western Area of Patna

♦ 7535. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government propose to acquire 1652 acres of fertile land in the Western area of Patna town for building houses;

(b) if so, whether a memorandum has been sent by the Fertile Land Acquisition Resistance Committee, Muralichak' to the Prime Minister on the 20th February last in protest thereof; and

(c) if so, the main features thereof and Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Yes, Sir. The memorandum dated the 20th February, 1974 received from the Fertile Land Acquisition Resistance Committee 'Muralichak,' Patna was forwarded by the Prime Minister's Secretariat to the Government of Bihar for appropriate action.

जनजातीय बच्चों की शिक्षा

7536. **श्री गजाधर माझी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिकन्दराबाद के एक दैनिक पत्र में 23 नवम्बर, 1973 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें लिखा है कि जनजातियों के बच्चों की पढ़ाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिये बच्चों में रचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिये कटिबद्ध संगठन चिल्ड्रन क्लब द्वारा राज्य और केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिशु कला क्लब से केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई है जैसा कि समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है।

तथापि आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि शिशु कला क्लब के सहयोग से जनजातीय बच्चों की सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ावा देने की एक योजना वर्ष 1972-73 से कार्यान्वित की गई थी। शिशु कला क्लब ने 403 जनजातीय बच्चों का चयन करके उन्हें चित्रकारी संगीत तथा नृत्य में प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान किया था। 1973-74 में 28 प्रतिभाशाली बच्चों को आगे और गहन प्रशिक्षण दिया गया था।

चावल के भूसी का उर्वरक के रूप में प्रयोग करना

7537. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स फोरम के सचिव द्वारा किये गये कथित आविष्कार की जानकारी है जिसके अनुसार चावल की भूसी की राख को नये और सस्ते उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या इस राख का नमूना विश्लेपण के लिए भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो विश्लेषण के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या यह सस्ती है और इससे उर्वरक की कमी की समस्या हल होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। हमें फिरोजपुर ज़िला कृषक फोरम के मंत्री द्वारा की गई इस प्रकार की खोज की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) सामान्यतः धान की भूसी में 1.1 प्रतिशत से 3.15 प्रतिशत $के_2$ ओ रहता है। धान की भूसी में इतना कम $के_2$ओ होनें से इसकी राख से उर्वरक की कमी की समस्या को हल करने में अधिक मदद नहीं मिल सकेगी।

मंत्रालय के पास अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों के सेलेक्शन ग्रेड सम्बन्धी विचाराधीन मामले

7538. **श्री अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड देने के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई फाईल मंत्रालय में पिछले दो वर्षों या इससे अधिक समय से विचाराधीन पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इन अध्यापकों के लिये प्रस्तावित सेलेक्शन ग्रेड मंजूर करने के बारे में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) पदोन्नति अथवा अन्य तरीकों से भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण सम्बन्धी निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है । विद्यमान आदेशों के अनुसार प्रवरण ग्रेड के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । इस मंत्रालय में जनवरी, 1973 में इस आशय का—कि प्रवरण ग्रेड के पदों में आरक्षण किया जाना चाहिये अथवा नहीं—एक पत्र प्राप्त हुआ था और अब इस मामले को कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है, जिसके निर्णय की प्रतीक्षा है ।

दिल्ली/नई दिल्ली में पशु अस्पताल

7539. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली और नई दिल्ली में कितने पशु अस्पताल हैं;

(ख) इस समय दिल्ली और नई दिल्ली में एस०पी०सी०ए० के कितने इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या तांगा, ठेला चलाने वाले तथा पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले अन्य वाहनों के चालक पशुओं को निर्दयता से पीटते हैं तथा अधिकतर जख्मी पशुओं को बिना उपयुक्त इलाज किये वाहनों में जोता जाता है; और

(घ) इस क्रूरता को रोकने के लिए अधिक इंस्पेक्टर नियुक्त करने तथा पशुओं के लिए नये अस्पताल स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/ नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 41 पशु-चिकित्सा अस्पताल/औषधालय चलाये जा रहे हैं । इनके अतिरिक्त, बहिरंग रोगी पशुओं के लिए एस०पी०सी०ए० दिल्ली द्वारा एक अस्पताल तथा एक चिकित्सालय चलाया जा रहा है । एस०पी०सी०ए० द्वारा एक और चिकित्सालय शीघ्र स्थापित किया जाना है ।

(ख)

1.	इन्स्पेक्टर	1
2.	डिप्टी इन्स्पेक्टर	1
3.	सब इन्स्पेक्टर	1
4.	असिस्टेन्ट सब इन्स्पेक्टर	3
5.	कानस्टेबल	17

(ग) जी हां । ऐसे मामले होते हैं । डी०एस०पी०सी०ए० के उपलब्ध स्रोतों के अनुसार निरीक्षण कर्मचारी पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत ऐसे मामले पकड़ते हैं ।

(घ) डी०एस०पी०सी०ए० दिल्ली/नई दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त पार्टी बनाने के लिए 1 और असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर और 4 कान्सटेबलों की नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, ताकि सड़कों पर क्रूरता के मामले पकड़े जा सकें । सड़कों पर पकड़े गये मामलों की व्यवस्था करने के लिए इस समय समिति के पास काफी स्थान है । फिलहाल नये अस्पतालों को खोलने की समिति की कोई योजना नहीं है ।

बारानी खेती के अन्तर्गत जुताई और बुवाई कार्य

7540. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारानी खेती की आवश्यकताओं के अनुसार गेहूं बोने के लिये भूमि को कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी बार जुताई की आवश्यकता है; और

(ख) क्या कटाई तथा अनाज को भूसे से अलग करने के कार्यों के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की दरों में कोई भिन्नता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) स्थानीय मिट्टी की अवस्थाओं फसल अनुक्रम दो फसलों के बीच के समय के अनुसार वर्षा पर निर्भर गेहूं के लिए जुताई विधियों में एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक राज्य विशेष में भी अन्तर होता है । "खरीफ" मौसम के दौरान परती पड़ी ज़मीन की गेहूं की बुवाई से पहले बरसात के मौसम में कई बार जुताई की जाती है । यह जुताई इस विश्वास के साथ की जाती है कि वर्षा के पानी को मिट्टी अधिक सोख सके । आज से कुछ समय पहले सिन्धु-गंगा के पश्चिमी मैदानों में भूमि की 10 बार जुताई करने का प्रचलन था लेकिन अब केवल 5 या 6 बार ही जुताई की जाती है । मौजूदा समय में वर्षा पर निर्भर गेहूं के लिए बारीक मिटटी वाली नर्सरी तैयार करने के लिए मोल्ड-बोर्ड हल से एक जुताई और देसी हल से 4 से 5 बार जुताई की जाती है । या प्रत्येक बार देसी हल से जुताई करने के बाद डिस्क हल से जुताई की जाती है और इसके बाद एक या दो बार आड़ा हैरो चलाकर पाटा घुमा दिया जाता है । पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में गेहूं की बुआई के लिए खेत की इतनी बार जुताई पर्याप्त समझी जाती है । मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्रों में पाटा चलाने के स्थान पर हैरो चलाने का आम रिवाज़ है ।

(ख) इस समय सम्पूर्ण देश के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

शांतिनिकेतन नई दिल्ली में अतिरिक्त प्लाटों का बांटा जाना

7541. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिनिकेतन नई दिल्ली में सामुदायिक सुविधा के लिये रखे गये पार्कों और स्थानों को परिवर्तित करके तीस अतिरिक्त प्लाट काटे जा रहे हैं;

(ख) क्या उपराज्यपाल ने इस संबंध में आदेश दिये हैं और सरकारी कर्मचारी समिति से प्रस्तावित संशोधन योजना भेजने के लिये कहा है ।

(ग) क्या योजना का मूल 'ले आउट' दिल्ली नगर निगम ने मंजूर कर दिया था और उपराज्यपाल ने बिना किसी प्राधिकार के उसमें बाद में परिवर्तन किया ;

(घ) क्या उपराज्यपाल ने उनके मन्त्रालय को इस क्षेत्र की जोनल प्लान पर अनुमति रोक लेने के लिये कोई पत्र लिखा है जिससे कि वह बृहत योजना (मास्टर प्लान) के उपबंधों के विरूद्ध इस प्लान में परिवर्तन करा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) उप-राज्यपाल ने शान्तिनिकेतन में 27 और अधिक प्लाटों को काटने का अनुमोदन सिद्धान्त रूप मे कर दिया था ताकि सहकारी कर्मचारी सरकारी गृह निर्माण समिति बृहत योजना के अन्तर्गत अनुमेय अधिक से अधिक सघनता का लाभ उठा सकें। तथापि, इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है ।

(ग) उप-राज्यपाल द्वारा ले-आऊट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) उप-राज्यपाल ने इस मन्त्रालय से उस समय तक जोनल प्लान को अन्तिम रूप न देने का अनुरोध किया है जब तक कि अतिरिक्त प्लाटों को काटने का निर्णय नहीं लिया जाता। इसमें बृहत योजना के उल्लंघन की कोई बात नहीं है ।

आई० सी० ए० आर० में सुधार

7542. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० सी० ए० आर० की दशा सुधारने के लिये माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों तथा गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों को पूरा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के बारे में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदन के पटल पर एक वक्तव्य 12 नवम्बर 1973 को रखा था । सरकार के निर्णयों की रूप रेखा और उनको लागू करने की प्रगति का ब्यौरा संलग्न वक्तव्य में प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6774/74]

उड़ीसा में नदी सिंचाई योजनायें

7543. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में नदी सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित करने का लक्ष्य क्या है; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी और इन योजनाओं के अन्तर्गत किन किन क्षेत्रों में सिंचाई किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) 1974-75 में नदीं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम से 75,000 हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ पहुंचने की सम्भावना है । इस सम्बन्ध में योजनावार अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस समय प्रचलित वित्तीय पद्धति के अनुसार राज्य की योजना के अन्तर्गत स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता पूरी वार्षिक योजना के लिये ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में योजनावार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

Inclusion of Agriculture on Union List

7544. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Agriculture is in the State-list;

(b) Whether the production of food-articles and industrial goods through agriculture has fallen short of the requirement of the country since independence; and

(c) if so, whether Government propose to include Agriculture in the Union List by amending the Constitution?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) Yes, Sir. Agriculture is convered by Entry 14 of the State List.

(b) The production as well as the requirements of agricultural commodities and agriculturally based industrial products have increased in the country since independence. On the whole, production in the country in recent years has fallen short of requirements in the case of certain commodities such as, foodgrains, edible oils, superior varieties of cotton and cashew raw. On the other hand, in the case of a number of other agricultural commodities or products based on them, such as tea, coffee, spices, certain non-edible oils tobacco and tobacco manufactures, short staple cotton, cotton textiles, jute goods and sugar, there have been exportable surpluses.

(c) Apart from the entries which figure in the State List, the Concurrent List has Entry No. 33 which reads as follows:

"33. Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of:—

(a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products;

(b) foodstuffs, including edible oilseeds an oils;

(c) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates;

(d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed; and

(e) raw jute."

The above entry gives necessary *locus standi* to the Government of India in the matter of principal agricultural crops. There is no proposal at the moment to amend the Constitution to include Agriculture in the Union List.

छात्रों को शैक्षिक तथा जीवन निर्वाह स्थिति की जांच करने के लिए विशेष केन्द्रीय सैल

7545. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों की शैक्षिक जीवन निर्वाह स्थिति तथा उनकी विभिन्न मागों पर विचार करने के लिये एक विशेष केन्द्रीय सेल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल सहन) : (क) और (ख) मंत्रालय में छात्र कल्याण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जम्मू और काश्मीर में फलों को डिब्बा बन्दी तथा परिष्करण के लिए परियोजना

7546. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जम्मू और काश्मीर राज्य में पेय पदार्थों सहित फलों की डिब्बा बन्दी और परिष्करण के लिये बड़े पैमाने पर एक केन्द्रीय योजना के संबंध में विचार करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय सरकार का जम्मू तथा कश्मीर में बड़े पैमाने पर फल तथा सब्जी विधायन यूनिट लगाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

जम्मू और काश्मीर में चुकन्दर से चीनी बनाने की परियोजना

7547. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जम्मू और काश्मीर में केन्द्रीय परियोजना के रूप में चुकन्दर से चीनी का उत्पादन करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : जी नहीं ।

दिल्ली और बम्बई में "सैल्फ कन्टेंड सेनेटरी सिस्टम"

7548. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सैल्फ कन्टेन्ड सैनेटरी सिस्टम" के बारे में आस्ट्रेलियन ट्रेडिंग न्यूज फरवरी, 1973 की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े शहरों में जहां जलप्रदूषण अत्याधिक होता है यह प्रणाली आरम्भ करने के लिए प्रयोग किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे रासायनिक शौचगृह तंत्र पूंजी तथा अनुरक्षण की लागत, दोनों दृष्टियों से मंहगे हैं । ये दिल्ली तथा बम्बई जैसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सामूहिक मल व्ययन के कार्यों के लिये उपयोग में नहीं लाये जा सकते । ये केवल दूर-दराज के अलग-थलग मकानों आदि के लिए उपयोगी हो सकती है जहां लागत का ध्यान रखे बिना पानी की अनुपलब्धता तथा मल मूत्र के तत्काल व्ययन की मुख्य समस्याएं हैं ।

तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत अधिक भूमि

7549. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत अधिक भूमि लाने के लिए कृषि मन्त्रालय के साथ बहुत सी बैठकों के पश्चात् भी तम्बाकू की खेती के क्षेत्रफल में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सरकार की नीति यह है कि बुआई के क्षेत्र में विस्तार करके विशेष कर निर्यात हेतु वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाया जाए । तदनुसार जैसा कि नीचे दिया गया है हाल ही के वर्षों में वर्जीनिया तम्बाकू की बुआई के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई जबकि तम्बाकू की अन्य किस्मों की बुआई के क्षेत्र में कम वृद्धि हुई है :—

(हजार हैक्टार)

निम्न वर्ष को समाप्त होने वाली पंचावधि की औसत	समस्त किस्मों की बुआई का क्षेत्र	वर्जीनिया तम्बाकू की बुआई का क्षेत्र
1962-63	402	90
1967-68	414	125
1972-73	443	162

राज्यों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करना

7550. **श्री पी० वेंकट सुब्बया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई में सुधार करने का प्रश्न राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) इस विषय में क्या उपाय किए गए हैं, अथवा किए जाने हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थ जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुधारने के लिए राज्य सरकारों से निम्नलिखित उपाय अपनाने के लिए कहा गया है :—

1. उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों से निर्धारित दामों पर खाद्यान्न और अन्य कुछ खाद्य पदार्थ सुलभ करने के लिए सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार लाना और उसे सशक्त बनाना।

2. अतिथि नियन्त्रण आदेश को प्रवर्तन कर खाद्यान्नों की खपत पर रोक लगाना और होटलों तथा भोजनालयों में परोसे जाने वाले पदार्थों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाना।

3. मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध हटाना ताकि अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को इन जिन्सों का अबाध संचलन हो सके ।

4. 1974-75 के रबी मौसम के लिये गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण की संशोधित नीति ने कमी वाले राज्यों में गेहूं की बाजार उपलब्धता बढ़ने की परिकल्पना की गई है ।

5. खाद्यान्न समेत अत्यावश्यक जिन्सों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का विनियमन करने के लिए भारत सुरक्षा नियम, 1971 के उपबन्धों का प्रयोग कर विभिन्न खाद्य नियन्त्रण आदेशों का कड़ाई से प्रवर्तन और जमाखोरी, चोर बाजारी और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों जिससे अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है, में पड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अधीन अधिकारों का प्रयोग।

6. तिलहनों और तेलों के स्टाक की सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी पर रोक लगाना और तिलहनों/तेलों के स्टाक की घोषणा और उनके मूल्य का प्रदर्शन करने के लिए व्यापारियों और मिलमालिकों को आवश्यक आदेश देना।

अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में चीनी तथा बासमती चावल के बढ़े हुए मूल्य

7551. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस प्रकार के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि चीनी और बासमती चावल की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में बहुत अधिक मांग है और इसके लिए आकर्षक मूल्य प्राप्त हो सकते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी और बासमती चावल की मांग के बारे में जानकारी है।

(ख) सरकार का चीनी की उत्पादन सम्भावनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय खपत की जरूरतों और चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रख कर समय समय पर इस वर्ष निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा की समीक्षा करने और उसका निश्चिय करने का विचार है।

बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए बासमती चावल उत्पादक राज्यों की सरकारों के परामर्श से 1974-75 के लिए उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस तरह उनसे निर्यात के लिए अतिरिक्त 50,000 मी० टन बासमती चावल लिया जाएगा जोकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी से एकत्रित मात्रा और इस प्रयोजन के लिए खुले बाजार की खरीदारी की मात्रा के अलावा होगा।

Contribution of India for Desilting of Suez Canal

7552. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether desilting of Suez Canal is under consideration;

(b) if so, the total estimated expenditure to be incurred thereon;

(c) whether the Government of India also propose to contribute their share to that expenditure;

(d) is so, the amount proposed to be contributed; and

(e) the benefit likely to accrue to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) According to the information available, the Suez Canal Authority of the Arab Republic of Egypt is considering desilting of Suez Canal.

(b) Not known.

(c) The Government of India have not as yet been approached for any contribution for this purpose.

(d) & (e): Do not arise.

तम्बाकू के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

7553. **श्री जी० भाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तम्बाकू विकास परिषद ने उत्पादक स्तर पर तम्बाकू के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके तम्बाकू उत्पादकों की आर्थिक अवस्था सुधारने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारतीय तम्बाकू विकास परिषद उत्पादक के स्तर पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर कुछ सिफारिशें करती रही है और स्थिति के अनुसार आवश्यक उपचारिक उपाय किए गए हैं।

'प्रोजेक्ट टाइगर' (बाघ परियोजना और शेरों का संरक्षण)

7554. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बाघों की संख्या जो 1930 में लगभग 30,000 थी, चिंताजनक रूप से घटकर 1972 में लगभग 1800 रह गई है ;

(ख) क्या तेजी से समाप्त हो रहे इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के लिए एक 'प्रोजेक्ट टाइगर' नामक परियोजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न जलवायु और प्राकृतिक अवस्थाओं वाले नौ वनों को अध्ययन हेतु चुना गया है ताकि इस पशु को जीवित रखने के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार किया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो क्या शेरों की समाप्त-प्रायः नस्ल को संरक्षण और बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) गुजरात के गीर वनों में पाये जाने वाले शेरों के प्रति उत्साह न दिखाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) भारतीय बाघों की रक्षा में बड़ा उत्साह दिखाया जाता है और गुजरात के गीर वनों में इनकी संख्या बढ़ने की सूचना मिली है।

बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी का वार्षिक बजट

7555. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी का वार्षिक बजट कितना है ; और

(ख) गत तीन वर्षों की प्राप्तियों का स्रोत क्या था और किन-किन मदों पर व्यय किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

	1970-71		1971-72		1972-73	
(क)	बजट व्यवस्था	मूल खर्च	बजट व्यवस्था	मूल खर्च	बजट व्यवस्था	मूल खर्च
						(रुपये लाखों में)
आवर्ती	71.49	54.94	72.53	58.05	80.11	60.79
अनावर्ती	9.79	9.88	4.50	4.93	3.00	5.48
कुल .	81.28	64.82	77.03	62.98	83.11	66.27

(ख) **आय के साधन**

(क) छात्रों से शुल्क

(ख) स्टाफ क्वार्टरों से किराया

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान तथा छात्रवृत्तियां

(घ) शेयरों पर लाभांश

(ङ) नियत जमाओं तथा ऋणपत्रों पर सूद और

(च) प्रदान

खर्चे के मद

स्टाफ के लिए वेतन तथा भत्ते संस्थागत खच, पुरस्कार तथा स्वर्ण पदक, परीक्षा, मैगजीन्स व्यवस्था, छात्रवृत्तियां, पूरी फीस माफी पुस्तकालय, शासी निकाय सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता खर्च	अभिसमय, भवनअनुरक्षण, परीक्षक शुल्क तथा अन्य फुटकर छात्रावास खर्चे (इसमें कर्मचारियों के वेतन, जल तथा अन्य फुटकर खर्च शामिल हैं।)

अधिक उपज कार्यक्रम के मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए योजनाओं हेतु केन्द्रीय नियतन

7556. **श्री देवेन्द्रनाथ महाता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्यवार अधिक उपज कार्यक्रम के मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए कितनी योजनाओं का वित्तीय पोषण किया है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के लिए राज्यवार कुल कितना नियतन किया गया ; और

(ग) वर्ष 1974-75 में इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों (1971-72 से 1973-74) के दौरान अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के मूल्यांकन सर्वेक्षण के नियोजित योजना के रूप में शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी गयी।

(ख) वर्ष 1971-72 से 1973-74 के तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को जो कुल वित्तीय सहायता दी गयी, उसका राज्यवार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6775/74]

(ग) उपयुक्त योजना अगस्त, 1974 के अन्त तक चलेगी ताकि विभिन्न राज्यों में रबी 1973-74 के लिए आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा किया जा सके इस योजना के अन्तर्गत 6 महीने की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों को जो राशि दी जानी है उसका विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6775/74]

पूर्वी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें

7557. **श्री देवेन्द्रनाथ महाता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के गोहाटी में अक्तूबर, 1973 में हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस समय इन राज्यों में राज्य-वार. सहकारिताओं की संख्या क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : **(क) और (ख)** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [ग्रंथालय में रखा गया । संख्या एल टी. 6776/74]

झुझुनू में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य संबंधी समिति

7558. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में झुझुनू जिले के लिए वर्ष 1972-73 और 1973-74 में द्रुत योजना के अंतर्गत कार्य की देखभाल और उसका मूल्यांकन करने वाली समिति का गठन क्या है ;

(ख) उक्त समिति की बैठकें कितनी बार हुई और किन-किन तारीखों को हुई; और

(ग) क्या जिला अधिकारियों द्वारा इस योजना में रुचि न लिये जाने और बैठकें न बुलाये जाने के कारण बहुत बड़ी धनराशि वापस करनी पड़ी और उसका उपयोग नहीं किया जा सका और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिडला इंस्टीट्यूट ग्राफ टैक्नालोजी एंड सांइस, पिलानी द्वारा प्राप्त चन्दा

7559. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिड़ला इंस्टीटयूट ग्राफ टेक्नालॉजी एंड साइंस, पिलानी को बिड़ला ग्रुप की विभिन्न व्यापार संस्थाओं तथा अन्य व्यापार संस्थाओं से धन तथा अन्य रूप में कितना चंदा मिला और किस उद्देश्य के लिए, और

(ख) क्या प्राप्त धन राशि उसी उद्देश्य के लिए व्यय की गई है जिस उद्देश्य के लिए वह प्राप्त हुई थी और यदि नहीं तो किस लेखे में राशि बिना उपयोग के पड़ी है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) :

(क) दाताओं के नाम	1970-71	1971-72	1972-73	प्रयोजन
			(रुपये लाखों में)	
नकद दान प्राप्त				
ग्वालियर रेयन्स सिल्क एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि०, नागदा/बिरला नगर	20.00	20.00	20.00	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए
सेनचरी स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० बम्बई	20.00	--	20.00	-वही-
बिरला कन्सल्टेंटस प्रा० लि० बम्बई	2.25	1.00	5.00	-वही-
हिन्दुस्तान अलमीनियम कारपोरेशन लि०, रेणूकूट	20.00	20.00	20.00	-वही-
मनन प्रांजीवन मेहता, बंबई	—	0.25	0.50	-वही-
जे० सी० मिल्स कं० लि०, बिरलानगर ग्वालियर,	--	20.00	20.00	-वही-
पिलानी इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन, बिरलानगर ग्वालियर	--	5.00	5.00	-वही-
	62.25	66.25	90.50	

नकद दान प्राप्त	1970-71	1971-72	1972-73	प्रयोजन
बिरला एजूकेशन ट्रस्ट	—	—	32.845	अनुसंधान के अलावा संस्थान के कार्यकलाप के लिए
के०सी० ट्रस्ट	—	—	39.855	-वही-
बिरला अकादमी .	0.40	—	—	-वही-
कुल	62.65	66.25	163.20	
नकद के अलावा प्राप्त दान (शेयरज एंड डिवैन्चरस)				
बिरला एजूकेनम ट्रस्ट	50.13	—	—	-वही-
के० सी० ट्रस्ट	1.73	—	—	-वही-
	51.86	—	—	

(ख) (i) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च

	1970-71	1971-72	1972-73
		(रुपये लाखों में)	
धन प्राप्त	62.25	66.25	90.50
धन खर्च	23.20	27.90	31.77
शेष धन . .	39.05	38.35	58.73

संस्थान के अनुसार यह शेष राशि अनुसूचित बैंकों में आवधिक तौर पर जमा रखी जाती है ।

(ii) अनुसंधान के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों के लिए प्राप्त (नकद) दान और उसी प्रयोजन के लिए व्यय

	1970-71	1971-72	1972-73
		(रुपये लाखों में)	
धन प्राप्त .	0.40	—	72.70
धन खर्च	0.40	—	—
शेष धन	—	—	72.70

संस्थान के अनुसार शेष धन अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा एवं चालू खाते में रखा जाता है और राशि का एक छोटा भाग खजांची के पास रोकड़ में रखा जाता है।

उत्तर कनारा में बिनागा का बन्दरगाह के रूप में विकास

7560. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर कनारा में बिनागा को बन्दरगाह के रूप में विकसित करने की क्या संभावनाएं हैं; और

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान का प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) संभवतया, प्रश्न का कर्नाटक में कारवाड़ पत्तन के विकास से संबंध है। कर्नाटक सरकार ने हमें सलाह दी है कि कारवाड़ में बन्दरगाह विकास के लिए काफी संभावनाएं हैं और 1974-75 के दौरान 257.24 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान है।

दिल्ली महानगर क्षेत्र में पटरियों पर नई दुकानें

7561. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर क्षेत्र में पटरियों पर कितनी नई दुकानों की व्यवस्था की गई है तथा कितनी नई दुकानें बनायी गई हैं; और

(ख) इनका निपटान किस प्रकार करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना इस प्रकार है :—

नई दिल्ली नगर पालिका

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में पटरी पर 78 दुकानों (किओस्कस) का निर्माण किया गया है। इन दुकानों के आवंटन के बारे में सुस्पष्ट नीति का निर्धारण अभी नगर पालिका द्वारा किया जाना है।

दिल्ली नगर निगम

लाभकारी परियोजना स्कीम के अंतर्गत पटरियों पर केवल 19 दुकानों निर्माण किया गया है। इनका निर्माण 2-3 वर्ष पूर्व किया गया था। अब तक, इन दुकानों का आवंटन 11 मास के लिए मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जा रहा था। अब यह निर्णय किया गया है कि इनका आवंटन टेण्डर द्वारा 5 वर्षों के लिए मासिक लाइसेंस फीस के आधार पर किया जाये।

"फ्री" विश्वविद्यालय

7562. **श्री बी० वी० नायक : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी देशों के 'फ्री' विश्वविद्यालय की तरह कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सांविधिक तथा संशोधित राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत जनसंख्या

7563. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण सांविधिक राशन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितने लोग शामिल किए गए हैं; और

(ख) संशोधित राशन-व्यवस्था के अंतर्गत कितने लोग शामिल किए गए हैं तथा प्रत्येक राज्य में कितने खाद्यान्न-गोदाम हैं और उनकी क्षमता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सांविधिक राशन व्यवस्था केवल पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता शहर और औद्योगिक नगरों के दुर्गापुर-आसनसोल ग्रुप तथा महाराष्ट्र के बम्बई शहर में लागू है। पश्चिमी बंगाल में सांविधिक राशन व्यवस्था के अंतर्गत 90.30 लाख जनसंख्या आती है जबकि महाराष्ट्र में 84.88 लाख जनसंख्या आती है।

(ख) देश के शेष भाग में उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों के अलावा खुले बाजार से अनाज खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सरकारी वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली जनसंख्या तथा प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न गोदामों की संख्या और उनकी क्षमता से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विधान मंडलों में विकलांग का प्रतिनिधित्व

7564. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों ने यह मांग की है कि देश में प्रत्येक विधान मंडल में एक विकलांग को प्रतिनिधित्व दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) (क) जी, हां ।

(ख) इस सुझाव को व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

Non-supply of Wheat to the Border areas of U.P. and Bihar

7565. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Agricultur** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that rice and wheat a ing supplied to the border-areas of Uttar Pradesh and Bihar;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are also aware that a restriction has been imposed in the border villages of the said States and if so, the nature thereof and whether such restrictions have led to various corrupt practices prevailing there; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and the steps being taken by Central Government to avert the food crisis being faced by the people there?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d) The requisite information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक

7566. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की दो दिवसीय बैठक दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार का विचार इन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करने का है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक नई दिल्ली में 26 मार्च, 1974 को हुई थी।

(ख) इस बैठक की मुख्य सिफारिशें विवरण में दी गई है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

विवरण

मुख्य सिफारिशों की सूची

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7566 दिनांक 22 अप्रैल, 1974 के भाग (ख) में निर्दिष्ट विवरण पत्र।

1. मद्यनिषेध को फिर से लागू करने का संकल्प दोहराया गया।

2. निम्नलिखित उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया गया :—

(1) 'शुष्क दिनों, को विशेषतया' "वेतन मिलने के दिनों" पर लागू करना।

(2) सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध।

(3) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा शराब पीये जाने पर विशेष प्रतिबंध लगाना।

(4) मादक पेयों की एल्कोहल की मात्रा की ताकत में कमी करना।

(5) नशीले और मादक पेयों/औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध टिन्चर के उपयोग (दुरुपयोग) पर नियंत्रण।

3. शराब की दुकानों के स्थानों के विनियमन पर जोर दिया गया। निम्नलिखित स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए।

(1) आराधना के स्थान,

(2) शैक्षिक संस्थाएं।

(3) बस्तियां, विशेषतया हरिजनों और मजदूरों की बस्तियां।

(4) राजपथ ।

(5) मिल और फैक्टरियां ।

(6) पैट्रोल पम्प।

(7) रेलवे स्टेशन/यार्ड तथा बस स्टेशन।

4. शराब पीकर वाहन चलाने को नियमित करने पर बल दिया गया। विशेषतया :—

(1) मोटर वाहनों के ड्राइवरों और हवाई जहाजों के पायलटों के अतिरिक्त रेलवे के "ट्रेन पासिन्ग स्टाफ" को इसके अंतर्गत लाया जाए।

(2) सख्त सजाओं, जिनमें लाइसेंसों को निलम्बन अथवा रद्द किया जाना शामिल है, की व्यवस्था की जाए ।

(3) 'ससि' की जांचों को लागू किया जाना चाहिए।

5. शराब के निर्माण को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने को आवश्यक नहीं समझा गया। अलबत्ता दिल्ली के अनुभव को देखते हुए समिति ने राज्यों में शराब की बिक्री को अपने हाथों में लेने के सुझाव को अपनाने की सिफारिश की।

6. शराब संबंधी विज्ञापनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई । यदि संभव हो तो इस विषय पर केन्द्रीय कानून की सिफारिश की गई ।

7. शराब पीने के स्वास्थ्य पहलुओं पर विशेष दल द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए जो उपसमिति गठित की जाए, उसने कार्य के लिए विशिष्ट बातों का उल्लेख करने के साथ-साथ "शराब पीने के स्वास्थ्य पर कुप्रभावों" के प्रचार के लिए भी उपायों को प्रस्ताव करना चाहिए ।

8. संघ शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित सिफारिशों पर पत्र व्यवहार द्वारा विस्तृत विचार किया जाना निश्चित किया गया क्योंकि उनके अनेक प्रकार के तात्पर्य थे।

9. आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित विशेष नीति को स्वीकार कर लिया गया। सिफारिश की गई है कि :—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में (ठेके पर) शराब बेचा जाना बंद किया जाए।

(2) आदिवासियों को अपने स्वयं के तथा सामाजिक उपयोग के लिए अपनी ही शराब बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए, परन्तु उसका वाणिज्य प्रयोजनों के लिए उपयोग न किया जाए, तथा

(3) जिन स्थानों में परम्परागत रूप से शराब बनाने का रिवाज नहीं है, वहां यदि आवश्यक हो तो सरकारी दुकानों के द्वारा शराब बेची जानी चाहिए।

10. मद्यनिषेध के लिए शैक्षिक प्रचार को मजबूत किया जाना चाहिए। विशेषतया :—

(1) स्कूलों/कालेजों के पाठ्यक्रमों में उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, तथा

(2) राज्यों ने शैक्षिक प्रचार के लिए आबकारी राजस्व का एक भाग अलग रखना चाहिए ।

11. कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए संयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए । विशेषतया

(1) प्रगति के संबंध में अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए ; तथा

(2) समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर मद्यनिषेध समितियां गठित की जानी चाहिए ।

पारादीप पत्तन की क्षमता

7567. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन में इस समय कितने जहाज खड़े करने का स्थान है;

(ख) क्या बम्बई और मंगलोर की भांति इस पत्तन में मालवाही जहाज खड़े हो सकेंगे; और

(ग) भारत सरकार द्वारा पारादीप पत्तन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पत्तन लौह अयस्क घाट पर 60,000 डी० डब्ल्यू०टी० और मूरिंग बोय घाट पर 12,000 डी० डब्ल्यू टी० के जहाजों को संभाल सकता है ।

(ख) जी हां, माल घाट के पूरे हो जाने के पश्चात ।

(ग) पत्तन में 1-6-65 से 31-10-67 तक भारत सरकार द्वारा लगाया गया धन 8,11,60,348 रुपये है। तत्पश्चात 1973-74 तक 20,45,00,000 रु० तक के ऋण दिये गये हैं जिसमें 72-73 में एक करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम शामिल है।

न्यायालयों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों की शिकायतों संबंधी अनिर्णीत पड़े मामले

7568. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात शिकायत दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों की शिकायतों के कोई मामले न्यायालयों में अनिर्णित हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों ने अपनी तथाकथित शिकायतें दूर करने के लिए जो कुछ मामले पेश किए थे वे विभिन्न न्यायालयों में अभी तक अनिर्णित पड़े हैं।

ठेकेदारों की बजाए राज्य आवास निगम द्वारा सरकारी भवनों का निर्माण

7569. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी भवनों का निर्माणकार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को देने के बजाय राज्य आवास निगम को सौंपने की बात सोच रही है ; और

(ख) क्या देश के किसी राज्य में ऐसा करके देखा गया है; यदि हां, तो उससे कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार के राज्य आवास निगम से तात्पर्य है । किन्तु निस्संदेह राज्य आवास बोर्ड हैं जो अपनी योजनाओं का निष्पादन करते हैं । परियोजनाओं भवनों आदि के निर्माण कार्य के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी स्थापित किये गये हैं । सामान्यतया, निर्माण कार्यों के लिए जब विज्ञापन किया जाता है तो ये अन्य पार्टियों की तरह टेन्डर भरते हैं अथवा बातचीत के आधार पर कार्य प्राप्त करते हैं । सरकारी भवनों का निर्माण निजी ठेकेदारों की बजाए ऐसे निगमों द्वारा करवाये जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं है ।

(ख) इस मामले में लाभ अथवा हानि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रमंडलीय देशों के शिक्षा विशेषज्ञों की बैठक

7570. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडलीय देशों के शिक्षा विशेषज्ञों की नई दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में एक समरूप शिक्षा नीति की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के सभी राज्यों में समान रूप से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) मेनचेस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित प्रौढ शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर क्षेत्रीय सेमिनार, नई दिल्ली में मार्च, 1974 में हुआ था। प्रौढ़ शिक्षा के प्रवर्धन के संदर्भ में सेमिनार ने यह सुझाव दिया कि अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा का सन्निकट समन्वय तथा एकीकरण वांछनीय है । एशियाई क्षेत्र के देशों के लिए किये गये अन्य सुझावों के साथ साथ इस सुझाव पर संबन्धित सरकारों द्वारा यथासमय में विचार किया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही गैर-सरकारी बसों की चालन-दर में वृद्धि

7571. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही गैर-सरकारी बसों की एसोसिएशन ने भारत सरकार से कहा है कि वह डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चालन दर 1 रुपये से बढ़ाकर 1 रुपया 65 पैसे कर दे ,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया है,

(ग) इस वृद्धि से राजधानी में बस यातायात के बारे में जनता पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) राजधानी में मिनी बसों सहित बसे चलाकर यातायात के भार को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां। दिल्ली बस परिचालक संघ ने इस संबन्ध में दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्ध को एक अभ्यावेदन दिया है ।

(ख) मामला दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड के पास अनिर्णित पड़ा है ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलाई जा रही प्राइवेट बसों के मालिकों को देय भाड़ा प्रभारों में केवल वृद्धि से सफर करने वाले यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) दिल्ली में यात्रियों को पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं । निगम ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सचिवालय से नगर के 9 विभिन्न स्थानों से दस मिनट की ग्रीन लाइन सेवा शुरू की है । निगम का उन 9 स्थानों को पोषक सेवाएं चलाने का विचार है जहां से ग्रीन लाइन सेवाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा निगम ने अपनी नियंत्रण में परिचालनार्थ 45 प्राइवेट मिनी बसे चलाई हैं । अन्त में, निगम का, अपने बेड़े में वृद्धि करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 590 बसें प्राप्त करने का प्रास्ताव है जिन में 90 दोमंजिली बसें भी शामिल हैं ।

उचित दर की दुकानों से सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के मूल्य में वृद्धि

7572. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले गेहूं का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह मूल्य वृद्धि आयातित गेहूं पर लागू होगी अथवा स्वदेशी गेहूं पर भी, और

(ग) यदि दोनों प्रकार के गेहूं के मूल्य में वृद्धि की जायेगी तो इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर कितना भार पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप, गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जोकि साधारण किस्मों के लिए 90 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़िया किस्मों के लिए 96 रुपये प्रति क्विंटल था, को बढ़ाकर 15 अप्रैल, 1974 से सभी किस्मों के लिए 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है । यह बढ़ा निर्गम मूल्य, आयातित और देशी दोनों ही किस्मों की गेहूं के लिए व्यवहार्य है । राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को कहा गया है कि वे अपनी स्थानीय वितरण लागत को मिलाकर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाले गेहूं का विक्रय मूल्य निर्धारित करें।

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रियायतें

7573. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय तथा पब्लिक विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा ये कहाँ-कहां स्थित हैं ; और

(ख) ऐसे विद्यालयों में दाखिले के समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों को सरकार द्वारा क्या रियायतें दी जा रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली में 10 केन्द्रीय विद्यालय और 3 पब्लिक स्कूल हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर हैं:—

केन्द्रीय विद्यालय	पब्लिक स्कूल
1. दिल्ली केन्ट	1. माडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
2. रामाकृष्णपुरम, सैक्टर-4 . . .	2. दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली।
3. रामाकृष्णपुरम, सैक्टर-8 . .	3. एयर फोर्स सेन्ट्रल स्कूल, सुब्रोतो पार्क के निकट, दिल्ली केन्ट।
4. एन्ड्रूज गंज	
5. गोल मार्केट	
6. टैगौर गार्डन	
7. आई० एन० ए० कालोनी	
8. आई० आई० टी० नई दिल्ली	
9. जनकपुरी	
10. विशेष केन्द्रीय विद्यालय सी– यू एरिया, जनकपुरी (सीमा क्षेत्र के बच्चों के लिये)	

(ख) केन्द्रीय विद्यालय मुख्यतः केन्द्र सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं, जिनमें रक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं। इन विद्यालयों के प्रवेश निगमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए निम्नलिखित अग्रता वर्गों के अनुसार प्राथमिकता की व्यवस्था है, अर्थात् स्थानान्तरणीय रक्षा कर्मचारी, स्थानान्तरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा अखिल भारतीय सेवाओं व स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के बच्चे बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त उन्हें शिक्षा शुल्क न देने की भी छूट प्राप्त है ।

जहां तक पब्लिक स्कूलों का संबन्ध है, अनुमोदित रिहायशी स्कूलों में छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों के लिए और 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित कबीलों के लिए सुरक्षित हैं।

राज्यों में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा

7574. श्री एम० एस० पुरती : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पांचवीं योजना में किन किन राज्यों में छात्रों को सातवीं और आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का विचार रखती है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल के कुछ शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, सभी राज्यों में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। आशा की जाती है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पं० बंगाल के सभी शहरी क्षेत्रों में भी इस आयु वर्ग के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कर दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सभी राज्यों में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा निःशुल्क है। इन तीनों राज्यों में भी 11-14 की आयु वर्ग की लड़कियों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों जैसे कुछ वर्गों के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है आशा है कि इन तीनों राज्यों में पांचवीं आयोजना के दौरान इसी आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उड़ीसा में पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा इस राज्य में आदिवासियों को ऋण सुविधायें

7576. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने राज्य में कृषि विकास करने हेतु केन्द्र को कौन-कौन सी सिफारिशें भेजी हैं, और

(ख) आदिवासियों तथा निर्धन कृषकों को कृषि कार्यों के लिए ऋण देने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) उड़ीसा सरकार ने राज्य में कृषि विकास करने हेतु ऐसी कोई सिफारिशें नहीं भेजी थीं। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 1973 में भारत सरकार को राज्य के कृषि तथा संबन्ध क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों का मसौदा भेजा था। इन प्रस्तावों में ये शामिल हैं:—(1) कृषि कार्यक्रम, जिनमें कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, क्राप हस्बेन्ड्री, भूमि-सुधार, लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण, कमान्ड क्षेत्र विकास, पशुपालन और डेरी, मछली पालन, वन विज्ञान तथा कृषि विपणन, भंडारन तथा गोदाम व्यवस्था शामिल हैं; (2) सम्बद्ध कार्यक्रम, जिनमें सहकारिता, सामुदायिक विकास, पंचायतें, कृषि ऋण तथा ग्राम विकास का विशेष कार्यक्रम, शामिल हैं और (3) अन्य सम्बद्ध कार्यक्रम, जिनमें सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण शामिल हैं।

भारत सरकार ने इन प्रस्तावों पर सावधानी से विचार किया था और पांचवीं योजना अवधि में राज्य में कृषि तथा सम्बन्ध कार्यक्रमों का विकास करने के लिए कुल 179 करोड़ रुपये का आबंटन अस्थायी रूप से स्वीकृत किया गया है।

(ख) आदिवासी तथा गरीब किसानों को अधिक मात्रा में कृषि ऋण देने के कार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:—

1. उदार बनाई गई अंश पुंजी आवश्यकताएं, बंधक प्रतिभूति के बिना ऋण देना, कम मार्जिन तथा अधिक अवधि में वापसी अदायगी करना आदि जैसी विशेष रियायतें, जो चौथी योजना अवधि में शुरू की गई थी, को पांचवीं योजना में भी जारी रखा जाएगा।

2. ऋण संस्थाओं ने यह बात स्वीकार कर ली है कि कृषि ऋण प्रतिभूति-अभिमुख होने की अपेक्षा उत्पादन-अभिमुख होना चाहिये।

3. जहां विपणन प्रबन्ध पर्याप्त रूप में सुलभ किए गये हैं वहां कृषकों को डेरी, कुक्कुट पालन जैसे सहायक धन्धों के लिए 2,000 रुपये तक और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 3,500 रुपये तक के मध्यकालीन सहकारी ऋण बिना भूमि की जमानत के दिए जाएंगे।

4. इस बात के लिए भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटीयां कुछ परिस्थितियों में भूमि को बंधक रखने अथवा भूमि पर भार डालने के लिए आग्रह किये बिना ट्रैक्टर तथा पावर टिलर्स खरीदने के लिए 3,500 रुपये से अधिक के मध्यकालीन ऋण दें।

5. उन किसानों के समूहों को अधिकाधिक मात्रा में कृषि के लिये ऋण उपलब्ध होंगे जो अलग-अलग आधार पर ऐसे ऋण नहीं ले सकते हैं।

6. कृषि पुर्नवित निगम द्वारा लघु कृषक सिंचाई अधिकारियों/सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक अभिकरणों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिए शत प्रतिशत पुर्नवित की सुविधा दी जाएगी।

7. ऋणों की जमानत के प्रयोजन के लिये भूमि के विकास के पश्चात् के मूल्य के सिद्धान्त को अपनाने से जिस अधिक लाभ के होने की उम्मीद है उसके संदर्भ में ही ऋण की पात्रता निश्चित की जाएगी।

8. स्थापित किया गया ऋण प्रत्याभूति निगम वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋणों को, कुछेक निर्दिष्ट सीमाओं तक के ऋणों के बारे में हुई हानियों के 75 प्रतिशत भाग तक के लिए गारन्टी देगा।

9. केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे राज्य सहकारी बैंक से उनके द्वारा लिए गये उधारों की बकाया धनराशि का कम से कम 20 प्रतिशत भाग लघु कृषकों/सीमान्त कृषकों/आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों के लिए सोसायटियों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि के रूप में दिखाये।

10. वाणिज्यिक बैंक भी कमजोर वर्गों, जिनमें लघु कृषक भी शामिल हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए ब्याज की भिन्न-भिन्न दर की योजना को अपना रहे हैं।

11. प्रतिभूति के बिना फसल ऋण देने के सिद्धान्त को सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्यिक बैंकों दोनों ने ही स्वीकार कर लिया है।

12. कृषि श्रमिकों को सहायक धन्धों के लिए दिये जाने वाले ऋणों हेतु पुनर्वित देने के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने और भारतीय रिजर्व बैंक को मत्स्यपालन आदि के विकास की योजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाने हेतु उपयुक्त विधायी संशोधन किये गये हैं।

13. संबन्धित राज्य सरकारें आदिवासी विकास अभिकरण परियोजना इलाकों में सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने तथा उनका पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि आदिवासियों को आसान शर्तों पर ऋण मिल सकें।

14. आदिवासी विकास अभिकरण परियोजना इलाकों में विभिन्न आर्थिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, अभिकरण निधियों में से 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की दर से उपदान प्रदान किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की ऋण की आवश्यकताओं को कम करता है।

गुनुपुर-रायगढ़ सड़क (उड़ीसा) पर बंसधा नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए ऋण सहायता

7577. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उड़ीसा सरकार से सिफारिश तथा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह पांचवीं पंचवर्षीय योजना में "अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व" के अधीन गुनुपुर-रायगढ़ सड़क पर बंसधा नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए ऋण सहायता दे,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) उन पुलों तथा सड़कों के नाम क्या है, पांचवीं योजना में जिनके निर्माण के लिए ऋण सहायता देने हेतु उड़ीसा सरकार ने सिफारिश की है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) संभवतया माननीय सदस्य का आशय पालीखेमुन्डी-गुनुपुर सड़क पर गुनुपुर के पास बंसधरा पुल से है। यह पांचवीं योजना में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के राज मार्गों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायतार्थ उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत 31 परियोजनाओं में से एक हैं।

(ख) चूंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी प्रारम्भिक चरण में हैं, अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं योजना के कार्यों के लिए उपलब्ध की जाने वाली बहुत सीमित धनराशि में से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क/पुल परियोजना कहां तक शामिल की जायेगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6777/74]

त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में सहकारी समितियां

7578. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में कोई भी सक्षम सहकारी समिति स्थापित नहीं की गई है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में काफी बड़ी धनराशि के दुरुपयोग के कारण सहकारी समितियों के माध्यम से और ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं ; और

(ग) क्या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष सहकारी सोसायटियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अभी राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। इस धनराशि के अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन के विस्तार के लिए समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा, जिसके लिये अलग आवंटन किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में चौथी योजना में आवास संबंधी लक्ष्य

7580. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सहायता से चौथी योजना में आवास संबन्धी लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त हुआ है ;' और

(ख) यदि हां, तो कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) चौथी योजना में दो योजनाओं के अलावा, सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य क्षेत्र में थीं। पश्चिम बंगाल सरकार को दो केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिये निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई थी :—

केन्द्रीय क्षेत्र योजना का नाम	दी गई केन्द्रीय सहायता
(i) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना	8.30 लाख रुपये
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना।	11,166 आवास स्थलों का विकास करने के लिये 4.85 लाख रुपये अग्रिम के रूप में।

इन दो योजनाओं के अन्तर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये थे।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन का लक्ष्य

7581. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन का लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल में 1973-74 के वर्ष अर्थात् चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के कृषि उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

फसल	इकाई	लक्ष्य
1. खाद्यान्न	लाख मीटरी टन	90.00
2. गन्ना	,,	17.00
3. तिलहन	,,	1.25
4. पटसन और मेस्ता	लाख गांठें	43.00

1973-74 के उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1974 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे और अभी यह कह सकना संभव नहीं है कि यह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिये गये हैं या नहीं।

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कृषि अनुसंधान योजनायें

7582. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कृषि अनुसंधान के लिए सरकार ने अब तक कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की हैं ;

(ख) योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) इन योजनाओं के बारे में योजना-वार भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद् का योगदान क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

Meeting of Vice-Chancellors of Universities

7583. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether his Ministry had convened a meeting of all the Vice-Chancellors of the country in 1973 or 1974 to identify and resolve various problems of the Universities ;

(b) if so, the main points thrashed out in the said meeting and the views expressed by the Vice-Chancellors to remove unrest and lawlessness in the Universities as also the reaction of Government thereto; and

(c) whether such a meeting is proposed to be held in the near future also ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) No meeting of Vice-Chancellors was convened either in 1973 or in 1974 so far. It is proposed to hold a conference of the Vice-Chancellors in July, 1974.

Number of Schools and Colleges

7584. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of Primary and Higher Secondary schools and colleges after every one lakh persons in each of the States;

(b) the number of persons after every University in each of the States; and

(c) the figures in this regard at the beginning of the First Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) to (c) The available information is given in the enclosed statements. [Placed in Library. See No. L.T. 6778/74]

Percentage Increase in Literacy in States

7585. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the percentage of increase in literacy in each of the States during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): Literacy figures are collected only at the time of each decennial census. The comparative figures showing the State-wise percentage increase in literacy in 1961 and 1971, are attached. [placed in Library. See No. L.T. 6779/74].

Allotment of Government Accommodation to Class I, II, III and IV Employees of Central Government

7586. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of the Class I. II, III and IV Central Government employees working in Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur who have not been allotted Government accommodation;

(b) the number of the Central Government employees of each of these categories who have not been allotted accommodation even after 15 years of service; and

(c) the action being taken by Government at present in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) to (c) The Ministry of Works and Housing deals only with the general pool accommodation and not with the accommodation controlled by other Ministries/Departments such as Defence, Railways, P. & T., etc. The general pool accommodation exist in Delhi, Bombay, Calcutta and Madras, but not in Kanpur. Allotment of accommodation from the general pool is made not on the basis of Class of posts held by Government servants, but on the basis of pay ranges prescribed for different types of accommodation. A statement showing the number of Central Government employees who have not been allotted general pool residences at these stations and the number of those who are waiting for allotment for more than 15 years is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 6780/74].

For want of funds and other resources, it is not possible to build an appreciable number of quarters in these cities in the near future.

Demand for Nationalisation of Edible Oil Factory

7587. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Nav Nirman Samiti of Gujarat has written a letter to the Prime Minister demanding nationalisation of edible oil factories;

(b) if so, the contents of this letter; and

(c) the reaction of the Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya): (a) No such letter has been received by the Prime Minister's Secretariat.

(b) & (c) Do not arise.

Increase in Amount of Scholarships to Students

7588. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of Education, Social **Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether in view of present price rise, the amount of scholarships paid to student is quite inadequate;

(b) if so, whether one of the main demands of the students agitating in various states is for increasing the above amount; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (c) The question of revision of the rates of scholarships is receiving consideration.

चुकन्दर के बीजों में आत्मनिर्भरता

7589. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुकन्दर के बीजों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ने कोई कार्यवाही शुरू की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के अन्तर्गत चुकन्दर के बीजों का सुरक्षित भंडार बनाया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने 50 एकड़ भूमि पर चुकन्दर के बीजों की खेती की है और वर्तमान मूल्यांकित 13 मीटरी टन की मांग की तुलना में औसतन उत्पादन 15-20 मीटरी टन प्राप्त हुआ है । तीन वर्षों के चुकन्दर के बीज का वर्षवार उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1972-73	19.5 मीटरी टन
1973-74	13.5 मीटरी टन
1974-75	16.5 मीटरी टन अनुमानित

(ख) निगम ने चुकन्दर के बीजों का 15 मीटरी टन का सुरक्षित भंडार पहले से बना लिया है ।

अहमदाबाद में परीक्षाओं के विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन

7590. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान परीक्षाओं के विरुद्ध अहमदाबाद में हुए हिंसात्मक आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार विद्यार्थी आन्दोलन के परिणामस्वरूप मेडिकल की अन्तिम परीक्षा, स्नातकोत्तर और माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र की परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं वैकल्पिक कर दी गई हैं । राज्य सरकार ने आगे यह भी सूचित किया है कि अनिवार्य परीक्षाओं के विरुद्ध अब वहां कोई आन्दोलन नहीं है ।

दिल्ली में कालेजों को भूमि का आवंटन

7591. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किन-किन कालेजों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) उक्त भूमि पर किस दर से प्रीमियम लिया गया ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का अब इन संस्थाओं से बढ़ी दर पर अधिक धनराशि लेने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं को भूमि आवंटित करते समय दिये गये वचन से मुकर जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) एक विवरण नीचे रखा है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6781/74] ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए आवंटन के सम्बन्ध में इन मामलों में निष्पादित पट्टा करारनामों के खण्ड V के अनुसरण में भूमि अर्जन की वास्तविक लागत तथा न्यायालयों के निर्णयानुसार बढ़ोतरी को लेने का एक प्रस्ताव है । सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

ट्रैक्टरों की मांग और सप्लाई

7592. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार ट्रैक्टरों की अनुमानतः कितनी मांग है ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि-उद्योग निगमों तथा ट्रैक्टरों के देशी विक्रेताओं के पास ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत रजिस्टर की गई मांग के आधार पर और भूतपूर्व सैनिक एवं रक्षा कार्मिकों के पुनर्वास के महानिदेशक तथा कृषि सेवा केन्द्रों, बहु-फसली खेती की परियोजनाओं आदि की अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया है कि लगभग 60,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता है । मांग का राज्यवार ब्यौरा सुगमता से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद ने (जिसने हाल ही में आगामी कुछ वर्षों के लिये विभिन्न अश्व-शक्ति के कृषि ट्रैक्टरों की मांग का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया है (पंचम-पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया है :—

1974-75 .	45,000
1975-76	52,000
1976-77	60,000
1977-78	68,000
1978-79 .	78,000
	303,000

(ग) इस समय 17 एककों को प्रतिवर्ष 1,47,000 ट्रैक्टर बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। दिये गये लाइसेन्सों की क्षमता का अश्व-शक्तिवार ब्यौरा नीचे गया दिया है :—

25 अश्व-शक्ति तक . .	46,000
26-35 अश्व-शक्ति तक . .	39,500
36-50 अश्व-शक्ति तक . .	51,000
50 अश्व-शक्ति से अधिक .	10,500
	1,47,000

उत्पादन बढ़ाने के लिये वर्तमान ट्रैक्टर विनिर्माताओं को निम्नलिखित सुविधाएं भी दी जा रही :—

(1) ट्रैक्टरों को 'प्राथमिक उद्योगों' की सूची में सम्मिलित किया गया है । अतः सरकार ट्रैक्टर विनिर्माताओं के क्रमबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार पुर्जों तथा कच्ची सामग्री के आयात के लिये उनकी माँग पूरी करती रही है । विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के अनुसार उन्हें कुछ ऐसे पैकों के आयात की अनुमति भी दी गई है जिनके साथ बहुत कम पुर्जों की आवश्यकता पड़े ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें ।

(2) सब ट्रैक्टर विनिर्माताओं को अपनी लाइसेन्स क्षमता प्राप्त करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत माल के लिये आयात लाइसेन्स देकर उनकी सहायता की जा रही है ।

(3) वर्तमान ट्रैक्टर विनिर्माताओं को अपनी अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

आवश्यकतानुसार तुलनात्मक रूप से कम डिलीशनों के साथ विनिर्माण करने वाली ऐसी एककें प्रारम्भ करके, जो इन एककों के क्रमबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुकूल होंगे, ट्रैक्टरों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक दल का सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल का दौरा

7593. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनेक दलों ने पश्चिम बंगाल विशेषकर सुन्दरवन क्षेत्र के दौरे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दल कहां-कहां गया और कब-कब और उसका प्रयोजन क्या था;

(ग) प्रत्येक दल ने क्या सिफारिशें कीं; और

(घ) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गत वर्ष भारत सरकार के सुझाव पर निम्नलिखित अधिकारियों के एक दल ने सुन्दरवन के क्षेत्रों का निरीक्षण किया :

(1) श्री एस० बी० पी० राव, निदेशक, कपास विकास निदेशालय, बम्बई।

(2) डा० जी० वी० रामणमूर्ति, निदेशक, तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।

(3) डा० वी० सुन्दरम, निदेशक, कपास प्रौद्योगिकी-अनुसंधान प्रयोगशाला, माटुंगा, बम्बई-19 ।

बम्बई की वनस्पति निर्माता परिषद् के जन सम्पर्क अधिकारी श्री एल० आर० थाम्बे भी इस दल के साथ गए । उनकी रुचि इस क्षेत्र में मुख्यतः सूरजमुखी कार्यक्रम के बारे में थी ।

(ख) इस दल ने 9 से 13 अप्रैल, 1973 तक सुन्दरवन क्षेत्र और मिदनापुर जिले का निरीक्षण किया । इस दौरे का उद्देश्य इस क्षेत्र में कपास और तिलहनी फसलों से संबंधित विकास गतिविधियों के विस्तार के लिए सुझाव देना था ।

(ग) मोटे तौर पर निम्नलिखित सिफारिशें की गई :—

सबसे पहले जल निकास की समस्या हल होनी चाहिए। इसके लिए खुली आड़ी नालियां उपयुक्त फासले पर बनायी जानी चाहिएं। इस कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पावर टिलर या छोटे ट्रैक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये ट्रैक्टर अधिक संख्या में उपलब्ध होने चाहिएं। ये कृषि-विभाग से या कृषि औद्योगिक निगमों से भाड़े पर आसानी से उपलब्ध होने चाहिएं ताकि समय पर भूमि की तैयारी में मदद मिल सके।

किसानों को धान की पुरानी और अधिक समय में तैयार होने वाली किस्मों की जगह अधिक उपज वाली तथा जल्दी पकने वाली धान की किस्में यथा—रत्ना, जया और आई० आर०-8 उगाने की सलाह देनी चाहिए। नयी किस्में उगाने से कपास की जल्दी बुआई में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र के लिए जांची गयी धान की किस्मों में "रत्ना" किस्म सबसे अच्छी पायी गयी है।

मौजूदा समय में किसान कपास की केवल "कृष्णा" किस्म को उगा सकते हैं। एम० सी० यू०-5 और पी० आर० एस०-72 दोनों किस्मों को उगाना बन्द किया जा सकता है, क्योंकि एम० सी० यू०-5 किस्म देर में तैयार होती है और पी० आर० एस०-72 किस्म छेदक कीट और अन्य कीट-व्याधियों के आक्रमण से अधिक प्रभावित होती हैं। आरम्भ में सरकारी फार्मों पर कम अवधि में तैयार होने वाली नयी किस्मों जैसे—एम० सी० यू०-7 और जे० के०-78 पर परीक्षण किये जा सकते हैं। इन परीक्षणों में अगेती आर्वोरियम किस्में भी शामिल की जा सकती हैं।

कपास की बुआई का उपयुक्त समय अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह से नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक है। कपास की बुआई इसी समय के दौरान निश्चित रूप से कर देनी चाहिए।

एक साथ दो कतारों में बुआई करने की तकनीक को काम में लाने से लाभ होगा।

पौध-संरक्षण कार्यक्रम की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कीट-व्याधियों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। कपास के डोंडों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिये फसल की बढ़वार की आरम्भिक अवस्था में जल्दी-जल्दी कीट-नाशक दवाओं का छिड़काव अधिक कारगर पाया गया।

कपास के पौधों पर प्लानोफिक्स जैसे हारमोन का छिड़काव किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक पौधे से अन्य तरीकों की तुलना में अधिक संख्या में डोडे प्राप्त किये जा सकें।

कपास सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने वाले विस्तार कार्य-कर्ताओं को कपास सुधार केन्द्र सूरत और कोयम्बटूर में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा सकता है और कपास सुधार निदेशालय बम्बई द्वारा भी सेवाकाल के दौरान कम-अवधि के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है।

आगामी मौसम में बुआई के लिये कपास ("कृष्णा" किस्म) के शुद्ध बीज कपास विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान केन्द्र, पो० आ० नन्दयाल, जिला करनूल, आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कपास की खड़ी फसल से अशुद्ध बीजों को अलग किया जा सकता है। इसके अलावा, कृषि विभाग अपने फार्म पर आधार-बीज के संवर्धन की एक योजना तैयार कर सकता है, ताकि वे शुद्ध बीज के लिये साल-दर-साल अन्य संस्थानों पर निर्भर न रहें।

डा० डी० ग्रार० भण्डारी, कपास विशेषज्ञ, पो० ग्रा० श्रीगंगानगर, राजस्थान द्वारा कपास की कुछ ऐसी किस्में विकसित की गयी हैं, जो विशेषरूप से लवणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं । ग्रारम्भ में सरकारी फार्मों पर परीक्षण के लिये इन किस्मों को डा० भण्डारी से प्राप्त किया जा सकता है ।

सामान्य बुग्राई के लिये कपास के बीजों को किसानों में बांटने से पहले ग्रम्ल द्वारा रुई रहित ग्रौर धुंग्रा से उपचारित कर लेना चाहिए।

प्रत्येक फार्म पर कपास से बिनौला निकालने के लिये एक लघु हस्त चालित प्रयोगशाला की स्थापना भी जा सकती है ताकि कपास की ग्रोटाई विभागीय देख-रेख में की जा सके। इस तरह ग्रागामी वर्षों में बुग्राई के लिये शुद्ध बीज प्राप्त किया जा सकता है ।

ग्रगले वर्ष फसल पर कीट-व्याधियों का प्रकोप न हो इसके लिए साफ सुथरी खेती तथा खेतों की सफाई पर ध्यान देना होगा। फसल में दुबारा कीट-व्याधि न लगे इसके लिए कपास को चुनाई के तुरन्त बाद ही डंठलों को उखाड़ कर जला देना चाहिए।

नाइट्रोजन, फास्फोरस ग्रौर पोटाश उर्वरक कितनी दूरी पर ग्रौर कैसे दिये जायें इसका परीक्षण सरकारी फार्मों पर किया जाना चाहिए ताकि इस नये क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि विधियों की जानकारी मिल सके । फसल खराब होने के बावजूद भी किसान को नुकसान न हो,इसके लिए ग्रामतौर पर कृषि की मिश्रित फसल पद्धति ग्रपनायी जाती है । "तोरिया" (80 से 90 दिनों में पकने वाली) ग्रौर जल्दी तैयार होने वाले सोयाबीन को कपास के साथ सहयोगी फसल के रूप में उगाने के परीक्षण किये जा सकते हैं । लेकिन शुरू-शुरू में ये परीक्षण केवल सरकारी फार्मों तक ही सीमित होने चाहिएं। एफिड (माहू मक्खी) के प्रकोप से बचने के लिए "तोरिया" की बुग्राई ग्रक्तूबर के ग्रंतिम सप्ताह तक ग्रवश्य कर देनी चाहिए।

कुसुम से बहुत बढ़िया किस्म का खाने योग्य तेल प्राप्त होता है । ग्रतः सुन्दरवन में उगाने योग्य यह दूसरी तिलहन फसल है । कुसुम मजबूत जड़ प्रणाली वाली व सूखारोधी है, ग्रतः सूरजमुखी की तरह यह भी 8.5 तक के पी० एच० मान पर ग्रच्छी तरह उगायी जा सकती है। फिर भी सूरजमुखी की तुलना में कुसुम में कुछ कमियां भी हैं--क्योंकि जहां सूरजमुखी 100 दिन में तैयार होती है वहीं कुसुम की फसल को तैयार होने में 130 दिन लग जाते हैं । साथ ही इसमें तेल की मात्रा भी कम यानी केवल 32 प्रतिशत होती है । फिर भी प्रतिकूल दशाग्रों में भी सक्षम होने के कारण यह सुन्दरवन के उन क्षेत्रों की फसल-प्रणाली के लिए उपयुक्त हो सकती है जहां धान की कम समय में तैयार होने वाली किस्में उगायी जाती हैं । इन क्षेत्रों में कुसुम उगाने के लिए कुछ परीक्षण करने का सुझाव भी दिया गया है ।

(घ) पांचवीं योजना में विचाराधीन कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत क्रमशः कपास ग्रौर तिलहनी फसलों के लिए सुन्दरवन क्षेत्र में एक मुख्य केन्द्र ग्रौर मिदनापुर में एक उपकेन्द्र शामिल किया गया है।

पश्चिम बंगाल में खाद्य तेल का उत्पादन

7594. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल का उत्पादन न होने के कारण राज्य को इस बारे में ग्रन्य राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कितनी मात्रा में खाद्य तेल का उत्पादन हुआ ;

(ग) उक्त अवधि में पश्चिम बंगाल को कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत के खाद्य तेल की सप्लाई की गई ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ङ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) पूंछी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल को केवल निम्नलिखित मात्रा में आयातित तोरिया के बीज सप्लाई किए हैं :--

वर्ष	सप्लाई की गई मात्रा (मीटरी टन)
1971	29,329
1972	44,708
1973	35,416

अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल को सप्लाई होने वाले अधिकांश तिलहन तथा तेल प्राइवेट व्यापार के माध्यम से वहां पहुँचते हैं। निम्नलिखित सारणी से पता चलता है कि 1971-72 को समाप्त होने वाले तीन अन्तिम वर्षों में (जिनके विषय में आंकड़े उपलब्ध हैं) पश्चिम बंगाल को रेल द्वारा कितने खाद्य तिलहन तथा तेल पहुंचे हैं :—

(मीटरी टनों में)

मद	पश्चिम बंगाल में कुल आयात* किये गये तेल		
	1969-70	1970-71	1971-72
खाद्य तिलहन			
मुंगफली . . .	14,728	11,840	12,420
तोरिया बीज तथा सरसों .	219,508	182,624	150,997
तिल . . .	1,985	1,501	1,402
खाद्य तेल			
मूंगफली तेल . .	28,875	42,367	48,772
नारियल का तेल . . .	1,389	5,672	6,804

*अन्य राज्यों को भेजे गए तेलों को छोड़कर अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल को भेजे गए तेल।

(घ) तथा (ङ) इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पत्तन के लिये स्वीकृत की गई राशि

7595. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मत्स्य पत्तनों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान धनराशि स्वीकृत की गई थी ; और

(ख) इन पत्तनों के कार्य में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चौथी योजना के दौरान मंजूर किये गये मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के राज्यवार नाम नीचे दे दिये गये हैं :--

राज्य का नाम	मछली पकड़ने की बन्दरगाह का नाम
उड़ीसा	चाँदीपुर
पश्चिम बंगाल	राम चौक
तमिलनाडु	मद्रास
केरल	कोचीन
	मोपलाबे
गुजरात	बेरावल
कर्नाटक	होन्नावर
महाराष्ट्र	सेसून डाक
अंदमान और निकोबारद्वीप समूह	फोनिक्स बे
लक्षद्वीप	कावारत्ती

इसके अतिरिक्त 54 केन्द्रों पर छोटे स्तर पर जहाजों के ठहराने और माल चढ़ाने की व्यवस्था करने के लिये राशि मंजूर की गई है । इसके अलावा मछली पकड़ने की 4 काफी बड़ी बदरगाहों अर्थात; तमिलनाडु में टूटीकोरिन, केरल में बलियापट्टम और विभिन्न जोम और कर्नाटक में करवाड़ पर चौथी योजना से पहले प्रारम्भ किया हुआ निर्माण-कार्य जारी है ।

(ख) करवाड़ और कावरपट्टी में मछली पकड़ने की बन्दरगाह का निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो गया है । विभिन्नजोम, बलियापट्टम, फोनिक्स, बेरावल और टूटीकोरिन में काफी निर्माण-कार्य हो चुका है, जबकि कोचीन, मद्रास और होन्नावर में यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है। परंतु सेसूनडाक और रामचौक में निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । सेसूनडाक में मछली पकड़ने की बन्दगाह के लिये 4.74 करोड़ रु० की राशि मंजूर की गई थी। अब इसके अनुमान मूल अनुमानों से लगभग 10 करोड़ अधिक हो गये हैं। अतः सुविधाओं में कमी करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । आशा है कि राम चौक में निर्माण-कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा । टुटीकोरिन, विभिनजोम, करवाड़, बेरावल और मोपला बे पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिन्हें दूर किया जा रहा है । आम तौर पर निकर्षण पोतों की क्षमता की कमी की वजह से देरी हुई है।

पश्चिम बंगाल द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाएं

7596. **श्री शक्ति कुमार सरकार**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, और विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिए (जिला वार) स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक योजना का लक्ष्य क्या है तथा प्रत्येक योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिम बंगाल तथा विभिन्न राज्यों के लघु सिंचाई कार्यक्रमों में आमतौर पर सतही जल का भंडारण, मोड़-संबंधी परियोजनायें, नदी से पानी पम्प करने की योजनायें, राजकीय नलकूप और नलकूप, कुयें, पम्पसेट आदि गैर-सरकारी निर्माण-कार्य शामिल हैं ।

(ख) प्रायः राज्य में लघु सिंचाई की हजारों योजनाएं होती हैं और ऐसा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जिससे पता चल सके कि प्रत्येक योजना का लक्ष्य क्या है और प्रत्येक योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ।

Madhya Pradesh Scheme Re: Accommodation Problem of the Landless Agricultural Labour

7597. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have received a scheme from the Madhya Pradesh Government in regard to the accommodation problem of the landless agricultural labour;

(b) if so, the features of the scheme and the funds sought by the State therefor; and

(c) the action Government have taken thereon?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) to (c). A Central Sector schemes for provision of free house-sites to the landless workers in rural areas, was introduced in October, 1971 Under the Scheme, House-sites are allotted free of cost to landless workers in rural areas. The workers are expected to build houses/huts thereon out of their own resources or with such assistance as the State Governments or other voluntary agencies might give them. The Scheme has been transferred to the State Sector from the commencement of the Fifth Five Year Plan.

Under the Central Sector Scheme, some projects were received from the Government of Madhya Pradesh. 73 of these projects for providing 1,34,496 house-sites in the district of Tikamgarh (7,752), Bhopal (5,615), Indore (14,332), Chhatarpur (13,051), Raisen (16,920) Damoh (15,153), Guna (16,029), Ratlam (6,428), Sehore (10,979), Rajgarh (9,106) and Dhar (19,131) have been approved at an estimated cost of Rs. 199.63 lakhs. A sum of Rs. 49.91 lakhs has been released to the State Government as Central grant-in-aid during 1973-74 in advance for undertaking the execution of the approved projects.

Aid for IDA for Intensive Cattle Farming Milk Production in Madhya Pradesh

7598. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Shri Nathu Ram Ahirwar:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to implement Intensive Cattle-farming and Milk Development Project in the nine Western Districts of Madhya Pradesh with the aid of Rs. 46.78 crores received from International Agency through the World Bank: and

(b) the time by which the said project would be approved?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) (a) & (b): Yes, Sir. The Government have such a project under consideration. The project has been presented to the World Bank and appraised by them recently. It is not possible to state at this stage what the total outlay of the project would be or when it will be approved.

Demand for Enhancement in Amount of Scholarship to Research Scholars

7599. **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the research sholars are paid a scholarship of Rs. 300 per month and Rs. 1000 per year for contingent expenditure (in the form of aid) by the Central Government;

(b) whether in view of the present price-rise, the said amount is too meagre and the research scholars have made a demand to enhance this amount; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (c). The value of the Junior Research Fellowship of the University Grants Commission, is Rs. 300 p.m. In addition, a Fellow is paid an annual contingency grant of Rs. 1000. The general question of upward revision of the value of Fellowships awarded by the University Grants Commission is under active consideration of the Commission.

संस्थाओं को मान्यता देने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम

7600. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री संस्थाओं की मान्यता देने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4829 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विनियमों में उपयुक्त संशोधन करने के बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अधीन कालेजों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित नियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का निर्णय किया है ।

आयोग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की निर्यात-प्रधान फसलों संबंधी रिपोर्ट

7601. श्री के० लकप्पा :

श्री निहार लास्कर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने चाय, पटसन, रबड़ और काफी जैसी निर्यात-प्रधान फसलों के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत सरकार को 19 अप्रैल, 1974 को चाय, काफी, तम्बाकू, काली मिर्च और इलायची आदि 'निर्यातोन्मुखी चुनींदा कृषि जिन्सों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू विषयक' एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । अंतरिम रिपोर्ट में जूट और रबर के विषय में कुछ नहीं है ।

(ख) 'निर्यातोन्मुखी चुनींदा कृषि जिन्सों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू' विषयक राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (जिसमें उसकी सिफारिशें दी गई हैं) आज सदन के समक्ष रखी जा रही हैं । यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में कार्मिक सलाहकार (पर्सोनल एडवाइजर) का पद बनाया जाना

7602. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृप- करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में कार्मिक सलाह-कार (पर्सोनल एडवाइजर) का एक नया पद बनाया गया है और उस पर विजिटर की स्वीकृति लिए बिना तथा बिना कोई चयन समिति बनाए नियुक्ति कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी नियुक्ति अनियमित है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विधान और नियमों के विरुद्ध है ; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) बोर्ड ने अधिनियम तथा कानून के उपबन्धों के अनुसार, विजिटर की स्वीकृति की शर्त पर एक कार्मिक सलाह-कार की नियुक्ति की ; जिन परिस्थितियों में नियुक्ति की गई थी, वे प्रवरण समिति की कार्य पद्धति की सीमा में नहीं आती थी । बोर्ड ने जिस पदधारी को चुना था, उसे विजिटर की औपचारिक स्वीकृति की प्राप्ति की प्रत्याशा में नियुक्त किया है, तथापि, विजिटर की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर ही यह नियुक्ति मानी जाएगी ।

नई खाद्य नीति के लिये प्रस्ताव

7603. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मार्च में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन में (i) विभिन्न अनाजों के थोक व्यापार के राष्ट्रीय-करण, (ii) सरकारी वसूली, और (iii) सरकारी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में आम राय क्या थी; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप निर्बाध व्यापार, खुले बाजार और विदेशों से अनाज के आयात पर मुख्यतः निर्भर करने वाली नई राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाई जाने वाली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मुख्य मंत्रियों ने एक उपयुक्त खाद्य नीति अपनाने की आवश्यकता पर अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। सम्मेलन में ऐसा कोई सर्वसम्मत तरीका निकालने की कोशिश नहीं की गई थी। संशोधित नीति मुख्यतः चालू खाद्य स्थिति और उत्पादकों को बाजार भाव का लाभ देकर खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में तैयार की गई थी। यह नीति घोषित की जा चुकी है।

कलकत्ता के लिये नई बसें और ट्राम-कारें प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सहायता

7604. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन और कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी ने यातायात संबंधी अविलम्बनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार से क्रमशः 400 नई बसें और 300 नई ट्राम-कारें प्राप्त करने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या पैट्रोल पर लगे उत्पादन शुल्क से सरकार को होने वाली आय का कुछ भाग इस प्रयो-जन के लिए दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कलकत्ता राज्य परिवहन निगम ने कलकत्ता में बस सेवाओं के सुधार के लिए योजनाएं भेजी हैं जिसमें 13.01 करोड़ रुपये का परिव्यय है और जिसे 1974-75 और 1975-76 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। इस कार्यक्रम में गाड़ियों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अवस्थापन सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त 120 दोमंजिली बसों, 200 एक मंजली बसों, 80 जुड़ी दुमंजिली बसों, 200 मिनि बसों की प्राप्ति शामिल है। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी ने 1974-75 से 1976-77 तक के तीन वर्षों में 125 नई ट्रामकारों को अधिग्रहण करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) दोनों उपक्रमों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि कलकत्ता राज्य परिवहन निगम और कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी की योजनाओं के लिए कितनी व्यवस्था की जायेगी। पैट्रोल पर अतिरिक्त लेवी से आय सरकार के सामान्य राजस्व में विलीन हो जाएगी जिसमें से संसद द्वारा स्वीकृत वैध विनियोजनाओं के बाद ही धन निकाला जायेगा जो ऐसी सहायता के लिए होगा जो अन्ततः कलकत्ता राज्य परिवहन गिगम/कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी को अपनी योजनाओं के लिए धन देने के लिए सहमति हो।

समुद्र में दुर्घटनाओं के समय हवाई/समुद्री बचाव संबंधी संगठन

7605. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री ; यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र में दुर्घटनाएं होने पर हवाई/समुद्री बचाव के लिए कोई उचित संगठन है;

(ख) क्या बचाव कार्य करने के लिए कोई नियमित, पदस्थ अधिकारी है और क्या उन्हें कम से कम भारतीय समुद्र में सभी सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई उचित ढंग से लैस विमान या बचाव विमान है;

(घ) क्या नौसेना और वायु सेना से बचाव कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रयोजन के लिए उनके कोई निर्धारित कर्त्तव्य/सुविधाएं हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां । तट के आस पास समस्त हवाई/समुद्री खोज और बचाव कार्य मुख्य एयर अफसर कमांडिंग केन्द्रीय एयर कमान द्वारा किया जाता है और संबंधित एयर कमांडर क्षेत्र/सेक्टर के अन्दर कार्य पर नियंत्रण रखता है । इस प्रकार भारतीय वायुसेना ऐसे कार्यों के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अधिकरण है जिसकी अन्य सभी संबंधित यूनिट/बल द्वारा सहायता की जाती है ; अर्थात् :

(1) मेरी टाइम रिकनेसां एयरक्राफ्ट आफ दी आई ए एफ।

(2) आवश्यकतानुसार आई ए एफ के परिवहन वायुयान ।

(3) कोई भी अन्य वायुयान जैसा समीचीन हो।

(4) भारतीय नौ सेना के जहाज।

(5) नौसेना के वायुयान।

(6) जहां कहीं भी संभव हो।

महा निदेशक नागर विमानन के नियंत्रण के अधीन वायुयान

(7) व्यापारी जहाज जब कभी क्षेत्र में उपलब्ध हों ।

(ग) एक विशेष वायुयान जो सर्वेक्षण संबंधी कार्यों के लिए उपलब्ध है ।

(घ) जी, हां। भाग (क) तथा (ख) में ऊपर दी गई सूचना के अनुसार।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

"रघुश्री मार्किट", दिल्ली के नाम और ढंग का वाणिज्यिक समूह

7606. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेरी गेट, दिल्ली में 'रघुश्री मार्किट' के नाम और ढंग के एक वाणिज्यिक समूह का निर्माण किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त मार्किट की भवन योजना मंजूर की गई है; और यदि हां, तो कब और किसने मंजूर की और किस प्रयोजन के लिये मंजूर की गई ;

(ग) क्या यह मास्टर प्लान और उस क्षेत्र को ड्राफ्ट जोनल योजना के अनुरूप है और यदि नहीं, तो भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति किसने दी और ऐसा किसके अधिकार से किया गया; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जायगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और अग्रेतर निर्माण कार्य को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जायगी ?

संदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) एक दो-मंजिले वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए भवन-निर्माण के नक्शे, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम द्वारा 20-4-71 को स्वीकृत किये गये हैं ।

(ग) तथा (घ) : चूंकि इस सम्पत्ति को गन्दी बस्ती क्षेत्र में शामिल किया गया था, अतः दिल्ली नगर निगम को तदर्थ (गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार) समिति ने सम्पत्ति के स्वामियों को क्षेत्र की पुनर्विकास योजना के अनुरूप इसका पुनर्विकास किये जाने की अनुमति दे दी । दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 53 (i) के अधीन उसके उपबन्ध गन्दी बस्ती (उन्मूलन तथा सुधार) अधिनियम, 1956 के प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं डालते ।

दिल्ली में रिहायशी मकानों की भांति दुकानों के आवंटन के लिये योजना

7607. **श्री शशि भूषण:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों में नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को दुकानें आवंटित की जाती हैं और इस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण पूंजीवाद को प्रोत्साहन दे रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रिहायशी मकानों के आवंटन की भांति दुकानों का आवंटन करने के लिये कोई योजना बनाने का है जिससे आम आदमी भी इसकी आकांक्षा कर सके; और

(ग) क्या दुकानों के आवंटन के मामले में भी रिहायशी मकानों की भांति सैनिकों के लिये आरक्षण किया जायेगा और क्या दुकानों के आवंटन के मामले में अलाटियों को किसी सहकारी समिति अथवा निवासियों के कल्याण संघ को कोई प्राथमिकता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में दुकानें नीलाम की जाती हैं क्योंकि इन का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किया जाना होता है । अतः उन्हें पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों की तुलना में शरणार्थी बस्तियों में आवंटन की शर्तें

7608. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनकपुरी आदि जैसी बस्तियों की तुलना में लाजपत-नगर और तिलकनगर आदि जैसी शरणार्थी बस्तियों में आबंटन की शर्तें क्या हैं; -

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई आवंटन की शर्तें शरणार्थी बस्तियों में लगाई गई शर्तों की तुलना में अधिक कठोर है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों में अलाटी पंजीकृत एजेंसी बना सकते हैं और भूमि पंजीकृत एजेंसी के नाम में पंजीकृत होती है जब कि शरणार्थी बस्तियों में ऐसा कोई निकाय नहीं है और अलाटियों को कोई भी कठिनाई नहीं होती, यद्यपि सामान्य भागों के संबंधी मकानों का ढांचा समान है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) शरणार्थी बस्तियों में आबंटन की शर्तों को विस्थापित व्यक्तियों की (मुआवज़ा तथा पुनर्वास) नियमावली, 1955 द्वारा प्रशासित किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन की शर्तों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदा का प्रबंध तथा निपटान) विनियमावली, 1968 द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : पुनर्वास विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों के सामान्य भागों का प्रबंध संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यद्यपि शर्तें भिन्न-भिन्न हैं किन्तु उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों के मामले में कठोर नहीं समझा जाता है।

डी०डी०ए० की कालोनियों में सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य कल्याणकारी परियोजनायें

7609. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डी०डी०ए० फ्लैटों (80 वर्ग गज पर एक मंजिले) के अलाटियों से उन कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों और अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं की व्यवस्था करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या वहां के निवासियों के लिए कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं हैं और जो दुकानें वहां बनाई गई हैं उन्हें बहुत अधिक मूल्य पर नीलाम किया गया है; और

(ग) उक्त कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माणार्थ और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं जुटाने के लिए डी०डी०ए० के विचाराधीन क्या प्रस्ताव हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : संदर्भित क्षेत्र अथवा कालोनी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई सभी कालोनियों के विन्यास नक्शों में, बृहत योजना के निर्धारित मानकों के अनुसार, सामुदायिक केन्द्रों के लिए भूमि निर्धारित की गई है।

बृहत् योजना के विनियमों के अनुसार सामुदायिक केन्द्रों में पणन सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन और अन्य फसलों की बजाय उन्हें बोना

7610. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में मूंगफली, अरंडी, गन्ने, पटसन, कपास, तिलहन तोरिया और सरसों का राज्यवार उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में सभी जगह किसान अनाज के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें बोने में लगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल के संबंध में जिलावार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) 1972-73 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान साबत मूंगफली, अरंडी, गन्ना (गुड़), पटसन, कपास (लिंट), तिल, तोरिया और सरसों के उत्पादन का राज्य-वार विवरण (1 से 7 तक) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया/ देखिये संख्या एल०टी०** 6782/74**]** ;

(ख) तथा (ग) जहां तक पूरे देश का प्रश्न है, खाद्यान्नों की जगह वाणिज्यिक फसलों के बोये जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। 1969-70 के वर्ष से देश भर में खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र की स्थिति नीचे स्पष्ट की गई है । इससे मिश्रित प्रवृत्ति का ही पता चलता है :—

(क्षेत्र हजार हैक्टार में)

वर्ष	खाद्यान्न	वाणिज्यिक फसलें (इनमें पांच प्रमुख तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन, मेस्ता और तम्बाकू शामिल हैं)
1	2	3
1969-70 . .	123,570	26,819
1970-71 . .	124,316	27,165
1971-72 . . .	122,623	27,793
1972-73	117,429	26,255

इससे स्पष्ट है कि 1970-71 में गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों दोनों के क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी । 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी आई, जबकि वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई । 1972-73 में देश के बड़े भागों में गंभीर रूप से सूखा पड़ा और खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों दोनों के ही क्षेत्र में कमी हुई ।

1972-73 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का राज्यवार विवरण (संख्या 8) संलग्न है । पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों के लिए सभी फसलों के संबंध में इसी तरह की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

यह उल्लेखनीय है कि किसी खास वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र पर बुवाई के समय के मौसम का विशेषरूप से प्रभाव पड़ता है । यह कह सकना कठिन है कि खाद्यान्नों की जगह वाणिज्यिक फसलें बोने या वाणिज्यिक फसलों की जगह खाद्यान्न बोने की कोई निश्चित प्रवृत्ति है ।

गत तीन वर्षों में राज्यों को दिये गये खाद्य तेल

7611. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में राज्यों को कितना खाद्य तेल दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण (मी० टन)

राज्य का नाम	1971	1972	1973	जोड़
1	2	3	4	5
(1) सोयाबीन तेल (आयातित)				
(2) महाराष्ट्र तोरिया (आयातित)	1,269	—	—	1,269
असम	5,546	1,984	—	7,530
बिहार	1,200	—	—	1,200
मेघालय	1,130	—	—	1,130
नागालैंड	524	226	—	750
उड़ीसा	—	1,525	—	1,525
प० बंगाल	29,329	44,708	35,416	1,09453
जोड़	37,729	48,443	35,416	1,21,588

साहित्य अकादमी के बारे में खोसला समिति

7612. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी के कार्यों के बारे में खोसला जांच समिति की क्या मुख्य सिफारिशें हैं, और

(ख) सरकार ने किन किन सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले ही से उपलब्ध हैं। उक्त समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण अध्याय सात में दिया गया है।

(ख) अकादमियों से संबंधित सिफारिशें दो मुख्य वर्गों के अन्तर्गत आती हैं, अर्थात् (i) प्रशासनिक संरचना और (ii) कार्यक्रम से संबंधित । सरकार प्रशासनिक संरचना संबंधी सिफारिशों पर अकादमियों से प्राप्त विचारों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। कार्यक्रम से संबंधित सिफारिशों पर पांचवी पंच वर्षीय योजना में सांस्कृतिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार विचार किया जायेगा।

साहित्य अकादमी द्वारा किया गया व्यय

7613. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए नियत राशि के बारे में 25 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उसी अवधि में अलग-अलग सिब्बन्दी पर कितना व्यय किया गया है,

(ख) इन वर्षों में प्रति वर्ष साहित्यिक भाषाई, अनुवाद और शोध कार्यों पर कितना व्यय किया गया,

(ग) इन वर्षों में साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक भाषा पर कितमा व्यय किया गया, और

(घ) उक्त वर्षों में प्रति वर्ष (i) गोष्ठियों (ii) मात्रा और (iii) अकदमी के अधिकारियों के दौरों के दौरान दैनिक भत्तों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (घ) 1973–74 के खर्च के आंकड़ों को अभी तक संकलित नहीं किया गया है, तथापि विवरण I और II संलग्न हैं जिनमें वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 से संबंधित सूचना दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गये**/देखिये **संख्या एल० टी०** 6783/74]

शिमला और कुल्लू में आवास बस्तियां

7614. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू में आवास बस्तियां स्थापित करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बस्तियों के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और प्रत्येक स्थान पर निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय ने शिमला और कुल्लू में आवास कालोनियां स्थापित करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई योजना अनुमोदित नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्च, 1974 में दूध के टोकनों के लिये पंजीकृत आवेदन-पत्र और दुग्ध टोकन जारी किया जाना

7615. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने मार्च, 1974 में दुग्ध टोकन देने के लिये कोई आवेदन-पत्र स्वीकार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र कर्ताओं को दुग्ध टोकन दिये गये ; और

(ग) दुग्ध टोकन जारी करने की कसौटी क्या थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दूध संभालने की अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पहले ही पूरा-पूरा उपयोग करने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना काफी संख्या में दूध के नये टोकन जारी नहीं कर सकती। मार्च, 1974 के महीने के दौरान 514 अभ्यावेदनों पर दूध के टोकन जारी किए गए थे। दूध के नये टोकन बहुत ही खास मामलों में जारी किए जाते हैं जिसमें चिकित्सा के आधार पर, विधवाओं को, रक्षा सेवाओं में काम करने वालों के उनसे पृथक रहने वाले परिवारों आदि को जारी किए जाने वाले टोकन भी शामिल हैं। इन मामलों में भी जारी किए गए दूध की मात्रा कम से कम रखी जाती है।

मध्य प्रदेश को वनस्पति उत्पादों का आवंटन

7616. श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए वनस्पति उत्पादनों का आवंटन आवश्यकता से कम है ;

(ख) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई पत्र मिला है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) श्री फूल चन्द वर्मा द्वारा 15-4-1974 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6776 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान कृषि संबंधी खाद-बीज जैसी प्रमुख वस्तुओं के मूयों में वृद्धि

7617. श्री धामनकर :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि सम्बन्धी खाद-बीज जैसी प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों म 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन खाद-बीज आदि वस्तुओं को उचित मूल्य पर देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि कृषि उपज के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव देश में समूचे ढांचे पर पड़ता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी०** 6784/74]

आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग को राज्य सहायता से मकानों की व्यवस्था करने संबंधी योजना

7618. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगर विकास निगम (एच०यू०डी०सी०ओ०) ने आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों को राज्य सहायता से मकानों की व्यवस्था करने और कम आय वर्ग के लोगों को 'न लाभ न हानि' के आधार पर मकान बेचने के लिये कोई महत्वकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना केवल नगर क्षेत्र के लिये है अथवा नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये है;

(ग) क्या 'न लाभ और न हानि' के आधार पर मकान बेचने के प्रस्ताव के साथ-साथ निगम का राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर मकान बेचने का भी विचार है; और

(घ) यदि उक्त योजना के अन्तर्गत केवल नगरीय क्षेत्र ही आते हैं तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्ण उपेक्षा करने और ग्रामों से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के शहर आने को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) यह निगम, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग अथवा निम्न आय वर्ग के परिवारों को सीधे ही न तो सहायता प्राप्त मकान देता है और न ही "लाभ हानि रहित" आधार पर उन्हें बेचता है। यह आवास बोर्डों जैसे सार्वजनिक संगठनों को मकानों के निर्माण के लिए ऋण मात्र देता है जो बदले में आम जनता को मकान या तो सीधे ही बेचते हैं अथवा किराया-खरीद आधार पर बेच देते हैं।

केवल कलकत्ता में आवास तथा नगर विकास निगम, निम्न आय आय वर्ग तथा मध्यम वर्ग के परिवारों को बेचने के लिए 252 फ्लैटों का निर्माण कर रहा है।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम फिलहाल केवल शहरी क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए ऋण दे रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा भूमि हीन श्रमिकों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत आते हैं। इन योजनाओं का कार्यन्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली में शिक्षा की तीन चरणों वाली प्रणाली

7619. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन ने 1 मई, 1975 से तीन चरणों वाली शिक्षा प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस प्रणाली में शिक्षा के अन्तिम दो वर्षों में शिक्षा और व्यवसाय प्रशिक्षण होंगे;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली की सिफारिश अन्य राज्य सरकारों से करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कक्षा 10 तक, अध्ययन की एक सामान्य योजना होगी और कक्षा 10 के पश्चात् शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ और अधिक व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों की विविधता की व्यवस्था की जायेगी।

(घ) इस पद्धति की सिफारिश केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई थी, जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे।

सभी आकार के जहाजों से माल उतारने चढ़ाने के लिए पत्तनों पर उपकरण लगाने का प्रस्ताव

7620. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम, कोचीन और मद्रास बन्दरगाहों में जहाजों से माल उतारने वाले उपकरण उपयुक्त तथा पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या तीन महीने पहले जब (क) भाग में उल्लिखित उक्त बन्दरगाहों पर सोवियत संघ से खाद्यान्न भेजे गये थे तो ऐसा महसूस किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन बन्दरगाहों तथा देश की अन्य महत्वपूर्ण बन्दरगाहों को किसी भी आकार के जहाजों से माल उतारने और चढ़ाने के लिए उपकरणों से सुसज्जित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम् पत्तन, सामान्य यातायात के लिए नवीनतम प्रकार की क्रेनों और फार्क लिफ्टों से सुसज्जित है। गत कुछ महीनों के दौरान अनाज की भारी सप्लाई के कारण अतिरिक्त फार्क लिफ्टों की आवश्यकता महसूस हुई।

यद्यपि कोचीन पत्तन में धरा उठाई उपकरण पुराना है तथापि खाद्यान्नों, पदार्थों के उतारने में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

मद्रास पत्तन के पास खुले खाद्यपदार्थ पोतों की धरा उठाई के लिए काफी संख्या में तटीय बिजली की क्रेन और फार्क लिफ्ट ट्रक हैं। जनवरी, 1974 में, सोवियत पोत "सोनेका" को घाट पर लगाया गया और वेकुएटरों से खाद्य पदार्थ उतारे गए। तट पर खाद्यपदार्थों के धरा उठाई में कोई कठिनाई न हुई।

(ग) बड़े पत्तनों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

कलकत्ता : पत्तन में उपलब्ध मौजूदा उपकरण 20 लाख टन वार्षिक खाद्य पदार्थों की धरा उठाई के योग्य है। हल्दिया गोदी के चालू होने पर बड़े और गहरे डुबाव वाले जहाज आ जा सकेंगे।

बम्बई : गहनतर डुबाव वाले जहाजों की धरा उठाई करने के लिए पत्तन के पास काफी संख्या में माल वहन उपकरण हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्रेने और फार्क लिफ्टें शामिल हैं। नहावा शेवा पत्तन आवश्यक है।

मद्रास : मौजूदा मांग को पूरा करने हेतु पत्तन के पास काफो क्रेने हैं।

कोचीन : पत्तन के पास विभिन्न धरा उठाई उपकरण हैं, अर्थात् बिजली क्रेने, फार्क लिफ्टें ट्रक, ट्रेक्टर और ट्रेलर। पांचवी योजना अवधि के दौरान छः घाट क्रेनों और छः फार्क लिफ्ट ट्रकों के अधिग्रहण का अस्थायी प्रस्ताव है।

विशाखापत्तनम : पांचवी योजना अवधि के लिए उपलब्ध और कार्यक्रमानुसार उपकरण इस पत्तन पर आने वाले सामान्य आकार के जहाजों में माल चढ़ाने और उतारने के लिए काफी हैं।

कांडला : जहाजों में माल लादने और उतारने के लिए पत्तन के पास विभिन्न प्रकार के उपकरण अर्थात् बिजली तटीय क्रेनें, बिजली घाट क्रेनें, वैंकुएटर मशीनें, मोविल डीजल से चलने वाली क्रेनें हैं। पांचवी योजना अवधि के दौरान विद्युत् सतह, लुपिंग क्रेनों, मोविल क्रेनों, फार्क ट्रकों, टौइंग ट्रेक्टर की अधिप्राप्ति के लिए पत्तन की योजनाएं हैं।

मारमुगांव : पत्तन के पास जहाजों से माल की उतराई और लदान के लिए धरा उठाई उपकरण मौजूद हैं जिसमें बिजली घाट क्रेनें, भारी लिफ्ट स्टीम घाट, क्रेन मेसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी का यांत्रिक अयस्क लदान संयंत्र शामिल है। प्रारम्भ में, 60,000 डी डब्ल्यू टी के पोतों की धरा उठाई के लिए एक नया यांत्रिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5 बिजली घाट क्रेनों एक भारी लिफ्ट स्टीम घाट क्रेन को बदलने और दो बिजली घाट क्रेनों की अधिप्राप्ति का प्रस्ताव है।

पारादीप : लौहयस्क के निर्यात के लिए यह अनिवार्यतः एक मानोकोमोडिटी पत्तन है। सामा न्यत इस पत्तन में आयात नहीं किया जाता। एक सामान्य माल घाट निर्माणाधीन है और चार तटीय क्रेनों की व्यवस्था अपेक्षित है।

अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को सोरधम और ज्वार की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

7621. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को सोरधम और ज्वार की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए 6 वर्ष की अवधि में 37 लाख डालर की सहायता स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संस्थान सोरधम मोति ज्वार, कबूतरों और चूजों के खाने योग्य मटर के विकास के लिये विश्व केन्द्र के रूप में कार्य करेगा; और

(ग) क्या यह केन्द्र अर्धशुष्क और उष्ण क्षेत्रों में इनकी फसल-रूपरेखा और इन्हें बोने के तरीकों को बढ़ावा देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 6 वर्ष की अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को करीब 37 लाख डालर की सहायता देने की स्वीकृती प्रदान की है। यह सहायता ज्वार और मोटे अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मे तैयार करने उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने और उन्हें अर्द्धशुष्क उष्णकटिबन्धों के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के अनुकूल बनाने के लिए दी जा रही है।

(ख) यह संस्थान एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है ताकि वह ज्वार, बाजरा, चीक-पी और अरहर में सुधार के लिए विश्व केन्द्र के रूप में कार्य कर सके।

(ग) यह संस्थान विभिन्न अर्द्धशुष्क उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में फसलों की भरोसेमंद कटाई के लिए फसल पद्धति और कृषि पद्धति का भी विकास करेगा। इस कार्यक्रम का संस्थान के समस्त अनुसंधान कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा।

Notices to Employees of Bal Bharati Higher Secondary School Rajendra Nagar, New Delhi

7622. **Shri T. Sohan Lal:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and culture** be pleased to state:

(a) whether the managing committee of the Bal Bharati Higher Secondary School, Rajendra Nagar, New Delhi-60 has served three months' notices on all the employees of the school, the period of which will expire on 30th April, 1974;

(b) whether the above notices are against the provision of the Delhi Education Act, 1973 because the managing committee did not obtain prior approval of Education Director of Delhi for closing the School;

(c) if so, the action being taken by the Delhi Administration to provide job security to all the employees; and

(d) whether the Delhi Administration will absorb all the employees before the 1st May, 1974 so that there may not be any break in their services and they are not rendered jobless after 30th April, 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Delhi Administration has informed the management that it will not be possible to agree to the request of the management to take over the school as they have not obtained prior permission of the Department for it and they must continue to run the school.

(d) Does not arise.

Problem of Shortage of Houses

7623. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether problem of shortage of houses in the country is assuming serious proportions;

(b) whether certain steps have been taken by Government in this regard; if so, what are those;

(c) whether the Cooperative House Building Societies can play an important role in the direction of solving the housing problem; and

(d) if so, Government's views and reaction thereto?

22 LSS/74—8

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : **(a)** Shortage of housing in the country has been and continues to be acute.

(b) with a view to ameliorating the housing conditions of persons in the middle and lower income brackets including the Industrial workers and persons belonging to the economically weaker sections of the Community, the Ministry of Works and Housing have introduced several social housing schemes which are implemented by the State Governments and the Union Territory Administrations. In view of the constraints on resources and competing demands of various sectors, it is not possible to construct houses under these Schemes on a very large scale. In addition with effect from October 1971, the following two schemes were also introduced in the Central Sector to improve the living conditions of the slum dwellers and to provide house-sites to landless workers in rural areas;

(1) Scheme for the Environmental improvement of slum areas; and

(2) Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas;

These two Schemes have also been transferred to the State Sector with effect from the commencement of the Fifth Five Year Plan.

(c) Yes, Sir.

(d) Government encourage construction of houses by Cooperative House Building Societies and some of the Social Housing Schemes of the Ministry of Works and Housing viz. Low Income Group Housing Scheme, Middle Income Group Housing Scheme, Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of the Community Village Housing Projects Scheme and Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers to provide for grant of financial assistance to the cooperative for construction of houses.

इंडियन इंस्टीट्यूट ग्राफ टैक्नोलोजी में ग्रनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिये फीस माफी, मुफ्त छात्रावास स्थान ग्रौर पुस्तक ग्रनुदान सुविधायें

7624. **श्री ग्रर्जुन श्रीपत कस्तूरे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट्स ग्राफ टैक्नोलोजी परिषद् की एक समिति ने, जिस के ग्रध्यक्ष श्री के० टी० चण्डी हैं सिफारिश की है कि ग्रधिक संख्या में ग्रनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को ग्राकर्षित करने के लिए, उन की फीस ग्रौर छात्रावास स्थान का किराया माफ कर दिया जाये, उन्हें 300 रुपये का पुस्तक ग्रनुदान ग्रौर भोजन-व्यय के लिये 150 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति 1973-74 सत्र से दी जाये ;

(ख) क्या वे सुविधायें जहां ग्राई० ग्राई० टी० कानपुर में उपलब्ध है ग्रौर नए प्रवेश प्रपत्रों में भी इस का उल्लेख है कि सुविधायें सभी ग्रनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को मिलेंगी, यही सुविधाएं ग्राई० ग्राई० टी०, दिल्ली में नहीं दी जा रही है; ग्रौर

(ग) क्या सरकार के टी० के० चण्डी समिति की सिफारिशें लागू करेगी; ग्रौर यदि हां; तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा चण्डी समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन अभी किया जाना है। 1973 के दाखिले के फार्मों में इन सुविधाओं का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्ष 1974 के दाखिले फार्मों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दरों के बारे में पुनर्विलोकन

7625. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रोकोत्तर छात्रवृत्ति की दरें किसी समय वर्ष 1950-51 में निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को देखते हुये सरकार का विचार उक्त दरों का पुनरीक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति की दरों को मूल सूचांक से जोड़ने का है जैसा कि समय-समय पर वेतन तथा मंहगाई और अन्य भत्तों के पुनरीक्षण के मामले में किया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनायें चला रहा है जिसके अन्तर्गत भारत में मैट्रोकोत्तर अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं:--

(1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

(2) स्कूल अध्यापकों के बच्चों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

(3) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

संख्या 1 और 2 की योजनायें 1961-62 में शुरु की गई थी, जबकि संख्या 3 की योजना 1963-64 में शुरु की गई थी।

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की दरें वर्ष में निर्धारित की गई थी जिसमें ये शुरू की गई थी और उसके बाद उनमें कोई परिशोधन नहीं हुआ है। उच्च निर्वाह खर्च को ध्यान में रखते हुये छात्रवृत्तियों की दरों के परिशोधन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Death of a Person in Akola Due to Starvation

7626. **Shri Lalji Bhai:** Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state:

(a) whether a person died of starvation while standing in a queue at a ration shop continuously for a very long time in Akola city;

(b) whether the cause of the death has since been investigated; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) No, Sir. A newspaper report to this effect was investigated by the Government of Maharashtra. They had reported that the dead body of an old man was found on the 27th May, 1973 in Akola city. The post-mortem examination conducted by the medical authorities in the Civil Hospital revealed that the deceased died due to 'syncope' as a result of heart failure.

श्रीलंका को चावल सप्लाई करने के लिये भारत-श्रीलंका करार

7627. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री बनमाली बाबू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका को चावल सप्लाई करने के लिये भारत श्रीलंका करार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आपातिक सहायता प्रदान करने हेतु श्रीलंका सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उनको लगभग 10,000 मीटरी टन चावल इस शर्त पर सप्लाई किया जा रहा है कि वे उसे 90 दिन की अवधि में वापस कर देंगे।

आई० आई० टी०, नई दिल्ली में नियुक्तियां

7628. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री आई० आई० टी०, नई दिल्ली में नियुक्तियों के बारे में 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : 1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के प्रशासी मंडल ने सभी तदर्थ नियुक्तियों को नियमित कर दिया है।

2. जहां तक योग्यताओं में रियायत देकर की गई नियुक्तियों का सम्बन्ध है, बाद में इन मामलों का बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शासी मंडल ने अनुमोदन कर दिया था।

राज्यों में एक लाख घर बनाने की योजनाओं का क्रियान्वयन

7629. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री एक लाख मकान बनाने के कार्यक्रम के लिए केरल सरकार को केन्द्रीय सहायता के बारे में 30 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में एक लाख मकान बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने मकान बन चुके हैं;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसी योजनायें लागू की हैं और यदि हां, तो उसका राज्य वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार की इस योजना को कोई और सहायता देगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं में, राज्य सरकारों को पात्र व्यक्तियों को आबंटित आवास स्थलों पर मकान निर्माण के लिये किसी केन्द्रीय वित्तीय सहायता

की व्यवस्था नहीं है। तथापि, केरल सरकार ने "एक लाख मकान बनाने की योजना" नामक योजना के अधीन इन आवास-स्थलों पर मकान निर्माण आरम्भ कर दिया है। उन्होंने यह सूचित किया है कि लगभग 30,000 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 30,000 मकानों का दूसरा समूह निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

(ख) इस योजना के अधीन, मंजूर किये गये आवास-स्थलों की संख्या, उनकी अनुमोदित लागत तथा मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया है।

(ग) पहले से कार्यान्वित की जा रही आवास-स्थल देने की केन्द्रीय योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, अन्य कोई सहायता देने का विचार नहीं है।

विवरण

31-3-74 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई परियोजनायें तथा मुक्त की गई निधियों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आवास स्थलों की संख्या	अनुमोदित लागत	दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
				(लाख रुपयों में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	79,598	131.13	32.78
2	बिहार	44	32,608	62.87	15.71
3.	गुजरात	85	1,62,676	306.58	76.65
4.	हरियाणा .	1	53	0.08	0.06
5.	हिमाचल प्रदेश	7	583	0.87	0.38
6.	कर्नाटक	109	1,72,597	239.38	59.84
7.	केरल	960 पंचायतें	96,000	677.76	358.44
8.	मध्य प्रदेश	73	1,34,496	199.63	49.91
9.	महाराष्ट्र .	83	1,08,962	164.56	41.14
10.	उड़ीसा	2	3,349	8.40	2.10
11.	पंजाब	3	12,082	31.68	16.56
12.	राजस्थान .	46	17,832	28.76	7.19
13.	तमिलनाडु .	36	33,692	75.51	56.64
14.	उत्तर प्रदेश	27	19,808	30.85	7.71
15.	पश्चिम बंगाल .	12	11,166	19.39	4.85
	कुल .	1,507	8,85,502	1,977.45	729.96

राज्यों में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु भूमि आयोगों की स्थापना

7630. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में भूमिसुधार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भूमि आयोगों की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गौहाटी के एक व्यापारी द्वारा गेहूं के बीजों का आटा बनाये जाने के संबंध में जांच

7631. **श्री वेकारिया : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लाये गये 1,000 टन गेहूं के बीजों में से 700 टन गौहाटी के एक व्यापारी को बेच दिया गया जिसने कि उन बीजों का आटा बना दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने असम में केवल 15 मीटरी टन गेहूं के बीजों का आबंटन किया था, जबकि इसके कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालय ने कुल 921 मीटरी टन गेहूं के बीजों का निपटान किया। राष्ट्रीय बीज निगम ने प्रारम्भिक जांच की थी जिससे यह पता चला कि गेहूं के बीजों का आटा बिलकुल नहीं बनाया गया। निगम ने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश देने का निर्णय लिया है।

दिल्ली में टैक्सी-बसें चलाने के लिए 24 मार्ग

7632. **श्री मान सिंह भौरा :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक टैक्सी-बसें चलाने के लिये 24 मार्गों का चयन किया है,

(ख) क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दिल्ली में इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्कूटर रिक्शा चलाने का भी निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस व्यवस्था के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) राजधानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक टैक्सी चलाने की अनुमति देने की योजना पर राज्य परिवहन अधिकरण, दिल्ली ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) इस समय उक्त अधिकरण के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन निगम में स्थाई चेयरमैन का न होना

7633. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**
श्री बसन्त साठे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम में स्थाई चेयरमैन के न होने से वहां काफी विवाद चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा ब्यौरा क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार गृहों को आयातित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आवंटन

7634. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आयातित मछली पकड़ने वाली नौकायें बड़े व्यापार गृहों को सप्लाई की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं. और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss to Cash Crop (Tobacco) due to Hailstorm in U.P.

7635. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether 99 per cent and 50 per cent loss has been caused to cash crop (tobacco etc.) and other crops respectively as a result of hailstorm in Uttar Pradesh State during 1973-74; and

(b) If so, whether Government propose to provide any aid to those people, and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No report indicating such an extensive damage to the crops during 1973-74 due to hailstorm has been received from Uttar Pradesh.

(b) Does not arise.

Artificial Scarcity of Vanaspati

7636. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Vanaspati ghee is in short supply in the market, whereas huge stock of it is available in the production unit;

(b) whether this artificial scarcity is attributable to the wrong control policies of Government; and

(c) if so, the quantity of vanaspati ghee available in the stock of Premier Vegetable Products and the reasons for which this stock has been held back?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya): (a) It is true that vanaspati is presently in short supply due to reduced production in the last few months. Stocks with the factories are also substantially lower than in previous years.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise. The stock held by Premier Vegetable Products Ltd. Jaipur, as on 31-3-74, was 43.1 tonnes, which is equivalent to a day's production.

राष्ट्रीय बीज निगम में खाली पड़े पद

7637. **श्री डी० पी० जदेजा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बीज निगम में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और वित्तीय नियंत्रक के पद कब से खाली पड़े हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख): राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष का पद 9 मार्च, 1974 को खाली हुआ जबकि उस समय के अध्यक्ष ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। नियमित प्रबन्ध निदेशक के छुट्टी पर चले जाने के कारण प्रबन्ध निदेशक का पद 23 दिसम्बर, 1973 से खाली पड़ा है। परन्तु सरकार ने निगम के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था कि निगम के उत्पादन प्रभाग के प्रमुख अधिकारी को अपने कार्यों के अलावा प्रबन्ध निदेशक के कार्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाये। वित्त नियंत्रक का पद 9-4-1973 से खाली पड़ा है। निगम ने अभी इस पद को भरना है।

सरकार तथा निगम इन पदों को भरने के लिये कदम उठा रहे हैं। प्रबन्धक निदेशक तथा वित्त नियंत्रक के पदों के लिये अधिकारियों का चुनाव किया जा चुका है और आशा है वे शीघ्र ही कार्यभार संभाल लेंगे। अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीय मोटर परिवहन वित्त निगम की स्थापना

7638. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन विकास परिषद की एक राष्ट्रीय मोटर परिवहन वित्त निगम की स्थापना करने सम्बन्धी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वित्तीय संस्थान बैंकों का मौजूदा ढांचा सड़क परिवहन उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यथेष्ठ समझा गया है। इसलिये एक अलग वित्तीय निगम बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में दिल्ली नगर निगम क्षेत्र का शामिल किया जाना

7639. **श्री राम सहाय पांडे : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की कुछ बस्तियों को, जहां अधिकांश सरकारी कर्मचारी रहते हैं, दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार से हटाकर नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सीमाओं को युक्तिसंगत करने के लिये तथा नागरिक कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से चलाने और समुचित विकास आदि के लिये प्रशासनिक असंगतियां दूर करने की दृष्टि से, नई दिल्ली नगरपालिका ने दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में इस समय स्थित कुछ क्षेत्रों को नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है।

हरी खाद के उत्पादन के समन्वयन और उसे लोकप्रिय बनाने के लिये एजेंसी

7640. **श्री समर गुह : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हरी खाद का वार्षिक उत्पादन कितना है तथा प्रस्तावित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या वर्तमान तथा प्रस्तावित हरी खाद उत्पादन एककों के पर्यवेक्षण, समन्वयन तथा मार्ग-दर्शन के लिये कोई केन्द्रीय संगठन बनाया गया है;

(ग) क्या कृषि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिये हरी खाद के प्रयोग की प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कोई वैज्ञानिक अनुसन्धान एकक स्थापित किया गया है; और

(घ) क्या हरी खाद को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है और, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) स्थानीय खाद संसाधनों के विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चौथी योजना के अन्त में प्रत्याशित उपलब्धियों के स्तर और पांचवीं योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नीचे दे दिये गये हैं।

	1973-74 के लिये प्रत्यशित उपलब्धि	पांचवीं योजना के लिये प्रस्तवित लक्ष्य
1. शहरी कम्पोस्ट उत्पादन (लाख मीटरी टन)	4.8	7.5
2. शहर के कुड़े कचरे से कार्बनिक खाद तैयार करने के लिये यांत्रिकी कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करना		45 (इनसे प्रतिवर्ष 15 लाख मीटरी टन कम्पोस्ट प्राप्त होगा)
3. गन्दे नाले से होने वाली सिंचाई का क्षेत्र (हैक्टार)	24,000	24,000 अतिरिक्त
4. ग्रामीण कम्पोस्ट उत्पादन (लाख मीटरी टन)	170.0	350.0
5. हरी खाद के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (लाख हैक्टार)	6.0	*निर्धारित नहीं किया गया
6. ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करना	**—	50,000 (इनसे प्रतिवर्ष 8.0 लाख मीटरी टन खाद उपलब्ध होगा)

*बहु फसली और सघन खेती कार्यक्रमों का प्रारम्भ होने से हरी खाद का क्षेत्र सीमित हो गया है। इसीलिये पांचवीं योजना के लिये हरी खाद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि हरी खाद को लोकप्रिय बनाने और सघन फसल चक्रों में फलीदार फसलों को शामिल करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

**सूचना प्राप्त हुई है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने जनवरी, 1974 तक विभिन्न राज्य में 6,975 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की है।

(ख) और (घ) केन्द्रीय स्तर पर कार्बनिक खाद का प्रयोग करने के कार्यक्रम की देख-रेख करने, समन्वय तथा मार्गदर्शन करने और लोकप्रिय बनाने के लिये कृषि मंत्रालय में एक उत्पादन कक्ष की स्थापना की गई है।

(ग) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थानों में फसल उत्पादन के लिये कार्बनिक खाद के प्रयोग और उसके उत्पादन की तकनोलोजी के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों पर वैज्ञानिक अनुसन्धान किये जा रहे हैं।

जहां तक गोबर गैस संयंत्रों का सम्बन्ध है, उनके बारे में विज्ञान और तकनोलोजी विषयक राष्ट्रीय समिति ने किण्वन रसायन, अणुजैविकी और ड्रमों और बर्नरों के डिजाइन तैयार करने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों से लिये जाने वाले वैज्ञानिकों के एक ग्रुप की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये पेंशन

7641. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये पेंशन योजना अनेक राज्यों ने लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार शिक्षकों के लिये पेंशनों की समान प्रक्रिया का विकास करने हेतु ऐसी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये पहल करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) जहां तक स्कूल के अध्यापकों का सम्बन्ध है, इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक विश्वविद्यालय के अध्यापकों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को सेवा निवृत्ति लाभ के बारे में निम्नलिखित दो योजनायें भेजी थी :—

1. अंशदायी भविष्य निधि व उपदान।
2. सामान्य भविष्य निधि व पेंशन व उपदान।

राज्य विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे सम्बन्धित राज्य सरकारों से इन योजनाओं पर उनकी स्वीकृति प्राप्त करें।

भारतीय शिपयार्डों में बने जहाज

7642. **श्री समर गुह : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1974 तक भारतीय शिपयार्डों में कितने जहाज बनाये गये और किस-किस प्रकार के;

(ख) कितने जहाज निर्माणाधीन हैं और वर्ष 1974-75 के लिये निर्धारित लक्ष्य कितना है और उस उद्देश्य से किस प्रकार का विदेशी सहयोग मांगा गया है;

(ग) विभिन्न शिपयार्डों में किस-किस देश के कितने-कितने विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं और इन विदेशी विशेषज्ञों पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(घ) जहाज बनाने की तकनीक में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जायेगी और इस उद्देश्य के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अकाल को रोकने के लिये अनाज उत्पादन संबंधी बड़ा आन्दोलन

7643. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक तथा राकफेलर फाउण्डेशन की चेतावनियों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1974-75 में भारत को भारी अकाल का सामना करना पड़ेगा यदि यहां पर अनाज उत्पादन का बड़ा आन्दोलन शुरू नहीं किया जाता है; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अनाज भण्डार में भी कमी हो रही है;

(ग) भारत का विचार किन-किन मण्डियों से अनाज आयात करने का है; और

(घ) वर्ष 1972 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्नों की सामान्य वृद्धि कितनी हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, प्रमुख निर्यातक देशों के पिछले बचे स्टाक में कमी हुई थी। तथापि, यह बताया जाता है कि 1973-74 में विश्व में उत्पादन बेहतर होगा। खाद्यान्नों के मुख्य निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और अर्जेन्टीना हैं।

सहायक प्रबन्धक ग्रेड में स्थायी रिक्त स्थान

7644. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग में सहायक प्रबंधक ग्रेड में स्थायी रिक्त स्थानों को गत आठ वर्षों से नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या 30 वर्ष से अधिक की सेवा वाले इस संवर्ग के कर्मचारियों को स्थायी पद उपलब्ध होने के बावजूद स्थायी नहीं किया गया है; और

(घ) इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुदेशों के बावजूद क्या सरकार उक्त स्थिति बनाये रखने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के ग्रेड में पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिये पिछली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जनवरी, 1966 में हुई थी। परवर्ती रिक्तियों की इस ग्रेड में पुष्टि करने का प्रश्न दिसम्बर, 1970 में उठाया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति की एक बैठक की व्यवस्था करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को जनवरी, 1971 में एक पत्र भेजा गया था। सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के पद के भर्ती नियम जनवरी, 1963 में प्रकाशित किये गये थे। इन नियमों के अनुसार, विभागीय पदोन्नत तथा सीधी भर्ती वाले अधिकारियों का कोटा क्रमशः 2 : 1 के अनुपात में निश्चित किया गया था। जनवरी, 1963 से पूर्व की रिक्तियां 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी गई थी। चूंकि यह प्रतीत हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग चाहती है कि सभी रिक्तियां जनवरी, 1963 के भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार हों, अतः यह महसूस किया गया कि कार्मिक विभाग तथा विधि

मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने के लिए मामले पर विचार किया जाय। ऐसा विधिवत किया गया तथा आयोग से अनुरोध किया गया कि जनवरी, 1973 में विभागीय पदोन्नति समिति की एक बैठक की व्यवस्था की जाय। इसी दौरान, एक अन्य मामले में कोटा नियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार के विचारार्थ आ गया। वरिष्ठता सूची को तदनुसार परिचालित किया गया था तथा आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। एक सीधी भर्ती वाले अधिकारी ने पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया। वरिष्ठता सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि इस पर कार्मिक विभाग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के ग्रेड में चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सेवावधि लगभग 30 वर्ष हो गई है तथा जो किसी पद पर स्थाई नहीं हैं। जैसा कि पहले के भाग में उल्लिखित है, सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के ग्रेड में पुष्टि करने के प्रश्न पर कार्यवाही शुरू कर दी गई थी तथा विलम्ब का कारण कानूनी तथा कार्यविधिक कठिनाईयां हैं जो कि अकस्मात पैदा हो गईं।

आई० आई० टी०, नई दिल्ली के वरिष्ठ शिक्षकों के विरुद्ध जांच

7645. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, नई दिल्ली के एक वरिष्ठ शिक्षक के विरुद्ध, जिसने कथित यात्रा भत्ते का दावा करने में भारी अनियमितताएं प्रस्तुत कीं, की गई जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) जांच की निर्धारित पद्धति में स्पष्टीकरण प्राप्त करना, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की जा रही है, उन्हें सम्बन्धित रिकार्ड देखने का अवसर प्रदान करना, साक्षियों को जिरह करने का अधिकार और वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था है। उक्त बातों को पूरा करने, वकील द्वारा मांगे गये अवकाश, अक्तूबर/नवम्बर, 1973 के दौरान परिसर में उत्पन्न गम्भीर स्थिति और कुछ समय के लिये जांच अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण इस जांच को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ। इस समय बहस का अन्तिम दौर चल रहा है और इसके बाद रिपोर्ट आने की आशा है।

पांचवीं योजना के दौरान नकदी फसलों के उत्पादन के लिये नई नीति

7646. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं योजना अवधि में नकदी फसलों के उत्पादन के लिये किसी नई नीति का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या तिलहनों, विशेषकर सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे तिलहनों, को अपेक्षित विपणन सम्बन्धी समर्थन देने हेतु तिलहन निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीति में मुख्यतः चुनींदा जिलों (जहां कि उत्पादन तकनोलोजी अच्छी तरह विकसित हो चुकी है और उत्पादन में होने वाले विकास को तेजी से बढ़ाने के लिये अच्छी संभाव्यताएं मौजूद हैं) में प्रत्येक महत्वपूर्ण फसल के संबंध में पैकेज कार्यक्रम की प्रक्रिया के आधार पर सघन खेती उपाय अपना कर उत्पादन में शीघ्र और तेजी से बढ़ोतरी प्राप्त करना शामिल है । इसके अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन में स्थिरता लाने के लिये नकदी की फसलों के सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिये पांचवीं योजना में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास पर विशेष बल देने का प्रस्ताव है। बहुफसली खेती के क्रम के अनुसार अधिक उत्पादनशील और अल्पकालीन किस्मों के प्रसार, उर्वरकों और अणु-जनित पोषक तत्वों के प्रयोग तथा पौध संरक्षण उपाय अपनाने के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि जारी करने के लिए भी प्रयास किए जायेंगे।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार वनस्पति तेल और तिलहन निगम की स्थापना करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है। इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पांचवीं योजना के दौरान मत्स्य-पालन का विकास

7647. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पालन के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य-वार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(ख) क्या योजना अवधि के दौरान नए मत्स्य-पालन पत्तनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो उनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के क्षेत्र में मत्स्य-पालन के विकास के लिए किया गया अस्थायी आबंटन इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	परिव्यय (लाख रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश	395.00
2.	असम	200.00
3.	बिहार	250.00
4.	गुजरात	700.00
5.	हरियाणा	75.00
6.	हिमाचल प्रदेश	62.00

1	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	40.00
8.	केरल	1625.00
9.	मध्य प्रदेश	335.00
10.	महाराष्ट्र	453.00
11.	मणिपुर	100.00
12.	मेघालय	40.00
13.	कर्नाटक	550.00
14.	नागालैंड	40.00
15.	उड़ीसा	325.00
16.	पंजाब	60.00
17.	राजस्थान	75.00
18.	तमिलनाडु	1880.00
19.	त्रिपुरा	93.00
20.	उत्तर प्रदेश	150.00
21.	पश्चिम बंगाल	650.00
	कुल	8098.00
	संघ राज्य क्षेत्र	993.00

केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई राज्यवार आवंटन नहीं किये गये हैं।

केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिये अस्थायी आवंटन इस प्रकार है:—

	(लाख रुपयों में)
केन्द्रीय योजनाएं	4710
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	2250

(ख) पांचवीं योजना के दौरान नय मत्स्य-पालन बंदरगाहों के निर्माण करने का प्रस्ताव है, यद्यपि इनके स्थानों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य पशु शरणास्थल तथा उनके लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

7648. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने राष्ट्रीय उद्यान तथा अन्य पशु शरणास्थल हैं ; और

(ख) इन राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य पशु शरणास्थलों के लिए प्रत्येक राज्य को 1973 में कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) इस संबंध में राज्य सरकारों आदि से अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बाघ परियोजना क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय पार्कों और शरणास्थलों के लिए विभिन्न राज्यों को 1973-74 में आबंटित की गई राशि इस प्रकार है :—

	रुपए
1. असम	90,000
2. गुजरात	1,41,000
3. मध्य प्रदेश	1,00,000
4. महाराष्ट्र	3,900
5. मणिपुर	80,000
6. कर्नाटक	14,600
7. राजस्थान	39,400
8. उत्तर प्रदेश	71,000
9. पश्चिम बंगाल	1,45,000

'हिन्द महासागर मत्स्य-पालन सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम' नामक राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम की परियोजना

7649. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के चारों ओर के देशों के मत्स्य-पालन संसाधनों के विकास में सहायता करने के लिए राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के खाद्य विशेषज्ञों ने 'हिन्द महासागर मत्स्य-पालन सर्वेक्षण और विकास कार्यक्रम' नामक व्यापक परियोजना बनाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सहायता प्राप्त करने के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंद महासागर में मत्स्य-पालन का सभी पहलुओं से विकास करना है। चूंकि यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, इसलिए किसी देश को सीधी सहायता देने की कोई बात नहीं है। तथापित देश में समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देना भारत के लिए लाभकर होगा।

भारत सरकार ने इस कार्यक्रम से सहमति प्रकट की है।

राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता के अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

7650. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के 107 कर्मचारियों के मासिक वेतन-बिलों में से वसूल की (निकाली) गयी धनराशि को वेतन-बचत योजना के अन्तर्गत जीवन-बीमा का प्रीमियम अदा करने के लिये जमा करने में हुए विलम्ब से संबंधित मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (एम०पी०ई०) जांच कर रहा है।

सहकारी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन में कमी

7651. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश के सहकारी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) 1972-73 के दौरान देश के सहकारी चीनी कारखानों ने 14.52 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन किया था जबकि 1970-71 और 1971-72 में क्रमशः 12.63 लाख मी० टन और 12.72 लाख मी० टन का उत्पादन किया था। इस प्रकार उनके चीनी के उत्पादन में कोई मात्रा संबंधी गिरावट नहीं आई है। फिर भी, अखिल भारतीय उत्पादन के अनुपात में चीनी उत्पादन की समूची प्रतिशतता 1971-72 के 41.3 प्रतिशत से गिरकर 1972-73 में 37.5 प्रतिशत पर आ गई। इसके ये कारण प्रतीत होते हैं—(1) विशेषकर उत्तर प्रदेश में संयुक्त स्टाक कारखानों द्वारा 1972-73 के दौरान अधिक उत्पादन करना, (2) महाराष्ट्र, जहां पर कुल 85 सहकारी चीनी कारखानों में से 37 कारखाने स्थित हैं, में स्थित चीनी कारखानों के आस-पास सूखे की स्थिति होने के कारण 1971-72 की तुलना में 1972-73 में चीनी की कम उपलब्धि होना।

22 LSS/74—9

पंखा रोड कालोनी, दिल्ली में सड़कें चौड़ी करना और उनका रख-रखाव

7652. **श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंखा रोड, दिल्ली, जो डी० डी० ए० जनकपुरी नामक सब से बड़ी रिहायशी कालोनी के इर्द गिर्द स्थित है, काफी खराब हालत में है और यातायात के लिए खतरा बन गई है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सड़क को चौड़ा करने और इसके रख-रखाव की अपनी जिम्मेदारी निभाने से इन्कार कर दिया है यद्यपि पंखा रोड रिहायशी क्षेत्र संबंधी मास्टर प्लान में यह एक मुख्य सड़क दिखाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस सड़क के रख-रखाव और सुधार के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है; और

(घ) इस सड़क को चौड़ा करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसे यातायात के लिए सुरक्षित बनाया जा सके जो जनकपुरी जैसी विकासशील कालोनी में बढ़ता जा रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) इस सड़क पर यातायात बढ़ जाने के कारण इसे चौड़ा करना आवश्यक हो गया है ।

(ख) तथा (ग) इस सड़क के अनुरक्षण तथा विकास का उत्तरदायित्व दिल्ली नगर निगम का है।

(घ) इस सड़क को चौड़ा करने तथा उसमें सुधार करने की योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किया गया है ।

राज्यों में भेड़ों के विकास के लिए 'पैकेज' कार्यक्रम

7653. **श्री के० मालन्ना : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को ऐसे चुने हुये क्षेत्रों में, जहां नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण तथा विपणन सुविधायें उपलब्ध हों भेड़ विकास कार्यक्रम 'पैकेज' कार्यक्रम के आधार पर चलाने का परामर्श दिया है;

(ख) इस समय कौन से राज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम की सहायता से ऊन तैयार करते हैं, किस्में निर्धारित करते हैं और उनका व्यापार करते हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में देश में राज्यवार अनुमानतः कितनी ऊन का उत्पादन हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊन उतारने, उसका वर्गीकरण व विपणन करने का कार्यक्रम 1969 में राजस्थान में प्रारम्भ किया गया था और बाद में इस कार्यक्रम का आठ और राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विस्तार कर दिया गया था । यह कार्यक्रम अगस्त, 1973 में पूरा हो गया था।

(ग) इस समय ऊन के उत्पादन के अनुमान हर पांच वर्ष के बाद पशुसंगणना के आधार पर तैयार किये जाते हैं। 1966 में हुई पशु संगणना के आधार पर, 1968-69 में देश में ऊन का उत्पादन 376 लाख किलोग्राम आंका गया था। 1972 में हुई पिछली पशु संगणना के भेड़ों की संख्या के आंकड़े समस्त राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये पिछले दो वर्ष के दौरान ऊन का राज्यवार अनुमान बताना सम्भव नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, एक ऐसी प्रणाली का विकास करने का प्रस्ताव है जिस के माध्यम से राज्य सरकारें नियमित और क्रमबद्ध नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से ऊन तथा प्रमुख पशुधन उत्पादों के वार्षिक उत्पादन के अनुमानों के बारे में जानकारी भेजा करेंगे।

पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात के लिये केन्द्र को चावल देना

7654. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने मिलकर पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात के लिये, बढ़िया किस्म का बासमती चावल केन्द्र सरकार को देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और राज्यों द्वारा केन्द्र को निर्यात हेतु कितनी मात्रा में चावल दिया जाएगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सभी प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में निर्यात किस्म के अधिप्राप्त बासमती चावल का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, राज्य व्यापार निगम ने हरियाणा से 15,000 मीटरी टन और पंजाब से 10,000 मीटरी टन बासमती चावल की सीधी खरीद करने के लिए भी प्रबंध किए हैं। इन दोनों राज्यों ने इसकी पेशकश की थी।

Supply of additional quota of Foodgrains to Bihar

7655. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Bihar is facing a serious food crisis as a result of riots which broke out there;

(b) if so, whether the Central Government have any scheme to send additional quota of foodgrains, there; and

(c) if so, the gist thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) Allotments of foodgrains from the Central Pool are made every month keeping in view of the availability of stocks in the Central Pool, needs of the deficit States and other relevant factors. Bihar has been given an increased allotment of 40,000 tonnes of foodgrains for April, 1974. With the removal of restrictions on the inter-state movement of coarse grains and arrival of rabi crops in the market the availability of foodgrains is likely to improve in the State.

Housing for Delhi's increasing population by D.D.A.

7656. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the census conducted in Delhi revealed 53 per cent growth in the population of Delhi;

(b) if so, whether D.D.A. has not got any scheme to provide houses to this increasing population; and

(c) if so, whether Government propose to formulate any scheme to provide houses to all ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) the census of 1971 has revealed a growth of 52.93% in Delhi's population during the decade 1961-71.

(b) No, Sir. With a view to easing the acute housing problem of the growing population in Delhi, the Delhi Development Authority has undertaken construction of dwelling units for people belonging to various categories. Upto 31st March, 1974, the Delhi Development Authority has constructed 24,392 dwelling units under its various housing schemes.

(c) the scheme of construction of dwelling units by the Delhi Development Authority will be continued subject to the limitations of finance and the availability of building materials.

दिल्ली में यमुना नदी पर नया उपरि पुल

7657. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में दिल्ली में यमुना नदी पर एक नया उपरि पुल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और इस उद्देश्य के लिए कौन से स्थल का चयन किया गया है ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि का अधिग्रहण इस उद्देश्य हेतु किया जायेगा, कोई मुआवजा दिया जायेगा ; यदि हां, तो क्या मुआवजा दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस के सामने मौजूदा रेल-एवं-सड़क पुल के उत्तर में यमुना नदी के ऊपर एक और पुल के निर्माण का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव, सड़कों के लिए दिल्ली प्रशासन की पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के मसौदे में शामिल है। पुल के डिजाइन और उसके पहुंच मार्गों के संबंध में आवश्यक जल सर्वेक्षण अधो भूमि और यातायात सर्वेक्षण और अन्य जांच शुरू कर दी गई है और कुछ परिणाम भी प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) यदि पुल और इसके पहुंच मार्गों के लिये किसी निजी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, तो सरकारी प्रयोजनों के लिये भूमि के अधिग्रहणार्थ के लिए प्रवृत्त नियमों के अनुसार मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि निजी भूमि के मालिकों को कितना मुआवजा दिया जाएगा।

रेगिस्तान में कीड़े मारने के लिये नई पद्धति का विकास

7658. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर स्थित केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने रेगिस्तान में और खेतों में चूहों और इसी प्रकार के अन्य कीड़ों को मारने के लिए एक नई पद्धति का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद्धति इस क्षेत्र में किस हद तक प्रभावी है ;

(ग) क्या खेतों में चूहों को मारने के लिये प्रयोग की जाने वाली दवाइयों का खड़ी फसलों पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो फसलों को उक्त प्रभावों से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने रेगिस्तानी जरबिल (एक किस्म का चूहा) की रोकथाम के लिए नई पद्धति का विकास किया है। यह मरू क्षेत्र का प्रमुख नाशक जंतु है। यह फसलों, घासों और वृक्षों के छोटे-छोटे पौधों को नष्ट कर देता है। रोकथाम की इस पद्धति में बेर छाया में सुखाये हुए फलों को सोडियम मोनोफ्लोरोएसीटेट के घोल में 24 घंटे तक भिगोया जाता है। इसके बाद इन विषैले बेरों को बिना भीगे विषरहित बेरों के साथ एक और चार के अनुपात में मिलाकर घातक चुग्गे के रूप में खुले हुए बिलों में रख दिया जाता है।

सफेद सूंडी (व्हाइट ग्रब) की रोकथाम के लिये किये गये अध्ययनों से यह भी पता चला कि बाजरा की फसल में सफेद सूंडी से होने वाले नुकसान को रोकने में फी हैक्टर की दर से एक किलो दानेदार लिन्डेन या फोरेट का उपयोग कारगर है।

(ख) और (ग) रेगिस्तानी जरबिल और सफेद सूंडी की रोकथाम करने के लिये, यदि इन दवाओं का प्रयोग बतायी गयी सिफारिशों के अनुसार किया जाए तो अधिक लाभ होता है और इनका खड़ी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में सहायक शिक्षकों के लिये स्थायी पद तथा चयन-ग्रेड

7659. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सहायक शिक्षकों के कितने पद अब तक स्थायी बनाये हैं ;

(ख) शिक्षा विभाग, नगर पालिका ने उनमें से कितने को चयन-ग्रेड दिया है ; और

(ग) सभी पात्र सहायक शिक्षकों को चयन-ग्रेड देने के लिये प्राधिकारियों द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि 15 प्रतिशत का पूरा कोटा भरा जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अभी तक सहायक अध्यापकों के 643 पद स्थायी कर दिये गए हैं।

(ख) और (ग) निर्धारित 15 प्रतिशत कोटे के अनुसार 96 अध्यापक सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने के पात्र हैं। नई दिल्ली नगर पालिका के शिक्षा विभाग ने 84 अध्यापकों को पहले ही सैलेक्शन ग्रेड दे दिया है। शेष 12 अध्यापकों से संबंधित मामले विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

मोती बाग के उत्तर पश्चिम में स्थित नई कालोनी में क्वार्टरों का आवंटन

7660. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती बाग के उत्तर पश्चिम में स्थित नई कालोनी में क्वार्टरों का आबंटन आरंभ हो गया है ;

(ख) उस कालोनी में श्रेणी-वार कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ग) वहां आबंटन स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिये वहां दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो, डाक-घर, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, दिल्ली परिवहन निगम को बसों, स्कूलों, बाजार जैसी मूल सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :
(क) जी, हां।

(ख) अभी तक टाईप IV के केवल 80 क्वार्टरों का निर्माण पूर्णरूप पूरा हुआ है तथा वे आबंटित कर दिये गये हैं। टाईप II के 96 तथा टाईप III के 112 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

(ग) यह कालोनी वस्तुतः वर्तमान मोती बाग कालोनी का एक एक्सटेंशन है तथा नानकपुर के बिल्कुल सामने है। चर्चाधीन सुविधायें इन कालोनीयों में उपलब्ध हैं जो कि नजदीक ही हैं। तथापि एक नर्सरी स्कूल, खेल के मैदान, टाटलौट तथा बिजली सब-स्टेशन के लिये स्थान की व्यवस्था की गई है ताकि यदि कोई संबंधित मंत्रालय/विभाग किसी स्थान पर अपेक्षित सुविधाओं की आवश्यकत समझे तो उनकी व्यवस्था कर सकें।

भारतीय समुद्रों की बन्दरगाहों और तटों के प्रदूषण के कारण मछलियों की मृत्यु

7661 : **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्रों की बन्दरगाहों और तटों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हाल में भारी संख्या में मछलियां मर गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय समुद्रों की बंदरगाहों और तटों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कोचीन और गोवा के निकट उर्वरक कारखानों तथा कालीकट के निकट रेयन कारखाने से निकलने वाले औद्योगिक गंदे पानी के गिरने की जगह के आस-पास पानी में कुछ मछलिये के मर जाने की सूचना मिली है।

(ख) जल (प्रदूषण निरोध और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में जिसे संसद के दोनों सदनों ने पहले ही पारित कर दिया है, समुद्र नदियों आदि के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य जल प्रदूषण बोर्ड स्थापित करने का विचार है।

पश्चिम बंगाल में चावल की सांविधिक राशन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रस्ताव

7662. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल की वसूली नीति में परिवर्तन करेगी, और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में चावल की सांविधिक राशन व्यवस्था और केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खरीफ अधिप्राप्ति मौसम 1973-74 के प्रारंभ में तैयार की गई चावल की अधिप्राप्ति नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम वाले विश्वविद्यालय

7663. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम वाले विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि सुधारों को केन्द्रीय विषय बनाना

7664. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि सुधारों के विषय को उनके शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता तथा उसमें निहित विषय के प्रकार को ध्यान में रखते हुए उसके शीघ्र तथा बहतर क्रियान्वयन और नियंत्रण हेतु उसे केन्द्रीय विषय बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का विचार किस प्रकार नीति और विधान, कानून और उसके क्रियान्वयन के बीच के अन्तर को दूर करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) भारत में भूमि सुधार कानूनों के लिए समय-समय पर मार्गदर्शीय सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। राज्य मार्गदर्शी सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपने कानूनों में संशोधित करते रहे हैं। इन कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य पूरा करने के लिए समुचित मशीनरी को सुचारु रूप देने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकारी तंत्र की सहायता के लिए कई क्षेत्रों में जन समितियां स्थापित की जा रही हैं। इससे प्राप्त अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए क्रियान्वयन तंत्र को आगे पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है।

बारीपाड़ा, मयूरभंज (उड़ीसा) में बाघ शरणास्थल में प्रगति

7665. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बारीपाड़ा में बाघ शरणास्थल बनाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना की कुल लागत क्या है तथा इसके पूरे होने के बारे में क्या कार्यक्रम है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सिमलीपाल टाईगर रिजर्व के लिए एक बाघ परियोजना मंजूर की गई है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में यह परियोजना 1973-74 से 1978-79 तक छः वर्षों की अवधि तक चलेगी और इस पर 38,62,000/- रु० रकम व्यय होगी इस परियोजना का मुख्य कार्यालय बारीपाड़ा में स्थित है। इस परियोजना को क्रियान्वित के लिये क्षेत्र निदेशक की भी नियुक्ति की जा चुकी है।

गुजरात के उपद्रवों के बारे में गुजरात राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विचार

7666. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के प्रेस समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनके अनुसार राज्य में ठीक समय पर खाद्यान्न की सप्लाई न करके और प्रारम्भिक दौरे में ही मोटे अनाज के अन्तर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबन्ध न हटाकर राज्य में वर्तमान उपद्रवों को जारी रखने के लिए गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य विभाग को दोषी ठहराया है।

(ख) क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने 12 फरवरी, 1974 को इस बारे में पत्र भी लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित अन्य बातों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने रिपोर्ट देखी है। अपने 12 फरवरी, 1974 के पत्र में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अन्य बातों के साथ साथ गुजरात में खाद्य स्थिति, केन्द्रीय पुल से किए गए आवंटनों और केन्द्र से उन्होंने जिस ओर सहायता की परिकल्पना की थी, का उल्लेख किया था। सरकार के उत्तर में, केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटे अनाजों की उपलब्धता सुधारने और केन्द्रीय पूल से दी गई अधिक सहायता देने संबंधी की गई कार्यवाही के अलावा, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के ध्यान में लाने के लिए कुछक अवलोकनों के बारे में तथ्य भी दिए गए थे।

भावनगर और अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध न होना

7667. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के अनेक भागों में हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भावनगर और अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में खाद्यान्न की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ; और

(ग) क्या राज्य में खाद्यान्न का परिवहन काफी कठिन है और खाद्यान्न उपलब्धी न होने के कारण लोग भूखें मर रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) विभिन्न जिलों में खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । गुजरात को जनवरी में 50,000 मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गए थे और फरवरी से अप्रेल, 1974 के प्रत्येक मास के लिए 52,000 मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गए थे जबकि दिसम्बर, 1973 में 36,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अधिशेष राज्यों में मोटा अनाज खरीदने की भी व्यवस्था की थी । मोट अनाजों के संचलन पर लगे अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्धों को हटाने और बाजार में रबी की फसल की आमद से, राज्य में खाद्यान्नों की उपलब्धता में और भी सुधार होगा ।

गुजरात के विश्वविद्यालयों में गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी

7668. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते का विलय 1 अप्रैल, 1971 के बजाय 1 जून, 1967 से प्रभावी होगा ;

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि की अदायगी उन्हें कब की जाएगी;

(ग) क्या बकाया राशि की अदायगी नकद की जाएगी अथवा प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे ; और

(घ) क्या कर्मचारियों ने यह मांग की है कि बकाया राशि की अदायगी नकद राशि के रूप में होनी चाहिए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात राज्य के विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतन का महंगाई भत्ते में विलयन 1 अप्रैल, 1971 की बजाये 1 जून, 1967 से लागू होगा । लेकिन 1-6-1967 से 31-12-1967 तक की अवधि की बकाया राशि की अदायगी नहीं की जाएगी, जबकि 1-1-1968 से 28-2-1974 तक की अवधि की बकाया राशि की अदायगी या तो सरकारी बांडों के रूप में की जाएगी अथवा प्रमाण-पत्रों के रूप में होगी । राज्य सरकार को बकाया धनराशि को नकद रकम अदा करने के लिए कर्मचारियों से अभी तक कोई मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान

7669. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापकीय कर्मचारियों के समान वेतन-मान के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (उनके कालेजों सहित) के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किए जा रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण स्टाफ के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

गेहूं के थोक व्यापारियों का कार्यकरण

7670. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री वी० मायावन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक व्यापारियों को खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देने संबंधी सरकार के निर्णय का वह परिणाम नहीं निकला जिसकी सरकार को आशा थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश राज्यों ने नीति में इस परिवर्तन को पसन्द नहीं किया;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने थोक-व्यापारियों को गेहूं खरीदने की अनुमति नहीं दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या समझौते के अन्तर्गत व्यापारियों के लिये यह अनिवार्य शर्त थी कि उसके द्वारा खरीदे गये गेहूं के 50 प्रतिशत भाग को 105 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित मूल्य पर उसे सरकारी एजेंसियों को देना होगा और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चालू रबी मौसम पहली अप्रैल, 1974 से प्रारम्भ हुआ था और नयी नीति के अधीन गेहूं की अधिप्राप्ति के परिणामों के बारे में कोई धारणा बनाना जल्दबाजी होगी।

(ख) से (घ) 1974-75 के मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण नीति, जिसकी घोषणा कृषि मन्त्री ने लोक सभा में 28-3-74 को की थी, राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद्, संसदीय सलाहकार समिति और मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श करने के बाद तैयार की गई थी। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मध्य-प्रदेश के अधिशेष राज्यों में मंडियों/क्रय केन्द्रों पर सहकारी समितियों समेत खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा प्रति दिन खरीदे जाने वाले गेहूं पर 50 प्रतिशत लेवी लागू की जाएगी। यह गेहूं उन्हें 105 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर सरकार को देना होगा। लेवी की मात्रा देने के बाद, सहकारी समितियों समेत व्यापारी शेष मात्रा को राज्य के अन्दर या परमिट के आधार पर राज्य के बाहर बेच सकेंगे। अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में राज्य सरकारें अधिप्राप्ति उत्पादकों पर क्रमिक लेवी द्वारा कर सकती हैं। राज्य सरकारें/प्रशासन इस नई नीति को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश द्वारा चावल की वसूली और आवश्यकता से अतिरिक्त चावल केरल में भेजने का प्रस्ताव

7671. **श्री एम० एम० जोसफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित चावल के तीन लाख टन के लक्ष्य से अधिक की वसूली कर ली है ;

(ख) क्या राज्य ने अब अपने लक्ष्य को बढ़ा कर 5 लाख टन कर लिया है ;

(ग) क्या केन्द्र उत्तर प्रदेश सरकार को सिफारिश करेगा कि आवश्यकता से अतिरिक्त चावल की मात्रा केरल के कमी वाले क्षेत्रों को भेजी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार केरल के जरूरतमंद लोगों से चावल की क्या रियायती दर लेने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार को आशा है कि वे चालू खरीफ वर्ष में पांच लाख मीटरी टन तक चावल अधिप्राप्ति कर पाएगी।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में उपलब्ध फालतू चावल को केरल सहित कमी वाले राज्यों को केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्य पर सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय पूल को दे दिया जाएगा।

गेहूं के थोक व्यापार की नई नीति

7672. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के थोक व्यापार के विवादस्पद सरकारीकरण को छोड़ देने की सरकार की नई नीति का व्यापारियों, किसानों ने स्वागत किया है ;

(ख) क्या सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करने वाले पंजाब राज्य ने केन्द्र के इस निर्णय का विरोध किया है ;

(ग) क्या अन्य राज्य भी इसका विरोध करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या गेहूं के थोक व्यापार को सरकारीकरण से मुक्त करने की सरकार की नई नीति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) लोक सभा में 28-3-74 को घोषित की गई 1974-75 मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण की नीति को राष्ट्रीय खाद्य सलाहकार परिषद्, संसद की सलाहकार समिति और मुख्य मंत्रियों में विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया था।

(ख) और (ग) : जी नहीं। राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन नयी नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं के कोटे में कमी करना

7673. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री धामनकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले राज्यों ने केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं के अपने कोटे में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या वे राज्य अपनी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के भंडार बनाना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और केन्द्र की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) हालांकि नई नीति घोषित कर दी गई है, फिर भी अधिप्राप्ति और केन्द्रीय भंडार में दी जाने वाली मात्रा के ब्यौरों का राज्य सरकारों से परामर्श करके अभी हिसाब लगाया जाना है ।

सरकारी उपक्रम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने से मना करना

7674. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लाइन्ड रिलीफ एसोसियेशन ने आरोप लगाया है कि सरकारी उपक्रम विकलांग व्यक्तियों के कुशल और विशिष्ट नौकरियों के लिये प्रशिक्षित होते हुए भी उन्हें नौकरी देने से इन्कार करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो समाज कल्याण विभाग तथा स्वयंसेवी संगठनों तथा राज्य शासित निगमों में विकलांगों को नौकरी देने के लिये क्या उपाय किये जाते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) ब्लाइन्ड रिलीफ एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने ऐसा आरोप नहीं लगाया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में वाइस-प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तथा उप शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

7675. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अलग-अलग कितने प्रिंसिपलों, वाइस प्रिंसिपलों इसी ग्रेड में काम करने वाले अन्य अधिकारियों सहित उप शिक्षा अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों शिक्षा सहायक निदेशकों, उप शिक्षा निदेशकों, संयुक्त शिक्षा निदेशकों और अतिरिक्त शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति और पदोन्नति की गई ;

(ख) उक्त व्यक्तियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलग-अलग कितने व्यक्तियों को नियुक्त और पदोन्नत किया गया ; और

(ग) उक्त समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व कितना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए।

Export of wheat seeds to Russia

7676. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether seeds of indigenous wheat are being exported to Soviet Russia; and

(b) if so, the quantity thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) 100 quintals of seed of the Kalyan sona variety of wheat were exported to the U.S.S.R. last month by the National Seeds Corporation.

Per Capita Quota of Foodgrains and Sugar in Union Territories

7677. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) per capita quota of foodgrains wheat, rice and sugar fixed by Government in Delhi and other Union Territories; and

(b) the quantity of each of these commodities being given ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) Distribution of foodgrains and sugar within a Territory and fixing the per capita quantum is the responsibility of the Union Territory Administrations. Issues through fair price shops are intended to supplement the availability in the open market. Since the supplies, particularly the per capita availability in the open market vary from Territory to Territory, region to region in a Territory as well as rural and urban areas, no uniform norms have been fixed for issues through the public distribution system. It is left to the discretion of the Union Territory Administrations to determine the quantum of issues, depending upon the local condition.

वयस्क शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास पर राष्ट्रमंडल की क्षेत्रीय गोष्ठी

7678. **श्री विक्रम महाजन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मार्च, 1974 में वयस्क शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास पर राष्ट्रमण्डल की क्षेत्रीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनपर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वयस्क शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास पर मान्चेस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय गोष्ठी मार्च, 1974 में नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया :–

(1) श्री शाहिब अली खां
संयुक्त सचिव,
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ।

(2) श्री डी० पी० नायर,
शिक्षा सलाहकार,
योजना आयोग ।

(3) श्री जे० वीरा राघवन,
निदेशक,
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

(4) श्री अनित बोर्डिया,
निदेशक,
राजस्थान सरकार ।

(ख) गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया कि सतत शिक्षा की संकल्पना सभी भावी शैक्षिक विकास का आधार होनी चाहिए और यह भी कहा कि वयस्कों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का औपचारिक शिक्षा के साथ समन्वय होना चाहिए यह सरकार की विचारधारा के अनुकूल है ।

अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के लिये स्वीकृति

7679. **श्री हाजी लुतफल हक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजनाओं और तिलहनों की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) देश में अब तक, राज्य-वार क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां। सन् 1971-72 से 1973-74 के लिये धान और तिलहनी फसलों के विकास के लिये क्रमशः 2,56,478 रुपये और 52,20,391 रुपये की मंजूरी दी है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के अन्तर्गत धान पर अनुसंधान करने वाले दो केन्द्रों कलिमपोंग और चिनसुरा तथा तिलहनों पर अनुसंधान करने वाले एक केन्द्र बहरामपुर की मदद कर रही है । इन अनुसंधान केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(1) धान और तिलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करना, जिनमें सस्य विज्ञान संबंधी अच्छे गुण हों, कीट व्याधि रोधी हों और पश्चिमी बंगाल में विभिन्न कृषि जलवायु की परिस्थितियों में उगाने के लिये उपयुक्त हों।

(2) प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट समय से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये सुधरी कृषि तकनीकों का विकास करना ।

(3) 'कृषक दिवस', विस्तार एजेंसियों और फार्म बुलेटिन तथा पत्रिकाओं द्वारा धान और तिलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को किसानों में प्रचलित करना ।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना की स्थापना के साथ सन 1965 में कलिमपोंग और चिनसुरा में समन्वित धान सुधार कार्य शुरू किया गया था । इन दो केन्द्रों पर कम समय में धान की अधिक उपज देने वाली कई किस्में विकसित की गयी । इसके अलावा, अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत प्राप्त सामग्री की भी जांच की गयी । इन अनुसंधान केन्द्रों में किये गये परीक्षणों के परिणामों के अनुसार पश्चिमी बंगाल की विभिन्न कृषि जलवायुवीय अवस्थाओं के लिए चावल की अधिक उपज देने वाली उपयुक्त किस्मों के नाम ये हैं— बाला, कावेरी, पूसा 2-21 आई० ई० टी० 2508 और सी० आर० 36-148। ये किस्में वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, तथा आई० आर० 10 विजया, जया और जयन्ती किस्में ऊंचे सिंचित क्षेत्रों के लिए पकंज, जगन्नाथ आई० आर० 8 और विजया नीची भूमि के लिए, रत्ना , कृष्णा , पूसा 2-21, आई० ई० 489 सी० आर० 36-148 और सी० आर० 44-1 बोरो मौसम एवं रत्ना, कृष्णा और पूसा-2—21 किस्में गर्मी के समय के लिए उपयुक्त हैं ।

इसी तरह मूंगफली की तीन उन्नत किस्में यथा ए० एच० 1192, जे 11 और के० जी० 61-240 जिनमें तेल की मात्रा 50 प्रतिशत है तथा बीज की सुप्तावस्था करीब एक माह की होती है। बेरहमपुर में पृथक की गयी । सरसों, तिल अरण्डी, सूरजमुखी और कुसुम की उन्नत किस्मों को पृथक करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

प्रति यूनिट क्षेत्र और समय से चावल और तिलहन की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नत कृषि तकनीकें भी विकसित की गयी हैं और किसानों को इन्हें अमल में लाने की सलाह दी गयी है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य तेलों की आवश्यकता और उनका उत्पादन

7681. **श्री हाजी लुतफल हक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों की गत तीन वर्षों की खाद्य तेलों की वर्ष-वार आवश्यकता क्या थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि में इन राज्यों में खाद्य तेल का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ, और

(ग) इन राज्यों को, राज्य-वार कितने-कितने खाद्य तेल की सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खपत के संबंध में किसी व्यापक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की कमी और इस तथ्य की दृष्टि में कि मूल्यों में परिवर्तन, आय के स्तरों, खपत की पद्धतियों, जनसंख्या की वृद्धि आदि जैसे पहलुओं के आधार पर कुछ सीमा तक आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, देश में विभिन्न राज्यों की खाद्य तेलों की आवश्यक मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना संभव नहीं है।

(ख) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 1971 से 1973 के गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राज्यों को नीचे दी गई मात्रा में केवल आयातित तोरिया की सप्लाई की थी :—

(मीटरी टनों में)

	1971	1972	1973
पश्चिम बंगाल	29,329	44,708	35,416
असम .	5,546	1,984	—
मेघालय .	1,150	—	—
नागालैंड	524	226	—

विभिन्न राज्यों को तिलहनों और तेलों की अधिकांश सप्लाई प्राइवेट व्यापार से होती है। संलग्न विवरण से 1971-72 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के दौरान जिसके लिए ये आंकड़े उपलब्ध हैं, इन राज्यों में खाद्य तिलहनों और तेलों के रेलगाड़ियों द्वारा किए गए निबल संचलन के आंकड़ों का पता चलता है।

विवरण

तिलहनों और तेलों का अंतर्देशीय संचलन (वित्तीय वर्ष)

(मीटरी टनों में)

राज्य	मद	1969-70 निवल आयात (+) या निवल निर्यात (—)	1970-71 निवल आयात (+) या निवल निर्यात (—)	1971-72 निवल आयात (+) या निबल निर्यात (—)
1	2	3	4	5
1. पश्चिम बंगाल	**खाद्य तिलहन**			
	मूंगफली	(+)14,728	(+)11,840	(+)12,420
	तोरिया और सरसों	(+)2,19,508	(+)1,82,624	(+)150,997
	तिल	(+)1,985	(+)1,501	(+)1,402
	खाद्य तेल :			
	मूंग फली	(+)28,875	(+)42,367	(+)48,772
	नारियल . .	(+)1,389	(+)5,672	(+)6,804

1	2	3	4	5
2. असम	खाद्य तिलहन :			
	मूंग फली	(+) 1,397	(+) 1,511	(+) 1,024
	तोरिया और सरसों	(+) 6,014	(+) 5,201	(+) 13,009
	तिल	(—) 3,017	(—) 2,515	(—) 2,039
	खाद्य तेल :			
	मूंग फली	(+) 2,736	(+) 2,815	(+) 6,274
	नारियल	(+) 1,059	(+) 521	(+) 550
3. मणिपुर	खाद्य तिलहन :			
	मूंगफली	—	(—) 11	(—) 1
	तोरिया और सरसों	(—) 117	(—) 76	(—) 89
	तिल	(—) 465	(—) 490	(—) 63
	खाद्य तेल :			
	मूंगफली	(+) 12	(—) 5	(—) 6
4. नागालैंड	खाद्य तिलहन :			
	मूंगफली	(+) 9	(+) 17	—
	तोरिया और सरसों	(+) 32	(+) 28	(+) 176
	तिल	—	—	(+) 1
	खाद्य तेल :			
	मूंगफली	(+) 424	(+) 17[illegible]	(+) 169
5. त्रिपुरा	खाद्य तिलहन :			
	मूंगफली	(+) 74	(+) 65	(+) 94
	तोरिया और सरसों	(—) 110	(+) 35	(+) 17
	तिल	(—) 548	(—) 205	(—) 519
	खाद्य तेल :			
	मूंगफली	(+) 210	(+) 299	(+) 412
	नारियल	(+) 63	(+) 90	(—) 237

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि सेवा केन्द्र तथा बेरोजगार इंजीनियरों को दिया गया रोजगार

7682. **श्री हाजी लुतफल हक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कितने कृषि-सेवा केन्द्र हैं और इन राज्यों में प्रत्येक केन्द्र कहां पर स्थित है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों में, केन्द्रवार, नवयुवक बेरोजगार इंजीनियरों और अन्य तकनीकी व्यक्तियों में से कितनों को स्व-नियोजन प्रदान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में क्रमश: 148 और 45 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के स्थान और इस योजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों में नवयुवक बेरोजगार इंजीनियरों और अन्य तकनीकी व्यक्तियों में से कितनों को अपना रोज़गार प्रदान किया गया है इस संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं योजना में प्राय: सूखा-पीड़ित रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के लिए परिव्यय

7683. **श्री हाजी लुतफल हक** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं योजना की अवधि में प्राय: सूखापीड़ित रहने वाले क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) क्या 54 जिलों को प्राय: सूखा-पीड़ित रहने वाले ज़िलों के रूप में चुना गया है और यदि हां, तो राज्यवार उन जिलों के नाम क्या हैं और राज्य-वार इन जिलों में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) वर्ष 1974–75 में उक्त कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी राशि नियत की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 187 करोड़ रुपये (इनमें विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये भी शामिल है)।

(ख) 54 जिलों और उनके साथ-साथ उनसे अन्य 18 जिलों के सटे हुए इलाकों को प्राय: सूखे से पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों के रूप में चुना गया है। इन जिलों के नाम अनुबन्ध I में दिए गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6785/74] चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को कोई जिला-वार धनराशि मंजूर नहीं की गई थी। इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से लेकर कार्यक्रम वाले राज्यों को 84.88 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है और इसका राज्य-वार व्यौरा अनुबन्ध II में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6785/74]

(ग) वर्ष 1974–75 के लिए 22 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। राज्य को आवंटित की गई धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जानी है। राज्य सरकारों की 1974–75 की वार्षिक योजना में किए गये प्रावधानों के अनुसार राज्य अनुबन्ध 3 में दी गई धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। तथापि राज्यों को वास्तव में बंटित की जाने वाली धनराशि किये गये व्यय पर निर्भर करेगी।

प्रियदर्शिनी का जलयान के रूप में वर्गीकरण

7684. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान में निर्मित अयस्क-लदान के लिये प्लवक बम्बई गोदी 'प्रियदर्शिनी' बजरे (बार्ज) के स्वामी कौन हैं;

(ख) इसे भारत कब लाया गया था और कौन लाया था;

(ग) क्या इस बजरे को जलयान के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण भारत सरकार को 1 करोड़ रुपये की हानि हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(घ) इस हानि के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है; और

(ङ) उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) मैसर्स डेम्पो एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड पानाजी गोआ।

(ख) 14-2-1972 को मैसर्स डेम्पो एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड इसे भारत में लाये।

(ग) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के भाग V के अन्तर्गत 13-3-1972 को पोत का जहाज के तौर पर गलत पंजीकरण किया गया और इससे पोत स्वामी सीमा शुल्क के भुगतान से छूट का दावा कर सकते थे। परन्तु बाद में नौवहन महानिदेशक ने पंजीकरण के आदेश की समीक्षा की और 3-4-1973 को उसे रद्द कर दिया। इस मंसूखी के विरुद्ध पोतस्वामी ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका दर्ज कराई है। जब तक न्यायालय अपना फैसला नहीं दे देता, तब तक इस विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं होगा कि क्या इस कारण सरकार को कोई क्षति हुई है।

(घ) और (ङ) श्री के० पार्थसार्थी प्रधानाधिकारी, जल परिवहन विभाग, बम्बई और कैप्टेन एम० एम० पटेल भूतपूर्व भारत सरकार के नौ सलाहकार बम्बई जहाज के तौर पर प्रियदर्शिनी के गलत पंजीकरण के लिए जिम्मेदार थे। उक्त पोत के गलत पंजीकरण में हिस्सा लेने के कारण इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चालू कर दी गई है।

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार द्वारा खरीदी गई पुस्तकें

7685. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार ने गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, कितने मूल्य की पुस्तकें खरीदी हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में किस-किस विषय की कितनी पुस्तकें खरीदी गईं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

		रु०
(क)	1971-72	1,07,254.25
	1972-73	1,94,569.80
	1973-74	1,78,396.51
		4,80,220.56

(ख) विषय	खरीदी गई पुस्तकों की संख्या		
	1971–72	1972–73	1973–74
(1) दर्शनशास्त्र एवं धर्म सहित जीवन के सामान्य सिद्धान्त	1500	1000	1400
(2) सामाजिक विज्ञान और मानविकी	3400	3500	3500
(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी	900	100	209
(4) जीवनी-साहित्य, यात्रा तथा इतिहास	2226	619	2147
	8026	5219	7259

मत्स्य उद्योग के विकास में सहायता के लिए ईरान की ओर से अनुरोध

7686. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने मत्स्य उद्योग के विकास के लिये भारत से तकनीकी सहायता मांगी है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त प्रयोजन के लिए कुछ विशेषज्ञों को ईरान भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों के नाम, पदनाम तथा तकनीकी अर्हताएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). जी, हाँ। भारत और ईरान के बीच सहयोग अनेक क्षेत्रों में हुए करारों के भाग के रूप में, ईरान में मात्स्यकी के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक दल को ईरान भेजा गया था। दल में चार अधिकारी थे, जिनमें एक अधिकारी मात्स्यकी संबंधी तकनीकों का विशेषज्ञ था और अन्य सहायता कार्यक्रम को तैयार करने में मदद देने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त अधिकारी थे। इनमें से दो अधिकारियों को उक्त क्षेत्र में कुछ वर्षों तक प्रशासनिक हैसियत में कार्य करने की वजह से मात्स्यकी के कार्य का अनुभव था।

नाम	पदनाम
1. श्री के० के० भटनागर	उप सचिव (प्रशासन और मात्स्यकी), कृषि विभाग।
2. श्री के० एस० भुल्लर (स्वर्गीय)	मात्स्यकी आयुक्त, गुजरात सरकार।
3. श्री एम० पी० मोदी	उप सचिव, आर्थिक कार्य का विभाग, वित्त मंत्रालय।
4. श्री एस० बी० मनी	महा-प्रबन्धक, गुजरात मात्स्यकी केन्द्रीय सहकारी संघ, अहमदाबाद।

मुख्य मंत्री द्वारा सूचित पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति

7687. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने दार्जिलिंग में 19 फरवरी, 1974 को समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं को बताया था कि पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति अत्यन्त दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने उस प्रेस रिपोर्ट को देखा है जिसमें पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य मन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में कठिन खाद्य स्थिति के बारे में उल्लेख किया है।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में कठिन खाद्य स्थिति के बारे में लिखा है और खाद्यान्नों के अधिक आवंटन के लिए कहा है। पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों का आवंटन बढ़ा दिया गया है।

उड़ीसा के सूखाग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों के लिये दी गई धनराशि

7688. **श्री गजाधर माझी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये 1972–73 में, जिलावार, कितनी धनराशि दी; और

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकार ने जन जातीय क्षेत्रों में राहत कार्यों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये कितनी राशि मंजूर की?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सूखा, बाढ़ और तूफान सम्बन्धी राहत कार्यों पर 1972–73 के दौरान किए गए कुल 15.39 करोड़ रुपये के खर्च में से ज़िलों को सीधे 6.42 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, और शेष राशि इस प्रयोजन के लिए विभिन्न विभागों को दी गई थी। केवल मात्र सूखा राहत पर किए गए खर्च का कोई अलग हिसाब नहीं रखा गया है।

(ख) राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मंजूर की गई राशि आदिम जाति क्षेत्रों समेत सभी प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। तथापि, राहत देते समय प्रभावित आदिम जाति की जन-संख्या की आवश्यकता को यथोचित ध्यान दिया जाता है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में 1972-73 के दौरान सूखा, बाढ़ और तूफान संबंधी राहत कार्यों के बारे में जिलावार खर्च का ब्यौरा

क्रम सं०	जिला का नाम	(राशि लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	कटक	114
2.	पुरी	61
3.	बलसौर	50
4.	मैयूरभंज	53
5.	सम्बलपुर	56
6.	सुन्दरगढ़	16
7.	बोलनगीर	24
8.	धनकलनल	57
9.	कनझर	47
10.	गजम	96
11.	कोरापुट	38
12.	कालाहांडी	20
13.	फुलबानी	10
	जोड़	642

पड़ौसी राज्यों को चावल की तस्करी से उड़ीसा में चावल की कमी

7689. **श्री गजाधर मांझी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की आगामी फसल को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में चावल की कमी है;

(ख) क्या पड़ौसी राज्यों में इसका अधिक मूल्य होना भी एक कारण है; और

(ग) क्या एजेंट बड़ी मात्रा में चावल पड़ौसी राज्यों में ले जाते हैं जिसके लिये उन्हें अधिक मूल्य मिलता है और इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में कमी हो जाती है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) हालांकि पड़ौसी राज्यों में ऊंचे मूल्य चल रहे बताए जाते हैं, लेकिन सरकारी एजेंटों द्वारा इन राज्यों को तस्करी से चावल ले जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सीमा के पार बेइमान व्यक्तियों द्वारा तस्करी की जा रही बताई जाती है। तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

1. राज्य में 152 चैक गेट और चैक पोस्ट कार्य कर रहे हैं।

2. तस्कर निरोधी स्टाफ, मैजिस्ट्रेट और आर्मड पुलिस को सीमा क्षेत्रों की गश्त करने और रेल, सड़क तथा जल रूटों पर अचानक छापे मारने के लिए लगाया गया है।

3. अचानक छापे मारने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रवर्तन दल बनाए गए हैं।

4. सीमा क्षेत्र में चावल/धान के संचलन के बारे में मात्रा को एक क्विंटल से घटाकर 20. किलोग्राम कर दिया गया है और अन्तर्राज्यीय संचलन के बारे में 6 क्विंटल की सीमा निर्धारित कर दी गई है।

5. जिलाधीशों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे तस्करों के साथ सख्ती बरतें, जिसमें आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करना भी शामिल है।

6. जांच में तेजी लाना।

धान का वसूली मूल्य

7690. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भावी बाजार मौसम के लिये धान के वसूली मूल्य को बढ़ने संबंधी वास्तविका महसूस की है : और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने धान के वसूली मूल्य के समुचित स्तर को प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खरीफ मौसम 1974–75 के लिये धान का मूल्य निर्धारित करने से सम्बन्धित नीति पर विचार करते समय, जिस स्तर पर अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए, उसका निर्णय किया जाएगा।

पालामऊ जिले के कालेजों को विशेष अनुदान

7691. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पालामऊ जिले के कालेजों को कोई विशेष अनुदान देने का है क्योंकि पालामऊ जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटा नागपुर (बिहार) के लिये खाद्यान्न का विशेष कोटा

7692. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिये खाद्यान्न का विशेष कोटा देने जा रही है, क्योंकि वहा खाद्यान्न की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। खाद्यान्नों का आन्तरिक वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और केन्द्रीय सरकार राज्य के विभिन्न केन्द्रों को सीधे आवंटन नहीं करती है।

चीनी का मूल्य नियत करने के लिये नये प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति करना

7693. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का मूल्य नियत करने के लिये सरकार का नये प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) चीनी उद्योग के लागत ढांचे पर टैरिफ आयोग, जोकि एक स्थायी सांविधिक निकाय है, की अद्यतन रिपोर्ट (1973) तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1974–75 के मौसम के अन्त तक वैध है। अतः चीनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए किसी नए टैरिफ आयोग की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

Additional Quota of Foodgrains for Madhya Pradesh

7694. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government are considering to rush additional quota of foodgrains to Madhya Pradesh in view of bandhs in that state; and

(b) if so, the quantum thereof and by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) Allotments of foodgrains from the Central Pool are made every month keeping in view the availability of stocks in the Central Pool, needs of deficit States and other relevant factors. Madhya Pradesh has been allotted 10,000 tonnes of wheat for April, 1974. With the arrival of the new rabi crop in the market and the announcement of the policy regarding procurement and prices of wheat for 1974-75 rabi season, there will be improvement in the availability of foodgrains in the State.

Scheme for Education in Backward Areas

7695. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a scheme for educating the people living in backward areas; and

(b) if so, the features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) and (b) The draft Fifth Five Year Plan proposes accelerated development of backward areas as a cooperative endeavour in which the State Governments will play the pivotal role while the Central Government, the research institutions, the financing and other State and Central Corporations etc., will all make their contributions in accordance with well formulated and integrated plan of action. In the programme of primary education which is expected to be an important element in the Minimum Needs Programme of the Fifth Five Year Plan, the main thrust will be in respect of the most backward areas and the most under-privileged sections of the population. To promote primary education in backward areas and among the backward classes, a variety of incentives have been proposed in the State Sector *e.g.* free distribution to textbooks & Stationery, mid-day meals and girls uniform and attendance scholarships etc. More ashram schools are also proposed for the tribal areas.

'बार्ज केरियर्स' का प्रवर्तन करना

7696. **श्री रानेन सेन : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री माल सेवाओं में परिवहन की नवीनतम पद्धति, 'बार्ज केरियर्स' का प्रवर्तन करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। तट के आस पास के कोयले को ढोने के लिये कर्ष नाव और बजरा पद्धति के प्रयोग का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनारकली पार्क, दिल्ली में सीवर की नालियों और नर्सरी स्कूल की व्यवस्था

7697. **कुमारी कमला कुमारी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** 15 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनारकली पार्क, दिल्ली-51 में सिवर की नालियों और नर्सरी स्कूल की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इनकी कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ;

(ग) क्या जोनल प्लान के अनुसार राधेपुरी से अनारकली और उससे आगे 45 फुट चौड़ी सड़क का निकट भविष्य में निर्माण किए जाने की संभावना हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) शाहदरा क्षेत्र में कोई निकासी मल जल सुरंग नहीं है अतः इस क्षेत्र में आंतरिक मल जल नालियों की व्यवस्था नहीं की गई है। शाहदरा में निकासी मल जल सुरंग डालने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। यदि इस कार्य के पूर्ण होने के बाद, आंतरिक मल जल नालियां डालने का काम आरम्भ किया जाएगा।

अनारकली में एक सम्बद्ध नर्सरी कक्षा की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Corruption Charges against employees and officers supplying Ration to Fair Price Shops

7698. **Shri Mulki Raj Saini:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there are complaints of corruption against the employees and officers supplying ration articles to fair price shopkeepers in Delhi;

(b) whether these shopkeepers propose to go on strike in protest against giving less commission, less weighing and corruption; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Some complaints were received. Enquiries made by the Food Corporation of India into the complaints reveal that the allegation has not been correct.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कलकत्ता में चांदपाल घाट और बड़ा बाजार के बीच नाव सेवा

7699. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हुगली नदी के हावड़ा पुल पर भीड़ वाले समय में यातायात कम करने के लिए कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में चांदपाल घाट और बड़ा बाजार के बीच नाव सेवा आरम्भ करने को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने, 1,04,94,500 रुपये की लागत वाली राज्य सरकार (पश्चिम बंगाल) की योजना के प्रथम चरण पर मंजूरी दे दी है; और

(ग) क्या उक्त योजना के दूसरे चरण में हावड़ा और फेयरली प्लेस, कलकत्ता को मिलाने के लिए अपेक्षित पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) हुगली नदी में चान्दपाल घाट, बड़ा बाजार और हावड़ा के बीच फैरी सेवा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना का प्रथम चरण जनवरी, 1974 में 1,04,94,500 रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया।

(ग) योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत फैरी सेवाओं के वास्तविक कार्यों को देखने के बाद ही योजना के दूसरे चरण पर विचार किया जायेगा ?

कच्चे पटसन की उत्पादन लागत

7700. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में मदवार कच्चे पटसन की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत में प्रमुख फसलों की खेती की का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अंतर्गत चालू कृषि वर्ष (1973–74) के दौरान असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पटसन को प्रमुख फसल के रूप में अध्ययन करने के लिए हाथ में लिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय, आदि फील्ड आंकड़े एकत्र कर रहे हैं जिन्हें संबंधित राज्यों में यह कार्य सौंपा गया है। वर्ष के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय आदि लागत के आंकड़े संकलित करके उसे इस मंत्रालय के पास आगे और विश्लेषण के लिए भेजेंगे अतः विभिन्न राज्यों में कच्चे पटसन की मदवार अलग-अलग उत्पादन लागत उपलब्ध होने में कुछ समय लग जायेगा।

नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 तक गत तीन वर्षों की इसी अवधि में वसूल किये गये खाद्यान्न की मात्रा

7701. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 तक कुल कितना खाद्यान्न वसूल किया; और

(ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 की इसी अवधि में कितना-कितना खाद्यान्न वसूल किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नवम्बर, 1973 से जनवरी, 1974 के दौरान और पिछले तीन वर्षों के उन्हीं महीनों के दौरान अधिप्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा।

(आंकड़े हजार मी० टन में)

वर्ष	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
1973–74	812.0	869.6	880.4
1972–73	474.5	525.4	570.7
1971–72	778.6	786.4	610.2
1970–71	683.0	856.5	726.8

सफदरजंग उपरि-पुल

7702. **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 9 जनवरी, 1974 को सफदरजंग (दिल्ली) के उपरि-पुल का एक भाग ध्वस्त हो जाने की जांच करने और उसके कारणों का पता लगाने के लिये एक आत्म-निर्भर तकनीकी समिति गठित की है ;

(ख) क्या उक्त समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन एक जांच आयोग की नियुक्ति की थी जिस का काम, 9 जनवरी, 1974 को सफदरजंग उपरि-पुल की दो मेहराबों/स्पेनों (निर्माणाधीन) के गिरने के तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं उसके कारणों की जांच करना था।

(ख) तथा (ग) : आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली नगर निगम के 20 गोदामों को सील किये जाने के समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं **गृह मंत्री** का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली नगर निगम के 20 गोदामों का सील किया जाना"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 16-4-74 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक लिखित शिकायत मिली जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ फर्मों के साथ सांठ-गांठ करके विस्फोटक पदार्थ तथा भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति को झूठ-मूठ दिखाकर, (जिसे कुछ फर्मों द्वारा सप्लाई किया गया दिखाया गया था) सरकारी धन का गबन किया गया है जब कि वास्तव में कोई सप्लाई नहीं की गई थी या कम अथवा घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि टेंडर स्वीकार करने में उन फर्मों के साथ पक्षपात करने के लिये कुछ सरकारी अभिलेखों में अन्तःक्षेप (इंटरपोलेट) तथा जालसाजी की गई है। यह आरोप भी लगाया गया था कि वे फर्में अपना नाम बदल रही हैं। चूंकि आरोपों से अपराधिक जुर्मों का होना प्रकट होता था तथा शिकायत में यह बात विशेष रूप से कही गई थी कि यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तत्काल कार्यवाही नहीं करता तो अभियुक्त साक्ष्य को नष्ट कर देंगे, इसलिए केन्द्रीय जांच-ब्यूरो के एस० पी० ई० डिवीजन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी/420/409/467 तथा भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम की धारा 5(1)(ग) व (डी) के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन दिनांक 17-4-1974 को प्रातः 8 बजे एक मामला दर्ज किया गया और जांचपड़ताल शुरू की गई। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को सूचित कर दिया गया और दिल्ली नगर निगम के सतर्कता निदेशक से तत्काल अनुरोध किया गया कि वे इस संबंध में आवश्यक सहायता करें। करोलबाग क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित अभिलेखों को कब्जे में लेने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दल की सहायता के लिए उप निदेशक, सतर्कता को भेजा गया था।

2. स्टाक की जांच-पड़ताल करने के उद्देश्य से 17 अप्रैल और उसके बाद की तारीखों को निगम के विभिन्न भण्डारों पर और उसके "हाट मिक्स प्लाण्ट" पर मौजूद संबंधित अभिलेखों को कब्जे में लेने के लिए कार्रवाई की गई थी। चूंकि भण्डार में कमी का आरोप लगाया गया था इसलिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक (चीफ टेक्नीकल इक्जामिनर) द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी स्टाफ और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सतर्कता संगठन की सहायता से मौजूदा स्टाक की जांच शुरू की गई। आगे जांच जारी है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय के वक्तव्य में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से भी कम जानकारी दी गई है।

निगम का कुल बजट 6 करोड़ रुपए का है जिसमें से 2 करोड़ रुपये निगम का रख-रखाव का बजट है, 2 करोड़ रुपए भारत सरकार का अनुदान है, 50 लाख रुपये बस्तियों के विकास के लिये है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुसूची के अनुसार प्रत्येक 2 करोड़ रुपये के व्यय के लिये एक अधीक्षक इंजीनियर रहता है। परन्तु निगम में पूरे बजट के लिये कुल एक ही अधीक्षक इंजीनियर है।

मार्च, 1974 में करोल बाग जोन की 22 लाख रुपये की खरीद दिखाई गई है तथा सिविल लाइन्स जोन की 8 लाख रुपये की। 20 मार्च को टेंडर आमंत्रित किए गये थे। 26 मार्च को खोले गये। 27 मार्च को निपटान किया गया तथा 28 मार्च को बिल पास करके दिया गया और अदायगी कर दी गई। परन्तु वास्तव में माल की सप्लाई नहीं की गई।

जिन फर्मों से खरीद की गई उनके नाम हैं डी० के० एण्ड कम्पनी, के० एम एण्ड कम्पनी और नरेश कुमार जैन। यह सब जाली फर्में हैं। एक ही बड़े आदमी के लड़कों ने बहुत सी जाली फर्में खोल रखी हैं।

मंत्री महोदय इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवायें। श्री सत पाल लरीजा की भी तीन जाली फर्में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें नामों का उल्लेख करना है तो अध्यक्ष को पूर्व सूचना देनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं और नामों का उल्लेख नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह फर्मों के नामों का उल्लेख कर सकते हैं परन्तु व्यक्तियों के नामों का नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सभी जाली फर्में पार्षदों के संबन्धियों के नाम पर है। यदि यह लोग दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो यह हमारे सार्वजनिक जीवन पर कलंक होगा।

क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के पश्चात् एक उच्च शक्ति, प्राप्त आयोग की नियुक्ति करेंगे तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से नियमों के उल्लंघन के बारे में पूछताछ करेंगे।

यदि मंत्री महोदय और तथ्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : मेरी कठिनाई केवल यही है कि मामले की जांच की जा रही है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी कार्यवाही की जायेगी। मैं यह नहीं कह सकता कि यह सभी फर्में संबद्ध हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इन नामों की फर्में हैं भी ?

श्री राम निवास मिर्धा : इन बातों की जांच की जा रही है कि कौन सी फर्मों ने कौन कौन सी वस्तुएं सप्लाई की हैं। 19-20 स्टोरों पर छापा डाला गया और उनके माल की जांच पड़ताल की गई है। उन सबके द्वारा आयकर, बिक्री कर आदि की अवहेलना की जांच की जायेगी।

श्री पी० गंग देव (अंगुल) : मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो को करोल बाग में दिल्ली नगर निगम के 20 गोदामों के सील किये जाने पर बधाई देता हूं।

दिल्ली नगर निगम विश्व में टोक्यो नगर निगम के पश्चात् सबसे बड़ा निगम है। इसका कुल बजट 6 करोड़ रुपये का है। यदि उसके 10 प्रतिशत का भी घोटाला होता है तो यह लगभग एक करोड़ रुपया बन जाता है। यह मामला दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ दल द्वारा किये गये कदाचारों से संबन्धित है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : हम लोग दिल्ली नगर निगम के 20 गोदामों के सील किये जाने के बारे में विचार कर रहे हैं किसी राजनीतिक दल पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी की आपत्ति वैध है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरों को शीघ्र कार्यवाही करने के लिये बधाई दी है। दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाने के मामले की स्थिति क्या है।

श्री पी० गंगदेव : मैं दिल्ली की यूथ कांग्रेस को इसके लिये बधाई देता हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस मामले का उद्देश्य यहीं स्पष्ट हो जाता है।

श्री पी० गंगदेव : मैं मंत्री महोदय से इस बारे में सभी तथ्य देने तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने का निवेदन करता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य का कहना है कि नगर निगम की प्रक्रिया इस तरह की बनायी जाये की धन के गबन किये जाने के अवसर न रहे। निगम की वही प्रक्रियाएं हैं जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा उल्लिखित सभी बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री माधुर्य्य हालधार (मथुरापुर) : मैं तो केवल उस महिला को धन्यवाद देता हूं जिसने अधिकारियों को जांच में सहायता दी। परन्तु मुझे उसके जीवन का भय है। उसकी सुरक्षा के समुचित उपाय किये जाने चाहिये। मैं मंत्री महोदय से उन ठेकेदारों के बारे में पूछना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच पूरी किये जाने के पश्चात् उसकी प्रतियां उपलब्ध की जायेगी। मुझे पता चला है कि दिल्ली नगर निगम के ओवरसियरों को 1000 रु० तथा सहायक इंजीनियरों को 5000 रु० तथा कार्यकारी इंजीनियरों को 10,000 रु० तक की भवन निर्माण सामग्री की खरीद करने के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इन विशेष अधिकारों के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ठेकेदार इन लोगों के संबन्धी है। मुझे भय है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों सभी तथ्यों का पता नहीं लगा सकेगा क्योंकि ये पार्षद सीधे अथवा परोक्ष रुप से इंजीनियरों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिये मैं सरकार से न्यायिक जांच कराने के लिये आग्रह करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह इंजीनियर कब से गोदामों के कार्यभारी हैं। समाचार पत्रों में छपा है कि करौल बाग जोन में जिस घोटालों का पता चला है वह तो पूरे निगम में विद्यमान वित्तीय गोलमालों का एक लघु अंश मात्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चांदनी चौक के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम निवास मिर्धा : 19 गोदामों को सील किया गया था तथा उनके माल की जांच की जा रही है। जो व्यक्ति इस मामले में सहयोग दे रहे हैं उनको उचित संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। चांदनी चौक के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। क्योंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कुछ मामलों पर शिकायतें प्राप्त हुई थी जिन पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। यदि कुछ और शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी भी जांच की जायेगी। यदि कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मामले तैयार हो जाते हैं तो उन पर न्यायालय में कार्यवाही की जायेगी।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): The C.B.I. has sealed 20 godowns. But I am surprised that not even a single engineer has been suspended so far and the houses of not even a single contractor has been searched. At least the firms and the houses of the persons concerned should be searched. Nowhere in the world there is provision for the payment of premium to the members as was decided during the office term of Lt. Governor Shri Jha.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Even the Congress members are being paid that amount.

Shri Shashi Bhushan: Apart from that Rupees 20 thousand more are paid for the repair of electricity etc. Nowhere in the whole world this provision exists. There is no check over it and this whole affair becomes media of curruption. The articles seized have been used in the houses of the councillors. In this co-operative society whose name has been mentioned Shri Kanwar Lal Gupta has got two plots......

Mr. Speaker: Please do not mention name of any person without giving a prior notice for that.

Shri Shashi Bhushan: Mahvirji has one. I demand an enquiry in the matter. Why are the houses of the councillors mentioned not being searched. The hon. Minister may please reveal the names of the councillors. When would you search their houses together with those of involved officers? Would the Government take care that the officers conducting the enquiry are given protection and are not influenced.

श्री राम निवास मिर्धा : यह ठीक है कि अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। पर्याप्त मात्रा में प्रमाण मिलने पर ही गिरफ्तारियां की जायेंगी।

जहां तक अधिकारियों को संरक्षण देने का प्रश्न है हम इस जांच में पूरा सहयोग देंगे।

पार्षदों द्वारा 50,000 रुपये व्यय किये जाने की प्रथा काफी समय से चल रही है। इस ओर हम ध्यान देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसमें संशोधन भी करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों संबंधी वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यक उपक्रमों के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6763/74]**

राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73, बंबई इनाम कच्छ क्षेत्र उत्सादन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, बंबई अभिधृति तथा कृषि भूमि (गुजरात) संशोधन अधिनियम, गुजरात देवस्थान उत्सादन अधिनियम उत्सादन (संशोधन) 1973 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद् अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 6764/74]**

(2) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बम्बई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्मादन (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 6) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बम्बई अभिधृति तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 7) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 6767/74]**

(3) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तोन) के साथ पठित गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 1966 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (संशोधन) नियम, 1973 (**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम० 281 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 6767/74]**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या उन्होंनें इस की सूचना दी थी ? क्या उन्होंने आपकी अनुमति मांगी थी ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अभी तीन दिन पूर्व सभा में आधे घंटे से अधिक इस पर चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं मुझे इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी।

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजपत्रों वाले बड़े नगरों में सड़कों का विकास और रख-रखाव के बारे में बिहार सरकार से करार

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजपथों वाले बड़े नगरों में सम्पर्क सड़कों के विकास और रख-रखाव के बारे में भारत के राष्ट्रपति और बिहार सरकार के बीच हुए करार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6767/74]**

विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता न्यायधारियों की कार्यकारी समिति तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के न्यायधिकारियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6768/74]**

(2) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6769/74]

अध्यक्ष महोदय : एक और मद 7ए बाद में जोड़ी गई है । श्रीमती सुशीला रोहतकी सभा पटल पर रखेंगी ।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 182 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखती हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6671/74]**

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

125वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर बसु : मैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवायें) में दिये गये पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 125वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INTERIM REPORTS BY NATIONAL COMMISSION ON AGRICULTURE

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि सदस्यों को मालूम है , भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि आयोग से कहा गया है कि वह उसे सौंपे गए विचारार्थ विषयों के ऐसे मुद्दों पर अंतरिम सिफारिशें करे जिसे वह उपयुक्त समझे । इस आयोग ने विभिन्न विषयों पर अब तक 18 अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन सभी रिपोर्टों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

इस आयोग ने 19 अप्रैल, 1974 को भारत सरकार को निम्नलिखित विषयों पर तीन और अतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की है।

1. रेगिस्तान विकास ।
2. वन अनुसंधान और शिक्षा ।
3. चुनी हुई निर्यात उन्मुखी कृषि जिन्सों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ।

ये रिपोर्टें और इन तीनों अंतरिम रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों के सार सभा-पटल पर रख दिए गए हैं।

मैने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में सरकार द्वारा अगली कार्यवाही करने से पहले वह इन सिफारिशों की शीघ्र जांच करे।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई तीन अंतरिम रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 19-4-1974 को भारत सरकार को इन विषयों पर तीन अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं :—

1. रेगिस्तान विकास

2. वन अनुसंधान और शिक्षा

3. चुनी हुई निर्यात उन्मुखी कृषि जिन्हों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू।

इन तीन अंतरिम रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. रेगिस्तान विकास पर अंतरिम रिपोर्ट

रेगिस्तान विकास पर अंतरिम रिपोर्ट राजस्थान, हरियाणा और गुजरात स्थित वृहत् भारतीय रेगिस्तान के बारे में है। आयोग ने रेगिस्तानी क्षेत्र को तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति से बचाने के लिए शीघ्र कार्यवाई करने की मांग की है और इसके सुधार तथा आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक 15 वर्षीय कार्यक्रम की सिफारिश की है ताकि वहां सूखे और शुष्कता के कारण पैदा होने वाली अधिकांश बाधायें स्थायी तौर से कम की जा सकें और इस अविकसित क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से स्थायी रूप से सुधार किया जा सके।

इस आयोग द्वारा सुझाई गई समेकित योजना में जल-स्रोतों, वानिकी, पशु-पालन और चरागाह विकास पर साथ-साथ ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है। अनुपयुक्त क्षेत्रों को शामिल न करके राजस्थान नहर परियोजना को नया रूप देने और समाज के ज्यादातर वर्गों को लाभ पहुंचाने हेतु सिंचाई के अंतर्गत कुछ और क्षेत्र लाने के लिये पांच उठाऊ नहरों के निर्माण के प्रस्ताव जल स्रोतों के उपयोग के महत्वपूर्ण उपायों में से हैं। इस रिपोर्ट में हरियाणा और गुजरात में जल-स्रोतों के शीघ्र विकास के लिए नदियों के पानी के बटवारे के प्रश्न पर शीघ्र समझौता करने पर जोर दिया गया है।

भूमिगत जल उपयोग का विचार मुख्य रूप से घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिए है। अनियमित वर्षा के जल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए बड़े पैमाने पर खादिन बंधी और अदबंधी जैसी जल सरक्षण तकनीकों के प्रयोग का प्रस्ताव है। उपलब्ध जल-स्रोतों के समुचित उपयोग की सिफारिश करते हुए आयोग ने पशुपालन की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये मिश्रित खेती में चारा फसलें उगाने के लिए नहर कमांड क्षेत्रों के लगभग 30 प्रतिशत भाग को प्रयोग में लाने के लिए खेती की प्रणाली में परिवर्तन और बढ़िया बीजों के बड़े पैमाने पर उत्पादन जिसके लिए यह क्षेत्र अत्यंत उपयुक्त है, का सुझाव दिया है।

कमांड क्षेत्र विकास के प्रारम्भिक चरणों में उपलब्ध जल का प्रयोग करके वृक्ष लगाने, रक्षा पट्टियों और वायु-रोधियों का विकास करने और वनस्पति को पुनर्जीवित करने के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सिफारिश की गई है ताकि गर्म हवाओं, वायु अपरदन, रेत उड़ने और कृषि योग्य खेतों में रेत जमा

होने के प्रभाव पर काबू पाया जा सके। नहरी कमांड क्षेत्रों में अस्थिर रेत के टीलों और ऐसे टीलों पर जो कि वास-स्थानों, सड़कों तथा रेलों के लिए बाधा पैदा करते हैं, वृक्ष और घास उगाने का सुझाव दिया गया है। ईंधन और छोटी लकड़ी की आवश्यकतायें स्थानीय रूप से पूरी करने और मौजूदा साधनों को ज्यादा उपयोग में लाने और "फोग" जड़ों को खुदाई से बचाने के लिए वृक्षरोपण कार्यक्रम भी तेज किया गया है। ऐसी जड़ों की खुदाई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जमीन रेतीली होने लगती है।

आयोग ने सिफारिश की है कि रेगिस्तान क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था मुख्यरूप से पशु-पालन प्रधान होनी चाहिए। पशु और भेड़ पालकों की उनके सामाजिक विकास और पशुधन के समुचित प्रजनन के लिए मौजूदा खानाबदोशी की बड़े पैमाने पर रोक-थाम करने पर इन कार्यक्रमों पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। सुझाये गए कार्यक्रमों में पशुओं और भेड़ों की उत्पादकता सुधारने के लिए नियोजित प्रजनन भी शामिल है। नहर कमांड क्षेत्रों में अतिरिक्त दुग्ध एकत्र और दुग्ध प्रशीतन केन्द्र तथा दुग्ध उत्पाद कारखाने स्थापित करके डेरी विकास का प्रस्ताव किया गया है।

अन्य शुष्क क्षेत्रों में भेड़ विकास पर प्रमुख जोर दिया गया है जिसके लिए ऊन-कटाई तथा श्रेणी-करण केन्द्रों और ऊन तथा मांस विपणन व्यवस्थाओं का सुझाव दिया गया है। लघु उद्योगों द्वारा स्थानीय रूप से ऊन का अधिक से अधिक उपयोग और रोजगार की और अधिक सुविधायें पैदा करने के लिए ऊन के प्रारम्भि परिसंस्करण हेतु पर्याप्त विस्तार सहयोग की सिफारिश की गई है।

पशुओं को पर्याप्त पौषाहारों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में दाना-चारा के साधनों में बढ़ोतरी करने के कायक्रमों की सिफारिश की गई है। इसके लिए चरागाहों के बड़े पैमाने पर विकास इनका अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करने की रोकथाम के लिए नियंत्रित चराई, और अभाव वाले वर्षों में पूर्ति करने के लिए घास के सुरक्षित भंडार और चारा भंडार स्थापित करने के प्रस्ताव किए गए हैं।

अनुमान लगाया गया है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत विकास के अन्य मदों के अलावा सिफारिश किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राजस्थान में लगभग 397 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। इसमें राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करने और कमांड क्षेत्र के विकास के लिए 297 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। हरियाणा में 16 करोड़ रुपये और गुजरात में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह सुझाव दिया है कि इस कार्यक्रम को तीन योजनाओं की अवधि में विभिन्न चरणों में समुचित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए और इसका समय पर और कारगर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये संगठन की दृष्टि से पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

2. वन अनुसंधान और शिक्षा के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट

वन अनुसंधान और शिक्षा के संबंध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि भारत में वन अनुसंधान का विद्यमान आधार आयोग की दो पिछली अंतरिम रिपोर्टों में, जो "उत्पादन वानिकी-मानव—निर्मित वन" और "सामाजिक वानिकी" के बारे में थी, बताए गए अभिगम के आधार पर कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए सुपर्याप्त नहीं है। आयोग ने वनों के प्रबंध और उपयोजन के क्षेत्र में तेजी से बदलती हुई प्रोद्योगिकी के प्रसंग में और गतिशील वानिकी चलन अपनाने की जरूरत को देखते हुए वानिकी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त अनुसंधान समर्थन की जरूरत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट में संगठनगत, तकनीकी और वित्तीय अड़चनों को दूर करने तथा देश में वन अनुसंधान और शिक्षा में फिर से प्राण फूंकने के लिए जरूरी उपायों को भी लिया गया है।

आयोग ने वन अनुसंधान को तीन समूहों में बांटा है, अर्थात (1) वानिकी और जैविकीय अनुसंधान, (2) औद्योगिक और उपयोजन अनुसंधान; और (3) वन-प्रबंध और संक्रियागत अनुसंधान, जिसमें आंकड़े अर्थ-व्यवस्था और बाजार अनुसंधान भी शामिल हैं। आयोग ने स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तरों पर बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अनुकूली अनुसंधान कार्य चलाने के लिए जरूरी संगठन के प्रकारों का भी संकेत दिया है। आयोग ने सफारिश की है कि वनों के बारे में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान चलाने के लिए जरूरी सुविधायें कृषि विश्वविद्यालयों में ही खड़ी की जानी चाहिए। दूसरे विश्वविद्यालय भी यथा संभव सीमा तक वन संबंधी समस्याओं के बारे में अनुसंधान कार्य को गठित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए राज्यों के वन विभागों को चाहिए कि वे आवश्यक सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करें। स्थानीय किस्म की संवद्ध अनुसंधान की समस्याओं का हल करने के लिए राज्यों के वन विभागों को सुसज्जित अनुसधान संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए जिनमें उचित संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाए। मूल अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त केन्द्रीय वन अनुसंधान संगठनों को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय महत्व के संबद्ध अनुसंधान कार्य को शुरू करना चाहिए और जिन राज्यों में अनुसंधान आधार की कमी है उन राज्यों को संगठनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से वन अनुसंधान कार्य में सहायता भी देनी चाहिए औद्योगिक अनुसंधान का उत्तरदायित्व केन्द्र को संभालना चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफी पूंजी विनियोजन की, विशेष निपुणता की ओर सामान की जरूरत है। इस समय फल मार्गदर्शी प्रयोगों की शीघ्र वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए कोई सुव्यवस्थित औद्योगिकीय यूनिट नहीं है, अतः इसे ठीक करना ही होगा। केन्द्रीय सरकार को आवश्यकता अनुसार बहुमुखी प्रादेशिक वन अनुसंधान संस्थानों की भी स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेष समस्या प्रवण अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केन्द्र भी खोले जाने चाहिए।

कृषि तथा अन्य विश्वविद्यालय जो वन अनुसंधान संबंधी कार्य शुरू करना चाहते हैं, पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ-साथ वानिकी को भी एक विषय के रूप में शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे चल कर इस विषय को योग्य कर्मचारी और अनुसंधान के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होने पर वानिकी के स्नातकों, स्नातकोत्तर और डाक्ट्रेट डिग्री पाठ्यक्रमों में भी सम्मिलित किया जा सकता है। वानिकी के स्नातकों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है ताकि मन पसन्द व्यवसाय के चुनने में अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही वानिकी को भारतीय वन सेवा की प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में चुने गए विषयों में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वानिकी विषय के विश्वविद्यालय स्नातकों को राज्य वन सेवा अधिकारियों और वन राजिकों की भर्ती में भी प्राथमिकता दी जा सकती है। अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए एकीभूत अभिगम को अपनाया जाना चाहिए जिससे अध्यापकों को अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके और इसके विपरीत अनुसंधानकर्ताओं को अध्यापन में। आयोग ने यह भी शिफारिश की है कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को, जो पारम्परिक रूप से अनुसंधान करने और शिक्षा देने का कार्य करता रहा है, पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वानिकी में शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की सहायता से वन अनुसंधान तथा शिक्षा को प्रोत्साहित करने और केन्द्रीय तथा राज्य वन अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालायों के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल स्तर के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में उच्च स्तरीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद स्थापित की जानी चाहिए। वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद् का एक काम यह भी होगा कि वह तकनीकी जनसाधन का यथार्थ परक निर्धारण करें जिसमें वन प्रबंध, अनुसंधान और उद्योगों में व्यवसाय के स्तरों पर जरूरी विशेषीकरण की प्रत्येक कोटि को शामिल किया जाए।

केन्द्रीय तथा राज्य अनुसंधान संगठनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों और वन-आधारित उद्योगों की समस्याओं को अभिज्ञात करने और पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को बनाने में और ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए। एक बार जब कार्यक्रम बन जाए, मंजूर हो जाए और पैसा मिल जाए तो फिर संस्थान/केन्द्रों को पैसा खर्च करने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए।

आयोग ने सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजनाओं में वन अनुसंधान और शिक्षा की कुल निधि सकल घरेलू उत्पादन में वानिकी और उत्काष्ठन उद्योग क्षेत्र के योगदान के एक प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। वन निगमों और वन आधारित उद्योगों के औद्योगिक उत्पादों के ऊपर अनुसंधान और विकास उपकर वन उत्पादों पर लगने वाले बिक्री कर पर एक उपकर या अधिभार लगाने की संभावनाओं की भी वन अनुसंधान और विकास के हेतु वित्त पोषण के एक श्रोत के रूप में खोज की जानी चाहिए। आयोग ने कार्मिक नीति और संवर्ग प्रबंध के बारे में उनकी कार्य दक्षता सुधारने की दृष्टि से कई सिफारिशें की हैं।

3. चुनी हुई निर्यात प्रवण कृषि जिंसों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट

चुनी हुई निर्यात प्रवण कृषि जिन्सों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने पांच जिंसों को लिया है अर्थात् चाय, काफी, तम्बाकू काली मिर्च और इलायची जो कुल मिलाकर देश से कृषि जिंसों के आयात का लगभग 40 प्रतिशत होती है। आयोग ने एक अवधि तक इनके उत्पादन और आंतरिक मांग की संभव रूझानों के प्रकाश में इन जिंसों की निर्यात संभावनाओं के मोटे निर्धारण का प्रयास किया है। यह भी प्रायास किया गया है कि उन कुछ देशों को भी अभिज्ञात किया जाए जहां इन जिंसों की काफी ज्यादा मांग हो सकती है। इन जिंसों के बारे में निर्यात बढ़ाने या निर्यात आन्दोलन के आड़े आने वाले तत्वों के असर को कम करने के लिए विभिन्न उपायो पर चर्चा की गई है और यह चर्चा भविष्य में उनकी मांग के प्रसंग में की गई है।

चाय के बारे आयोग ने सुझाया है कि न केवल परम्परागत खरीदारों बल्कि नए बाजारों के लिए भी इसकी निर्यात संभावनाओं का देशवार निर्धारण लगातार करते रहना चाहिए। यह कहा गया है कि चाय की आंतरिक मांग उत्पादन के अनुसार निर्यात को रखने की दृष्टि से राजकोषीय उपाय अपनाकर काफी कम रखी गई है। आयोग द्वारा तय की गई चाय की आंतरिक मांग इस समय कल्पित मांग की तुलना में बहुत ज्यादा है और इसके लिए एक तीव्र उत्पादन कार्यक्रम और वर्तमान अभिगम में पुनरनु-स्थापन करना होगा। पहला आवश्यक कदम यह है कि सर्वेक्षण के माध्यम से चाय के रोपण के अच्छे मध्यम और अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकरण के विषय में आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और इस बात का पता लगाया जाए कि विभिन्न चाय उत्पादक संघों और संबद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से चाय उगाने के लिये कितनी उपयुक्त फालतू भूमि उपलब्ध है। सुव्यवस्थित और अधिक उत्पादनशील किस्मों की रोपाई के क्षेत्रों में होने वाली सामान्य वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए। मध्यम श्रेणी के बागान की सुव्यवस्था होने के पश्चात् ही उनके क्षेत्र में विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यथासंभव मध्यम श्रेणी के रोपणों की उपज में वृद्धि करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त पूंजी और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अन्य रोपणों के संबंध में (जिनमें बहुसंख्यक छोटी जोतें सम्मिलित हैं) कीनिया के चाय विकास प्राधिकरण के ढंग की एक योजना को विकसित करके उसे सहकारी क्षेत्र में प्रारम्भ किया जा सकता है। आयोग ने, दार्जलिंग के चाय बागानों, रूग्ण रोपणों को ठीक-ठाक करने, आन्तरिक उपयोग को बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करने तथा चाय उद्योग के दीर्घावधि विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की

समस्याओं पर विशेष बल दिया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक बागान को वित्तीय सहायता राज्य/क्षेत्रीय औसत उपजों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर दी जानी चाहिए और उसमें विभिन्न प्रकार के चाय रोपणों को वित्तीय सहायता देने की कसौटियां भी सुलझानी हैं।

काफी के मामले में आयोग ने जोर दिया है कि दुनिया के बाजारों में काफी की मांग के यथार्थ परक अनुमान लगाये जाने चाहिए और नये बाजार विकसित करने की गुंजाइश खोजनी चाहिए। उचित प्रचार और खुदरा बिक्री की सुविधाओं में दिये जाने पर घरेलू मांग भी आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो जायेगी। काफी के उत्पादन कार्यक्रम में इन तत्वों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

आयोग का विचार है कि दो से दस हैक्टर विस्तार वाले रोपणों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है अगर उनको उचित आदान सेवायें और पर्याप्त विस्तार मदा प्रदान की जाये। केरल के छोटे काफी उत्पादकों की समस्याओं की ओर अविलम्ब ध्यान देना होगा। काफी बोर्ड को ऐसे रोपण इलाकों में जहां छोटी जोत वाले धनी आबादी के रूप में रहते हैं। किसान सेवा समितियों को गठित करने के लिये नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए। साथ ही रोपणों के अधीन आने वाले इलाकों में और बोर्ड द्वारा अभिज्ञात कुछ संभाव्य इलाकों में छोटी जोत वाले काफी रोपण की नियां के चाय विकास प्राधिकरण के संरूप पर क्रमिक रूप से विकसित किये जाने चाहिए। छोटे रोपणों के पुनर्वास के लिये जल्दी सर्वेक्षण करके दो तीन सालों में इन रोपणों और उच्च उपज वाली काफी की कलम की किस्मों के इलाकों के बीच के अन्तर को कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यथोचित रूप से चल रहे काफी रोपणों को बैंकों से काम चलाऊ पूंजी मिलनी चाहिए और काफी बोर्ड की विकास निधि को काम चलाऊ पूंजी में नहीं फंसना चाहिए।

तम्बाकू के बारे में आयोग समझता है कि अब लोगों की आम खपत रूझान कम निकोटीन वाली विजीनियां की ओर बढ़ रही है इसलिए हल्की मृदा वाले सिंचित इलाकों में पैदा की गई तम्बाकू की किस्म बाजार की दृष्टि से ज्यादा अच्छी रहेगी। यह भी अत्यावश्यक है कि फिलर तम्बाकू के विश्व व्यापार में प्रवेश करके तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, खासकर जब भारत के पास ऐसी किस्में हैं जो स्पर्धी दामों में दिये जाने पर दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना सकती है। आयोग ने इस बात को उचित समझा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से निर्यात का दूसरा जरिया तलाश किया जाये, ताकि विदेशों के एकाधिकार को समाप्त किया जा सके। आयोग ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित तम्बाकू बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ हल्की मृदा वाले क्षेत्रों में उगाये जाने वाले कम निकोटीन वाले तम्बाकू के लिए परम्परागत खरीददारों की अभिरूचि का अध्ययन और पूरक (फिलर) तम्बाकू की निर्यात की संभाव्यताओं के सुधार के लिये आवश्यक कदम उठाने का कार्य भी सौंपा जाना चाहिए।

काली मिर्च के संबंध में आयोग का यह विचार है कि पन्नीयुर-1 संकर किस्म के, जो केवल अधिक उत्पादनशील ही नहीं, बल्कि गुण की दृष्टि से भी निर्यात के योग्य हैं, लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि मंत्रालय को चाहिए कि वह संबंधित राज्यों के परामर्श से मुरझान रोग के उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए एक उपयुक्त योजना शीघ्र प्रारम्भ करे। काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि आयात करने वाले देशों की लोकप्रिय किस्मों, प्रचलित मूल्यों और सप्लाई के स्रोतों के संबंध में जानकारी इकट्ठी की जाये, ताकि उन बातों को ध्यान में रखते

हुए ही प्रतियोगिता संबंधी योजना को तैयार किया जा सके। भारतीय श्रेणीकरण की प्रणाली में विदेशी विशिष्टताओं का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि देश में कम तिक्तता वाली काली मिर्च का उत्पादन संभव हो सके। ज्यादा तिक्तता वाली काली मिर्च की निर्यात मांग को पूरा करने की बहुत कम जरूरत है और इससे बिना किसी दिक्कत के पूरा किया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिये मुख्य विचारणीय बात अधिकांश निर्यात बाजारों में उपज और किस्म की स्वीकार्यता होनी चाहिए। परिसंस्कृत काली मिर्च उत्पादों के लिये कुछ देशों की मांग को देखते हुए उसके निर्यात की अर्थ-व्यवस्था और संभावना की भी जांच की जानी चाहिए।

इलायची के संबंध में आयोग का विचार है कि "कट्टा" रोग लग जाने से उपज में कमी हो जाती है। और सभी रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर इस रोग का नियंत्रण करने के लिये अविलम्ब उपाय करने होंगे। यह सुझाव दिया गया है कि इलायची बोर्ड को रोपणों का एक सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि "कट्टा" रोग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सके। पुनः रोपण कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्र को काफी बढ़ाया जाना चाहिए। लधु किसानों द्वारा अपनाने के लिये उपयुक्त चलनों का पैकेज भी खोजना होगा। संरक्षित घाटी स्थलों में सुपारी और काली मिर्च के साथ-साथ मिली जुली फसल के रूप में इलायची उगाने की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। स्केन्डीनेवियन देशों को निर्यात करने के लिये इलायची की घनी किस्मों को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए। इलायची के परि-संस्कृत उत्पादों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर इन उत्पादों की अर्थ-व्यवस्था अनुकूल पाई जाये तो उन देशों को भी अभिज्ञात किया जाना चाहिए जहां इन्हें निर्यात किया जा सके

न्यू फ्रेंडस कोओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी के संबंध में सदस्य का वक्तव्य

Statement By Member Re: New Friends Co-operative House Building Society

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री बाजपेयी निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत वक्तव्य देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था और मुझे निदेश 115 के अधीन मामला रखने का परामर्श दिया गया था।

मुझे कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई है। श्रीमती शकुन्तला मसानी जो कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी की मित्र हैं को एक प्लाट सोसायटी द्वारा दिया गया था। मेरे पास इस बारे में लिखित प्रमाण हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The Minister of State in the Ministry of Home Affairs had disturbed facts in his statement made in the house on 10th April, 1974 regarding New Friends Cooperative House Building Society. The hon'ble Minister had stated that out of 50 new members eventually enrolled, as many as 34 are neither government servants nor they are closely related to government servants. But he has not stated anything about the rest of the 16 members. I had stated on 9th April that high officials have been benefited as a result of illegal and irregular allotment of land. The hon'ble Minister has neither denied nor confirmed it. It is an effort to suppress the facts and mislead the House. The hon'ble Minister had stated that the question of 'waiting list' of 102 Members is also before the court but he added that Delhi Administration has stated before the Supreme Court that there is no waiting list approved by the Lt. Governor in so far as this society is concerned. The Secretary of Delhi Development Authority has submitted an Affidavit before the supreme Court. It has been mentioned in the last para of this affidavit that the old management of the society had submitted a waiting list of persons to the Delhi Administration in

December, 1966. The list was signed by two officers of the Delhi Administration and is on record. Not only that I have got a copy of the letter written by Lt. Governor to the President of the society. It has been stated therein "However, if some members on approved waiting list of some of the cooperative House Building Societies in South Delhi are offered to you for Membership by us, these will have to be accommodated by your Society. When other House Building Societies have waiting list, why Friends Society cannot have one. The government should explain as to what is meant by approved list. Shri Mirdha has said that it is not the practice to publish any notice for general public to get the members enrolled. I would like to ask him that how can corruption, favouritism and nepotism be prevented without any public notice?

I would like to point out that the Chairman of the Society asked for permission to enrol 60 new members on 26th January i.e. on public holiday and the same was granted on the same day by the Lt. Governor. I want to know as to how these persons were contacted and enrolled as members? Moreover only general body is competent can enroll new Members and no body else. But in this case the Managing Committee decided to enrol new members. Shri Mirdha has also not explained that Delhi Administration had banned enrolment of new Members of cooperative societies and new Members could be enrolled with prior permission of Delhi Administration. The Government should let us know the criteria for enrolment of new members and whether that criteria has been followed in this case? I would like to know whether the Lt. Governor had gone through the names of the new members or he just signed the papers without getting them scrutinised? The hon'ble Minister is silent about the action to be taken by the Central Government in this land grab incident in which high officials are involved. I demand that action should be taken against all the officials who are found to be guilty of getting the land through irregular and illegal means. Secondly the Government should review the constitution of all the House Building Societies, the procedure and rules for allotment of plots so that the bungling as in the case of New Friends Society is not repeated.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने अगले दिन विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया था। मुझे निदेश 115 के अधीन एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय: श्री वाजपेयी ने इस बारे में पहले ही उल्लेख कर दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कुछ नये तथ्यों का पता चला है जो उनके पास है । मैं उनको अपने वक्तव्य में सम्मिलित, नहीं कर सका ।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन पर विचार करूंगा ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Some new facts about the society have been published in the press and therefore we are also interested in this discussion.

Mr Speaker: I would advise you to listen to their points and prepare a reply to them.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): The copy of the statement made by Shri Vajpayee just now was sent to you and my reply is ready.

श्री बसंत साठे (अकोला) : श्री वाजपेयी ने कुछ बातें कहीं हैं और यदि श्री बसु के पास कुछ और सामग्री है और वह सभा के समक्ष रखना चाहते हैं तो वह नियम 193 के अधीन नोटिस दे दें और उसपर ब्यौरेवार चर्चा कर ली जाय (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं इन प्लाटों के मूल्य के बारे में बताना चाहता था । यदि कोई व्यक्ति इस सोसायटी का सदस्य है तो उसे 50,000 रुपये देने होंगे परन्तु यदि सदस्य नहीं है तो उसका मूल्य 1,25,000 रुपये है ।

श्री राम निवास मिर्धा : अपना वक्तव्य देने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस विषय पर सम्पूर्ण चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह मामला न्यायालय में भी चल रहा है। इस तथ्य को ध्यान रखकर यदि चर्चा की जाये तो हम उसके लिए सहमत हैं।

दिनांक 10 अप्रल, 1974 के अपने वक्तव्य में मैंने यह बताया था कि न्यू फ्रैण्डस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से सम्बन्धित मामला उच्चतम न्यायालय में अनर्णीत पड़ा है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पहले जो कुछ कहा गया था उसमें से अधिकांश वही बातें हैं जो न्यायालय में दायर किये गये कतिपय शपथ-पत्रों में आरोप के रूप में थीं। चूंकि मामला न्यायाधीन था इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे वस्तु-स्थिति तक ही सीमित रहना होगा। यह विवशता अभी भी बनी हुई है।

श्री वाजपेयी अब कहते हैं कि दिनांक 10 अप्रैल, 1974 को तथ्यों को पेश करने में मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सदन से छिपाया है और कुछ अन्य तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। मैं इस का खण्डन करता हूं।

श्री वाजपेयी कहते हैं कि मैंने कहा था कि 50 नये सदस्यों में से 34 न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न सरकारी कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी हैं और मुझ पर दोष लगाते हैं कि मैंने यह नहीं बताया कि शेष 16 सदस्य कौन हैं। इस सन्दर्भ से यह सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि शेष व्यक्ति केवल या तो सरकारी कर्मचारी या उनके निकट सम्बन्धी हो सकते हैं। अतः इसमें तथ्यों को छिपाने की कोई बात नहीं है।

श्री वाजपेयी ने कतिपय व्यक्तियों से सम्बन्धित अपने पहले के वक्तव्य का उल्लेख किया है जो कि, उनके अनुसार, सोसाइटी से, भूमि के अनियमित तथा अवैध आवंटन के जरिये, लाभान्वित हुए हैं। वह मेरे ऊपर, यह दोष भी लगा रहे हैं कि मैंने उनके वक्तव्य का खण्डन या पुष्टि नहीं की है। श्रीमान, यह न्यायालय के सामने रखे गये आरोपों में से एक है और जब यह मामला न्यायाधीन है तो मैं इस आरोप के संबंध में कोई भी बात कैसे कह सकता था।

102 सदस्यों की "वैटिंग लिस्ट" के बारे में मैंने जो कुछ कहा था, श्री वाजपेयी ने उसका उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों का विचार यह दिखाई देता है कि जो कुछ मैंने कहा था और जो कुछ डी० डी० ए० के सेक्रटरी द्वारा दायर किये गये हलफनामें तथा प्रशासन के दिनांक 31 जुलाई, 1967 के पत्र में कहा गया है, उसमें विरोधाभास है। जो कुछ मैंने पिछली बार कहा था वह तथ्यों की दृष्टि से सही है और वह मैंने यह कहा था कि दिल्ली प्रशासन ने उच्चतर न्यायालय में यह कहा है कि उप-राज्यपाल द्वारा स्वीकृत ऐसी कोई "वैटिंग लिस्ट" नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने न्यायालय में जो कुछ कहा था यह केवल उसी का जिक्र था। प्रशासन द्वारा न्यायालय में कही गई बात तथा हलफनामें और प्रशासन के उक्त पत्र में क्या कोई विरोधाभास है, यह प्रश्न निःसंदेह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार न्यायालय द्वारा ही किया जाना है।

श्री वाजपेयी ने इस बात को उठाया है कि "एप्रूव्ड" सूची से क्या मतलब है और वे जानना चाहते हैं कि "वेटिंग लिस्ट" को एप्रूव्व करने की प्रक्रिया क्या है ? उन्होंने यह भी कहा है कि "एप्रूव्ड" का मुद्दा घोटाले पर पर्दा डालने के लिए उठाया गया है। श्रीमान, उच्चतम न्यायालय के सामने इस मामले में यह दावा किया गया है कि 1966 में सोसाइटी द्वारा एक एप्रूव्ड वेटिंग लिस्ट मेन्टेन की जा रही थी। दूसरे पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस प्रकार, श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये प्रश्न न्यायालय के सामने हैं।

श्री वाजपेयी ने यह प्रश्न पूछा है कि यदि नये सदस्यों की भर्ती के लिए सहकारी समितियों द्वारा सार्वजनिक सूचना देने की परिपाटी नहीं है तो भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद को कैसे रोका जा सकता है ? श्रीमान्, जो कुछ मैंने सदन में कहा था वह प्रचलित परिपाटी के संबंध में वस्तु-स्थिति ही थी । क्या इस परिपाटी से भ्रष्टाचार आदि उत्पन्न होता है, यह एक अपनी-अपनी विचारधारा की बात है।

छुट्टी के दिन नये सदस्य बनाने के वास्ते अनुमति के लिए समिति के अनुरोध के सन्दर्भ में उप-राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में श्री वाजपेयी ने कुछ बातें कही हैं । अपने पिछले वक्तव्य में मैंने इस मामले से संबंधित शपथ-पत्र और प्रति शपथ-पत्र का उल्लेख किया था । इसलिए मैं इस संबंध में आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा ।

श्री वाजपेयी कहते हैं कि यह कहने में मैं सही नहीं था कि सदस्यों का नामांकन सोसाइटी के मैंनेजमेन्ट के क्षेत्राधिकार में है । उनके अनुसार नये सदस्यों का नामांकन केवल सोसाइटी की जनरल सभा कर सकती है, अन्य कोई नहीं । श्रीमान्, वस्तु-स्थिति यह है कि दिल्ली कोआपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 1973 और उस सोसाइटी के उपनियमों के अधीन मैनेजिंग कमेटी नये सदस्यों को भर्ती करने के लिए सक्षम है ।

उप-राज्यपाल द्वारा नामजद प्रबन्ध समिति और उसके तीन सदस्यों को उस बैठक के बारे में, जिसमें नए सदस्य भरती करने का निर्णय लिया गया, कोई सूचना न देने का आरोप न्यायालय के विचाराधीन है ।

नए सदस्य भरती करने पर रोक लगाने के मामले पर भी न्यायालय विचार करेगा ।

यह प्रश्न कि सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा लिखा पत्र उसी दिन उप-राज्यपाल के पास कैसे पहुंच गया और सूची को दिल्ली विकास प्राधिकरण को जांच के लिये क्यों नहीं भेजा गया, विशेष रूप से न्यायालय के समक्ष उठाया गया है।

श्री वाजपेयी इस बात का कारण भी जानना चाहते हैं कि सोसाइटी ने उन कतिपय सदस्यों को क्यों नामांकित करने का निर्णय किया था जो उन प्लाटों को लेने के इच्छुक नहीं थे । श्रीमान्, मैंने जो कुछ कहा था वह यह था कि सोसाइटी द्वारा सिफारिश किये गये 60 नामों में से केवल 50 व्यक्तियों को ही 28 फरवरी, 1974 को अन्ततोगत्वा नामांकित किया गया था । यह वक्तव्य तथ्यों की दृष्टि से सही है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता कि कुछ सदस्यों ने प्लाट लेने से इन्कार क्यों किया या उन्हें प्लाट क्यों नहीं मिले ।

श्री वाजपेयी द्वारा उठाया गया अगला प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने प्लाट लेने से इन्कार किया, क्या उनमें दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर, श्री टम्टा भी हैं और क्या उन्होंने आलोचना के भय से अपना नाम वापिस ले लिया ? यह सत्य है कि सदस्यता के लिए श्री टम्टा का आवेदन-पत्र स्वीकार किया गया था किन्तु, उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन्हें कोई प्लाट नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने तीन मास से कम समय में उस प्लाट की कीमत अदा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि मैं इस प्रश्न पर मौन हूं कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है । इस अवस्था में जबकि सारा मामला न्यायाधीन है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता । मेरा प्रयास केवल वस्तु-स्थिति प्रस्तुत करने का ही रहा है, न कि किसी व्यक्ति के आचरण को ठीक ठहराने या उस पर दोषारोपण करने का ।

श्री वाजपेयी का यह सुझाव कि सभी गृह-निर्माण समितियों की कार्य-प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाये इस वक्तव्य की सीमा से बाहर का विषय है । फिर भी मैं इस सुझाव को कृषि मंत्री और निर्माण तथा आवास मंत्री को भेजूंगा और वे जो भी कार्रवाई उचित समझेंगे, करेंगे।

संविधान (32वां संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति में सदस्यों को नियुक्त करने के संबंध में राज्य सभा को सिफारिश

Constitution (Thirty-Second Amendment) Bill

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री जयसुखलाल हाथी, अजित प्रसाद जैन, राम निवास मिर्धा, सी० डी० पाण्डे और बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह के राज्य सभा से निवृत्त होने के कारण भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के पांच सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री जयसुखलाल हाथी, अजित प्रसाद जैन, राम निवास मिर्धा, सी० डी० पाण्डे और बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह के राज्य सभा से निवृत्त होने के कारण भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के पांच सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैंने नोटिस दिया हुआ है........

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार मनमर्जी से मामलों को उठा कर अध्यक्ष को विवश नहीं कर सकते। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। जब मैं सभा की कार्यवाही चला रहा होता हूं तो ऐसे अनेक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। आप इस प्रकार बाधा न डालें । आप बैठ जाइये। मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहने से पूर्व उस विषय पर विचार करूंगा ।

नियम 37 के अन्तर्गत मामला।

Matter under Rules 377.

कानपुर के एक अस्पताल में डाइक्सिटोसिन इन्जेक्शन से एक लड़की की मृत्यु का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जो नकली दवाइयों के प्रयोग के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बारे में है । गुलूकोम के नकली इंजेक्शन लगाये जाने के कारण कानपुर अस्पताल में 24 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज आपने समाचार-पत्र में पढ़ा

होगा कि $2\frac{1}{2}$ वर्ष की एक लड़की डाइक्रिस्टमिन के 'टेस्ट डोज़' के बाद तत्काल मर गई । पुलिस ने इस स्थानीय अस्पताल में इस प्रकार के सभी इंजेक्शन 'सील' कर दिये हैं और कम्पौंडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली दवाइयां बनाने वाली फ़र्मों की संख्या में वृद्धि हो रही है । वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश में दवाइयां बनाने की फ़र्मों की संख्या केवल 37 थी और अब उनकी संख्या 200 हो गई है । इनमें से केवल कानपुर में ही 70 फर्में हैं । ये फ़र्में कुछ बड़े आदमियों से सम्बद्ध हैं । केन्द्रीय सरकार पेथड्रीन जैसी कुछ दवाइयां बनाने के लिये अाफीम सप्लाई करती है । आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस आफ़ीम का 50 प्रतिशत भाग कानपुर में हिन्द कमिकल्स नामक एक ही फ़र्म में प्रयोग होता है । मैं हैरान हूं कि इन फ़र्मों के कार्यकरण की कोई जांच नहीं की गई है । मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री को इस विषय पर वक्तव्य देने के लिये कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को माननीय सदस्य के विचारों से अवगत करवाऊंगा मैं उनसे कहूंगा कि वह इस मामले की जांच करें ।

अनुदानों की मांगें 1974-75
Demand for Grants 1974–75

कृषि मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि मंत्रालय की मांग संख्या 1—10 पर चर्चा करेगी और मतदान होगा जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव भेजना चाहें वे 15 मिनट में अपनी पर्चिया भेज दें और वे प्रस्तुत समझे जायेंगे ।

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व सं०	पूंजी रुपये
1	2	3	4
1.	कृषि विभाग . .	1,36,02,000	—
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6,50,000	—
3.	कृषि .	3,06,60,42,000	3,06,60,42,000
4.	मछलीपालन .	1,06,50,000	1,06,50,000
5.	पशुपालन और डेरी विकास .	2,40,33,000	2,40,33,000
6.	वन	45,83,000	45,83,000
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगी	29,11,80,000	—
8.	खाद्य विभाग .	10,99,83,000	10,99,83,000
9.	सामुदायिक विकास विभाग .	24,65,11,000	—
10.	सहकारिता विभाग	17,59,37,000	17,59,37,000

कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1.	1	श्री भोगेन्द्र झा	भूमि की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित संशोधित कानूनों को लागू करने और फालतू भूमि को, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्रों में, भूमिहीनों में वितरित करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
1.	2	श्री भोगेन्द्र झा	बटाईदारों की बेदखली को बिल्कुल समाप्त करने और निर्धारित अवधि तक उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असफलता	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
3.	12	श्री भोगेन्द्र झा	ऐसी समस्त कृषि योग्य भूमि को जिस पर खेती नहीं की जाती और भूतपूर्व नरेशों के नाम से कागजों में दर्ज हुई भूमि को भूमिहीनों और भूमि के लिये तरस रहे किसानों में वितरित करने में असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
4.	15	श्री भोगेन्द्र झा	मछली पालन के विकास के लिये, विशेषकर बिहार और पूर्वोत्तर भारत में, गैर मजरुआ तलाबों और जोहड़ों को बड़े भूस्वामियों के अतिक्रमण से बचा कर उन्हें सरकारी अधिकार में लेने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
6.	16	श्री भोगेन्द्र झा	वनहीन कृष्य भूमि को जो पहले वन भूमि थी, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य भूमिहीनों में बांटने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिय जाये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	17	श्री भोगेन्द्र झा	ग्रामीण, नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में दुर्बल वर्गों को नियंत्रित मूल्यों पर खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सभी अनाजों के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने और विपणन योग्य समस्त फालतू अनाज की ग्रेडिड लेवी प्रणाली के माध्यम से वसूली करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
8.	19	श्री भोगेन्द्र झा	भारतीय खाद्य निगम के अधीन अनाज की बर्बादी, चोरी और मिलावट को रोकने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
9.	20	श्री भोगेन्द्र झा	ग्राम पंचायत को अधिक अधिकार और धन देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
	21	श्री भोगेन्द्र झा	ग्राम पंचायतों के कार्यपालिका और न्यायपालिका विभागों का और अधिक लोकतंत्रीकरण करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
10.	22	श्री भोगेन्द्र झा	प्रत्येक पंचायत में सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों की पृथक सहकारी समितियां बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
	23	श्री भोगेन्द्र झा	अवैध सूद-खोरी को रोकने और गरीब किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को कम ब्याज पर ऋण देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
1	39	श्री सरजू पांडे	बटाई प्रथा समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1	40	श्री सरजू पांडे	बड़े भूपतियों के पास कृषि योग्य समस्त भूमि को अपने हाथ में लेने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
1	41	श्री सरजू पांडे	भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धित कानूनों को लागू करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
1	42	श्री सरजू पांडे	बंजर तथा हदबन्दी से बची जमीन को भूमिहीनों में वितरित करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
1	43	श्री सरजू पांडे	भूमिहीनों में भूमि बांटने की सरकार की घोषित नीति को कार्यान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
8	49	श्री सरजू पांडे	ग्रामीण, नगरीय तथा उद्योगिक क्षेत्रों में नियंत्रित मूल्यों पर अनाज देने के लिये गेहूं के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
	51	श्री सरजू पांडे	चीनी मिलों का राष्ट्रीय करण करने में असफलता।	100 रुपये
	52	श्री सरजू पांडे	ग्रामीण कृषि मजदूरों तथा गरीब किसानों के लिए पृथक सहकारी समितियां बनाने में असफलता।	100 रुपये
	53	श्री सरजू पांडे	गरीबों तथा कृषि मजदूरों को सूदखोरी से बचाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण दिलाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	54	श्री रामवातार शास्त्री	भूमि सुधार कार्यक्रम की असन्तोषजनक प्रगति।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
1	55	श्रीरामावतार शास्त्री	अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर भूमि सुधार कानून बनाने की आवश्यकता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

1	2	3	4	5
8	56	श्री रामावतार शास्त्री	गेहूं के थोक व्यपार को सरकारी अधिकार में लेने की नीति को तिलांजली देकर जमाखोरों और मुनाफाखोरों के सामने सरकार का आत्म-समर्पण	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
8	57	श्री रामावतार शास्त्री	गेहूं, चावल, मोटे अनाज, चीनी, खाने वाले तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को सरकारी अधिकार में लेने की आवश्यकता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
8	58	श्री रामवतार शास्त्री	चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
8	59	श्री रामवतार शास्त्री	चीनी की खुली बिक्री बन्द करके उसे उचित दर दुकानों के माध्यम से ही बेचने की आवश्यकता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
1	60	श्री लालजी भाई	नई दिल्ली विशेषकर मोती बाग क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर टोकन के अनुसार दूध की पूरी मात्रा सप्लाई करने में असफलता।	100 रुपये
1	61	श्री लालजी भाई	नई दिल्ली विशेषकर मोती बाग क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ पक्षपात करने वाले अधिकारियों के उकसाने पर दूध के कोटे में बहुत अधिक कमी करना।	100 रुपये
1	69.	श्री आर० वी० बड़े	नई दिल्ली विशेषकर सरोजिनी नगर क्षेत्र में दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर प्राधिकृत टोकनों के आधार पर दूध की पूरी मात्रा सप्लाई करने असमर्थता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
1	70.	श्री आर० वी० बड़े	नई दिल्ली विशेषकर सरोजिनी नगर क्षेत्र, में दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ पक्षपात करने वाले अधिकारियों के उकसाने पर दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर दूध के कोटें में भारी कटौती करना ।	100 रुपये
1	71.	श्री आर० वी० बड़े	दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों पर यह जोर देने की आवश्यकता कि वे केवल मेज कुर्सियों पर बैठ कर ही कार्य न करते रहें बल्कि नई दिल्ली विशेष कर सरोजिनी नगर क्षेत्र के दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर स्वयं जायें और टोकनधारियों को पेश आने वाली कठिनाइयों को स्वयं देखें और उन्हें दूर करने के उपाय करें ।	100 रुपये
8	72.	श्री एस० एम० बनर्जी	उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।
8	73.	श्री एस० एम० बनर्जी	अनाज के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
8	74.	श्री आर० वी० बड़े	वनस्पति घी को कम से कम घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध कराने तथा गृहणियों को भारी कठिनाइयों और मानसिक वेदना से मुक्त करने की तुरन्त आवश्यकता ।	100 रुपये
8	75.	श्री आर० वी० बड़े	नई दिल्ली में वनस्पति घी की जमाखोरी और उसके काले बाजार को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
8	76.	श्री आर० वी० बड़े	इस बात का पता लगाने में असफलता कि हलवाइयों को वनस्पति घी और मैदा कहां से मिलता है जबकि आम आदमी को इन आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	77.	श्री ग्रार० वी० बड़े	हलवाइयों द्वारा वनस्पति घी ग्रौर मैंदा के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
8	78.	श्री ग्रार० वी० बड़े	नई दिल्ली में उपभोक्ताग्रों को घरेलू प्रयोग के लिए वनस्पति घी ग्रौर मैंदा सप्लाई करने में ग्रसफलता जबकि हलवाइयों को यह ग्रावश्यक वस्तुएं खूब मिल रही हैं ।	100 रुपये
8	79.	श्री ग्रार० वी० बड़े	वनस्पति घी, मैंदा ग्रौर दिल्ली दुग्ध योजना के दूध जैसी जैसी ग्रावश्यक वस्तुग्रों को वितरण प्रणाली में सुधार की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
8	80.	श्री ग्रार० वी० बड़े	गेहूं के मूल्य में ग्रसाधारण वृद्धि के बावजूद नई दिल्ली में उचित दर की दुकानों को भारतीय खाद्ध निगम द्वारा घटिया गेहूं सप्लाई किय जाने के कारण ।	100 रुपये
8	81.	श्री ग्रार० वी० बड़े	भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में उपभोक्ताग्रों के लिये उचित दर की दुकानों को ग्रायातित गहूं के स्थान पर देशी गेहूं सप्लाई करने की ग्रावश्यकता ताकि गेहूं के परिवहन पर होने वाले खर्च से बचा जा सके ।	100 रुपये

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : यदि भारत से बाहर का कोई व्यक्ति विभिन्न कृषि विभागों तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का ग्रध्ययन करें तो वह महसूस करेगा कि कृषि मंत्रालय इस क्षेत्र में बहुत ग्रच्छा काम कर रहा है परन्तु हम वस्तुस्थिति को जानते है ग्रौर इस लिये हमारी धारणा ऐसी नहीं बन सकती ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy speaker in the chair]

हमारे संविधान में एक निदेश है कि ग्राय स्तर में ग्रन्तर को कम से कम किया जाना चाहिये। परन्तु वास्तव में यह ग्रन्तर बढ़ता जा रहा है । कृषि भूमि केवल कुछ ही लोगों की सम्पत्ति है । इस सम्बन्ध में ग्रनेक कानून बनाये गये है परन्तु इस स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ा है । राज कमेटी ने ग्रपने प्रतिवेदन

में लिखा है कि 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का कृषि उत्पाद के दो तिहाई भाग पर नियंत्रण है। यदि यह बात ठीक है तो इसका अर्थ यह है कि 70-80 प्रतिशत लोग मेहनत-मजदूरी करने में लगे रहते हैं परन्तु उन्हें अनाज कपड़ों आदि आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

गरीब लोगों को ऋण देने के लिये बैंक विधियां बनाई गई हैं परन्तु बिना जमानत के ऋण नहीं दिया जाता। ग्राम में गरीबी के कारण उद्योगों का विकास भी नहीं हो सकता। योजना आयोग की 'टास्क फोर्स' ने भूमि सुधार के बारे में एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि सुधार कानून पास किये गये हैं परन्तु उनको क्रियान्वित करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार जो धन खर्च करती है उसका लाभ धनवान लोगों को पहुँचता है निर्धन को नहीं।

सरकार ने अनाज का थोक व्यापार छोड़ दिया है। इसका परिणाम यह निकला है कि मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। लोगों में असंतोष फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में संशोधित राशन व्यवस्था विफल हो गई है और यह सरकार वहां की जनता के कष्टों का अनुमान भी नहीं लगा सकती। वहां पर 3-4 रुपये किलो चावल बिक रहा है। अन्य राज्यों में भी उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध न होने के कारण भारी असंतोष व्याप्त है। देश में अनाज का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद जनता का उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध करना सम्भव नहीं हो सका। इसके लिये सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। हमारे देश का पिछड़ापन भी इस कृषि नीति का परिणाम है। इन परिस्थितियों में हमारे देश का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से गरीबी समाप्त नहीं हो सकती और न ही बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियां गड़बड़ कर रही हैं परन्तु यह सरकार उन्हीं की नीतियों को क्रियान्वित कर रही है। वह मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करने वालों तथा बड़े जमीनदारों की सहायता कर रही है। हमारी जनता के लिये संघर्ष के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह गया। उन जमींदारों की भूमि, जिनके पास 10 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हैं या 20-30 एकड़ से अधिक बारानी भूमि है परन्तु जो कभी मेहनत नहीं करते या अपनी ज़मीन नहीं जोतते, उनसे लेकर गरीब भूमिहीन किसानों को आदिवासियों तथा हरिजनों में बांट दी जानी चाहिये।

यदि इस प्रकार के कदम उठाये जायें तो औद्योगिक उत्पदन तथा कृषि उत्पादन बढ़ सकता है और गरीबी मिट सकती है और यदि नहीं तो देश की दशा सुधारने के लिये और कोई विकल्प नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री से मुझे एक नोट प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए 10 मिनट निर्धारित किये गये हैं। वे इस बात को ध्यान में रखें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू): वर्ष 1973-74 की कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि विभाग ने योजना और उत्पादन संबन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए द्रुत प्रयास किये हैं। वर्ष 1968-69 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 940 लाख टन था। वर्ष 1970-71 में, जबकि मौसम और अन्य परिस्थितियां अनुकूल थी, कुल खाद्यान्न उत्पादन 1084 लाख टन हुआ। 1972-73 में, सूखा और दैवी संकटों के कारण खाद्यान्न का उत्पादन घटकर 952 लाख टन रह गया अगर किसानों को ऋण और उर्वरक ठीक समय पर उपलब्ध किये जाते, तो प्राकृतिक संकटों के बावजूद वे अधिक उत्पादन करने से नहीं चूकते।

भारत की 70 प्रतिशत जनता का पेशा कृषि है। किसानों को उर्वरक ठीक समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं किये जाते, फिर भी वे अधिक मूल्य की मांग नहीं करते? सरकार भी उद्योग-पतियों और औद्योगिक मजदूरों के हितों की सुरक्षा करती है, जो उत्पादन नहीं करते बल्कि, उपभोग

ही करते हैं। कृषि मजदूरों को पूरे साल काम मिलने की भी गारन्टी नहीं है, जबकि औद्योगिक मजदूरों को साल भर काम मिलने की गारन्टी है ।

किसान केवल कृषि जन्य आय पर गुजारा नहीं कर सकता। मैं स्वयं कृषिजन्य आमदनी पर गुजारा नहीं कर सकता। किसान अपने लिए ही नहीं, बल्कि सारे देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करता है।

भारत सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित गेहूं के थोक व्यापार संबन्धी नीति के अन्तर्गत महानगरों में रहने वाले व्यक्तियों और औद्योगिक मजदूरों को ही गारंटी दी गई है। खाद्यान्न उत्पादकों के पास केवल एक या दो महीने का ही खाद्यान्न भंडार है । भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों के अमल में आने के बाद अब कोई भी बड़ा किसान नहीं है । जहां भूमि सुधार संबन्धी कानून लागू नहीं हुए हैं वहां भी एक या दो साल बाद कोई बड़ा किसान नहीं रहेगा। उन राज्य सरकारों ने भी भूमि सुधार संबन्धी आवश्यक कानून बनाने में रुचि नहीं दिखाई है, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ है ।

आन्ध्र प्रदेश में 10 लाख एकड़ सरकारी भूमि वितरित की जा चुकी है। मेरे क्षेत्र में जमींदारों ने भूमि पर कब्जा कर लिया है । मैंने इस बारे में कई बार सरकार को लिखा है । मेरे निर्बाचन क्षेत्र में एक लाख एकड़ भूमि का वितरण किया जाना है। उस भूमि पर दो फसलें उगाई जा सकती हैं । पटवारी से कलक्टर तक सभी सांठगाँठ करके भूमिहीन लोगों को भूमि का अधिग्रहण नहीं होने दे रहे हैं । कुछ व्यक्तियों को सहकारी समितियों के नाम में 50 से 100 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है और कुछ व्यक्तियों को फर्म संस्थान के नाम में 200-500 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है और ये एक भी पैसा सरकार को कर के रूप में अदा नहीं कर रहे हैं । राज्य सरकारें भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन में पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रही। हमें अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।

भू-जल सर्वेक्षण के लिए अपर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है । आन्ध्र प्रदेश में भू-जल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के पास धन नहीं है । भारत सरकार को विश्व बैंक से अनुरोध करना चाहिये कि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता करे।

यह आरोप लगाया गया कि राज्य सरकारें खाद्यान्न वसूली में पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रही हैं । आंकड़ों से पता चलता है कि वसूली में काफी सफलता प्राप्त हुई है । वर्ष 1971-72 (नवम्बर-अक्तूबर) में कुल 31,16,000 टन खाद्यान्न की वसूली हुई और वर्ष 1972-73 (नवम्बर-अक्तूबर) में खाद्यान्न की कुल वसूली 27,06,000 टन हुई और केन्द्रीय पूल में 14,25,000 टन खाद्यान्न दिया गया। गंभीर सूखे की स्थिति के बावजूद आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय पूल में 6,000 टन खाद्यान्न दिया है ।

अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं किये जा रहे हैं । उर्वरकों के वितरण की कोई निश्चित नीति नहीं है । सभी राज्यों के लिए उर्वरकों के वितरण की एक समान नीति होनी चाहिये। उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए। एक वरिष्ठ आई०सी०एस० अधिकारी श्री शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त उर्वरक जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि उर्वरकों के वितरण का काम प्राइवेट वितरकों को भी सौंपा जाना चाहिये। इसका परिणाम यह हुआ है कि बाजार में उर्वरक उपलब्ध ही नहीं होते। अकेले आन्ध्र प्रदेश में ही उर्वरकों के 1500 सहकारी डिपों हैं, परन्तु सरकारी नीतियों के कारण हम किसान को उसके घर उर्वरक उपलब्ध नहीं कर पा रहे ।

चीनी के बारे में कोई मूल्य नीति ही नहीं है। आन्ध्र प्रदेश ने 170 रु० प्रति क्विटल चीनी मूल्य की सिफारिश की है, मध्य प्रदेश में चीनी मूल्य 193.00 रु० प्रति क्विंटल है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दक्षिण बिहार में चीनी मूल्य क्रमश: 166 रु०, 181 रु० और 176 रु० है।

सहकारी चीनी कारखानों का एक राष्ट्रीय फेडरेशन है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने फेडरेशन की एक मीटिंग में कहा कि सहकारी कारखाने खुली बिक्री वाली चीनी को ठीक प्रकार से नहीं बेच रहे हैं। अगर ऐसा है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये परन्तु बिना कार्यवाही किये इस प्रकार आक्षेप लगाना ठीक नहीं।

देश के सहकारी चीनी कारखाने चीनी का निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी मंडियों में चीनी की अच्छी कीमत प्राप्त होती है। चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये। अगर धन का अभाव है तो विश्व बैंक से ऋण लिया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में नये चीनी कारखानों की स्थापना सहकारी क्षेत्र में की जाय।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सरकारी स्तर पर एक ऐसा संगठन है, जो किसानों और जनता दोनों के लिए ही उपयोगी है। यह निगम कृषि उत्पादों, चीनी, रुई, जूट, खाद्यान्न तेल, लाख, शहद साबुन, माचिस आदि उद्योगों के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करता है। यह विपणन व्यवस्था और किसानों को उचित मूल्य दिलवाने की भी व्यवस्था करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार को उक्त निगम को अधिक धन देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The Ministry of Agriculture has not taken any step for the increase of agricultural production for the last 26 years and it has always surrendered before the capitalists and big landlords. That is why there is such a grave food. Crisis in the Country. Our Government depended on P.L. 480 for foodgrains. Now when the farmers want to produce more, they are not provided with fertilizers, seeds, irrigational facilities and land. This Ministry has no right for its existence. It was announced after the 1971-elections that revolutionary laws would be framed for the land reforms. But land reforms laws are only on the paper. It was said that there would be two crores of surplus land after the implementation of land ceiling laws, but we do not know as to how much of it has been distributed among the landless farmers.

The fertilizer is not available to the farmers. The fertilizer is being sold in the black market at the rate of Rs. 200/- per bag as against the control price of Rs. 41/- per bag. There are so many agencies of fertilizers that one is not able to locate the authorised agency. The seeds are being sold at the rate of Rs. 150/- and Rs. 300/- per kilo. Even the M.Ps. have not been provided with seeds this year.

There is serious power crisis. The electricity is not being supplied to the farmers. It has been said that there has been a serious power crisis as there were not sufficient rains. The government should have made alternative arrangements for power generation. The Government should have set up thermal power stations for power generation.

There has been a land grab scandal in Punjab. In U.P. it is difficult even to locate the V.I.Ps. who have grabbed the land. There has been a Bajra Scandal in U.P., in which one of the Minister is also involved. When there is so much corruption, how could the landless hope to get the land.

The condition of sugar cane producers is very pitiable. The mill owners do not pay in cash to the farmers, but issue them slips mentioning the amount of Rs. 500 or Rs. 700/-. The farmers mortgage their slips to the money lenders and thus pay their dues. We have been continuously demanding nationalisation of sugar mills, but nothing has been done so

far. If they nationalise these mills, they would not get funds for the elections. In the last U.P. elections, one of the sugar mill owners had provided 72 jeeps for the election campaign. These class enemies are playing with the nation.

After the war, the Govt. had taken over the food-grains trade. Now it has shirked its responsibility. The prices of foodgrains continue to rise. The big traders have said that they can not guarantee the availability of foodgrains. The Government should procure foodgrains direct from the farmers at the reasonable prices. Last time the farmers were assured that seeds, cloth, vegetable etc. would be provided to the farmers, who sell their foodgrains to the farmers, but nothing was provided to them. Now the farmers are also not prepared to sell the foodgrains to the farmers. Now the whole sale trade of foodgrains throughout the country has been entrusted to the black-marketeers. The rich can purchase the foodgrains even at the higher price, but there is bound to be resentment in the country if the poor do not get the foodgrains.

The Government had set up Warehousing Corporation, which was entrusted with the job of purchasing seeds and fertilizers for the farmers. Later on Food Corporation of India was set up. The Food Corporation of India set up its separate ware houses and made no contact with the Warehousing Corporation. There was no need for such a duplication.

There is a Central Sheep Breeding Research Institute in Rajasthan. This Institute is also a centre of bungling and corruption. 1200 sheep were purchased during the last three years, but 600 of them died or were shown as dead.

The Department of Food supply the food articles like fish, ghee etc. to the armed forces, but I have come to know that there is wide-spread corruption in the Food Department. The higher tenders are accepted and the officers are earning commission for such deals.

Two persons had already committed suicide in I.C.A.R. An inquiry has also been cunducted into the matter, but even now the atmosphere has not improved there. The scientists are not assigned the work according to their field of specialisation. They have not been given the pay scales as recommended in the Third Pay Commission's Report. There is no Joint Consultative Machinery to resolve the disputes. In all the offices, the people are given departmental promotions but inspite of the Minister's assurance, no such departmental promotions are taking place there.

There are almost 400 commercial pilots in the country without any job. Despite the assurance of the Minister in the House to call the commercial pilots for spraying purposes, the Department has been calling the pilots from the Air Force.

There is wide spread adulteration in food articles and no effective steps have been taken to check such adulteration. The Food Adulteration Acts have helped only in increasing the income of the Food Inspectors.

The people can do away the fine and super fine clothes and may put on rough cloth, but they cannot survive even for a single day without bread. If the production of foodgrains has to be increased, the concrete steps be taken to implement the land reforms laws. The popular committees should be constituted on the pattern of Kerala to ensure proper distribution of surplus agricultural land. The anti-corruption cell should be constituted to inquire into the cases of corruption and adulteration and exemplary punishment should be given to those found guilty. I hope the honourable Minister would look into all these things.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): I support the Demands of the Ministry of Agriculture. The agricultural land provides us necessary raw materials. We have to seriously consider as to how the nation could come out of this national crisis. The food crisis is not being faced by our country alone, but it is an international crisis. Russia, China, Pakistan and many other countries had to import the foodgrains. There is nothing wrong, if we import foodgrains from the countries which have surplus stock of foodgrains.

Eighty per cent of he population is dependent on agriculture. There has been an increase in the food production, but the population has been increasing at a far more rapid rate. This shows that our planning is defective.

In the Forth Plan, 21 per cent of the resources were earmarked for the agricultural sector. Now that percentage has been reduced, whereas the value of rupee has gone down. The targets have been raised and it is proposed to achieve an annual increase of 26 millon tons of foodgrains. If medium and major projects are not taken into account, the allocation of resources would work out to be only thirteen per cent.

The Government has decided to procure fifty per cent of the wheat from the whole sale traders at the rate of Rs. 105/- per quintal. Though this policy may ensure availability of wheat in the open market, yet the price of wheat is bound to increase in the open market. The purchasing capacity of the vulnerable section of the society has not been taken into consideration in this policy. The twenty five per cent of the resources should be allocated to the agricultural sector and the target should be to have an annual increase of six per cent instead of 4.5 per cent.

When there was such crisis in Russia in 1927, Stalin had asked the people to increase the production. We should constitute a strong cadre to keep a vigilance and control the situation.

There has been advancement in research and technology. The rice production has gone up to 33.13 quintals per hectare. High yielding varieties of seeds have been developed by Ludhiana University and Pant University. The figures show that the yield of maize and barley per acre has increased but even then the production has been going down. This shows that there is defect somewhere in the planning. The village level survey should have been undertaken before the Fifth Plan. The Panchayats should be involved in this task. The resources allocated in the Plans do not reach the needy people, that is why the targets are not achieved. The inflated figures are shown in the records. The backward areas should be given priority. There should be close co-ordination between the States and the Centre.

Twenty five per cent of the land is provided with irrigational facilities and almost half of that land is rain fed area. A time limit should be prescribed for achieving the targets and if they are not achieved, the officers should be held responsible. The States should be provided adequate funds for minor irrigation so that short term irrigational facilities could be made available. If irrigational facilities are provided in Bihar, it can supply foodgrains to the deficit states. The problem of water-logged areas has to be solved and seepage of water has to be stopped.

There should be a power grid. Thein dam in Punjab has not yet been constructed. A time limit should be prescribed for resolving the water disputes. Yet the Thein dam be constructed first, the question of division of water and power could be resolved later on.

The use of fertilizer in India is the lowest in the world i.e. 3.4 Kg, whereas the world average is 15 Kg. More Gobar gas Plants should be set up throughout the country. These plants could be used both for fuel and fertilizer. The seeds are not supplied to the farmers in time with the result that yield per acre is reduced.

The procedure for getting credit from the nationalised banks is so cumbersome that some times it takes six months to get credit from the banks. The farmers are then, compelled to go to the money lenders to get the credit. The co-operative sector should also be strengthened for providing credits to the farmers.

There should be crop planning also. It should not be expected from few States to produce only foodgrains. The other states should strive for self-sufficiency in foodgrains, otherwise the prices of foodgrains would continue to rise.

The youths should be mobilised to man the Agro Service Centres throughout the country. The mobile workshops should also be entrusted to them so that small tractors could be made available to the farmers.

A conference was held in Nagpur about cotton. It was stated there that the cost of production of CH 4 was Rs. 940/- whereas it was Rs. 520/- in rainfed areas, but the Government has fixed Rs. 250/-. The import and export is under the charge of another department, whereas the prices are fixed by your Department. There should be Co-ordination between various Departments.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : Not only the Government, but the entire nation is worried on account of agricultural crisis. The Government has also drawn up certain incentives are also being provided.

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी **पीठासीन हुए**
Shri Dinesh Chandra Goswami **in the chair.**]

But the problem could not be solved. In the Fourth Plan, 21 percent of the total plan outlay was earmarked for the agricultural sector, which has been reduced to only 13 percent in the Fifth Plan. How could the country be self-sufficient in food production like that . We we had always demanded that remunerative price should be given to the farmers, but our request was not accepted. If Rs. 105/- per quintal would have been the price last year, there would not have been such a low production of wheat. Even in Punjab and Haryana, the yield of wheat is only one-fourth this year than the last year.

The people of the country have to pay a very heavy price for the wrong policies, defective planning of the Government. On the one hand, the poor are being starved and on the other, the farmers are being exploited. Sir, I want to lay this small packet on the Table of the House, which is one day's ration for a man in M.P.

According to the new policy framed by the Government wheat would be procured from the farmers at the rate of Rs. 105/- per quintal and the traders would be free to sell wheat at the rate of Rs. 150/- per quintal. Even now the farmers are not being paid remunerative price. The traders wonld sell wheat at the rate of Rs. 150, 175 or even Rs. 200/- per quintal, but the farmers would get only Rs. 5/- per quintal as profit as the cost of production is Rs. 100/- per quintal. I would like to know as to what steps are being taken to provide incentives to the farmers and for increasing the food production. The prices of agricultural produce should be fixed keeping in view the working conditions of the farmers.

The farmers of Haryana and Punjab were forced to sell wheat at the rate of Rs. 75/- per quintal, but later on in the markets of Haryana and Punjab, wheat was sold at the rate of Rs. 130/- to Rs. 150/- per quintal. A Parliamentary committee should be set up to enquire whether the wheat was sold from April on wards in Delhi markets at the rate of Rs. 150 to Rs. 175 per quintal or not. If this statement proves to be wrong. I am ready to suffer the punishment.

Some of the Maharashtra firms were allowed to purchase wheat as seed in Haryana. One of the firms purchased ten thousand bags of wheat at the rate of Rs. 110/- and Rs. 120/- in Haryana markets. This wheat was sold at a high profit, as the wheat sowing season has already passed. Now it has been said that the matter is being enquired into, but no action is taken on the Enquiry reports.

If food production has to be increased, all the taxes on agriculture be withdrawn. The farmers are not being provided with fertilisers, irrigational facilities and power. The spokesman of the Planning Commission has said that the production of fertilizer this year would be only fifty per cent. All sorts of impediments and controls should be done away with, then there will not be any food shortage in the country even without providing agricultural inputs.

There should be suitable land policy and it should not be changed off and on. It is said that there should be mechanisation and tractorisation of the agricultural land. Ninety percent of the land holdings is upto five acres. How, could such a small land holding be mechanised. In Haryana, the land revenue has been increased by four times. Even on the tractor, Rs. 150/- has been levied as tax.

There are various Inter-State Water Disputes which are pending from eight to ten years. There is Satluj-Beas dispute between Punjab and Haryana. Such disputes are creating bad blood between various states.

The prices of agricultural inputs are being increased every year. The Sugar mills are allowed to raise the prices of sugar, but the farmers are not paid higher price for sugarcane. Shri Shinde is himself a farmer and he should place his view points properly before the Government. There should be a practical planning keeping in view the difficulties and all the problems of the farmers in view. The people should not be misguided by misleading statements. If wheat is procured from the farmers at the rate of Rs. 105/- and it is not available to the farmers even at the rate of Rs. 300/- per quintal, the middleman would be benefited.

I hope the honourable Minister would look into these things.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : आज देश में जो अशान्ति विद्यमान है इसका मुख्य कारण खाद्यान्न की कमी तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी होना है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक उत्पादन नहीं हो रहा है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन न होने से औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित होता है।

देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाये और इस क्षेत्र के लिये संसाधनों का आवंटन करने के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

कृषि क्रान्ति को बहुत धक्का लगा है। 1971-72 की तुलना में 1972-73 में एक करोड़ टन खाद्यान्न का कम उत्पादन हुआ। वर्ष 1973-74 में भी खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हुई है।

देश में पड़ा असाधारण सूखा भी हमारी वर्तमान असफलता का एक कारण है। इसका एक कारण यह भी है कि कुछ वर्गों के लोग कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय की आलोचना करने में लगे हैं। कृषक समुदाय को अधिक अन्न उपजाने में सहायता देने कि बजाये उन पर आक्षेप किया जाता है। हमारे कुछ शक्तिशाली और समृद्धवर्ग के लोगों द्वारा कृषि मंत्रालय और सरकार पर दबाव डाला जाता है। उन्हें कृषकों और कृषक समुदाय की आलोचना करने में प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह बहुत दुःख की बात है कि बहुत से लोग कृषि को दिये जाने वाले महत्व को नहीं समझते।

औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक विकसित देश भी अन्य उद्योगों की तुलना में कृषि उद्योग को अधिक महत्व देते हैं। इसी कारण वे अधिक उत्पादन करते हैं और अन्य देशों को अन्न का निर्यात करते हैं। अतः हमें भी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

वर्ष 1973 में हमने 36.14 लाख टन अनाज का आयात किया और उस पर 319.52 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की। यदि हम किसानों को प्रोत्साहन देने में थोड़ी और रुचि ले तो वे इस कमी को पूरा करने के लिए और अधिक अन्न उपजा सकते हैं और इससे हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं।

22 LSS/74—14

बेहतर जल सुविधाओं, बेहतर बीजों और उर्वरकों की सप्लाई के बिना उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। जब तक अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई नहीं की जायेगी तब तक कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना और लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है । लगातार प्रचार के परिणामस्वरूप भारतीय किसानों ने खेती की आधुनिक पद्धति को अपना लिया है । अतः उन्हें अधिक उर्वरकों की आवश्यकता है लेकिन सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई करने में असफल रही है । वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण किसानों को उर्वरक नहीं मिल पाते। अतः समस्त देश में उर्वरकों का समान रूप से वितरण किया जाना चाहिये। उर्वरकों की गंभीर कमी इनका आयात करने से पूरी नहीं होगी बल्कि इसके लिये हमें देश में ही उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी ।

उर्वरकों की खरीद के लिये रखी गई राशि पर्याप्त नहीं है । अतः उक्त राशि में भारी वृद्धि की जानी चाहिये ।

हमें भूमिगत जल का भी उपयोग करना चाहिये। केन्द्रीय नलकूप निगम की स्थापना की जानी चाहिये जो नलकूपों के माध्यम से कृषकों को सहायता देने के उद्देश्य से देशव्यापी आधार पर भूमिगत जल का उपयोग करें।

वर्तमान निर्धारित मूल्य किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने में पर्याप्त नहीं है । उक्त मूल्य उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहियें। यदि सरकार किसानों की उत्पादन लागत के अनुसार मूल्य निर्धारित करती है तो वह बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी बचा सकती है ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अनेक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं । इन प्रतिवेदनों में छोटे और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को अपनी आय बढ़ाने के लिये सहायता देने के सुझाव दिये हैं । सरकार को इस मामले में किसानों को सहायता देनी चाहिये।

जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का संबन्ध है, इस मामले को उचित ढंग से नहीं निपटाया गया है। इस संबन्ध में सरकार की एक निर्धारित नीति होनी चाहिये। छोटी-छोटी जोतों वाले किसान ट्रैक्टर और आयातित मशीनों आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः इस प्रयोजन के लिये समस्त देश में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सेवा केन्द्र खोले जाने चाहियें और किसानों को किराये पर मशीनें उपलब्ध करानी चाहियें ।

कृषि वैज्ञानिकों का एक कृषि संवर्ग बनाया जाना चाहिये। कृषि विद्यार्थियों से किसानों को शिक्षा देने के लिये कहा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, वे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की शिक्षा दे सकते हैं जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सकती है ।

***श्री पी० ए० सामिनाथन्** (गोबीचेट्टिपलयम) : भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतया कृषि पर निर्भर करती है ।

देश में खाद्य उत्पादन में धीरे-धीरे कमी हो रही है । 1970-71 में खाद्यान्न का उत्पादन दस करोड़ 84.2 लाख टन हुआ जबकि 1971-72 में खाद्यान्न का उत्पादन दस करोड़ 51.7 लाख टन हुआ। 1972-73 में केवल 9.52 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

कृषि विभाग ने 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि लगातार सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर भी लिया जाये तो केन्द्रीय सरकार के 1974-75 के बजट में सूखा और बाढ़ की दोहरी समस्या से निपटने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिये उपबन्ध क्यों नहीं किये गये ?

कृषि उत्पादन बढ़ाने संबन्धी केन्द्रीय सरकार की नीतियां उचित नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने आवश्यकताओं की ओर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कारगार और तेजी से कार्य करने की अनुमति नहीं दी है। केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। सरकार न तो भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत इस बारे में स्वयं कार्यवाही करती है और न ही राज्य सरकारों को कार्यवाही करने की अनुमति देती है।

केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु वनस्पति (व्यापार विनियमन) आदेश 1973 तथा चीनी (व्यापार विनियमन) आदेश, 1973, जिन्हें राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1973 में भेजा था, को अभी तक अनुमति नहीं दी है। तमिलनाडु सरकार का यह विचार है कि उक्त अधिनियम के दाण्डिक उपबन्धों को और कठोर बनाने की आवश्यकता है। सरकार को इस संबन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में मोटे अनाज के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का निर्णय किया है। लेकिन उक्त महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय राज्य सरकार की सलाह नहीं ली गई। मोटे अनाज के लाने ले जाने पर से रोक हटाने से तमिलनाडु में मोटे अनाज के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार से सलाह न लेने का क्या कारण है।

मैं केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वह मनमाने ढंग से कार्य कर रही है और केन्द्रीय कृषि मंत्री तमिलनाडु की $4\frac{1}{2}$ करोड़ जनता के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं।

यह विश्वास किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार दक्षिणी राज्यों का एक जोन बनाने के लिये दृढ़ संकल्प है। यदि केन्द्रीय सरकार दक्षिणी राज्यों के लिये एक जोन बनाती है, तो यह बात निश्चित है कि तमिलनाडु जो अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उगाता है, कम अनाज उत्पादन करने वाला राज्य हो जायेगा। इस बारे में मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये।

ग्रामीण रोजगार संबन्धी द्रुतगामी योजना 1971-72 में आरम्भ की गई थी। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये यह बहुत उपयोगी योजना सिद्ध हुई है। लेकिन इस योजना के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। यह समाचार प्राप्त हुआ है कि 1974-75 में उक्त योजना समाप्त हो जायेगी। ऐसा किये जाने से ग्रामीण युवकों में असंतोष और निराशा उत्पन्न होगी। योजना को न केवल 1974-75 तक बल्कि पांचवीं योजनावधि तक लागू किया जाना चाहिये।

गत दो वर्षों में मूंगफली और मूंगफली के तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। मूंगफली और मूंगफली का तेल उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमिलनानाडु सरकार ने मूंगफली और मूंगफली के तेल की खरीद और उसके लाने ले जाने पर उपकर लगाने का विचार प्रकट किया है।

राज्य सरकार ने इसके लिये केन्द्रीय सरकार सं अनुमति देने का अनुरोध किया। केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों में किसी प्रकार का उपकर लगाने की अनुमति नहीं दी है । कृषि मंत्री को राज्य की वास्तविक मांग पर ध्यान देना चाहिये और इस संबन्ध में राज्य सरकार को अनुमति देनी चाहिये ।

सरकार की चीनी संबन्धी दोहरी नीति चीनी मिलों को भारी लाभ कमाने में सहायक हुई है । सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से क्यों हिचकिचाती है? इस बारे में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

सरकार की 70 प्रतिशत लैवी और 30 प्रतिशत खुले बाजार में चीनी वितरित करने संबन्धी नीति से चोरबाजारी और बढ़ गई है । यदि सरकार चोरबाजारी को रोकना चाहती है तो उसे चीनी का अधिक मात्रा में उपयोग करने वालों के लिये चीनी का कोटा आवंटित करना चाहिये। मंत्री महोदय को चीनी की चोरबाजारी रोकने के तरीके खोजने चाहिये और वर्तमान दोहरी नीति में उचित संशोधन करना चाहिये ।

20 अप्रैल, 1974 के दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि निर्यात के लिये यद्यपि 8 लाख टन चीनी उपलब्ध है लेकिन अब तक केवल 30,000 टन चीनी का ही निर्यात किया गया है । इस कारण देश को 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होने की आशंका है । इस बारे में माननीय मंत्री को वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । सरकार द्वारा इस संबन्ध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उर्वरकों की भारी कमी के कारण और केन्द्रीय सरकार की उर्वरक संबन्धी गलत नीतियों के कारण रासायनिक खाद की 50 किलो की बोरी का नियंत्रित मूल्य 62 रुपये है जबकि उसे 125 अथवा 130 रुपये में बेचा जा रहा है । यदि देश में उर्वरकों के उत्पादन में भारी वृद्धि नहीं होती तो अनाज, कपास, चीनी और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा। यदि एसा संभव नहीं है तो सरकार को कमी दूर करने के लिये अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों का आयात करने से संकोच नहीं करना चाहिये ।

सरकार की उर्वरक वितरण संबन्धी नीति त्रुटिपूर्ण रही है । आयातित उर्वरकों का वितरण राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है जबकि देश में उत्पादित उर्वरकों का वितरण गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है । तमिलनाडु सरकार ने गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण रोक देने का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य सरकार के इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आयातित अथवा देश में उत्पादित उर्वरकों का वितरण राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाय ।

तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के 6 वर्ष के शासन में 3,00,000 पम्प सैटों के लिये बिजली के कनेक्शन दिये गये जबकि कांग्रेस सरकार के 20 वर्ष के शासन में 3,00,000 पम्प सैटों के लिये बिजली के कनेक्शन दिये गये । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई करनी चाहिये ।

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना अनाज की वसूली, आयात, वितरण आदि के लिये की गई थी, लेकिन उक्त निगम देश में आम जनता को लाभ पहुंचाने में असफल रहा है। वास्तव में मूल्य वृद्धि का एक कारण उक्त निगम का उचित रूप से कार्य न करना है। यह कहा जाता है कि अन्यायपूर्ण कार्य में भारतीय खाद्य निगम का निजी स्वार्थ है। भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार का बोल बाला है और उसने समस्त देश अपनी लूट का केन्द्र बनाया हुआ है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि एफ० सी० आई० को कितनी हानि हो रही है। इस संस्था को प्रभावी बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है।

दक्षिणी राज्यों के लिए एक जोन बनाये जाने के बारे में तमिलनाडु की जनता में रोष है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय तमिलनाडु की जनता के हितों का ध्यान रखेंगे।

श्री बसंत साठे (अकोला) : देश में कृषि मंत्रालय का महत्वपूर्ण स्थान है और यदि इसकी गतिविधियों की समुचित देख-रेख की जाये तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को घाटे में जाने से रोका जा सकता है।

मैं गेहूं के थोक व्यापारियों के सहयोग से हाल में अपनाई गई नीति का उल्लेख करता हूं। गत वर्ष हमने कहा था कि गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण समाजवाद की हमारी नीती का आरंभ है। हमने सोचा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से समाज के कमजोर वर्गों में उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में अनाज का वितरण किया जा सकेगा।

जब गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण नहीं किया गया था तब 2 करोड़ 60 लाख टन उत्पादन में से 1 करोड़ 30 लाख टन गेंहूं बाजार में आता था और जब उसका सरकारीकरण हो गया और 80 लाख टन का हमारा लक्ष्य था तो हमें 42 लाख टन गेहूं मिला।

जब इस सभा में गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य 10 रुपये और बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों ने कहा तो हमने आयात करना उचित समझा परन्तु मूल्य नहीं बढ़ाया। पहले कृषि मूल्य आयोग मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध था अब वही कृषि मूल्य आयोग मूल्य 105 रुपये निर्धारित करने पर सहमत हो गया है। 105 रुपये की इस दर से और नीति में परिवर्तन करने से भी क्या हम खाद्यानों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं ?

मैं विदिशा जिला खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा अखिल भारतीय खाद्यान्न विक्रेता संघ के फेडरेशन को दिये गये पत्र का उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूं कि उनका कहना है कि हम 135 रुपये की दर से गेहूं खरीदेंगे और सरकार को 50 प्रतिशत गेहूं 105 रुपये की दर से बेचेंगे तो 30 रुपये का नुक्सान होगा। इस 30 रुपये के नुक्सान को दूसरे 50 प्रतिशत के साथ जोड़ेंगे तो वह 165 रुपय हो जायेगा और 10 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च मिलाने से वह 175 रुपये प्रति क्विंटल होगा। अतः 50 प्रतिशत की हमारी नीति से हमें कठिनाई होगी। समाज के कमजोर वर्ग तो पहले से ही तकलीफ उठा रहे हैं। वे और अधिक महंगा अनाज नहीं खरीद सकते क्योंकि उनकी क्रय क्षमता बढ़ी नहीं है।

सरकार को चाहिये कि वह धनवान जमींदारों से गेहूं ले। व्यापारियों से कहा जाना चाहिये कि हम 50 प्रतिशत व्यापार नहीं करना चाहते। सारा उत्तरदायित्व थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों का होना चाहिये। भारतीय खाद्य निगम के सारे गोदाम और सभी चीजें उन्हें दे देनी चाहियें। उन्हें पूर्णतः विश्वास में लिया जाना चाहियें।

यदि सरकार कहे कि समूचे देश में गेहूं 125 रुपये से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जाना चाहिये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि व्यापारी ऐसा ही करेंगे और वे सारे देश में इसी भाव पर गेहूं बेचेंगे। विश्वविद्यालय के छात्रों और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों को सतर्कता एककों के रूप में कार्य करने दिया जाये। उन्हें न्याय पंचायतों की शक्तियां दी जायें ताकि खुदरा व्यापारी को अपराध करने से रोका जा सके और मजिस्ट्रेट की सहायता से उसे दंड दिया जा सके।

मेरा अगला मुद्दा दूध के बारे में है। हम जानते हैं कि हमने क्या किया है। हमने दूध की बाढ़ आने की बात कही परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि 1955 में जब हमने देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार बनाया था तो उस समय 2.9 करोड़ टन दूध का उत्पादन था जो लगभग 20 वर्ष में, अर्थात्, 1975 में बढ़कर 2.32 करोड़ टन हुआ परन्तु प्रति व्यक्ति उत्पादन 147 ग्राम से घट कर 111 ग्राम रह गया। डेरी टीम के प्रतिवेदन से पता चलता है कि हम आयातित दुग्ध चूर्ण पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। जब दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना की गई थी तब यह अनुमान लगाया गया था की दूध की 80 प्रतिशत आवश्यकता देश में ही दूध एकत्रित करके पूरी की जायेगी और शेष 20 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करने के लिये आयात किया जायेगा परन्तु अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। दिल्ली दुग्ध योजना अब 80 प्रतिशत आयातित दुग्ध, अर्थात्, "बटर आयल" पर निर्भर करती है। क्या हम "बटर आयल" और दुग्ध चूर्ण पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं या हम देश में ही दूध के उत्पादन को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं? सरकार को भूमिहीन श्रमिकों को प्रोत्साहन देना है, उसे उन्हें गाय और भैंस देनी हैं।

खाने के तेल के सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि हमें एक नीति बनानी चाहिये। यदि हमें आयात करना ही है तो हमें खाने के तेल का अयात नहीं करना चाहिये। मुझे बताया गया है कि हमें लगभग 2 लाख टन खाने के तेल का आयात करना पड़ेगा। यदि हम केवल तिलहनों का आयात करें तो उससे देश में रोजगार-प्रधान उद्योगों को सहायता मिलेगी। चीनी के सम्बन्ध में, मैं एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि इससे काफी विदेशी-मुद्रा मिलती है। सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय क्यों नहीं करती? यह हमारी नीति है। सरकार को किसी भी क्षेत्र में दोहरी मूल्य नीति की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कठिनाई से सिंचाई की 1.6 प्रतिशत सुविधा है जबकि यह भूमि कृषि योग्य है। यदि वहां भूमिगत जल संसाधनों को काम में लाया जाय तो वहां अत्याधिक खाद्यान्न उपजाया जा सकता है।

रुई के उत्पादकों को उचित मूल्य न मिलने के कारण इसका उत्पादन कम हो गया है। वाणिज्य मंत्री के साथ बैठ कर इस बारे में एक नीति बनाई जाये ताकि रुई के उत्पादकों के प्रति न्याय किया जा सके और हथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके।

श्री क० मायातेवर (डिंडीगूल) : देश की कुल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का 44 प्रतिशत योगदान है।

कृषि देश की अर्थ व्यवस्था का मेरुदंड है। कृषक न केवल अनाज ही उत्पन्न करते हैं अपितु पटसन, चीनी, कपास जैसे अन्य सहायक उद्योगों को कच्चा माल भी सप्लाई करते हैं।

परन्तु किसान की स्थिति क्या है? समाज में उसका क्या स्थान है वह ऋणी के रूप में जन्म लेता है और इस स्थिति में रहते हुए मर जाता है।

भारत में किसानों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दबाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के जमींदार, मध्यम वर्ग के लोग, ऋणदाता और धनी लोग उनका शोषण करते हैं। हमें उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना होगा और स्थायी रूप से ऋणी रहने की स्थिति का समाधान करना होगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दो उद्देश्य रखे गये हैं। एक है गरीबी दूर करना और दूसरा आत्म-निर्भरता प्राप्त करना। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर नहीं की जायेगी तब तक वह भारत से दूर नहीं हो सकेगी।

गरीबी हटाने से पहले हमें भ्रष्टाचार को हटाना होगा जो समूचे देश में व्याप्त है। जब तक किसान उर्वरक, बिजली और ऋण प्राप्त करने के लिये 'मामूल' अर्थात् रिश्वत नहीं देते तब तक उन्हें ये चीजें नहीं मिलती। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त करे।

पांचवीं योजना के लिये कुल परिव्यय 54,411 करोड़ रुपये रखा गया है, इस परिव्यय में से कृषि के लिये 4,730 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कुल परिव्यय का 20.1 प्रतिशत है। यह खेद की बात है कि कृषि के लिये बहुत कम राशि रखी गई है।

ग्राम्य अर्थ व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। अतः उस में सुधार किये बिना न सरकार चल सकती है और न अन्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सकता है। मैं शासक दल से अनुरोध करता हूं कि वह योजना के कुल परिव्यय में से कम से कम 10 प्रतिशत कृषि के विकास के लिये आबंटित करे। भारत में ग्राम्य अर्थव्यवस्था में सुधार करने का यही एक मार्ग है।

कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये कृषकों के पुत्रों को तरजीह दी जानी चाहिये। कृषकों के बच्चों को उसी प्रकार उचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये जैसाकि संविधान के अध्याय तीन के अनुच्छेद 15 और 16 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये प्रदान किये गये हैं। सरकार को ग्राम्य अर्थव्यवस्था के संरक्षण और कृषकों के संरक्षण के लिये कानून बनाना चाहिये। इसी प्रकार पशुधन के संरक्षण के लिये भी कानून बनाया जाना चाहिये क्योंकि वह ग्राम्य अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है।

फ़सल बीमा योजना का मामला काफ़ी समय से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन है। यह योजना शीघ्र क्रियान्वित की जानी चाहये ताकि बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों का संरक्षण किया जा सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गंगा-कावेरी परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये। इस परियोजना को क्रियान्वित करने से अनेक समस्याएं हल हो सकती हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): There can be no two opinions about the fact that agriculture plays a very important role in the economy of our country. We had to suffer a lot due to severe drought in 1972-73. As a result of that drought, our economy has been affected adversely. In-fact land reforms have not been implemented seriously and landless labourers have not been able to get any land. They have to depend on big landowners. The law of land ceiling has not been enforced. The Central Government formulates a

policy and then leaves it to states to implement that. Big landowners do not cooperate in the implementation of land reforms lest it should achieve any success. The take over of wholesale trade in wheat has proved a failure. The officials of Food Corporation are playing in the hands of traders. The farmers are not being given remunerative prices of wheat and they are switching over to other types of crops. Then opposition parties, big businessmen and farmers organised 'bandhs' and tell the peasants not to sell wheat at Rs. 76.00 per quintal. On the other hand, they advise the consumers to request the Government to release stocks. As a result of all these activities, big businessmen and landowners have made huge profits. The businessmen do not allow foodgrains to enter market. They purchase wheat from the villages to avoid levy. The officials of Food Corporation and the businessmen are in collusion with each other and are distributing the profit among themselves. In these circumstances, small farmers have to face great hardships. The Government should look into this matter. In this connection, I may point out that whatever assistance has been given by the Government, only big landowners have been benefited by that and the small or marginal farmers have not received any assistance.

The fertilizers should be distributed through cooperatives because private agencies loot the farmers. Government should ensure the supply of fertilizers and power to farmers.

Government should implement minor irrigation and lift irrigation schemes. It will help in increasing the production. If dams are constructed over tributaries, they will be very useful for irrigation purposes.

Agricultural labourers have been waiting for some relief. If they cannot be provided with land, they should be given dairy facilities on some cottage industries to enable them to improve their economic condition. The State Governments and the departments concerned should give loans to them. The Central Government should provide more money to the Madhya Pradesh Government to enable it to give relief to the small farmers of the State.

श्री लालजीभाई परमार (दोहद) : कृषि मंत्री ने कुल मिलाकर 792,28,36,000 रुपये की रखी हैं। हमें इस राशि की मंजूरी देने में कोई आपत्ति नहीं परन्तु इस मंत्रालय को स्वयं विचार करना चाहिये कि क्या इसने प्रत्याशित सफलता प्राप्त की है और उसके उद्देश्य पूरे हुए हैं। मेरे विचार में यह मंत्रालय वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा है। खाद्य उत्पादन में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो पाई। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी योजना कुछ ठीक ढंग से नहीं बनाई गई। उसमें कुछ अभाव खटकता है। आजकल देश में खाद्य समस्या को ले कर दंगें हो रहे हैं। यदि उपलब्ध अनाज को उचित ढंग से वितरित करने में कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करना होगा में पूछना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से पहले अनाज क्यों नहीं भेजा गया? यह बहुत गम्भीर मामला है। गुजरात के दंगों में 130 से अधिक निर्दोष व्यक्तियों की जाने गईं। अतः मंत्री महोदय को दुगुने उत्साह के साथ खाद्य समस्या को हल करना चाहिये। सरकार जो भी नीति बनाये उसकी क्रियान्विति भी सुनिश्चित करे। उन्हें अपने पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिये।

जब हम देश में वन समाप्त होने की ओर ध्यान से देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वन संरक्षण के लिये नियत की गई धन-राशि बहुत कम है .सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जनता की इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों की अवाश्यकताएं पूरी हो सकें। यह संतोष की बात है कि पांचवीं योजना में कृषि के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमान्त किसानों के अधिक योगदान की व्यवस्था की गई है। किसानों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिये सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये।

इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रख कर पशु पालन, डेयरी, गहन विकास के क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव यह है कि कृषि में सुधार करने के लिये देहातों की आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किये जाने चाहियें और उसके बाद उनके विकास

की योजना बनानी चाहिये। पंचायतों को सर्वेक्षण करके अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध करने चाहियें । कृषि उत्पादन सम्बन्धी योजना तैयार करते समय सिंचाई के पहलू को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इतने वर्ष की योजना के बावजूद 4 एकड़ भूमि में से 1 एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। वस्तुतः सिंचाई की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे अपेक्षित मात्रा में पानी मिले और साथ ही समय पर भी मिले। किसानों को पानी के उचित उपयोग के बारे में शिक्षित भी किया जाना चाहिये।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों को शीघ्र हल करना चाहिये ताकि जल संसाधनों के विकास के मांग में बाधा न पड़े । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार गुजरात राज्य में भूमि सुधार लागू किये गये, उसी प्रकार सभी राज्यों में लागू किये जाये।

Shri Achal Singh (Agra): Sufficient attention has not been paid towards the development of agriculture in previous Five Year Plans, as a result of which our economic problems have become more complicated. It is a matter of satisfaction that Government took special care of agricultural development in the Fourth Five Year Plan. The production of foodgrains was 100 million tonnes in 1971. The condition would have considerably improved had there been timely rains. But it is matter of regret that the price of wheat was fixed at Rs. 76.00 per quintal whereas grams, Bajra and Jawar were being sold at Rs. 150-200 per quintal. Our experts did it who do not have basic knowledge of agriculture. I would submit that economic condition cannot be improved without paying special attention towards agriculture. The Government should ensure adequate supply of fertilizers, water and power in order to increase production. I welcome the new wheat policy and I hope that wholesale traders would cooperate and this new policy would help achieve the desired results.

श्री बसंत साठे पीठासीन हुए ।

Shri Vasant Sathe in the chair.

I would request the Government to distribute foodgrains in all the states in such a way that the difference in its prices is reduced to the minimum.

The number of cattle is sufficient but sufficient attention is not paid towards their breed. The Department of Animal Husbandry should be more vigilant. The villagers should be given loans to maintain cows and buffaloes so that shortage of milk is removed.

We should make every effort to improve economic condition of the country by increasing food production so that opposition parties may not exploit the situation. With these words, I support these demands.

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : मैं कृषि मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहती हूं कि वह भविष्य के लिए योजनायें बनायें, हमारे देश में सूखा, अकाल और बाढ़ की समस्यायें उत्पन्न होती ही रहती हैं। अतः इस सम्बन्ध में स्थाई योजनायें बनाई जायें जिससे देश में इन समस्याओं को नियंत्रण में रखा जा सके।

जहां तक किसानों से खाद्यान्न वसूली का सम्बन्ध है मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु मुझे इस बात पर आपत्ति है कि फसल काटने के बाद लेवी निर्धारित की जाती है। लेवी फसल कटने से पहले निर्धारित होनी चाहिए जिससे यह निर्धारण न्यायोचित हो सके। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को पत्र लिखा था किन्तु उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया ।

खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किये जाने की मांग न्यायसंगत है । किन्तु यह भी सच है कि खाद्यान्न के उत्पादन में कमी के लिए स्वयं सरकार ही उत्तरदायी है। क्या कारण है कि उन स्थानों में भी बाढ़ आई है या सूखा पड़ा है जहां पहले ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती थीं ? क्या इसका

कारण यह नहीं है कि वनों को काटा जा रहा है जिससे भूमि कटाव होता है ? मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल के 'जूनियर स्टेटसमैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाना चाहती हूं जिसमें एक मंत्री महोदय ने एक वन काटे जाने के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि मनुष्य अधिक महत्वपूर्ण है कि वृक्ष।

राष्ट्रीय वन विभाग ने 1952 में अपने सर्वेक्षण में सिफारिश की थी कि भारत में 33 प्रतिशत वनों की आवश्यकता है। किन्तु आज केवल 17 प्रतिशत वन हैं जिन्हें तेजी से काटा जा रहा है। क्योंकि इससे सरकार तथा धनी कागज उद्योगपतियों को लाभ मिलता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वनों के महत्व को समझा जाये तथा राज्यों को समझाया जाये।

'सरकार का दावा है कि प्रतिवर्ष वन महोत्सव के दौरान 100 हजार वृक्ष लगाये जाते हैं। किन्तु प्राक्कलन समिति का इन आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं है। सरकार युक्लिप्टस वृक्ष लगाती है जो बहुत धीरे बढ़ता है। वृक्षों के कटने से भूमि कटाव होता है तथा भाखड़ा नंगल बांध के बारे में यह रिपोर्ट है कि 20 वर्ष पश्चात् गाद जमने से यह बांध बेकार हो जायेगा। यदि यह बात सच है तो यह एक गम्भीर समस्या है। एक समस्या यह भी है कि अनाज को रखने के लिए खत्तियों का प्रयोग किया जाता है जिससे 30 प्रतिशत अनाज खराब हो जाता है। सरकार ने अभी तक ग्रामीण जनता को इस दिशा में कोई उपयुक्त जानकारी नहीं दी है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किये बिना हमारे देश की अर्थ व्यवस्था सुधर नहीं सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना, सड़के बनाना आदि कार्य अत्यन्त आवश्यक कार्य हैं। मैं राजस्थान नहर की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं तथा अनुरोध करती हूं कि उसके लिए केन्द्रीय सरकार सहायता दे। खाद्यान्न के आवागमन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाये जिससे अभाव वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न जा सके।

Shri Tula Ram (Ghatampur): I rise to support the demands of the Ministry of Food and Agriculture. There has been considerable progress in the field of Agriculture in our country after independence. During the pre-independence days most of our farmers were not able to pay land revenue. But now their economic condition is very good. Efforts have been made by the Government to educate the farmers in the adoption of improved methods of farming by giving them modern implements and improved varieties of seeds. This has resulted in increasing per acre yield from 5 maunds to 40 maunds. If these kinds of seeds with all other facilities are provided to the farmers, I hope that agricultural production would increase to 100 maunds in an acre of land.

Unfortunately, we had to face some natural calamities like drought and frost during the last two years, as a result of which, the production of foodgrains declined by one crore tonnes. The strike organised by engineers also affected the production of foodgrains as it stopped power supply to tube-wells.

Government have imposed ceiling on land but they have not made surplus land available to landless labourers and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I suggest that Government should take immediate action in this regard.

I would also like to draw the attention of the Government to the large ravines in the district of Etawah. I suggest that Government should make efforts to level up these lands with the provision of irrigation facilities so that lakhs of people may get jobs there.

So far as the chemical fertilizers is concerned, they are being sold in black-market by private dealers at the rate of Rs. 100 per bag. I suggest that chemical fertilizers should be supplied by the Government at subsidised rates to farmers.

Power is supplied to the agriculturists at a higher rates. This is unfair on the part of the Government. I demand that power should be supplied to farmers at the same rate at which it is supplied to industries.

I also suggest that remunerative price should be given to the agriculturists for their produce. Price of agricultural produce should be fixed keeping in view the agricultural expenditure which has increased considerably. It is quite strange that, at present, the price of wheat, even at the increased rate, is such less than gram and barley. In this situation, farmers are shifting towards cash crops. Government should look into it.

The food policy of the Government is city-oriented. In urban areas even millionaires get ration. The rural population is given step-motherly treatment. Is there any justification in it? In view of the fact that 80 per cent of our people live in villages, their interests should be protected by giving them adequate quota of essential commodities.

While concluding, I would like to suggest that time has come when cooperative farming should be encouraged. In these days, no agricultural worker would like to work in the fields beyond 8 hours a day. Therefore, big farmers would have to engage more workers resulting in reduction in margin of profit.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : महोदय ! प्रसन्नता की बात है कि इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दिये हैं जो मेरे मंत्रालय के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे।

यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार कोई गलती नहीं करती अथवा मेरे मंत्रालय ने कभी कोई गलती नहीं की। किन्तु मैं श्री सरजू पांडे के इस कथन से सहमत नहीं हो सकता कि देश में खाद्यान्न के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। महोदय ! कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में वर्षा, सूखा और पाला आदि अनेक कारणों को ध्यान में रखकर वार्षिक आंकड़े देने से वास्तविकता का पता नहीं लग सकता। इस संबंध में औसत वार्षिक उत्पादन के आंकड़े देना अधिक युक्ति संगत होगा। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में वार्षिक उत्पादन 660 लाख टन था, दूसरी योजनावधि में 750 लाख टन, तीसरी में लगभग 810 लाख टन तथा चौथी योजना अवधि में 1020 लाख टन रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

जहां तक कृषि संबंधी नीति और कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इनमें कोई बड़ा दोष नहीं है। वर्ष 1972-73 में जब उत्पादन में 100 लाख टन की कमी हुई तो सरकार ने उसके कारणों का पता लगाया। जिन राज्यों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय कमी हुई थी, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र आंध्र-प्रदेश आदि, उनमें फसलों पर सूखे का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। **(व्यवधान)**

पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादिता 2406 किलोग्राम है किन्तु कर्नाटक और महाराष्ट्र में केवल 540 और 498 किलोग्राम। इसी प्रकार चावल की उत्पादिता पंजाब में 2044 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि आसाम में केवल 970 और मध्य प्रदेश में 818 किलोग्राम है। अतः भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादिता में पर्याप्त अन्तर है।

माननीय सदस्य श्री पी० ए० स्वामिनाथन का यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि कृषि उत्पादन घटता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग और पूर्ति में अन्तर हो सकता है। जहां तक खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का प्रश्न है, 1971-72 तक स्थिति अच्छी थी।

सभी राज्यों के माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं है । मेरे विचार से देश में उपलब्ध कार्बनिक खाद का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए तथा उसे व्यर्थ नष्ट करना देश के अहित में होगा । यह कहना सच हो सकता है कि कार्बनिक खाद देश की केवल 8 प्रतिशत मांग को ही पूरा कर सकती है। उसके बाद हमें अकार्बनिक उर्वरक का ही आश्रय लेना पड़ेगा । माननीय सदस्यों की यह मांग न्यायसंगत है कि वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाये। इस सम्बन्ध में कई उपाय किये गये हैं । तथा इस बारे में कई बार स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस दिशा में कार्य करने के लिए मेरे मस्तिष्क में कई बातें हैं तथा मेरा विचार है कि हम स्थिति का सामना करने में सफल होंगें।

भूमि सुधार कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में कई बातें उठाई गई हैं तथा कई सुझाव दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कई माननीय सदस्यों से प्रश्न किया था कि जब पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार थी तब आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। वास्तव में प्रजातंत्र प्रणाली के अन्तर्गत भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अधिक समय लगना स्वाभाविक है। भारत सरकार ने पहली बार भूमि सुधार के सम्बन्ध में नए मार्गदर्शी सिधांत बनाये हैं तथा मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय तथा नेफा को छोड़कर सभी राज्यों ने उसके अन्तर्गत कानून बना लिये हैं। सरकार का विचार है कि संविधान की 9वीं अनुसूची के अन्तर्गत अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को संवैधानिक संरक्षण दिया जाये।

महोदय! गेहूं के सम्बन्ध में नई नीति के बारे में यह कहना कि सरकार ने नौकरशाहों के परामर्श से यह नीति निर्धारित की है न्यायसंगत नहीं है। राजनीतिक स्तर पर मैं तथा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जब इस नीति का उत्तरदायित्व पूरी तरह अपने ऊपर लेने को तैयार हैं तो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह आरोप क्यों लगाया जाये? इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों के माध्यम से तथा किसानों से गेहूं वसूल करना है। देश में करोड़ों छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए हम खाद्यान्न वसूली पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं चाहते। लोक वितरण प्रणाली को त्यागने अथवा समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सप्लाई किये जाने के उत्तरदायित्व को त्यागने का हमारी कोई मंशा नहीं है। किन्तु हमें कोई ऐसी व्यवस्था भी करनी है जिससे खाद्यान्न छुपा न लिया जाये।

गुजरात में जो कुछ हुआ उसका एक कारण खाद्य समस्या भी थी। यदि किसानों को उर्वरक आदि उचित मूल्यों पर नहीं मिलेगा तो सरकार खाद्यान्न का मूल्य कम कैसे निर्धारित कर सकती है। अतः मूल्यों के बारे में कुछ न कुछ ढील देना अनिवार्य है। अन्यथा कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर नई नीति बनाई है।

सभापति महोदय: क्या नई नीति छोटे मुख्यतः किसानों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : 76 रुपया मूल्य छोटे किसानों ने भी स्वीकार नहीं किया था।

मोटे अनाज पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाये जाने के सम्बन्ध में तमिलनाडु के माननीय सदस्य ने केन्द्रीय सरकार पर गम्भीर आरोप लगाये हैं । जैसे कि यह निर्णय केवल तमिलनाडु के सम्बन्ध में ही किये गये हों। मेरे विचार से देश के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिक का देश के किसी भी भाग में उत्पादित खाद्यान्न का उपयोग करने का समान अधिकार है। देश में उत्पादित खाद्यान्न देश वासियों के लिए है। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय तमिलनाडु में खाद्यान्न सम्बन्धी दंगें कराने के लिए किया गया था।

एक दक्षिणी चावल क्षेत्र बनाये जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया और राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना कोई निर्णय किया भी नहीं जायेगा। केरल में चावल का भाव तीन-चार रुपया प्रति किलोग्राम है तथा तमिलनाडु में एक या डेढ़ रुपया। इससे केरल की जनता में असंतोष होना स्वाभाविक है।

आश्चर्य की बात है कि जैसे ही यह प्रस्ताव किया जाता है कि तमिलनाडु के उत्पादन में केरल और कर्नाटक की जनता को भी भागीदार बनाया जाये तभी इसके विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। क्या इसे देश-भक्ति या राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जा सकती है? मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु सरकार क्षेत्रीयता या संकुचित विचार धारा का शिकार न हो।

कलकत्ता और आसाम को भेजे जाने वाले खाद्यान्न को तूतीकोरिन में उतारे जाने के प्रश्न पर यदि गंभीरता से विचार किया जाये तो इसमें निहित औचित्य ज्ञात हो जायगा। रूस के साथ किये गये करार को ध्यान में रखते हुये यदि तूतीकोरिन में खाद्यान्न न उतारा जाता तो हमें विदेशी मुद्रा में भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ता। विशाखापत्तनम तथा कलकत्ता पत्तनों पर स्थान उपलब्ध नहीं था। अतः परिस्थितिवश हमें ऐसा करना पड़ा।

द्र० मु० क० पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है।

सभापति महोदय : 6 बजे आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होती है। क्या मंत्री महोदय कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं केवल 3-4 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

माननीय सदस्य श्री सरजू पांडेय ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सभी संस्थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं इसका खंडन करता हूं। हो सकता है कि कहीं मानवीय असफलताएं रही हों परन्तु ये संस्थान देश के श्रेष्ठतम संस्थानों में से हैं।

कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को वेतनवृद्धियां नहीं दी जा रही हैं। तीसरे वेतन आयोग ने स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार नहीं किया। अतएव परिषद् तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत नहीं आती। किन्तु हमने सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया है कि तीसरे वेतन आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दूसरी, तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी। प्रथम श्रेणी के बारे में भी जहां भारत सरकार में वही वेतनमान हों, वे वेतमान लागू होंगे। अतएव कर्मचारियों के साथ भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है।

यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिकों को कोई पदोन्नति नहीं दी जाती। डा० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति ने इन समस्याओं पर विचार किया। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पदोन्नति के लिये वैज्ञानिकों को बार-बार बुलाने से उनमें निराशा उत्पन्न होती है। अब हमने निर्णय किया है कि वैज्ञानिक अपने कार्य की अवधि का मूल्यांकन करेंगे और फिर स्वतः पदोन्नति के अधिकारी होंगे। इस प्रकार यह समस्या अब समाप्त हो गयी है।

श्री दरबारा सिंह ने कहा है कि वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत होनी चाहिये। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले किसी भी देश में वृद्धि दर इतनी नहीं है। इस बारे में सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : सभापति महोदय, मैं आपको आपकी दयालुता के लिये धन्यवाद देता हूं ....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल फिर जारी करेंगे।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर से छूट

TAX EXEMPTION TO INDUSTIES IN BACKWARD AREAS

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं सरकार का ध्यान पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को कर में छूट देने की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे कि देश की आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके।

कुछ क्षेत्रों को जो पिछड़े हुए नहीं हैं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है जबकि कुछ क्षेत्रों को जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अतएव इस बारे में पुनर्विलोकन करके नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ताकि वास्तविक रूप में पिछड़े हुए क्षेत्रों को इस में सम्मिलित किया जा सके और कर संबंधी कुछ रियायतें दे कर आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके।

कुछ पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली छूट से भेदभाव की स्थिति पैदा हो गयी है। आठवीं अनुसूची में वर्णित पिछड़े क्षेत्रों में से कुछ को योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर नये औद्योगिक उपक्रमों के लिये 10 से 15 प्रतिशत तक राज सहायता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार कुछ पिछड़े क्षेत्र तो वास्तविक रूप में विकास कर रहे हैं जबकि अन्य और भी पिछड़ रहे हैं। आठवीं अनुसूची में सम्मिलित छः जिलों में तो पर्याप्त उद्योग होंगे और शेष जिलों में पिछड़ापन ही रहेगा जिसके फलस्वरूप इन जिलों में असन्तुलन और बढ़ेगा। अतः इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिये मंत्री महोदय को कोई युक्तिपूर्ण आधार तैयार करना चाहिये अथवा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन पिछड़े क्षेत्रों को यह सहायता दो या तीन वर्षों तक मिले और पिछड़े क्षेत्रों में पुनः विषमता पैदा न हो।

सभापति महोदय : मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि कुछ पिछड़े क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें औद्योगिक विकास के लिये आधारभूत आवश्यक ढांचा एवं सुविधाएं हैं जबकि कुछ में नहीं हैं तो क्या आप इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं करेंगे ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आपकी बात सही है। मुझे आशा है कि इस समस्या पर तभी समुचित ढंग से विचार किया जा सकेगा और ऐसे क्षेत्रों को चुना जायेगा जहां कम खर्च के साथ आधारभूत आवश्यक ढांचा तैयार किया जा सकता है।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : प्रश्न यह है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर मुक्त करने से क्या क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सकेगा ? पिछड़े क्षेत्रों के विकास का कार्य मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। वित्त ही नहीं अन्य बातें भी उद्योगों के विकास से संबंधित हैं। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को कर से छूट देने का पर्याप्त महत्व है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

Half-an-hour discussion.

मेरा राज्य खनिज पदार्थों में समृद्ध है । परन्तु औद्योगिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र वहां विद्यमान हैं । प्रश्न यह है कि क्षेत्रीय असमानताएं कैसे दूर की जायें ।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि न केवल औद्योगिक दृष्टि से अपितु मन्य बातों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिये ।

मंत्री महोदय मेरे जिले में अल्यूमिनियम, कागज तथा सीमेंट के कारखाने स्थापित करने पर ध्यान दें । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विशेष ध्यान दिये जाने पर भी पिछड़े क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं हो रहा है ।

वित्त मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)**: पिछड़े क्षेत्रों के आधार के बारे में पता लगाने के संबंध में प्रश्न पूछा गया है । पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने तथा आर्थिक और क्षेत्रीय विषमताएं दूर करने के लिये विभिन्न प्रकार की रियायतें देने के मामले पर योजना आयोग ने विचार किया है ।

श्री बी० डी० पांडे की अध्यक्षता में एक समिति तथा कार्यकारी दल को पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था । इस कार्यकारी दल ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को 1969 में अपना प्रतिवेदन पेश किया था । राष्ट्रीय विकास परिषद् में तथा मुख्य मंत्रियों तथा सभी राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् कुछ उपाय सम्मुख आये जिन पर निर्णय लिया गया ।

यह निर्णय किया गया कि जो जिले आर्थिक तथा औद्योगिक दोनों ही दृष्टिकोणों से विकसित हैं, उन्हें छोड़ दिया जाय किन्तु जिन जिलों में औद्योगिक विकास के लिये अपेक्षित न्यूनतम आधारभूत ढांचा एवं सुविधायें हैं उन्हें आर्थिक दृष्टि से विकसित किन्तु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य अनुभव करते हैं कि बतायी गई कसौटी प्रयोग में नहीं लाई जाती ।

श्री के० आर० गणेश : मैं केवल जिलों के चयन के मुख्य आधार का उल्लेख कर सकता हूं।

सभापति महोदय मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्री के० आर० गणेश : राजसहायता देने के बारे में सितम्बर, 1971 में यह निर्णय किया गया था कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक राज्य में दो-दो जिलों में तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक-एक जिले में निश्चित राशि के केन्द्रीय अनुदान की एक योजना बनाई जायें अथवा नये एककों को निर्धारित पूंजी पर अथवा उन एककों में जो पर्याप्त विस्तार करना चाहते हैं तथा जिनकी पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं है, 10 प्रतिशत राज्यसहायता दी जाये । फिर, मार्च 1973 में जिलों अथवा राज्यसहायता की मात्रा तथा अन्य बातों के बारे में कुछ परिवर्तन किये गए थे ।

पिछले पांच वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिये जारी किये गये लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों की संख्या इस प्रकार है : वर्ष 1970 में 59 लाइसेंस तथा 42 आशय-पत्र, जबकि 1973 में 103 लाइसेंस और 127 आशय-पत्र जारी किये गये ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विविध योजनायें हैं। सभी पिछड़े जिलों के लिये एक रियायती वित्त योजना बनाई गई है जिसके कई भाग हैं। इसके अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की सामान्य-दर 9.5 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत ली जाती है। ऋण के भुगतान की समय-सीमा भी तीन के स्थान पर पांच वर्ष है।

केन्द्रीय राजसहायता के अन्तर्गत जो विभिन्न जिलों को दी जाती है, जिलों की संख्या बढ़ गई है। माता में भी वृद्धि की गई है और इस पर निवेश बढ़कर एक करोड़ रुपया हो गया है।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक द्वारा लाभ में से 20 प्रतिशत कटौती की छूट दी गई है। यह उन सभी जिलों को उपलब्ध होगी जिन्हें योजना आयोग ने रियायती वित्त के लिये चुना है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 दिसम्बर, 1973 तक लगभग 67 करोड़ की राशि रियायती वित्त के रूप में स्वीकृत की गई और अक्तूबर, 1973 तक 2.25 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई। केन्द्रीय राजसहायता प्रदान करने के लिये लगभग 2000 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। इससे सिद्ध होता है कि पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने में काफी कार्य किया गया है।

इन रियायतों तथा अन्य सुविधाओं को अधिक उदार बनाने के प्रश्न पर भारत सरकार तथा योजना आयोग निरन्तर विचार कर रहे हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 23 अप्रैल, 1974/3 वैशाख, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, April 23, 1974/ Vaisakha 3, 1896 (Saka)

MGIPRRND—Sec. II(Day)—22 LSS/74—7-8-74—490